प्रतिवेदन दिनांक 21 दिसंबर 2021 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया

**Report was laid on 21 December 2021 in the Legislative Assembly**

सत्यमेव जयते

# भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

## सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र

## 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

## मध्य प्रदेश शासन

*वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या–1*

# भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
# का प्रतिवेदन

## सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र
## 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष

**मध्य प्रदेश शासन**

*वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या–1*

# विषय सूची



| | कंडिका क्रमांक | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| प्राक्कथन | | vii |
| **अध्याय I – विहंगावलोकन** | | |
| इस प्रतिवेदन के विषय में | 1.1 | 1 |
| सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र की रूपरेखा | 1.2 | 1 |
| प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम) का कार्यालय | 1.3 | 3 |
| लेखापरीक्षा का प्राधिकार | 1.4 | 3 |
| लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन | 1.5 | 4 |
| लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया | 1.6 | 5 |
| लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर वसूली | 1.7 | 7 |
| महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण | 1.8 | 7 |
| अभिस्वीकृति | 1.9 | 9 |
| **अध्याय II – निष्पादन लेखापरीक्षा** | | |
| ***लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग*** | | |
| खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन | 2 | 11 |
| **अध्याय III – अनुपालन लेखापरीक्षा** | | |
| ***खेल और युवा कल्याण विभाग*** | | |
| खेल अधोसंरचना का निर्माण, संधारण और उपयोग | 3.1 | 57 |
| ***गृह विभाग*** | | |
| गृह (पुलिस) विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन | 3.2 | 78 |
| ***गृह विभाग*** | | |
| निष्फल व्यय | 3.3 | 93 |

## विषय सूची


| | कंडिका क्रमांक | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| ***जनजातीय कार्य विभाग*** | | |
| संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण | 3.4 | 94 |

परिशिष्टों की सूची



| परिशिष्ट क्रमांक | विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 1.1 | बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण | 101 |
| 1.2 | 31 मार्च 2020 की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन से लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्राप्त होनी थीं | 103 |
| 2.1 | खाद्य सुरक्षा प्रशासन का ढांचा | 104 |
| 2.2 | चयनित खाद्य कारबार कर्ताओं की सूची | 105 |
| 2.3 | खाद्य सुरक्षा संरचना को दर्शाने वाला पत्रक | 109 |
| 2.4 | स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की स्थिति | 112 |
| 2.5 | विभागों का विवरण, जिन्हें खाद्य कारबार कर्ताओं के लाइसेंस/पंजीयन के लिए निर्देश जारी किए गए | 113 |
| 2.6 | जिले वार एवं वर्ष वार लिए गए एवं विश्लेषित किए गए नियामक नमूनों का विवरण | 114 |
| 2.7 | खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए नियामक नमूनों के लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक | 117 |
| 2.8 | खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए निगरानी नमूनों के लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक | 119 |
| 2.9 | जिले वार एवं वर्ष वार लिए गए एवं विश्लेषित किए गए निगरानी नमूनों का विवरण दर्शाने पाला पत्रक | 121 |
| 2.10 | दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के लिए गए एवं विश्लेषित नमूनों के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक | 124 |
| 2.11 | त्योहारों के दौरान लिए गए नमूनों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक | 127 |
| 2.12 | लेखापरीक्षा में शामिल किए गए पवित्र स्थानों एवं धार्मिक मेलों के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक | 129 |
| 2.13 | अभियोजन प्रकरणों की स्थिति | 130 |

| परिशिष्ट क्रमांक | विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 2.14 | अधिरोपित, वसूल किए गए एवं बकाया अर्थदण्ड के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक | 133 |
| 3.1.1 | खेल सुविधाओं के निर्माण हेतु आवश्यकता के आंकलन को दर्शाता विवरण | 135 |
| 3.1.2 | राज्य में उपलब्ध खेल अधोसंरचनाओं के स्वरूप का विवरण | 141 |
| 3.1.3 | खेल अधोसंरचनाओं के असमान वितरण को दर्शाने वाला विवरण | 142 |
| 3.1.4 | विलम्ब से पूर्ण होने वाले कार्यों को दर्शाने वाला विवरण | 144 |
| 3.1.5 | उपकरणों के विलंब से आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति शास्ति न लगाने को दर्शाने वाला विवरण | 148 |
| 3.2.1 | पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त रिक्त पदों के विवरण जिनकों पुलिस मुख्यालय के चयन/भर्ती शाखा द्वारा भर्ती हेतु भर्ती एजेन्सी (मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल) को अनुगामी रूप से प्रस्तावित कर भेजा गया | 153 |
| 3.2.2 | पुलिस थानों में निरीक्षकों, उप निरीक्षकों, सहायक उप निरीक्षकों, प्रधान आरक्षकों एवं आरक्षकों की जिलावार पदस्थापना का विवरण | 156 |
| 3.2.3 | जिलावार बंद चौकियों का विवरण | 161 |
| 3.2.4 | पुलिस थानों में पदस्थ कर्मचारी एवं दर्ज किए गए अपराधों की संख्या का विवरण | 162 |
| 3.4.1 | देयकों की कार्यालयीन प्रति/प्रमाणकों का विवरण जिसके माध्यम से केन्द्राध्यक्ष वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाता संख्या 32230143507 में अधिक राशि जमा की गई | 168 |
| 3.4.2 | सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के व्यक्तिगत लाभों का कपटपूर्ण दोहरा आहरण | 172 |
| 3.4.3 | अतिथि शिक्षकों के मानदेय के दोहरे आहरण का विवरण | 174 |

| परिशिष्ट क्रमांक | विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 3.4.4 | विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाता (खाता संख्या 11940100002370, बैंक ऑफ बड़ौदा) में जमा की गई राशियों का विवरण | 175 |
| 3.4.5 | I–कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर के कर्मचारियों/कर्मचारियों के संबंधियों को अंतरित राशियों को दर्शाता विवरण<br>II–दिसम्बर 2013 से जून 2017 के दौरान कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर में पदग्राही दर्शाता विवरण | 176 |
| 3.4.6 | आहरित एवं वास्तविक प्राप्तकर्ता के स्थान पर श्री रितुराज सोलंकी, सहायक ग्रेड–3 के बैंक खाते में जमा की गई राशियों को दर्शाता विवरण | 178 |
| **संक्षिप्तों की शब्दावली** | | **179** |

# प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये सौंपने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन ***खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन*** की निष्पादन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्रों के विभागों जिनमें गृह, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खेल और युवा कल्याण तथा जनजातीय कार्य विभाग सम्मिलित हैं, की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो अवधि 2018–19 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करने पर जानकारी में आये थे। प्रकरण जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु उन्हें पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

# अध्याय – I
# विहंगावलोकन

# अध्याय–I: विहंगावलोकन

## 1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र से संबंधित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पर निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के लेन–देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत प्रकरण शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन का मूलभूत उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधान सभा के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने, उचित नीतियों को तैयार करने के साथ–साथ निर्देश जारी करने में सक्षम बनाना अपेक्षित है जो संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देगा और बेहतर प्रशासन में योगदान देगा।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की योजना एवं क्षेत्र, लेन–देनों की लेखापरीक्षा के दौरान लिये गये लेखापरीक्षा निष्कर्षों/प्रेक्षणों पर विभागों एवं शासन की प्रतिक्रिया तथा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही को वर्णित करता है।

## 1.2 सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र की रूपरेखा

मध्य प्रदेश शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 34 विभागों के द्वारा तीन वर्ष की अवधि 2016–17 से 2018–19 के दौरान किये गये व्यय का सारांश नीचे दिया गया है:

**तालिका–1.1**

(₹ करोड़ में)

| स.क्र. | विभाग का नाम | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 |
|---|---|---|---|---|
| अ | सामान्य क्षेत्र | | | |
| 1. | वित्त विभाग | 8,973.52 | 9,654.14 | 12,280.90 |
| 2. | गृह विभाग | 5,285.18 | 5,888.01 | 6,840.54 |
| 3. | राजस्व विभाग | 4,980.98 | 3,932.00 | 3,980.89 |
| 4. | विधि एवं विधायी कार्य विभाग | 791.96 | 972.86 | 1,358.61 |
| 5. | सामान्य प्रशासन विभाग | 473.39 | 593.49 | 579.39 |
| 6. | जन संपर्क विभाग | 382.49 | 382.94 | 418.82 |
| 7. | जेल विभाग | 303.48 | 292.75 | 328.54 |
| 8. | योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग | 94.31 | 253.13 | 228.95 |
| 9. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 222.37 | 211.53 | 175.73 |
| 10. | भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग | 85.56 | 96.03 | 102.83 |
| 11. | संसदीय कार्य (राज्य विधान सभा) विभाग | 69.46 | 87.13 | 83.98 |
| 12. | लोक सेवा प्रबंधन विभाग | 53.26 | 47.67 | 46.96 |
| 13. | प्रवासी भारतीय विभाग | 0 | 0 | 0.39 |
| **योग (अ)** | | **21,715.96** | **22,411.68** | **26,426.53** |

| स.क्र. | विभाग का नाम | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 |
|---|---|---|---|---|
| **ब** | **सामाजिक क्षेत्र** | | | |
| 1. | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | 27,063.69 | 31,654.94 | 30,916.50 |
| 2. | नगरीय विकास एवं आवास विभाग | 11,087.57 | 12,675.20 | 13,619.99 |
| 3. | स्कूल शिक्षा विभाग | 9,720.38 | 10,563.75 | 11,270.77 |
| 4. | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 3,492.55 | 5,236.41 | 5,093.04 |
| 5. | महिला एवं बाल विकास विभाग | 2,704.63 | 3,831.64 | 4,222.96 |
| 6. | जनजातीय कार्य विभाग | 4029.25 | 3,677.81 | 3,903.72 |
| 7. | लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग | 910.71 | 2,323.67 | 2,530.04 |
| 8. | चिकित्सा शिक्षा विभाग | 794.12 | 1,629.79 | 1,968.02 |
| 9. | उच्च शिक्षा विभाग | 1,749.26 | 1,709.44 | 1,963.58 |
| 10. | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 1,908.85 | 1,576.76 | 1,309.53 |
| 11. | तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग | 567.42 | 901.62 | 1,064.35 |
| 12. | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग | 77.54 | 1,083.70 | 976.59 |
| 13. | श्रम विभाग | 148.03 | 165.28 | 974.97 |
| 14. | पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 782.50 | 824.88 | 840.84 |
| 15. | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग | 189.18 | 442.99 | 501.09 |
| 16. | आयुष विभाग | 327.26 | 351.47 | 429.42 |
| 17. | संस्कृति विभाग | 178.22 | 278.98 | 230.07 |
| 18. | अध्यात्म विभाग | 141.29 | 220.91 | 192.50 |
| 19. | खेल एवं युवा कल्याण विभाग | 101.48 | 174.59 | 171.19 |
| 20. | पर्यावरण[1] विभाग | 0 | 0 | 54.74 |
| 21. | विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग | 10.25 | 19.56 | 15.87 |
| **योग (ब)** | | **65,984.18** | **79,343.39** | **82,249.78** |
| **महायोग (अ+ब)** | | **87,700.14** | **1,01,755.07** | **1,08,676.31** |

**स्रोतः संबंधित वर्षो के लिये मध्य प्रदेश शासन के विनियोग लेखे**

[1] वर्ष 2017–18 तक, पर्यावरण विभाग, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग में सम्मिलित था।

## 1.3 प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम) का कार्यालय

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्य प्रदेश के कार्यालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन के 53 विभागों में से सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 34 विभागों के साथ–साथ 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं 55 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा की जाती है।

*प्रधान महालेखाकार का कार्यालय*

## 1.4 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 सहपठित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें), अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. अधिनियम) से नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा का प्राधिकार उद्भूत है। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक डी.पी.सी. अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा करता है:

- व्यय की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 13[2] के अन्तर्गत की जाती है;
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(1)[3] के अन्तर्गत की जाती है;
- ***स्वायत्त निकायों*** की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(2)[4] एवं 20(1)[5] के अन्तर्गत की जाती है;
- ***स्थानीय निकायों*** की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत की जाती है;
- इसके अतिरिक्त, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14[6] के अन्तर्गत शासन द्वारा पर्याप्त वित्त पोषित ***अन्य स्वायत्त निकायों*** की लेखापरीक्षा भी की जाती है।

विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिये सिद्धान्त एवं कार्यप्रणाली नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा उनकी ओर से जारी लेखापरीक्षा मानक तथा लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम सहित अन्य दिशानिर्देशों, नियमावली एवं निर्देशों में निर्धारित हैं।

---

[2] (i) राज्य की संचित निधि से सभी लेन–देन (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से संबंधित सभी लेन–देन तथा (iii) राज्य के किसी भी विभाग में रखे गये सभी व्यवसाय, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखा, तुलना–पत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

[3] सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

[4] राज्य विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों (जो कंपनियां न हों) के लेखाओं की संबंधित विधान के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा।

[5] राज्यपाल के अनुरोध पर, किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जिन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एवं शासन सहमत हों की लेखापरीक्षा।

[6] (i) राज्य की संचित निधि से अनुदानों अथवा ऋणों से पर्याप्त वित्त पोषित निकाय/प्राधिकरण के प्राप्ति एवं व्यय तथा (ii) किसी निकाय अथवा प्राधिकरण जहाँ इन निकाय अथवा प्राधिकरण को राज्य की संचित निधि से एक वित्तीय वर्ष में ₹ एक करोड़ से कम का अनुदान अथवा ऋण प्रदत्त न हो के प्राप्ति एवं व्यय की लेखापरीक्षा।

## 1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया को निम्न फ्लोचार्ट दर्शाता है:

**रेखा–चित्र 1.1: लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तैयारी**

**जोखिम का आकलन** – इकाईयों/योजनाओं आदि की लेखापरीक्षा के लिये योजना, जोखिम आकलन में शामिल कुछ मानदंडों पर आधारित है जैसे,

- किया गया व्यय
- अंतिम लेखापरीक्षा कब हुई
- गतिविधियों की महत्वपूर्णता/जटिलता
- शासन द्वारा गतिविधि के लिये दी गई प्राथमिकता
- प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर
- आंतरिक नियंत्रण का आकलन
- हितधारकों का हित, आदि

**लेखापरीक्षा की योजना** में विनिश्चित करना शामिल है

- लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रकार –वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा
- लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं क्रियाविधि
- विस्तृत लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा ईकाईयों एवं लेन–देनों का नमूना चयन

**निरीक्षण प्रतिवेदन** निम्न आधार पर जारी किये जाते हैं

- अभिलेखों की संवीक्षा/आँकड़ों का विश्लेषण
- लेखापरीक्षा साक्ष्य की जाँच
- लेखापरीक्षा पूछताछ पर प्रस्तुत उत्तर/सूचना
- इकाई प्रमुख/स्थानीय प्रबंधन से चर्चा

**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन** तैयार किया जाता है

- महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण जो निरीक्षण प्रतिवेदनों या प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित हों
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग/शासन की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुये, एवं
- राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुतीकरण हेतु राज्यपाल को सौंपा जाना।

प्रत्येक ईकाई की अनुपालन लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाहित करते हुये ईकाई प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया जाता है। जब उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्ष या तो निराकृत हो जाते हैं या अनुपालन के लिये आगामी कार्यवाही करने की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिन पर शासन में उच्चतम स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रतिक्रियाओं पर समुचित विचारोपरांत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में संभव समावेश के पूर्व प्रारूप कंडिकाओं के रूप में शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिये जारी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में संभव समावेश के पूर्व, विशिष्ट मुद्दों, विषयों, योजनाओं पर अनुपालन लेखापरीक्षा एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारूप भी शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिये जारी किये जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत ये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करवाने हेतु सौंपे जाते हैं।

## 1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया

### 1.6.1 पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

कार्यालय प्रमुख एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित प्रेक्षणों पर प्रतिक्रिया देना तथा उचित सुधारात्मक कार्यवाही करना आवश्यक है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में संसूचित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर आवधिक अंतरालों पर जिला/राज्य स्तर पर प्रधान महालेखाकार के कार्यालय के अधिकारियों की संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में भी चर्चा होती है।

मार्च 2020 की स्थिति में, पूर्व वर्षों से संबंधित 11,953 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित 42,154 कंडिकायें निराकरण हेतु लंबित थीं जैसा नीचे वर्णित है। इनमें से, 1,153 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित 6,956 कंडिकाओं (16.50 प्रतिशत) के संबंध में प्रारंभिक उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे। विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है।

**तालिका–1.2**

| वर्ष | 31 मार्च 2020 की स्थिति में निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या | | 31 मार्च 2020 की स्थिति में निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकायें जिन पर प्रारंभिक उत्तर भी प्राप्त नहीं हुये हैं। | |
|---|---|---|---|---|
| | निरीक्षण प्रतिवेदन | कंडिकायें | निरीक्षण प्रतिवेदन | कंडिकायें |
| 2014–15 एवं पूर्व वर्षों में | 7,740 | 20,581 | 162 | 610 |
| 2015–16 | 1,030 | 4,450 | 162 | 806 |
| 2016–17 | 1,354 | 6,284 | 240 | 1,443 |
| 2017–18 | 1,161 | 6,344 | 299 | 1,967 |
| 2018–19 | 668 | 4,495 | 290 | 2,130 |
| **योग** | **11,953** | **42,154** | **1,153** | **6,956** |

**स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्य प्रदेश द्वारा संधारित अभिलेख**

निरीक्षण प्रतिवदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्यवाही की कमी इन प्रतिवेदनों में इंगित की गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को बनाये रखने के जोखिम को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप शासकीय प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण की कमी, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं का अक्षम एवं अप्रभावी प्रदाय,

कपट, भ्रष्टाचार एवं शासकीय कोष को नुकसान हो सकता है। इसलिये, राज्य शासन को इन निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं की समीक्षा करने के लिये एवं इनमें चिन्हित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिये एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

### 1.6.2 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर शासन की प्रतिक्रिया

सभी विभागों को नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर इनकी प्राप्ति के छः सप्ताह[7] के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करना आवश्यक है। वर्ष 2019–20 के दौरान, पाँच प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकायें संबंधित विभागों[8] के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिये एवं छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित किये गये थे। यह उनके वैयक्तिक ध्यान में लाया गया था कि इन कंडिकाओं को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसे राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, में शामिल किया जाना है एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं को शामिल किया जाना वांछनीय होगा। इसके बावजूद, इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के दिनांक तक, दो प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर गृह विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। शासन की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने संबंधी तथ्य को शासन के मुख्य सचिव के संज्ञान में भी अगस्त 2020 में लाया गया था। शासन की प्रतिक्रियायें, जहां कहीं भी प्राप्त हुईं, उनको उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

### 1.6.3 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर उनके राज्य विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह[9] के भीतर, की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही को अंकित करते हुये व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिये, विभागों को लोक लेखा समिति से किसी सूचना अथवा मांग की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है। 31 मार्च 2020 की स्थिति में, वर्ष 2016–17 तक के सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हो गई थी।

### 1.6.4 लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासकीय विभागों को लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर प्राप्ति के दिनांक से छः माह[10] के भीतर कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करना आवश्यक है। मार्च 2020 की स्थिति में, 13 विभागों के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 37 कंडिकाओं पर 23 ए.टी.एन. अप्राप्त थे। विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

---

7 लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 की कंडिका 207 के अनुसार।

8 गृह विभाग; योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग; खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग।

9 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिये नियुक्त उच्चाधिकार समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 4.30 के अनुसार।

10 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिये नियुक्त उच्चाधिकार समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 4.33 के अनुसार।

## 1.7 लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर वसूली

कार्यालय जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, रायसेन के अभिलेखों[11] की नमूना जाँच (जनवरी 2019 तथा अगस्त 2019) में पाया गया कि विधायक निधि योजना एवं सांसद स्वेच्छानुदान[12] के हितग्राहियों को भुगतान की गई राशियों से संबंधित देयकों की रोकड़ पुस्तिका एवं देयक पंजी में की गई प्रविष्टयों का कोषालय वाउचर स्लिपों से मिलान नहीं किया गया था। आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) ने देयकों को प्रस्तुत करने से पूर्व हितग्राहियों के बैंक खाता विवरणों की सत्यता को सुनिश्चित नहीं किया और न ही उसने देयकों के पारित होने के पश्चात ई–भुगतान की राशियों तथा ई–भुगतान के बैंक विवरणों को सत्यापित किया। आहरण एवं संवितरण अधिकारी ने अपने लॉगिन पासवर्ड की गोपनीयता को भी सुनिश्चित नहीं किया तथा उसे डाटा एण्ट्री आपरेटर (डी.ई.ओ.) के साथ साझा किया। इससे डी.ई.ओ. के लिये, जो एक संविदा कर्मचारी था, हितग्राहियों के नाम के साथ अपने व्यक्तिगत बैंक खाते एवं अपनी पत्नी, भाई तथा अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों/संस्थाओं/गैर–शासकीय संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के बैंक खातों को जोड़ना सुगम हो गया। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.) में देयकों को अपलोड करते समय, डी.ई.ओ. ने वास्तविक हितग्राहियों/क्रियान्वयन अभिकरणों के प्रणाली में पंजीकृत बैंक खाता संख्या को अपने तथा अपने परिजनों के बैंक खाता संख्या से प्रतिस्थापित कर दिया। इस प्रकार अपात्र व्यक्तियों को भुगतान किये जाने के परिणामस्वरूप ₹97.06 लाख का गबन हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्ति के सम्बंध में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने बताया (फरवरी 2020) कि सम्पूर्ण आक्षेपित राशि की वसूली की जा चुकी है तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी तथा लेखापाल द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुये उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थापित कर आरोप–पत्र जारी किया गया है। विभाग ने जनवरी 2021 में संविदाकर्मी डी.ई.ओ. के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि हितग्राहियों के आवश्यक विवरण आधार के माध्यम से बैंक खाते के साथ अधिप्रमाणित हों तथा केवल अधिकृत व्यक्तियों की ही प्रणाली (सिस्टम) तक पहुंच हो, राज्य शासन द्वारा उपयुक्त वैधीकरण नियंत्रणों (वेलीडेशन कंट्रोल्स) को आई.एफ.एम.आई.एस. में समाविष्ट किया जाना चाहिये। राज्य शासन द्वारा सिस्टम के उपयोगकर्ताओं द्वारा बरते जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों (जैसे पासवर्ड साझा न करना आदि) के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने तथा यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि निर्धारित समयान्तराल पर सिस्टम का सुरक्षा ऑडिट कराया जाय।

## 1.8 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण

यह प्रतिवेदन ***'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन'*** के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 2018–19 के दौरान मध्य प्रदेश शासन के चार विभागों[13] के लेखों एवं लेन–देनों की नमूना जाँच

---

[11] लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान जाँचे गये कुल 1806 प्रकरणों (मार्च 2015 से जुलाई 2019 तक की अवधि से संबंधित) में से 66 प्रकरणों में अपात्र व्यक्तियों को अनाधिकृत अंतरण अवलोकित किया गया।

[12] विधायकों/सांसदों द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर इन योजनाओं की मार्गदर्शिका में विनिर्दिष्ट चिकित्सीय इलाज, शिक्षा एवं अन्य विभिन्न उद्देश्यों हेतु हितग्राहियों (व्यक्तियों/संस्थानों) को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजनायें।

[13] गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खेल और युवा कल्याण एवं जनजातीय कार्य

से उद्भूत चार अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाहित करता है।

प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है।

### 1.8.1 *खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन*

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य के उत्पादन, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं आयात को नियंत्रित करता है। इसके क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि मौजूदा विधिक ढाँचा में कमी थी क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने फरवरी 2020 तक अपीलीय एवं गंभीर प्रकरणों के क्रमशः जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित रहने में वृद्धि के बावजूद पृथक खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण एवं अपराधों की सुनवाई के लिए पृथक विशेष या साधारण न्यायालयों की स्थापना नहीं की जैसा कि अधिनियम/नियमों के तहत आवश्यक था। प्रशासकीय तंत्र में भी कमी थी क्योंकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक खाद्य सुरक्षा, आयुक्त, अभिहित अधिकारियों इत्यादि सहित सभी महत्वपूर्ण पद अतिरिक्त प्रभार के रूप में धारित किए गये थे। आगे विभिन्न स्तरों पर मानव शक्ति की 61 प्रतिशत की कमी ने विभाग के सर्वेक्षण करने, खाद्य कारबार कर्ताओं का निरीक्षण करने को प्रभावित किया; जो अधिनियम के अनुपालन की सुनिश्चितता के लिए महत्वपूर्ण था। विभाग अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि ₹3.64 करोड़ की वसूली सुनिश्चित नहीं कर सका और दोषी खाद्य कारबार कर्ताओं के विरूद्ध राजस्व वसूली प्रमाणपत्र की कार्यवाही भी आरंभ नहीं कर सका। अन्य मुद्दे, खाद्य कारबार कर्ताओं का डाटाबेस संधारित नहीं करना, लाइसेंस/पंजीयन के आवेदन का लंबित रहना, उचित मूल्य की दुकानों, मदिरा दुकानों के कारबार कर्ताओं द्वारा बिना लाइसेंस के संचालन किया जाना, कम संख्या में नियामक नमूने लिया जाना एवं विश्लेषण किया जाना तथा निगरानी नमूनों के विश्लेषण में कमी देखी गई। खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य के लिए एक मजबूत परीक्षण की आधारिक संरचना का होना स्वभाविक है। तथापि, राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल को सूक्ष्मजैविकी सम्बन्धी परीक्षण के लिए पूरी तरह उन्नयित नहीं किया गया और इंदौर एवं उज्जैन की खाद्य प्रयोगशालाओं का उन्नयन भी नहीं किया गया जिसने खाद्य विश्लेषण के कार्य को प्रभावित किया। विभाग ने राज्य के तीन स्थानों पर लेवल 2 के खाद्य प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिले स्तर पर अभिहित अधिकारियों ने वैधता समाप्त हो चुके लाइसेंस/पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीयन प्रणाली सॉफ्टवेयर से दोषी कारबार कर्ताओं की सूची नहीं निकाली।

***(अध्याय 2)***

### 1.8.2 खेल अधोसंरचना का निर्माण, संधारण और उपयोग

विभाग की खेल नीति, 2005 में पाँच वर्षों के भीतर प्रत्येक गाँव में एक खेल मैदान विकसित करने का लक्ष्य था। हालांकि, विभाग 2005–19 के दौरान राज्य में 54,903 गाँवों के विरूद्ध अपने स्तर पर मात्र 253 खेल मैदानों का ही निर्माण कर सका, जो कि विभागीय प्रयासों की अपर्याप्तता या खेल नीति के अवास्तविक लक्ष्य को दर्शाता है। 2014–19 के दौरान, विभाग ने 15 आदिवासी बहुल जिलों में एक भी खेल अकादमी की स्थापना नहीं की; यद्यपि इसने अपनी खेल नीति में जनजातीय जनसंख्या की छिपी हुई प्रतिभाओं का पता लगाने हेतु उपाय करने की बात कही थी और जनजातीय उप योजना के तहत ₹36.41 करोड़ व्यय किया। विभाग ने अपने अनुबंधों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन नहीं किया क्योंकि इसने निर्माण के लिए समय–सीमा निर्धारित नहीं की अथवा क्रियान्वयन एजेंसियों के विरूद्ध क्षतिपूर्ति हर्जाना,

अर्थदंड या शास्ति इत्यादि के प्रावधान निर्धारित नहीं किये थे। विभिन्न मामलों में विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति और एजेंसियों को निधि जारी करने में विलम्ब किया, जो खेल अधोसंरचनाओ के समय पर निर्माण न होने का कारण बना। अधूरे कार्यों, खेल मैदान की खराब स्थिति, मिनी स्टेडियम को न सौंपे जाने, आवश्यक उपकरणों की खरीदी न होने, कर्मचारियों की अनुपलब्धता और खेल उपकरणों का संस्थापन नहीं होने के कारण खेल अधोसंरचना अनुपयोगी रही। विभाग ने प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती और संधारण कर्मचारियों को कार्य पर लगाये जाने में सामंजस्य नहीं किया जिससे राज्य में खेल अकादमियों का या तो उपयोग नहीं हुआ या क्षमता से कम उपयोग हुआ। 18 खेल अकादमियों में प्रशिक्षकों की कमी 65 प्रतिशत तक थी।

***(कंडिका 3.1)***

### 1.8.3 गृह (पुलिस) विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन

गृह (पुलिस) विभाग का कार्य कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक शांति बनाए रखना, नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को सुरक्षित बनाए रखना और अपराधों की रोकथाम और पता लगाना है। इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए, मानवशक्ति की आवश्यकताओं और उनके कुशल, प्रभावी और विवेकपूर्ण उपयोग को निर्धारित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता है। विभाग विभिन्न संवर्गों में 26,536 (20.68 प्रतिशत) रिक्तियों के साथ संघर्षरत रहा, लेकिन इसने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भर्ती के लिए माँग प्रेषित करने में विलम्ब किया। कुछ थानों को छोड़कर, अधिकांश थाने मानवशक्ति की कमी के कारण अशक्त थे जबकि, पुलिस लाइनों में स्वीकृत मानवशक्ति से 37.67 प्रतिशत अधिक कर्मचारी थे। अपराध दर और मानवशक्ति की तैनाती के बीच सह–संबंध ने पुष्टि की कि अपराध उन क्षेत्रों में कम किए गए जहाँ पुलिस की उपस्थिति अधिक थी और पुलिस की तैनाती में कमी के कारण उन क्षेत्रों में अपराध दर में वृद्धि प्रदर्शित हुई। पुलिस प्रशिक्षण शाला, भौरी, भोपाल और पुलिस अस्पताल, शिवपुरी पद रिक्त होने के कारण संचालित नहीं हो सके। विभाग, अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षा गार्डों के प्रावधान को विनियमित करने और गैर–आवश्यक सुरक्षा को बंद करने में भी विफल रहा, जिससे पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबे पुलिस बल पर और दबाव पड़ा।

***(कंडिका 3.2)***

### 1.8.4 निष्फल व्यय

जल आपूर्ति हेतु नगर पालिक निगम, रीवा से अनुमति प्राप्त किये बिना ओवरहेड टैंक का निर्माण किये जाने के परिणामस्वरूप ₹60.18 लाख का निष्फल व्यय हुआ तथा ₹27.64 लाख की राशि अवरूद्ध रही।

***(कंडिका 3.3)***

### 1.8.5 संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर और उप कोषालय, जोबट, अलीराजपुर के कर्मचारियों द्वारा ₹16.43 करोड़ का कपटपूर्ण आहरण।

***(कंडिका 3.4)***

## 1.9 अभिस्वीकृति

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर राज्य शासन के अधिकारियों विशेषकर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारियों के द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान किये गये सहयोग एवं सहायता के लिये आभार प्रकट करता है।

# अध्याय – II
# निष्पादन लेखापरीक्षा

## खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन

# अध्याय–II: निष्पादन लेखापरीक्षा

## लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

## खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन

### 2.1 प्रस्तावना

खाद्य सुरक्षा और मानक (एफ.एस.एस.) अधिनियम, 2006 मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य के उत्पादन, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं आयात को नियंत्रित करता है। ट्रैकिंग क्षमता एवं पता लगाने की क्षमता[14] के आधार पर सुरक्षा की अनुपालना के लिए खाद्य सुरक्षा का दायित्व खाद्य कारबार कर्ताओं[15] (एफ.बी.ओ.) पर है। यह अभियोजन से स्व–नियमन की ओर तथा जोखिम–आधारित निरीक्षण एवं विज्ञान आधारित मानकों पर श्रेणीबद्ध दंड की ओर एक कदम है।

#### *2.1.1 संगठनात्मक ढांचा*

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (पी.एच. एण्ड एफ.डब्ल्यू.डी.), मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) के संपूर्ण मार्गदर्शन एवं नियंत्रण के अधीन प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा आयुक्त (सी.एफ.एस.), अभिहित अधिकारी (डी.ओ.), खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफ.एस.ओ.) एवं अन्य खाद्य प्राधिकारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्य करते है। यद्यपि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है, इसका प्रवर्तन राज्य शासन द्वारा केंद्रीय लाइसेंस और राज्य द्वारा जारी लाइसेंस[16] सहित किया जाता है।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए विभागाध्यक्ष (एच.ओ.डी.) है। तथापि, मध्य प्रदेश शासन ने एक पूर्ण कालिक खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त नहीं किया है। जबकि जनवरी 2020 से पूर्व, आयुक्त, स्वास्थ्य के पास खाद्य सुरक्षा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार था, जनवरी 2020 से, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन अपने नियमित कर्तव्यों के साथ खाद्य सुरक्षा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार वहन कर रहे हैं। इसी प्रकार से जिला स्तर पर अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम. एण्ड एच.ओ.) को अतिरिक्त प्रभार के रूप में पदेन उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (डी.डी.एफ. एण्ड डी.) के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अलावा विभिन्न जिलों में अन्य प्रशासनिक अधिकारी यथा

---

[14] अधिनियम की धारा 28 खाद्य कारबार कर्ता की जिम्मेदारी निर्दिष्ट करती है कि जब खाद्य पदार्थ बाजार मानक के अनुरूप नहीं होता है तो उसे बाजार से वापस ले लेना चाहिए। यह उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण के निर्दिष्ट चरणों के माध्यम से एक खाद्य पदार्थ के संचालन का पालन करने की क्षमता को निर्दिष्ट करता है।

[15] खाद्य कारबार के संबंध में खाद्य कारबार कर्ता से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कारबार किया जाता है या जिसका वह स्वामी है तथा इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

[16] भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अभिहित अधिकारी केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में केन्द्रीय लाइसेंस जारी करने के लिए कार्य करते हैं। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा राज्य लाइसेंस जारी किए जाते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 1 के तहत और दो से अधिक राज्यों में व्यापार करने वाले खाद्य कारबार कर्ताओं को केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त करना होगा। केंद्रीय लाइसेंस के लिए खाद्य कारबार कर्ता का वार्षिक टर्न ओव्हर ₹30 करोड़ से अधिक होना आवश्यक है और राज्य लाइसेंस के लिए यह ₹12 लाख से ₹30 करोड़ के बीच है।

अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.), डिप्टी कलेक्टर एवं संयुक्त कलेक्टर विभिन्न अवसरों पर खाद्य कारबार कर्ता को लाइसेंस जारी करने के कार्य को संभालने के लिए अभिहित अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे, जबकि जिलों में मुख्यालय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो अभिहित अधिकारियों के अधीन कार्य करते हैं, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करते हैं। केवल खाद्य सुरक्षा अधिकारी पूर्णकालिक है जबकि समस्त अन्य पर्यवेक्षीय प्राधिकारी खाद्य प्रशासन की देख–रेख अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में निभा रहें है।

प्रत्येक जिला के अपर जिला न्यायाधीश (ए.डी.एम.) अपने नियमित कार्य के अतिरिक्त अपराधों के न्याय निणर्यन के लिए एक न्यायनिर्णायक अधिकारी (ए.ओ.) के रूप में कार्य करते है तथा अपर जिला न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जिला न्यायाधीश इस कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डी. एण्ड जे.) उनके मौलिक कर्तव्यों के अतिरिक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेशों के विरूद्व अपील के लिए खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण (एफ.एस.ए.टी.) के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य न्यायिक न्यायाधीश (सी.जे.एम.) खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के विरूद्व कारावास के साथ दंडनीय अपराधों का निर्णय करते हैं।

राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय स्टेयरिंग समितियों से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षाएं आयोजित करना अपेक्षित है।

राज्य में 52 जिलों से प्राप्त नमूनों की जाँच के लिए भोपाल में दो खाद्य विश्लेषकों के पर्यवेक्षण में मात्र एक खाद्य प्रयोगशाला है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन का ढांचा ऑरगैनोग्राम ***परिशिष्ट 2.1*** में दिया गया है।

### *2.1.2 खाद्य सुरक्षा प्रशासन पर आवंटन एवं व्यय*

मध्य प्रदेश शासन ने राज्य में खाद्य सुरक्षा प्रशासन के लिए 2014–19 के दौरान ₹88.04 करोड़ बजट आवंटन के विरूद्ध ₹53.34 करोड़ व्यय किए, जैसा कि **चार्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 2.1 खाद्य सुरक्षा पर आवंटन एवं व्यय**

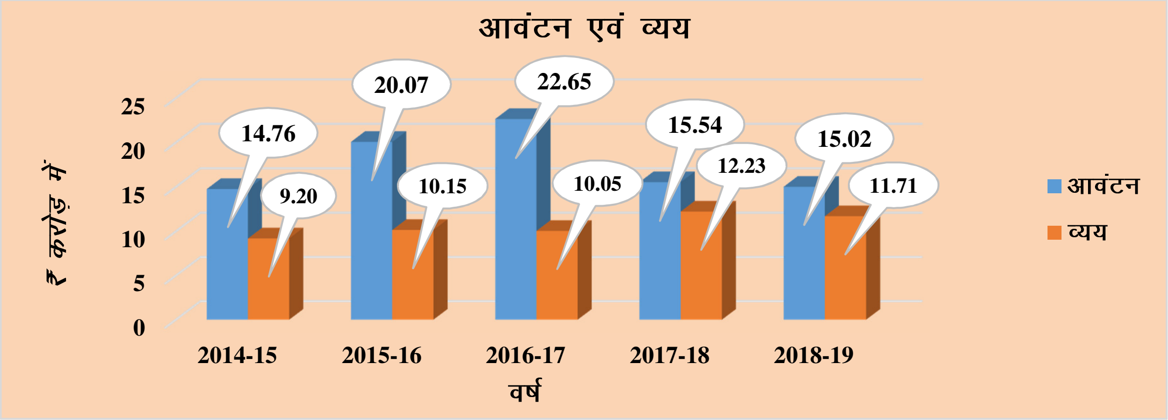


**स्रोतः खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा प्रस्तुत आँकड़े**

कम बजटीय आवंटन, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रासंगिक मानकों के साथ अनुपालन के महत्वपूर्ण पहलू को शासन द्वारा कम प्राथमिकता देना इंगित करता है। खरीद प्रस्तावों में देरी और प्रमुख पदों पर पर्याप्त कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण विभाग इस अल्प आवंटन का भी उपयोग नहीं कर सका। विभाग ने कार्यालय उपकरणों पर ₹1.04 करोड़, राज्य खाद्य लैब मशीनों पर ₹8.42 करोड़, मशीन और उपकरणों के रखरखाव पर ₹0.39 करोड़ और प्रयोगशाला के लिए नमूनों और अन्य सामग्रियों की खरीद के लिए ₹0.50 करोड़ का उपयोग नहीं किया।

## 2.2 लेखापरीक्षा का ढाँचा

### 2.2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के क्रियान्वयन पर किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्याः

(क) मौजूदा विधिक ढाँचा राज्य में खाद्य सुरक्षा को विनियमित करने के लिए मजबूत था;

(ख) मौजूदा प्रशासनिक तंत्र (मानव शक्ति, उपकरण, निरीक्षण, दंड इत्यादि) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रभावी था; और

(ग) निवारक उपाय एवं दंड खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम एवं पर्याप्त थे।

### 2.2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनयम, 2006, खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियमन, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला एवं नमूना विश्लेषण) विनियमन, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं की मान्यता एवं अधिसूचना) विनियमन, 2018, खाद्य विश्लेषण लैब स्थापित करने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी नियामक गाइडेंस डॉक्यूमेंटस, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति के निर्देश, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा विकसित खाद्य लाइसेसिंग एवं पंजीकरण प्रणाली (एफ.एल.आर.एस.) और राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति (एस.एल.एस.सी.) के बैठक का कार्यवृत्त, राज्य सरकार तथा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अधिसूचनाएं, आदेश/अनुदेश से लिये गये मानदंडों पर आधारित थे।

### 2.2.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा दिसम्बर 2019 से मार्च 2020 के दौरान की गई जिसमें पाँच वर्ष की अवधि 2014–19 के दौरान अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निष्पादन की समीक्षा शामिल थी। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में राज्य स्तर पर कार्यालय प्रमुख सचिव (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग), खाद्य सुरक्षा आयुक्त तथा राज्य खाद्य प्रयोगशाला के संबंधित अभिलेखों की जाँच शामिल थी।

लेखापरीक्षा ने 52 में से आठ जिला कार्यालयों में संबंधित अभिलेखों की भी जाँच की– इसमें से तीन जिले (इंदौर, भोपाल और उज्जैन) लाइसेंसधारी/पंजीकृत खाद्य कारबार कर्ताओं की अधिकतम संख्या और दुग्ध उत्पादन के आधार पर चयनित किए गए; तीन जिले (होशंगाबाद, सतना और खरगोन) धार्मिक महत्व वाले स्थलों पर विक्रेताओं की संख्या के आधार पर चयनित किए गए और दो (ग्वालियर और मुरैना) मीडिया रिपोर्ट से उत्पन्न हुए जोखिम संवेदन एवं दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उत्पादन तथा उपयोग के आधार पर चयनित किए गए। इन जिलों में विभिन्न कार्यालयों जैसे उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, अपर जिला न्यायाधीश, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक (सी. एण्ड एस.), जिला आबकारी अधिकारी (वाणिज्यिक कर विभाग), जिला कार्यक्रम अधिकारी (डी.पी.ओ.), महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यू. एण्ड सी.डी.डी.), जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.सी.), स्कूल शिक्षा विभाग और जिला आपूर्ति अधिकारी (डी.एस.ओ.), खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंधित अभिलेखों की जाँच की गयी।

लेखापरीक्षा दल ने चयनित जिलों में दुग्ध/दुग्ध आधारित खाद्य पदार्थों के 688 ***(परिशिष्ट 2.2)*** में से 101[17] लाइसेंसधारी/पंजीकृत खाद्य कारबार कर्ताओं (प्रतिस्थापना विधि के बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) के आधार पर चयनित) का संयुक्त भौतिक निरीक्षण (विभागीय प्राधिकारियों के साथ) किया।

प्रमुख सचिव के साथ प्रवेश सम्मेलन फरवरी 2020 में आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, मानदंड एवं लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ निर्गम सम्मेलन जून 2020 में आयोजित किया गया था। निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग द्वारा व्यक्त किए गए विचारों तथा लिखित उत्तरों को उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## मौजूदा विधिक ढाँचा

***लेखापरीक्षा उद्देश्य I: क्या मौजूदा विधिक ढाँचा राज्य में खाद्य सुरक्षा को विनियमित करने के लिए मजबूत था।***

### 2.3 प्रवर्तन संरचना

खाद्य सुरक्षा मानदंडो के प्रभावी क्रियान्वयन और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 और 2011 से अधिसूचित (एवं संशोधित) खाद्य के विभिन्न विनियमों के अनुपालन के लिए प्रमुख सचिव (पी.एस.), लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तरदायी थे।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा कई अधिसूचनाएं/आदेश जारी किये गये थे।

#### *2.3.1 राज्य/जिला स्तरीय स्टेयरिंग समिति की प्रभावकारिता*

अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रमुख सचिव (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) की अध्यक्षता के अधीन पाँच सदस्यों के साथ राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति का गठन (जून 2013) किया गया था। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता के अधीन दस सदस्यों के साथ जिला स्तरीय स्टेयरिंग समिति (डी.एल.एस.सी.) का गठन (जनवरी 2014) किया गया था। यद्यपि, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति को 18 सदस्यों तथा जिला स्तरीय स्टेयरिंग समिति को 16 सदस्यों के साथ पुनर्गठित करने के लिए निर्देशित (नवम्बर 2018) किया था, राज्य शासन ने राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति तथा जिला स्तरीय स्टेयरिंग समिति का पुनर्गठन नहीं किया था।

राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति ने पाँच वर्ष की अवधि 2014–19 के दौरान अपेक्षित 18 बैठकों के विरूद्ध चार बैठकें की; इन्होनें उक्त चार बैठकों का कार्यवृत्त भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को प्रस्तुत नहीं किया। जिला स्तरीय स्टेयरिंग समिति ने भी त्रैमासिक बैठकें आयोजित नहीं की तथा खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अगस्त 2018 के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त को कार्रवाई की टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.) प्रेषित नहीं की।

[17] 101 खाद्य कारबार कर्ताओं में से दो दुकानें बंद होनी पायी गयी एवं एक ने शटर बंद किया था। इसलिए 98 सत्यापित किये गये।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित जिलों में से, जिला स्तरीय समिति होशंगाबाद में पुनर्गठित (सितम्बर 2019) की गई। इंदौर और उज्जैन ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त को नामित सदस्यों के नाम प्रतिवेदित किए थे तथा शेष पाँच जिलों के उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी तथा बैठकें आयोजित की जाएंगी।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया (फरवरी 2020) कि राज्य/जिला स्तरीय समिति का पुनर्गठन प्रक्रियाधीन था और राज्य स्तरीय बैठकों का कार्यवृत्त राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति को प्रेषित किया गया था। जिलों से प्राप्त कार्रवाई की टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की लेखापरीक्षा मांग के सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि बैठकें आयोजित करने के लिए तथा मुख्यालयों को कार्रवाई टिप्पणियाँ प्रेषित करने के लिए जिलों को निर्देश जारी किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को जिला स्तर पर निर्णयों के अनुपालन में की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए जिलों से की गई कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त करने की आवश्यकता है।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया (जुलाई 2020) कि राज्य/जिला स्तरीय समितियों के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी।

लेखापरीक्षा जाँच में परिलक्षित हुआ कि, जहाँ राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति की बैठकों का निर्णय कार्यवृत्त में लिखा गया था, विभाग ने उनकी अनुपालना नहीं की, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

i. राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति के जुलाई 2015 के निर्देशों के विरूद्ध, खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने गैर–अनुरूप[18] खाद्य नमूनों पर जानकारी संकलित नहीं की, जिला स्तर पर न्यायालय द्वारा निर्णीत अभियोजन प्रकरणों के अभिलेख संधारित नहीं किए गए या लाइसेंस/पंजीकरण जारी करने को बढ़ाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों/अभिहित अधिकारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

ii. स्टेयरिंग समिति ने तीसरी बैठक (दिसम्बर 2016) में जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए किराए पर चार पहिया वाहनों के प्रावधान की अनुशंसा की थी। तथापि, विभाग ने निर्णय के तीन वर्ष से अधिक व्यतीत होने के बाद भी लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाए जाने तक अनुशंसा लागू नहीं की थी। विभाग ने राज्य एवं जिला स्तर के लिए मासिक दर के आधार पर 53 चार पहिया वाहन प्रदान करने के लिए प्रशासनिक संस्वीकृति (जनवरी 2020) प्राप्त की थी। परन्तु, फरवरी 2020 तक वाहनों को किराए पर लिया जाना बाकी था।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया (जुलाई 2020) कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा राज्य में समस्त अभिहित अधिकारियों को जिला स्तर पर नमूनों और अभियोजन के अभिलेखों के संधारण के लिए प्रारूप परिभाषित करते हुए आदेश जारी (जून 2020) किए गए थे। आगे यह भी कहा गया कि वाहनों को किराए पर लेने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

उपर्युक्त निष्कर्ष इंगित करते हैं कि राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति एवं जिला स्तरीय स्टेयरिंग समिति ने संगठनात्मक तंत्र के रूप में कार्य नहीं किया जैसा अधिनियम/नियम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभिप्रेत था तथा राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति/जिला स्तरीय स्टेयरिंग समिति की कार्य पद्धति में सुधार के लिए सारभूत गुंजाइश है।

---

[18] नमूनें जो खाद्य के मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

### *2.3.2 खाद्य सुरक्षा के लिए पृथक अधिकरणों एवं न्यायालयों की स्थापना नहीं किया जाना*

माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के पृथक खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण की स्थापना पर सहमति के बावजूद, राज्य शासन ने अगस्त 2011 से मार्च 2013 के दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष मात्र 60 अपील प्रकरण आना बताते हुए इनकी स्थापना नहीं की, जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित था। राज्य शासन ने बदले में, जिला में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को उनके नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त अपील अधिकरणों के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त (अक्टूबर 2013) किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014–19 के दौरान, सतना को छोड़कर लेखापरीक्षित आठ में से सात जिलों में अपील प्रकरणों में 416 प्रतिशत (43 से 179) की वृद्धि हुई थी। इन सात जिलों में 179 में से 106 (59 प्रतिशत) अपील प्रकरण लंबित थे। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने जिलावार अपील प्रकरणों पर जानकारी संधारित नहीं की थी।

राज्य शासन ने गंभीर क्षति या मृत्यु और कारावास से संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए पृथक विशेष न्यायालय या साधारण न्यायालय की स्थापना नहीं की जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित था। यद्यपि, आपराधिक प्रकरण अभियोजन के लिए मुख्य न्यायिक न्यायाधीश न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे थे, तदापि अधिनियम के अंतर्गत विभाग द्वारा मुख्य न्यायिक न्यायाधीश को विशेष न्यायालय या साधारण न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए कोई विधिक अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, जिसके कारण मुख्य न्यायिक न्यायाधीश का विधिक प्राधिकार अमान्य था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014 से 2019 के दौरान चयनित आठ में से पाँच जिलों (तीन जिलों ने जानकारी प्रस्तुत नहीं की) में 217 गंभीर प्रकरण थे।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया (जुलाई 2020) कि अपील प्रकरणों के त्वरित निपटान के लिए अपील अधिकरण में प्रत्येक माह में दो दिवस तय करने के लिए विधि विभाग को प्रस्ताव भेजने हेतु कार्रवाई की जा रही थी और आगे, असुरक्षित[19] नमूना प्रकरणों की विवेचना के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु विधि विभाग को प्रस्ताव प्रक्रियाधीन था।

### *2.3.3 अपराधों के शमन की शक्ति*

खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने समस्त अभिहित अधिकारियों को छोटे विक्रेताओं/विनिर्माताओं के प्रशमन अपराधों[20] पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित (फरवरी 2018) किया था। परन्तु प्रकरणों के समनित के लिए विशिष्ट नियम या परिभाषित प्रक्रिया न होने से, अभिहित अधिकारियों ने छोटे विक्रेताओं के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं की। जिलों के उप संचालक, खाद्य और औषधि प्रशासन ने बताया (फरवरी 2020) कि यह प्रावधान क्रियान्वित नहीं किया गया था क्योंकि खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा अपराधों के समनित हेतु प्रक्रिया से संबंधित अनुदेश जारी नहीं किए गए थे।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया (जुलाई 2020) कि धारा 69 के अंतर्गत प्रकरणों के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी।

---

[19] खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 3 (यय) अंतर्गत जैसा की विनिर्दिष्ट है कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जिसकी प्रकृति, पदार्थ या क्वालिटी इस प्रकार प्रभावित है कि उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देती है।

[20] अभिहित अधिकारी ऐसे छोटे विनिर्माता से जो किसी भी खाद्य वस्तु का विनिर्माण और विक्रय करता है, खुदरा व्यापारी, फेरीवालों, भ्रमण विक्रेता और अस्थायी स्टॉल धारकों, जिस व्यक्ति पर अपराध करने का संदेह है, से अपराध शमन के लिए धनराशि का संदाय स्वीकार करने के लिए सक्षम है।

### 2.3.4 अभियोजन चक्र

खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 के अनुसार, खाद्य विश्लेषक से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य कारबार कर्ता को भेजी जायेगी और खाद्य कारबार कर्ता परिणाम की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर रेफरल प्रयोगशाला को प्रेषित करने के लिए अपील दाखिल करेगा। अभिहित अधिकारी जहाँ रेफरल प्रयोगशाला ने खाद्य विश्लेषक के निष्कर्षों की पुष्टि की है तथा अपराध के अधिनिर्णयन के लिए आवेदन दाखिल करने हेतु खाद्य कारबार कर्ता द्वारा अपील नहीं की गई है, दोनों ही प्रकरणों की जाँच करता है। अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्ति से अभियोजन आरंभ करने की अधिकतम समय सीमा एक वर्ष निर्धारित है। इसे जिला कलेक्टर के आदेश से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

नमूने लेने से अभियोजन दाखिल करने तक की कार्यवाही के चरण निम्न प्रवाह चार्ट में दिखाए गये हैं:

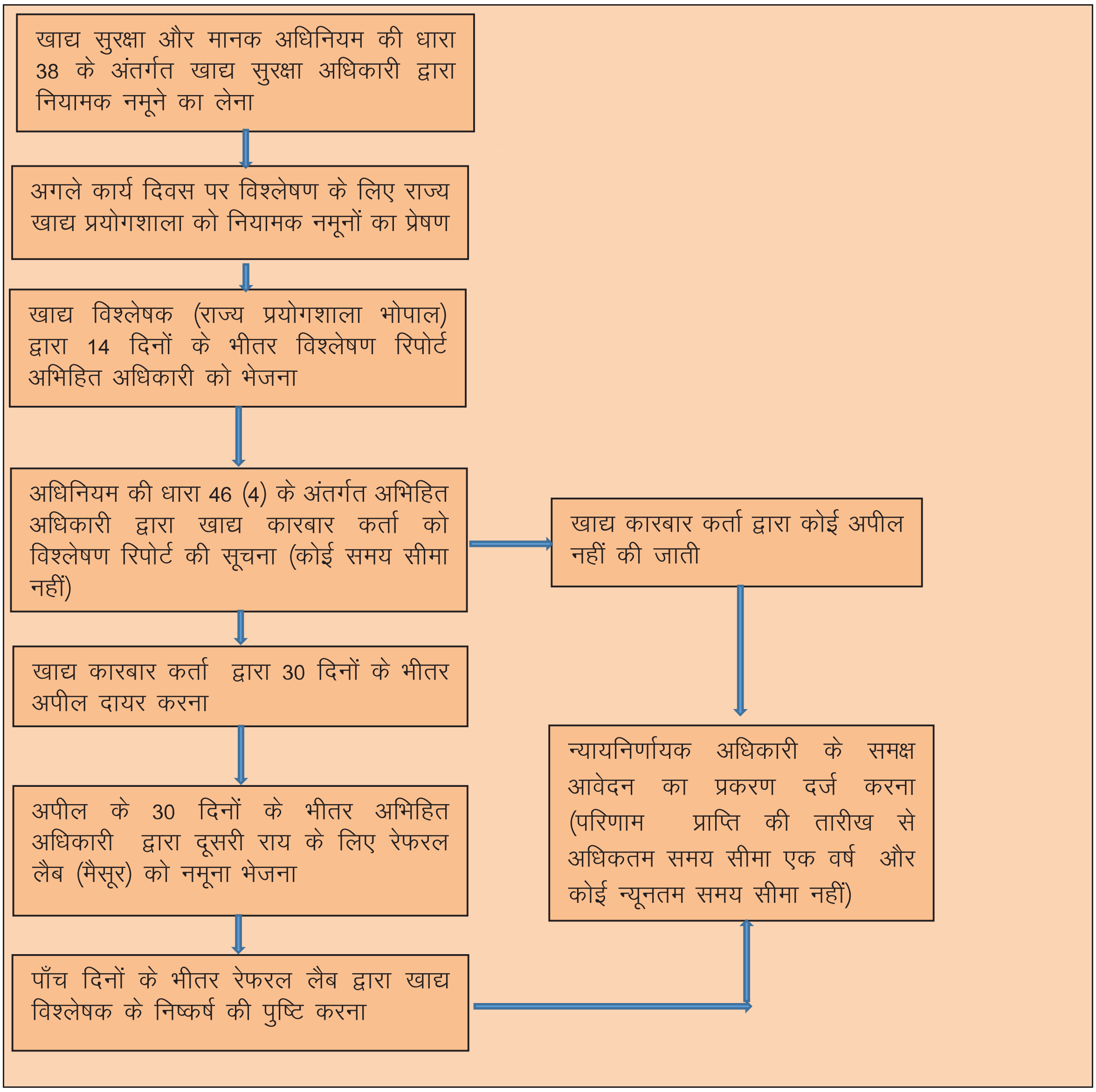

खाद्य कारबार कर्ता को विश्लेषण रिपोर्ट भेजने के लिए अधिनियम/नियम के अंतर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। विभाग ने भी प्रतिवेदन भेजने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की थी। परिणामस्वरूप, अभियोजन चक्र के विभिन्न स्तरों पर विलम्ब हुआ जैसा कि **तालिका 2.1** में उल्लिखित है।

**तालिका 2.1: अभियोजन चक्र के साथ गैर–अनुपालन का विवरण**

| स. क्र. | गैर अनुपालन के प्रकार | वर्ष | नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट की संख्या | विलम्बित अवधि | जिलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | विश्लेषण की तिथि[21] के बाद नमूनों के परिणामों को समय पर सूचित नहीं किए जाने और राज्य खाद्य प्रयोगशाला से जिलों में विलम्ब से प्राप्ति के कारण अभियोजन शुरू करने में विलम्ब होना | 2014–19 | 789 | 05 से 360 दिन | 7[22] |
| 2. | रेफरल प्रयोगशाला से नमूना विश्लेषण रिपोर्ट विलम्ब से प्राप्त होना | 2014–16 एवं 2017–19 | 240 में से 56 | 09 से 87 दिन | 6[23] |
| 3. | अभिहित अधिकारियों द्वारा खाद्य कारबार कर्ताओं को विलम्ब से विश्लेषण रिपोर्ट भेजना | 2014–19 | 158 में से 131 | 02 से 286 दिन | 5[24] |

**स्रोतः–विभागीय अभिलेख**

अभियोजन शुरू करने के लिए न तो अधिनियम/नियम के अंतर्गत उचित समय सीमा प्रदत्त की गई है और न ही विभाग ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किया है। इसके अलावा, अधिनियम/नियम ने अभियोजन मामलों को दायर करने से पहले अपनाए जाने वाले तरीके/प्रक्रियाओं को भी निर्दिष्ट नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अभिहित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की खाद्य कारबार कर्ताओं द्वारा विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्ति सुनिश्चित करने की विफलता के कारण अपील के लिए निर्धारित तीस दिवस की समयावधि समाप्त होने के बाद अभिहित अधिकारियों ने अभियोजन के लिए आवेदन दायर नहीं किया। अभिलेखों में पावती की प्रविष्टियाँ उपलब्ध नहीं थी। ऐसे मामलों में जहाँ खाद्य कारबार कर्ताओं ने अपील दायर नहीं की थी, अभिहित अधिकारियों ने अपील की समय सीमा समाप्त होने पर खाद्य कारबार कर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया। इसके कारण ऐसे खाद्य कारबार कर्ताओं के खिलाफ अभियोजन शुरू करने में देरी हुई। इस प्रकार, अभियोजन को विलम्ब से शुरू करने से अभियोजन को अंतिम रूप देने में एक व्यापक प्रभाव पड़ा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2014–19 के दौरान चयनित आठ जिलों में से सात जिलों[25] में 1,800 में से 814 मामले अदालत में चार से 35 माह के विलम्ब से दायर किए गए थे, जिनमें से 65 मामले एक

---

[21] 14 दिवस के भीतर प्राप्त परिणाम नहीं लिए गए।

[22] भोपाल (210), ग्वालियर (63), होशंगाबाद (440), इंदौर (27), खरगोन (11), मुरैना (04) और उज्जैन (34)

[23] भोपाल (4, 10), ग्वालियर (8, 105), इंदौर (10, 61), खरगोन (7, 10), मुरैना (24, 33) और उज्जैन (3, 21)

[24] भोपाल (46, 14 से 191 दिन), ग्वालियर (02, 06 से 12 दिन), खरगोन (02, 12 से 16 दिन), मुरैना (12, 02 से 13 दिन) और उज्जैन (69, 03 से 286 दिन)

[25] भोपाल (245, 153), ग्वालियर (362, 78), होशंगाबाद (174, 08), इंदौर (663, 341), खरगोन (00, 17), मुरैना (148, 60) और उज्जैन (208, 157)

साल बाद दायर किए गए थे। तथापि, इस संबंध में जिला कलेक्टर से प्राप्त अनुमति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

अभिहित अधिकारियों ने 814 मामलों में से 294 दुग्ध/दुग्ध उत्पाद अभियोजन मामलों को चार से 23 माह के विलम्ब से दायर किया।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि खाद्य कारबार कर्ताओं को धारा 46 (4) के अंतर्गत सूचना भेजने की समय सीमा मार्च 2020 में तय की गई थी जिसमें, खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा खाद्य कारबार कर्ताओं को विश्लेषण रिपोर्ट स्थानीय कार्यालय में प्राप्ति दिनांक के 14 दिनों के भीतर भेजने के लिए अभिहित अधिकारियों को निर्देश (मार्च 2020) दिया गया था जैसा कि राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति ने उनकी बैठक (फरवरी 2020) में निर्देशित किया था। आगे, अभियोजन दाखिल करने के संबंध में, खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने अभिहित अधिकारियों को तीन महीने के भीतर, रेफरल प्रकरणों में एकल विक्रेता/प्रोपराइटर के मामले में अतिरिक्त एक महीने तथा एक से अधिक फर्मों के मामलों में अतिरिक्त दो महीने वृद्धि करते हुए अदालत में अभियोजन दायर करने हेतु निर्देशित (जून 2020) किया था।

रिपोर्ट भेजने की समय सीमा और अभियोजन शुरू करने की न्यूनतम समय सीमा तय करने में अत्यधिक विलंब के कारण अभियोजन प्रक्रियाओं में तेजी लाने में जिला प्राधिकारियों की ओर से कार्रवाई में विलंब हुआ। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के उल्लंघन के परिणामों के डर के बिना खाद्य कारबार कर्ताओं ने अपना कारबार जारी रखा। बिना पैकिंग के खुले में बिक्री की गई दुग्ध/दुग्ध उत्पाद के प्रकरण को बहु एजेंसियां सम्मिलित न होने से अभियोजन के विलम्ब को टाला जा सकता था।

### *2.3.5 मुखबिरों को इनाम देने के लिए निर्धारित कोष का गठन न किया जाना*

अधिनियम की धारा 94 और 95 विभिन्न अपराधों का पता लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा प्राधिकारियों को सहायता देने वाले मुखबिरों को पुरस्कृत करने के लिए एक कोष के गठन का प्रावधान करती है।

अधिनियम के लागू (2011 से) होने के नौ वर्षों के बावजूद विभाग ने इस संबंध में एक निश्चित कोष का गठन नहीं किया।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा (जुलाई 2020) कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन हेतु बजट शीर्ष, बजट प्रावधान, नियम और प्रक्रियाएं बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही थी।

### *2.3.6 निरर्थक नमूनों का निपटान न होना*

खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा अभिग्रहित सामग्रियों के लिए अधिसूचित तरीके से अभिहित अधिकारी को निरर्थक नमूनों[26] का समय पर निपटारा सुनिश्चित करना था। तथापि, खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने अभिग्रहित सामग्री के निपटान के तरीके को अधिसूचित नहीं किया। निर्धारित प्रक्रिया के अभाव में, जिला प्राधिकारियों ने जिस तरीके से उचित समझा, निरर्थक नमूनों का निपटारा किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आठ में से पाँच[27] जिलों में वर्ष 2014–19 के 689 निरर्थक नमूने नष्ट किए गए। निर्धारित तरीके के अभाव में निरर्थक नमूनों का निपटारा करना पर्यावरण को प्रदूषित करने का कारण बन सकता है।

[26] नमूने, जो आगे उपयोग के लिए आवश्यक नहीं हैं।

[27] भोपाल (338), ग्वालियर (33), इंदौर (55), खरगोन (223) और उज्जैन (40)

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि निरर्थक नमूने, जिसमें कोई कानूनी कार्रवाई लंबित नहीं थीं, के निपटान के लिए आदेश जारी किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार अभिग्रहित सामग्रियों के निपटारा के लिए एवं विभिन्न खाद्य नमूनों के मामलों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा हेतु अभिहित अधिकारियों को निर्देशित (जुलाई 2020) किया था। उन्होंने, फिर भी, निपटान के लिए अपनाए जाने के तरीके/प्रक्रिया को अधिसूचित नहीं किया, जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित था।

### *2.3.7 खाद्य जनित रोग*

लेखापरीक्षा ने देखा कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राज्य में खाद्य विषाक्तता के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए रजिस्ट्रीकृत चिकित्सकों को अधिसूचित नहीं किया, जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित था।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त के पास 2014–19 के दौरान हुई खाद्य विषाक्तता से संबंधित मामलों की जानकारी नहीं थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने चयनित आठ जिलों में सिविल सर्जन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.), स्कूल शिक्षा विभाग से खाद्य विषाक्तता के मामलों की जानकारी ली। पाँच[28] जिलों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि विभिन्न अस्पतालों में 2014–19 के दौरान खाद्य विषाक्तता के 3,169 मरीजों का इलाज किया गया था। शेष तीन जिलों में इस तरह के मामले नहीं थे। 3,169 मामलों में से 110 खाद्य विषाक्तता के मामले 2014–15 में होशंगाबाद जिले के एक[29] स्कूल में 21 अगस्त 2014 को मध्याह्न भोजन का सेवन करते समय हुए।

विशिष्ट निर्देशों के अभाव में, खाद्य विषाक्तता के मामलों की सूचना नहीं दी जा रही थी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य प्रदान करने वाले खाद्य कारबार कर्ताओं के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए अभिहित अधिकारी को खाद्य विषाक्तता की घटनाओं में सहायता करने के लिए प्रतिक्रिया नहीं दी।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जुलाई 2020) ने कहा कि अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित चिकित्सकों को प्राधिकृत करने के लिए अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को भेजा जा रहा है।

## 2.4 खाद्य सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम का प्रवर्तन

***लेखापरीक्षा उद्देश्य II: क्या मौजूदा प्रशासनिक तंत्र (मानव शक्ति, उपकरण, निरीक्षण, दंड इत्यादि) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रभावी था।***

अधिनियम/नियमों के अंतर्गत नियामक गतिविधियों जैसे लाइसेंसिग, सैंपलिंग, निरीक्षण आदि का प्रवर्तन करने के लिए अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। फरवरी 2020 की स्थिति में, राज्य में 55 अभिहित अधिकारियों और 380 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की आवश्यकता के विरूद्ध क्रमशः 51 अंशकालिक अभिहित अधिकारी और 165 पूर्णकालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी थे।

---

[28] ग्वालियर (460), होशंगाबाद (119), इंदौर (1,908), खरगोन (108) और उज्जैन (574)

[29] प्राथमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय, शुक्करवाड़ा, बाबई (110 विद्यार्थी)

### 2.4.1 खाद्य सुरक्षा संरचना

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम की केंद्रीय सलाहकार समिति (सी.ए.सी.) ने सुझाव दिया था कि अगस्त 2014 में उनके द्वारा अनुमोदित खाद्य सुरक्षा संरचना का राज्य को अनुसरण करना था। इस संरचना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक विकासखंड में एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 1,000 खाद्य कारबार कर्ताओं पर एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद सृजन किया जाना सम्मिलित था। केन्द्रीय सलाहकार समिति ने संभाग स्तर पर आठ विभिन्न संवर्गों में नौ पद (सहायक आयुक्त, अभिहित अधिकारी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, स्टेनो, वरिष्ठ क्लर्क, कनिष्ठ क्लर्क प्रत्येक के एक पद और चपरासी के दो पद) सृजित करने का सुझाव दिया था।

विभाग ने, दोनों राज्य और जिले स्तर पर, पदों को सृजित करने के लिए अपनाए गए मानदंड, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये थे। लेखापरीक्षा जाँच में परिलक्षित हुआ कि राज्य स्तर, संभाग स्तर और जिला स्तर पर पृथक ढांचा जैसा की समिति द्वारा अनुशंसित था, स्थापित नहीं किया गया। विभाग ने 771 पदों की आवश्यकता के विरूद्ध, केवल 424 पद (55 प्रतिशत), प्रयोगशाला के लिए स्वीकृत 46 पदों को छोड़कर, स्वीकृत किए। फरवरी 2020 की स्थिति में, इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध 165 कार्यरत थे जबकि 259 पद रिक्त (61 प्रतिशत) थे। विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दिखाया गया है।

हालांकि, खाद्य सुरक्षा संरचना के अंतर्गत मौजूदा मानव शक्ति की स्थिति के अनुसार, फरवरी 2020 की स्थिति में, स्वीकृत 470 पदों के विरूद्ध 174 (37 प्रतिशत) कार्यरत थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.4*** में दर्शाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी ने नमूनें लेने को प्रभावित किया एवं इसका खाद्य कारबार कर्ताओं के कवरेज पर प्रभाव हुआ।

आगे, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 में निर्धारित निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया:

- छः[30] जिलों में असुरक्षित भोजन या भोजन जो अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए थे, को ले जाने वाले संदिग्ध वाहनों का निरीक्षण।
- सुरक्षा परिसंकटों की पहचान करने और पता लगाने तथा खाद्य विषाक्तता की घटनाओं तक पहुंच के लिए खाद्य सुरक्षा निगरानी का संचालन करना।
- पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए खाद्य सुरक्षा योजना को तैयार करने में मदद करना।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा (फरवरी 2020) कि विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत 700 से अधिक पदों की माँग वित्त विभाग के समक्ष की गई थी; तथापि अक्टूबर 2018 में केवल 152 पद स्वीकृत किए गए थे और यह कि भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने, जो प्रक्रियाधीन था, के बाद उक्त पदों को भरा जाएगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने आगे कहा कि खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीयन प्रणाली में ब्लॉक मैपिंग के अभाव और विकासखण्ड–वार खाद्य कारबार कर्ताओं की संख्या का आकलन करने के लिए किसी भी तंत्र की अनुपस्थिति के कारण, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों को भौगोलिक क्षेत्र, व्यावसायिक गतिविधियों और प्रशासनिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए सृजित किया गया था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था और सेवा भर्ती नियम बनने के बाद स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए कार्रवाई की जाएगी।

[30] होशंगाबाद, इंदौर, खरगोन, मुरैना, सतना और उज्जैन।

### 2.4.2 अभिहित अधिकारियों की नियुक्ति

निरर्थक नमूनों का समय पर निपटारा, आम जनता के लिए किसी भी खतरे या गंभीर चोट के मामले में; खाद्य कारबार कर्ताओं के लाइसेंस का निलंबन, रद्दीकरण या निरसन; लाइसेंस जारी करना, उल्लघंनों के मामलों में जुर्माना/कारावास के साथ दंडनीय प्रकरणों के लिए अभियोजन मंजूरी या प्रारम्भ करना और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए सभी निरीक्षणों के अभिलेखों का संधारण करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 एक पूर्णकालिक अभिहित अधिकारी की नियुक्ति को निर्धारित करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने अभिहित अधिकारी के 41 पद और वरिष्ठ अभिहित अधिकारी के 10 पद सृजित (अक्टूबर 2018) किए, लेकिन सेवा नियमों के अभाव में पदों को नहीं भरा गया।

राज्य में 51 अंशकालिक अभिहित अधिकारी हैं। विभाग ने विभिन्न अवसरों पर अनुविभागीय अधिकारी/डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उनके नियमित कर्तव्यों के अलावा अभिहित अधिकारी नामित किया। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्देशों (फरवरी 2017) के अनुसार अगस्त 2019 में सभी अभिहित अधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। हालाँकि विभाग को अभिहित अधिकारियों के कार्यकाल की समाप्ति के बारे में पता था, परन्तु विभाग ने अभिहित अधिकारियों के कार्यकाल में वृद्धि हेतु अनुमति प्राप्ति के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से समय पर कार्रवाई नहीं की। नियंत्रक (खाद्य और औषधि) ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से छः महीने के लिए अभिहित अधिकारियों के कार्यकाल के वृद्धि की अनुमति (अगस्त 2019) मांगी और अभिहित अधिकारियों को अगले आदेश तक अपने कर्तव्यों को जारी रखने का निर्देश (सितंबर 2019) दिया। अभिहित अधिकारी के कार्यकाल में वृद्धि की अनुमति अक्टूबर 2020 की स्थिति में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से प्राप्त की जाना अपेक्षित थी। इस प्रकार, सितंबर 2019 के बाद अभिहित अधिकारियों द्वारा प्रयोग की गई शक्तियां और कर्तव्य बिना प्राधिकार के थे, जो अनियमित थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जून 2020) ने कहा कि पदों को भरने के लिए मामला वित्त विभाग के ध्यान में लाया जाएगा। विभाग (प्रमुख सचिव) ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा (जुलाई 2020) कि अभिहित अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नए विभागीय सेवा भर्ती नियम तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है और पूर्णकालिक अभिहित अधिकारियों की नियुक्ति के लिए यथाशीघ्र प्रयास किए जाएंगे।

विभाग 2011 में अधिनियम लागू होने के नौ साल बाद भी अभिहित अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नियम और भर्ती प्रक्रिया तैयार करने में विफल रहा। अभिहित अधिकारियों की अनुपस्थिति ने नमूना प्रक्रिया एवं लाइसेंस की गतिविधियां को प्रभावित किया।

### 2.4.3 लाइसेंस एवं पंजीयन

#### 2.4.3.1 औद्योगिक इकाईयों का सर्वेक्षण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 निर्दिष्ट करता है कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त राज्य में खाद्य विनिर्माण या प्रसंस्करण में लगी हुई औद्योगिक इकाईयों का सर्वेक्षण करेगा जिससे यह पता लगाया जा सके कि इन इकाइयों द्वारा विभिन्न खाद्य वस्तुओं के लिए खाद्य प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित मानकों का पालन किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि की पाँच वर्ष की अवधि 2014–19 के दौरान खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण नहीं किया और न ही जिलों को ऐसा करने के लिए निर्देश जारी किए। परीक्षण

किए गए जिलों के उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने भी पुष्टि (फरवरी 2020) की है कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त से किसी निर्देश के अभाव में औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण नही किया गया था। विनिर्माण/रिपैकेजिंग आदि के कार्य में संलग्न औद्योगिक इकाईयों के आंकलन में विफलता के कारण संभवतः यह इकाईयाँ अधिनियम के दायरे में नहीं रही और जहाँ रही वहां अधिनियम में निर्दिष्ट मानकों के अनुपालन न होने की संभावना रही।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा उनकी कवरेज के लिए जिलों को आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देश जारी किया गया था। यह भी कहा गया कि खाद्य कारबार कर्ताओं से संबंधित शहरी स्थानीय निकाय/नगर निगम के डाटाबेस उनके कवरेज के लिए एकत्र किए जाएंगे जो कि अन्य अधिनियमों में इन निकायों के अंतर्गत पंजीकृत थे और इसके अतिरिक्त, आयकर एवं वाणिज्यिक कर विभागों के डाटाबेस पर भी विचार किया जाएगा।

### *2.4.3.2 खाद्य कारबार कर्ताओं के डाटाबेस का संधारण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी खाद्य कारबार के डाटाबेस का संधारण किया जाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा जाँच में परिलक्षित हुआ कि अभिहित अधिकारी ने प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए भौगोलिक अधिकार क्षेत्र का आवंटन नही किया जिससे खाद्य कारबार कर्ताओं के डाटाबेस का संधारण नहीं किया जा सका। चयनित आठ जिलों में से केवल सतना जिले में प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए पृथक कार्यक्षेत्र आवंटित था। राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति ने अपनी पाँचवी बैठक (06.02.2020) में निर्णय लिया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा प्रत्येक छः माह के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए क्षेत्र का आवंटन होना चाहिए। इस प्रकार, अधिनियम के क्रियान्वयन के आठ वर्षों के बाद क्षेत्र आवंटन का निर्णय लिया गया। डाटाबेस के अभाव में विभाग यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या सभी खाद्य कारबार कर्ताओं के पास लाइसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र था।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को छः माह के लिए क्षेत्र के आवंटन के संबंध में कार्रवाई मुख्यालय (भोपाल) स्तर से की जाएगी। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने अभिहित अधिकारियों को उनके द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के क्षेत्र आवंटन के संबंध में जारी आदेश की प्रति तथा जिले में नगरीय क्षेत्रों में तहसील एवं वार्ड की सूची प्रस्तुत करने हेतु निर्देश (मार्च एवं जून 2020) जारी किया था।

### *2.4.3.3 खाद्य कारबार कर्ताओं की पहचान के लिए विशेष अभियान का आयोजन*

राज्य में लाइसेंसधारी/पंजीकृत खाद्य कारबार कर्ताओं की संख्या बढ़ाने के संबंध में विभाग ने विशेष अभियान आयोजित करने के लिए संभाग स्तर पर पाँच खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से बने विशेष दल का गठन करने का अनुदेश जारी (फरवरी 2019) किया। संभाग के अधीन जिलों से समन्वय किया जाकर माह के दूसरे एवं चौथे सप्ताह में यह अभियान प्रति दिन चलाया जाना था। अभियान की प्रगति का प्रतिवेदन टीम के प्रभारी प्रत्येक महीने की पाँच तारीख को खाद्य सुरक्षा आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार, केन्द्रीय सलाहकार समिति ने अपनी 25वीं बैठक में निर्देशित (मार्च 2019) किया कि ऐसे खाद्य कारबार कर्ताओं, जिन्होंने लाइसेंस की समाप्ति के बाद अपना कारबार जारी रखा और जिन्होंने पुराने का नवीनीकरण कराये बिना नया लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो, की पहचान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अपेक्षित मासिक प्रगति प्रतिवेदन खाद्य सुरक्षा आयुक्त को भेजा नहीं गया एवं उन्होंने जिलों के लिए निर्धारित अभियान की प्रगति की निगरानी नहीं की। नमूना परीक्षित जिलों में अभिहित अधिकारियों ने आयोजित किए गए अभियानों के अभिलेखों का संधारण नहीं किया। अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा दिशा–निर्देशों अनुसार अभियान आयोजित होना और खाद्य कारबार कर्ताओं के कवरेज की सीमा को सुनिश्चित नहीं कर सका।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि लाइसेंस/पंजीयन की संख्या बढ़ाये जाने हेतु विशेष अभियान आयोजित किए जाने के लिये अभिहित अधिकारियों को आदेश जारी किए गए थे और इस संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय से एक अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

### *2.4.3.4 लाइसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना*

अधिनियम की धारा 31 बिना लाइसेंस के खाद्य काराबार के संचालन को प्रतिबंधित करती है। खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के अनुसार आवेदन पर यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र सात दिन के भीतर प्रदान अथवा अस्वीकृत नहीं किया जाता है या 30 दिवस के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है तो छोटे निर्माता अपना कारबार प्रारंभ कर सकते है। इसी तरह, यदि 60 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है तो लाइसेंस के आवेदक अपना कारबार आरंभ कर सकते है।

### *(i) खाद्य कारबार कर्ता और उनके लाइसेंस/पंजीयन का निर्धारण*

लेखापरीक्षा जाँच में परिलक्षित हुआ कि राज्य/जिला स्तर पर खाद्य कारबार कर्ताओं/छोटे निर्माताओं, जो बिना लाइसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र के कार्य कर रहे थे, की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त/निगरानी करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि इस मामले की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगे, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसमें अब जिलेवार/राज्यवार खाद्य कारबार कर्ताओं की संख्या जानने का प्रावधान है।

### *(ii) लाइसेंस/पंजीयन के लंबित प्रकरण*

खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रणाली के ऑनलाइन आँकड़ों के विश्लेषण में यह परिलक्षित हुआ कि 2016 से 2019 के दौरान लाइसेंस/पंजीकरण के लिए आवेदन जारी करने में विलंब की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी हुई है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 30 मार्च 2019 की स्थिति में, राज्य में लाइसेंस के लिए 2,672 आवेदन और पंजीकरण के लिए 10,027 आवेदन लंबित थे। नमूना परीक्षित जिलों में यह पाया गया कि चार[31] जिलों में (जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019 के दौरान) लाइसेंस के लिए 526 आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्तर पर खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रणाली में बिना किसी कारण के लंबित थे। इसी प्रकार, आठ[32] जिलों में पंजीयन के लिए (सितम्बर 2013 से जनवरी 2020 के दौरान) 334 आवेदन लेखापरीक्षा किए जाने के दिनांक (फरवरी 2020) तक लंबित थे।

---

[31] भोपाल (303), ग्वालियर (12), मुरैना (132) और सतना (79)

[32] भोपाल (101), ग्वालियर (38), होशंगाबाद (04), इंदौर (31), खरगोन (11), मुरैना (01), सतना (43) और उज्जैन (105)

खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के सत्यापन में लेखापरीक्षा ने देखा कि छः[33] जिलों में खाद्य कारबार कर्ताओं द्वारा विलंब से दस्तावेज प्रस्तुत करने, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विलंब से निरीक्षण किए जाने और अभिहित अधिकारी स्तर पर विलंब से लाइसेंस जारी किए जाने के कारण 143 प्रकरणों में लाइसेंस 60 दिवस की निर्धारित समय सीमा के बाद छः दिवस से लेकर पाँच वर्ष के विलम्ब से जारी किये गये। विभिन्न स्तरों पर विलम्ब का विवरण **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.2: विभिन्न स्तरों पर लाइसेंस जारी करने में विलंब की स्थिति**

| जिलों के नाम | विलम्ब से जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या | विलम्ब का कारण एवं सीमा | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | खाद्य कारबार कर्ताओं द्वारा दस्तावेज प्रस्तुतीकरण | अवधि | खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण/जाँच में विलंब | अवधि | अभिहित अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी | अवधि |
| भोपाल | 30 | 0 | 0 | 18 | 2 से 7 माह | 30 | 3 से 7 माह |
| ग्वालियर | 28 | 0 | 0 | 26 | 2 माह से 4 वर्ष | 24 | 2 माह से 3 वर्ष 5 माह |
| इंदौर | 13 | 11 | 7 से 19 माह | 4 | 2 से 14 माह | 1 | 2 माह |
| खरगोन | 55 | 0 | 0 | 46 | 1 से 17 माह | 14 | 1 से 11 माह |
| मुरैना | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 से 9 माह | 1 | 1 माह |
| सतना | 5 | 1 | 8 माह | 4 | 4 से 12 माह | 2 | 2 से 7 माह |

**स्रोतः– खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रणाली के आँकड़े**

लाइसेंस/पंजीयन के आवेदनों में विलंब का मुख्य कारण अभिहित अधिकारी का प्रभार अतिरिक्त रूप से धारण करना, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी और ऑनलाईन प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में देर करना था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आश्वासन दिया (जून 2020) कि लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी और निरीक्षण प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा (जुलाई 2020) कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करना सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों को निर्देश (जून 2020) जारी किए गए थे।

### *(iii) लाइसेंस/पंजीयन के लिए एजेंसियों का कवरेज*

राज्य में लाइसेंस और पंजीयन के लिए एजेंसियों के कवरेज के संबंध में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और राज्य प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे:

---

33 भोपाल (30, दो से 11 माह), ग्वालियर (28, पांच माह से पांच वर्ष), इंदौर (13, दो से 20 माह), खरगोन (55, छः दिन से 15 माह), मुरैना (12, आठ दिन से आठ माह), सतना (05, तीन से 14 माह), उज्जैन जिले में, लाइसेंस के विवरण का सत्यापन खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीयन प्रणाली से नहीं किया जा सका क्योंकि दिनांक 28.12.2019 से 25.02.2020 के मध्य अभिहित अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण आई.डी./पासवर्ड उपलब्ध नहीं था।

(क) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को निर्देशित किया (दिसंबर 2012) कि उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि मादक पेय एवं मदिरा के व्यापार से संबंधित सभी व्यक्तियों को खाद्य कारबार कर्ता के रूप में पंजीकृत किया गया है।

(ख) विभाग ने 16 विभाग के प्रमुख सचिवों एवं महाप्रबंधकों ***(परिशिष्ट 2.5)*** को उनके संबंधित विभाग में केवल लाइसेंसधारी/पंजीकृत खाद्य कारबार कर्ताओं को संचालन की अनुमति दिया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश (जनवरी 2014) जारी किया था।

(ग) विभाग ने कलेक्टरों/अभिहित अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को केवल पंजीकृत/लाइसेंसधारी खाद्य कारबार कर्ताओं/एजेंसियों को ही सरकारी/निजी अस्पतालों में आहार की बिक्री/वितरण का कार्य करना सुनिश्चित करने हेतु अनुदेश (मई 2018) जारी किया था। राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति ने अपनी चौथी बैठक (जून 2018) में विभाग द्वारा पूर्व में लाइसेंस/पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए जारी निर्देशों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।

(घ) खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने प्रमुख सचिव, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (एफ.सी.एस. एण्ड सी. पी.) एवं प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को निर्देश जारी किया (अप्रैल 2019) कि केवल खाद्य प्राधिकारियों के लाइसेंसधारी/पंजीकृत उचित मूल्य की दुकान/कारबार/दुकान को देशी एवं विदेशी शराब के विनिर्माण/वितरण/भंडारण/आयात/परिवहन एवं ब्रिकी के लिए अनुमति देना सुनिश्चित किया जाये।

नमूना परीक्षित जिलों में अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कारबारों को करने वाली एजेंसियों की संख्या **तालिका 2.3** में दर्शायी गई है:

**तालिका 2.3: विभिन्न विभागों के अंतर्गत कारबार करने वाले खाद्य कारबार कर्ताओं की स्थिति**

| **विभाग का नाम** | वाणिज्यिक कर विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग | खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग |
|---|---|---|---|
| **व्यापार की श्रेणी का विवरण** | देशी/ विदेशी शराब का विक्रय | पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत पोषण आपूर्ति करने वाले स्व सहायता समूह (एस.एच.जी.) | सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें |
| **कुल संख्या** | **794** | **4,447** | **4,482** |

**स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी**

इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है:

- देशी/विदेशी शराब के विक्रय में लगे 794 खाद्य कारबार कर्ताओं के पास लाइसेंस/पंजीयन नहीं था।
- इसी प्रकार 4,482 उचित मूल्य की दुकानों के पास लाइसेंस/पंजीयन नहीं था।
- पाँच[34] जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने 4,447 स्व सहायता समूहों में से 1,276 के पास लाइसेंस/पंजीयन प्रमाणपत्र होना प्रतिवेदित किया। लेखापरीक्षा ने छः[35] जिलों में 248 स्व सहायता समूहों की स्थिति का सत्यापन खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीयन

[34] भोपाल (145), होशंगाबाद (06), खरगोन (01), सतना (23) और उज्जैन (1,101)

[35] भोपाल (145, 17), होशंगाबाद (06, 02), खरगोन (01, 01), इंदौर (51, 07), सतना (23, 17) और उज्जैन (22, 18)

प्रणाली से किया और पाया कि 62 स्व सहायता समूहों के पास लाइसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र है और 186 (75 प्रतिशत) के पास लाइसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं है।

- नमूना परीक्षित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि निजी/सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में लाइसेंसी/पंजीकृत एजेंसियों द्वारा मरीजों को आहार प्रदान किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव/खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने अन्य विभागों में गैर–अनुपालन का समन्वय/ निगरानी/पर्यवेक्षण नहीं किया। उपरोक्त इंगित करता है कि विभागों ने खाद्य प्राधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया और न ही खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अनुपालन की सूचना दी। जिले के प्राधिकारियों ने भी इन निर्देशों का पालन नहीं किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने भी उक्त निर्देशों का विभिन्न प्राधिकारियों के साथ अनुपालन की समीक्षा नहीं की और केवल निर्देश जारी कर उसके अनुपालन की प्रतीक्षा करते रहे।

इस प्रकार, उक्त एजेंसियां न सिर्फ अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बल्कि राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाते हुए कारबार कर रही थी। खाद्य कारबार कर्ताओं के टर्नओव्हर का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे राजस्व हानि का आंकलन नहीं किया जा सका। चयनित आठ में से सात जिलों में 732[36] देशी/विदेशी शराब विक्रय करने वाले खाद्य कारबार कर्ताओं के मामले में प्रत्येक वर्ष राशि ₹14.60 लाख[37] की राजस्व हानि हुई।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि अमले की कमी के कारण खाद्य कारबार कर्ताओं का सर्वेक्षण नहीं किया जा सका। उन्होंने आगे कहा (जुलाई 2020) कि उनकी अध्यक्षता में एक अंतरविभागीय समिति की बैठक आयोजित (जुलाई 2020) की गई थी जिसमें सभी विभागों के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्य सामग्री के विक्रय/वितरण एवं अन्य गतिविधियों के लिए लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनाने का निर्णय लिया गया था।

### *2.4.3.5 लाइसेंस का नवीनीकरण*

इस अधिनियम के तहत जारी किया गया पंजीयन अथवा लाइसेंस एक से पाँच वर्ष की अवधि, जैसा भी खाद्य कारबार कर्ताओं ने चयनित किया हो, के लिए वैध होता है। खाद्य कारबार कर्ताओं को अपने लाइसेंस/पंजीयन की वैधता समाप्ति के 30 दिवस पूर्व नवीनीकृत कराने की आवश्यकता होती है अन्यथा लाइसेंस के मामले में प्रतिदिन ₹100/– के दर से विलम्ब शुल्क देय होता है। अगस्त 2013 तक विभाग द्वारा मैनुअली (ऑफलाइन) लाइसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाता था और इसके बाद खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीयन प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन लाइसेंस जारी करना प्रारंभ किया गया।

---

36 भोपाल (93), ग्वालियर (112), इंदौर (173), खरगोन (83), मुरैना (59), सतना (71) और उज्जैन (141)

37 ₹2,000/– की दर से 730 लाइसेंसधारी और ₹100/– की दर से पंजीकृत दो खाद्य कारबार कर्ताओं। शेष 60 खाद्य कारबार कर्ताओं का वार्षिक टर्नओव्हर उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण उन्हें गणना में नहीं लिया गया था।

### *(i) ऑफलाईन लाइसेंस*

नमूना परीक्षित सात[38] जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि जारी किए (अक्टूबर 2011 से अक्टूबर 2013 के दौरान) गए 5,610 में से 5,321 (95 प्रतिशत) लाइसेंस नवीनीकरण योग्य थे, जिसमें से छः[39] जिलों के केवल 1,395 लाइसेंस का नवीनीकरण हुआ जबकि उज्जैन जिले के 315 लाइसेंस के नवीनीकरण का इन्द्राज होना नहीं पाया गया। छः[40] जिले के प्राधिकारियों ने शेष 3,611 लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाना सुनिश्चित नहीं किया। मुरैना जिले ने ऑफलाइन जारी लाइसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने नवीनीकरण की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए नवीनीकरण के योग्य 5,321 लाइसेंस में से 339 लाइसेंस का चयन किया। 339 में से 158 लाइसेंस का नवीनीकरण होना पाया गया, तथापि शेष 181 प्रकरणों में नवीनीकरण की स्थिति का सत्यापन खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीयन प्रणाली से नहीं किया जा सका। आगे, लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने भी खाद्य कारबार कर्ताओं के नवीनीकरण की पुष्टि नहीं की। यह इंगित करता है कि अभिहित अधिकारी नवीनीकरण के मामलों की निगरानी में विफल रहे।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा कि लाइसेंस/पंजीकरण की वैधता पाँच वर्ष के लिए होती है और इसलिए 2013 से पूर्व के मैनुअली जारी किए गए लाइसेंस/पंजीकरण की वैधता समाप्त हो चुकी थी और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को उक्त लाइसेंस/पंजीयन को हटाने के लिए कहा जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पाँच वर्ष से कम के लिए जारी किए गए ऑफलाइन लाइसेंस के नवीनीकरण का सत्यापन खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीयन प्रणाली से सुनिश्चित नहीं किया गया था।

### *(ii) ऑनलाईन लाइसेंस*

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को प्रेषित किए गए वर्ष 2018–19 के लिए राज्य के वार्षिक प्रतिवेदन की संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 11,074 लाइसेंस की वैधता समाप्त हो चुकी थी। वैधता समाप्त हो चुके लाइसेंस के लिए कराए गए निरीक्षण एवं उन प्रकरणों की संख्या जिसमें खाद्य कारबार कर्ता वैधता समाप्त हो चुके लाइसेंस के साथ कारबार चला रहे थे, का विवरण राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं था।

नमूना परीक्षित आठ जिलों के खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीयन प्रणाली के आँकड़ों (फरवरी 2020) की लेखापरीक्षा में सक्रिय एवं वैधता समाप्त हो चुके लाइसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र की स्थिति **तालिका 2.4** में दर्शायी गई है:

**तालिका 2.4: सक्रिय एवं वैधता समाप्त हो चुके लाइसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र की स्थिति**

| स. क्र. | विवरण | खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीयन प्रणाली के अनुसार जारी | सक्रिय | वैधता समाप्त | खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीयन प्रणाली में प्रदर्शित नहीं हुए |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | लाइसेंस | 22,137 | 10,286 | 11,851 | 470 |
| 2. | पंजीयन प्रमाण–पत्र | 1,12,952 | 60,686 | 52,266 | 444 |

**स्रोतः खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीयन प्रणाली के अनुसार आँकड़े**

---

38 भोपाल (616), ग्वालियर (918), होशंगाबाद (477), इंदौर (2,620), खरगोन (292), सतना (362) और उज्जैन (325)

39 भोपाल (51), ग्वालियर (19), होशंगाबाद (296), इंदौर (901), खरगोन (54) और सतना (74)

40 भोपाल (533), ग्वालियर (898), होशंगाबाद (79), इंदौर (1,719), खरगोन (224) और सतना (158)

खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीयन प्रणाली में सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.) का विश्लेषण इंगित करता था कि वैधता समाप्त हो चुके लाइसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र का पता लगाने की सुविधा राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं जिला स्तर पर अभिहित अधिकारी के पास उपलब्ध थी। हालांकि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीयन प्रणाली के डाटाबेस से निरीक्षण हेतु दोषियों की सूची तैयार नहीं की, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या खाद्य कारबार कर्ता बिना लाइसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र के कारबार कर रहे थे और उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही शुरू की जा सके। नमूना परीक्षित आठ जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014—19 के दौरान 111 मामलों में उन खाद्य कारबार कर्ताओं के खिलाफ अभियोजन चलाया गया जिनके पास कोई लाइसेंस/पंजीयन नहीं था। उक्त प्रकरण नमूना लिए जाने के दौरान संज्ञान में आए।

जिले के अभिहित अधिकारी और राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने दोषी खाद्य कारबार कर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की शिथिलता सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण नहीं किया। खाद्य कारबार कर्ताओं के वैधता समाप्त हो चुके लाइसेसों का नवीनीकरण न होने तथा निरीक्षणों का अभाव खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के प्रति अधिकारियों का ढीला—ढाला रवैया स्पष्ट रूप से दर्शाता है। संयुक्त भौतिक सत्यापन (फरवरी 2020 और मार्च 2020) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 98 में से छः खाद्य कारबार कर्ताओं का लाइसेंस/पंजीयन समाप्त हो गया था। आगे, 98 में से 44 खाद्य कारबार कर्ताओं ने कारबार के स्थान पर अपना पंजीयन/लाइसेंस प्रदर्शित नहीं किया था।

उपर्युक्त तथ्य इंगित करते हैं कि खाद्य कारबार कर्ताओं का स्व—विनियमन मात्र अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं कर सकता है। खाद्य कारबार कर्ताओं के नियमन के लिए विभागीय हस्तक्षेप का मिश्रण भी आवश्यक है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि प्रणाली में सुधार के प्रयास किए जाएंगे और समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उसकी निगरानी की जाएगी। आगे प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि वैधता समाप्त हो चुके लाइसेंस/पंजीयन के उचित पर्यवेक्षण के लिए जिलों को निर्देश जारी किए गए थे और मुख्यालय स्तर के एक अधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण करेंगे।

### *(iii) खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीयन प्रणाली में लाइसेंस के आवेदन की निगरानी*

लेखापरीक्षा ने पाया कि लाइसेंस/पंजीयन प्राधिकारी ने खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीयन प्रणाली में खाद्य कारबार कर्ताओं द्वारा निरस्त किए गए लाइसेंस के आवेदन की निगरानी नहीं की। खाद्य कारबार कर्ताओं द्वारा 50 नवीनीकरण के प्रकरणों सहित कुल 275 आवेदन (नवम्बर 2013 से जनवरी 2020) निरस्त किए गए। लेखापरीक्षा ने 50 नवीनीकरण के प्रकरणों की स्थिति का सत्यापन खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीयन प्रणाली से किया और पाया कि 20 प्रकरणों में लाइसेंस के नवीनीकरण के स्थान पर नया लाइसेंस जारी किया गया और 30 प्रकरणों की स्थिति खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीयन प्रणाली में नहीं पायी गयी। ग्वालियर जिले के तीन खाद्य कारबार कर्ताओं को फर्म का नाम परिवर्तन कर नवीन लाइसेंस जारी किया गया था और लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया। इसी प्रकार, 131 आवेदक जिन्होंने पंजीयन के लिए आवेदन दिया था अपने आवेदन को सितम्बर 2013 से दिसम्बर 2019 के दौरान निरस्त कर दिया था। तथापि, निरस्तीकरण का कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।

विनियमों के उपनियम 2.1.1 (3) और 2.1.4 (2) के अंतर्गत यथा अपेक्षित, खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीयन प्रणाली में लाइसेंस के प्रसंस्करण के दौरान लाइसेंस/पंजीयन प्राधिकारी द्वारा वांछित आवश्यक दस्तावेजों को खाद्य कारबार कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि

सितम्बर 2013 से फरवरी 2020 के दौरान लाइसेंस के लिए किए गए 1,803 आवेदन और पंजीयन के लिए 1,226 आवेदन खाद्य कारबार कर्ताओं द्वारा दस्तावेज जमा नहीं करने के कारण खारिज किए गए।

लाइसेंस/पंजीयन प्राधिकारी ने खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीयन प्रणाली से उपर्युक्त मामलों में लाइसेंस/पंजीयन की स्थिति की निगरानी, उन्होनें तुरंत कारबार बन्द कर दिया था, सुनिश्चित करने के लिए नहीं की गई।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि उक्त मामलों की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर एक नियमित अधिकारी को रखा गया है। आगे प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने यह भी कहा (जुलाई 2020) कि इन प्रकरणों की निगरानी और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। हालांकि, विभाग ने राज्य स्तर पर नियमित अधिकारी की नियुक्ति के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

### *2.4.4 खाद्य कारबार कर्ताओं का निरीक्षण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को, सभी लाइसेंसधारी खाद्य कारबार कर्ताओं (₹12 लाख से अधिक का वार्षिक टर्न ओव्हर वाले) के खाद्य प्रतिष्ठानों[41] का जैसे कि निर्धारित है लगातार निरीक्षण करना चाहिए और लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। अभिहित अधिकारियों को अधिनियम के अनुसार निरीक्षण के अभिलेख संधारित करने चाहिए। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा अपेक्षित पंजीकृत खाद्य कारबार कर्ताओं (₹12 लाख से कम का वार्षिक टर्न ओव्हर वाले) का वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

राज्य के लाइसेंसधारी और पंजीकृत खाद्य कारबार कर्ताओं के साथ नमूना परीक्षित जिलों और लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण की स्थिति **तालिका 2.5** में दी गई है।

**तालिका 2.5: राज्य द्वारा जारी लाइसेंस और पंजीयन एवं लेखापरीक्षा कवरेज की स्थिति**

| राज्य स्तर (मार्च 2019 की स्थिति में) | | परीक्षण किए गए जिले (फरवरी 2020 की स्थिति में) | | नमूना परीक्षित जिलों में दुग्ध/ दुग्ध उत्पादों के खाद्य कारबार कर्ताओं का कवरेज | |
|---|---|---|---|---|---|
| राज्य लाइसेंसधारी खाद्य कारबार कर्ताओं की संख्या | पंजीकृत खाद्य कारबार कर्ताओं की संख्या | लाइसेंसधारी खाद्य कारबार कर्ताओं की संख्या | पंजीकृत खाद्य कारबार कर्ताओं की संख्या | दुग्ध/ दुग्ध उत्पादों के खाद्य कारबार कर्ताओं से 2018–19 में लिए गए नमूने | संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए खाद्य कारबार कर्ता |
| 43,751 | 4,83,907 | 10,286 | 60,686 | 688 | 98 (14 प्रतिशत) |

**स्रोतः खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीयन प्रणाली, विभागीय अभिलेख और संयुक्त भौतिक सत्यापन**

लेखापरीक्षा ने पाया कि न तो राज्य स्तर के प्राधिकारियों ने और न ही अभिहित अधिकारियों ने नमूना परीक्षित जिलों में लाइसेंसधारी खाद्य कारबार कर्ताओं के निरीक्षण के लिए लक्ष्य और समयावधि निर्धारित किए थे। तथापि, लेखापरीक्षा प्रेक्षण की प्रतिक्रिया में खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने प्रत्येक खाद्य सुरक्षा

41 स्थान जो खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, हैंडलिंग, पैकिंग या विक्रय के लिए उपयोग किया जाता है।

अधिकारी द्वारा प्रतिमाह 30 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्देश जारी (जून 2020) किए।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के अनुसार पंजीकृत खाद्य कारबार कर्ताओं का वार्षिक निरीक्षण किया जाना नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना परीक्षित किसी भी जिले में अभिहित अधिकारियों ने भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किए गये निरीक्षण के अभिलेख संधारित नहीं किये।

98 खाद्य कारबार कर्ताओं के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (फरवरी और मार्च 2020) के दौरान लेखापरीक्षा ने खाद्य कारबार कर्ताओं द्वारा लाइसेंस/पंजीयन की शर्तो का अनुपालन करना नहीं पाया जो निम्नानुसार हैः–

- 48 खाद्य कारबार कर्ताओं ने नोटिस बोर्ड पर खाद्य सामग्रियों को प्रदर्शित नहीं किया।
- 51 खाद्य कारबार कर्ताओं ने क्रय एवं विक्रय का अभिलेख संधारित नहीं किया।
- 19 खाद्य कारबार कर्ताओं द्वारा उनकी दुकानों में साफ–सफाई और स्वच्छता की प्रथाओं का पालन नहीं किया गया था।
- दुग्ध/दुग्ध उत्पादों के भण्डारण के लिए 48 में से चार लाइसेंसधारी खाद्य कारबार कर्ताओं के पास कोल्ड चेन/डीप फ्रीजर/रेफ्रिजरेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- ग्वालियर जिले के एक खाद्य कारबार कर्ता ने दल को देखते ही दुकान का शटर बंद कर दिया और दुकान नहीं खोली।

सामयिक निरीक्षण के अभाव में, खाद्य कारबार कर्ताओं द्वारा आवश्यक नियमों के अनुपालन का आंकलन शेष रह गया। विभाग खाद्य सुरक्षा कानूनों के अनुपालन की सीमा का आंकलन नहीं कर सका।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि वर्तमान में फील्ड स्टाफ की कमी के कारण प्रत्येक खाद्य कारबार कर्ता का निरीक्षण किया जाना संभव नहीं है; विभाग ने खाद्य कारबार कर्ताओं के स्तर पर कमियों के सुधार के लिये ज्ञापन जारी करने के साथ अधिनियम के अनुसार निरीक्षण के सभी पहलुओं को कवर करते हुए अधिक खाद्य कारबार कर्ताओं के निरीक्षण के आदेश जारी किए थे।

### *2.4.5 खाद्य नमूना लेना तथा उनका विश्लेषण*

एक उत्तरदायी खाद्य नियामक प्रणाली के सुदृढ़ क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन हेतु खाद्य नमूना जाँच प्रयोगशालाएं एक महत्वपूर्ण अंग होती हैं। पर्याप्त आधारभूत संरचनाओं, सुविधाओं, उपकरणों आदि वह बैंचमार्क हैं जो कठोर गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का इन प्रयोगशालाओं द्वारा पालन करने में अधिक रूप से सहायक होते हैं। औपचारिक मान्यता और प्रभावी आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं का संचालन वह मुख्य तत्व है जो विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं द्वारा उत्पन्न परिणामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं।

### *खाद्य विश्लेषण के लिए आधारभूत संरचना*

### *2.4.5.1 विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला सुविधाएं*

मध्य प्रदेश में तीन प्रयोगशालाएं है, राज्य खाद्य प्रयोगशाला (एस.एफ.एल.) भोपाल, विभाग द्वारा अनुरक्षित है जबकि इंदौर और उज्जैन में स्थित दो और खाद्य प्रयोगशालाएं संबंधित नगर पालिक निगमों द्वारा संचालित है। मई 2013 में, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 2013–15 के दौरान भोपाल,

इंदौर और उज्जैन में तीनों खाद्य प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने का प्रस्ताव रखा जिसकी अनुमानित लागत ₹12 करोड़ प्रति प्रयोगशाला थी जो भारत सरकार (जी.ओ.आई.) (75 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश सरकार (25 प्रतिशत) द्वारा साझा किया जाना था। आगे, उन्नत प्रयोगशाला को चलाने के लिए मध्य प्रदेश शासन को प्रयोगशाला विश्लेषकों और अन्य तकनीकी/सहायक अमले को संलग्न करने की आवश्यकता थी। विभाग को इंदौर और उज्जैन में खाद्य प्रयोगशालों के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) की मान्यता प्राप्त करने की भी आवश्यकता थी जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43 के तहत अनिवार्य है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने तीन लेवल–2 प्रयोगशालाओं (बुनियादी परीक्षण सुविधा वाले) की स्थापना के लिए कम से कम पाँच स्थानों का सुझाव देने के लिए मध्य प्रदेश शासन से भी अनुरोध (मई 2013) किया था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैः

(क) सूक्ष्मजैविकी–संबंधी परीक्षण के लिए केवल राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल को उन्नत (मार्च 2017 से फरवरी 2020) बनाया गया है। भोपाल में नई राज्य खाद्य प्रयोगशाला भवन (सूक्ष्मजैविकी प्रयोगशाला के लिए) आठ माह के विलंब से पूर्ण (जनवरी 2020) हुआ। निर्माण कार्य निर्धारित समय (मई 2019) के भीतर पूर्ण नहीं किया गया था क्योंकि खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने राज्य खाद्य प्रयोगशाला में निर्माण स्थल को खाली नहीं किया था, जिसके कारण कार्य विलम्ब से प्रारंभ हुआ। तथापि, फरवरी 2020 तक विभाग ने न तो सूक्ष्मजीव–विज्ञानी के पद को भरा और न ही आवश्यक उपकरणों की खरीदी की। इसलिए दिनांक (अगस्त 2020) की स्थिति में भी राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल जैविक परीक्षण सुविधा के साथ पूरी तरह से क्रियाशील नहीं थी और केवल बुनियादी परीक्षण के साथ संचालित थी।

(ख) विभाग ने 2013 में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रस्ताव के सात साल बाद भी इंदौर और उज्जैन में खाद्य प्रयोगशाला के लिए कोई उन्नयन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

(ग) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43 के तहत विभाग ने अनिवार्य आवश्यकता होने के बावजूद इंदौर और उज्जैन में खाद्य प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं की। इंदौर और उज्जैन नगर पालिक निगमों ने सूचित किया (फरवरी 2020) कि खाद्य प्रयोगशाला क्रमशः इंदौर में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित खाद्य विश्लेषक और उज्जैन में कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण संचालित नहीं थी। मई 2019 में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश शासन को इंदौर और उज्जैन में खाद्य प्रयोगशालाओं को 14 जून 2019 से बंद करने का निर्देश दिया क्योंकि इन प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं थी।

(घ) राज्य में तीन लेवल–2 प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई आंरभ नहीं की थी।

क्योंकि विभाग ने इंदौर और उज्जैन में प्रयोगशालाओं को उन्नत नहीं किया अथवा राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं की और भोपाल में यथा अपेक्षित राज्य खाद्य प्रयोगशाला को पूरी तरह से उन्नत नहीं करने से भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार खाद्य परीक्षण की आवश्यकताओं की पूर्ति को वास्तविक आकार नहीं दिया जा सका।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्य शासन विफल रहा क्योंकि इसने मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दोनों प्रयोगशालाओं में अधिसूचित खाद्य विश्लेषक की व्यवस्था नहीं की। परिणामस्वरूप, उन्नयन के लिए प्रयोगशालाओं पर विचार नहीं किया गया। यदि दोनों प्रयोगशाला राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होती तो राज्य खाद्य प्रयोगशाला में नमूना विश्लेषण की अधिकता को हल किया जा सकता था।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि इंदौर और उज्जैन के नगर पालिक निगमों में खाद्य प्रयोगशालाओं को कार्य योजना में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वे असंचालित थीं और उनके पास राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की मान्यता नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि शासन स्तर पर आवंटन की मंजूरी में विलम्ब और लोकसभा एवं विधान सभा चुनावों के कारण भवन निर्माण कार्यों में देरी हुई; भर्ती नियमों में संशोधन के बाद सूक्ष्मजैविकी परीक्षण के लिए बनाए गए पदों के विरूद्ध नियुक्ति की जाएगी; सूक्ष्मजैविकी प्रयोगशाला के लिए उपकरण का क्रय किया जायेगा, जिसके लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने **₹** एक करोड़ प्रदाय (मार्च 2020) किये है; उन्नयन के लिए क्रय किए गए (जनवरी और फरवरी 2019) तीन आधुनिक उपकरणों के संस्थापन एवं उनके परिचालकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया चल रही है।

आगे, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने यह भी कहा कि इंदौर और उज्जैन स्थित खाद्य प्रयोगशाला इस विभाग के नियंत्रण में नहीं थी और इन प्रयोगशालाओं में खाद्य विश्लेषकों की अधिसूचना के लिए कोई भी मामले खाद्य सुरक्षा आयुक्त के स्तर पर लंबित नहीं थे। नगर पालिक निगमों के अधीन काम करने वाली खाद्य प्रयोगशालाओं के लिए निर्णय उनके नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लिए जायेंगे और इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में तीन नई प्रयोगशालाओं के संचालन के बाद नमूनों का अधिक विश्लेषण किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्य इंगित करते हैं कि राज्य शासन दोनों प्रयोगशालाओं को संचालित कराने के अवसर को भुनाने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त स्वीकृति में कोई विलंब नहीं था क्योंकि शासन ने निर्माण एजेंसी, राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल से अनुमान के प्राप्ति (मई 2018) के दो महीने बाद संस्वीकृति प्रदान (अगस्त 2018) कर दी थी।

### *2.4.5.2 मौजूदा राज्य खाद्य प्रयोगशाला की कार्य पद्धति*

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गाइडेंस डॉक्यूमेन्ट एक नियामक खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला के लिए मानव शक्ति, उपकरण और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता निर्धारित करता है। लेखापरीक्षा ने मौजूदा राज्य खाद्य प्रयोगशाला में मानव शक्ति, उपकरण और अन्य सुविधाओं की कमी पायी जैसा निम्नानुसार उल्लिखित हैः –

#### *(i) स्टाफ की उपलब्धता*

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य खाद्य प्रयोगशाला में बनाए गए पद गाइडेंस डॉक्यूमेन्ट के अनुरूप नहीं थे। आगे, यह भी देखा गया कि राज्य खाद्य प्रयोगशाला में 31 स्वीकृत पदों में से 22 (71 प्रतिशत) रिक्त पड़े थे। फरवरी 2020 तक के पद–वार विवरण **तालिका 2.6** में दिए गए हैं।

**तालिका 2.6: राज्य खाद्य प्रयोगशाला में मानव शक्ति की स्थिति**

| स.क्र. | पद का नाम | स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | लोक विश्लेषक | 4 | 1 | 3 |
| 2 | रासायनिक रसायनज्ञ | 1 | 0 | 1 |
| 3 | सहायक लोक विश्लेषक | 1 | 1 | 0 |
| 4 | वरिष्ठ रसायनज्ञ | 3 | 1 | 2 |
| 5 | रसायनज्ञ ग्रेड–I | 1 | 0 | 1 |
| 6 | सहायक लोक विश्लेषक/ रसायनज्ञ ग्रेड–II/सहायक रसायनज्ञ | 12 | 2 | 10 |
| 7 | प्रयोगशाला सहायक | 9 | 4 | 5 |
| **योग** | | **31** | **9** | **22** |

**स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी**

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि रसायनज्ञ के रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती के लिए प्रस्ताव और सूक्ष्मजैविकी प्रयोगशाला में नए स्वीकृत पदों के विरूद्ध भर्ती के लिए सेवा नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन है।

### *(ii) उपकरणों की उपलब्धता*

लेखापरीक्षा ने देखा कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने खाद्य परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने की योजना के तहत उन्नयन हेतु अंतराल विश्लेषण प्रतिवेदन भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को भेजा (सितंबर 2016) था। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य खाद्य प्रयोगशाला में 22 प्रकार के उपकरण कार्यशील थे और 12 प्रकार के उपकरण अकार्यशील थे। अंतराल विश्लेषण विवेचना की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई थी और अकार्यशील प्रकार के उपकरण बढ़कर 18 (जुलाई 2020 तक) हो गए हैं।

- आगे, अंतराल विश्लेषण के अलावा, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए गाइडेंस डॉक्यूमेन्ट में निर्धारित 69 में से 32 प्रकार के उपकरण उपलब्ध नहीं थे।
- राज्य खाद्य प्रयोगशाला की माँग के अनुसार 22 प्रकार के उपकरणों की खरीद (फरवरी 2020 तक) नहीं की गई थी, जिसमें खरीदे जाने वाले 10 प्रकार के उपकरण अक्रियाशील थे।
- 10 प्रकार के मौजूदा उपकरण 10 वर्ष से अधिक पुराने थे और अन्य उपकरणों के जीवन काल को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था क्योंकि इस संबंध में अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था। अकार्यशील प्रकार के उपकरणों के कारण विश्लेषण कार्य प्रभावित हुआ था और आवश्यक खाद्य नमूना विश्लेषण उपलब्ध उपकरणों के साथ किया गया था। खाद्य योजकों, तेल और भारी धातुओं के क्लाउड बिंदुओं का विश्लेषण नहीं किया जा सका। पुराने उपकरणों का उपयोग, विश्लेषण और परिणाम की सटीकता को प्रभावित करेगा जो कि रेफरल मामलों में भारी भिन्नता से परिलक्षित होता है।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रस्ताव के अनुसार, विभाग ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के गाइडेंस डॉक्यूमेन्ट के अनुसार उपकरणों की सूची भेजी थी, जो उनकी स्वीकृति के बाद उपलब्ध कराई जा सकती थी।

### (iii) सुविधाओं की अनुपलब्धता

लेखापरीक्षा ने आवश्यक सुविधाओं की अनुपलब्धता पाई, जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

- अत्यधिक ज्वलनशील/ज्वलनशील रसायन अलग से नहीं रखे गए थे।
- स्टोर में खाद्य नमूनों के भंडारण के लिए फ्रीजर/डीप फ्रीजर की कोई सुविधा नहीं थी।
- सी.सी.टी.वी. निगरानी सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि सी.सी.टी.वी. निगरानी भूतल पर कार्यशील है जबकि पहली मंजिल पर कार्य लंबित है; प्रथम तल पर नमूना प्राप्ति अनुभाग में नमूनों के भंडारण के लिए फ्रीजर/डीप फ्रीजर की सुविधा प्रस्तावित की गई थी तथा इसका क्रय लंबित है।

आवश्यक मानव शक्ति की कमी और पुराने उपकरणों के उपयोग ने विश्लेषण और परिणाम के सटीकता को प्रभावित किया जैसा कि नीचे उल्लिखित है:

नमूना परीक्षित सात[42] जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014–19 के दौरान 259 नमूनों को दूसरी राय के लिए रेफरल लैब भेजा गया, 82 मामलों में राज्य खाद्य प्रयोगशाला और रेफरल लैब की राय समान थी और 177 मामलों में (68.34 प्रतिशत) राय भिन्न थी। राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा खाद्य नमूनों के विश्लेषण में सुधार की पर्याप्त गुंजाइश थी। इसलिए, योग्य विश्लेषकों/तकनीशियनों को तैनात करना और राज्य प्रयोगशाला में मानक संचालन और कार्य पद्धति को स्थापित करना एक आवश्यकता थी जिसे सुनिश्चित नहीं किया गया। इसके अलावा, परिणामों में व्यापक भिन्नता राज्य प्रयोगशाला के विश्लेषण कार्य पर खाद्य कारबार कर्ता के विश्वास को प्रभावित कर सकती है। राज्य खाद्य प्रयोगशाला के निष्कर्षों के विरूद्ध रेफरल लैब की राय में भिन्नता **तालिका 2.7** में दी गई है।

**तालिका 2.7: राज्य खाद्य प्रयोगशाला और रेफरल लैब के परिणाम में भिन्नता की स्थिति**

| खाद्य नमूनों की संख्या | राज्य खाद्य प्रयोगशाला के अनुसार निष्कर्ष | रेफरल प्रयोगशाला के अनुसार निष्कर्ष (प्रकरणों की संख्या) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अमानक | अनुरूप | मिथ्याछाप | मिलावटी | असुरक्षित | अमानक एवं मिथ्याछाप | विक्रय हेतु प्रतिबंधित |
| 47 | असुरक्षित | 27 | 15 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01 | विक्रय हेतु प्रतिबंधित | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
| 02 | असुरक्षित एवं मिथ्याछाप | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01 | असुरक्षित एवं प्रतिबंधित | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 57 | मिथ्याछाप | 05 | 48 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 |
| 53 | अमानक | 00 | 44 | 01 | 00 | 02 | 04 | 02 |
| 10 | अनुरूप | 08 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 06 | गैर–अनुरूप | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| **177** | | **40** | **116** | **08** | **00** | **07** | **04** | **02** |

**स्रोत: विभागीय अभिलेख**

[42] भोपाल (10), ग्वालियर (105), होशंगाबाद (19), इंदौर (61), खरगोन (10), मुरैना (33) और उज्जैन (21)

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि भिन्नताओं के कारणों का अध्ययन करने और जानने के लिए रेफरल प्रयोगशाला के परिणाम प्राप्त किये जायेंगे। विभिन्न खाद्य मापदंडों जैसे सूक्ष्मजैविकी परीक्षण, खाद्य संदूषक और अन्य विभिन्न योजक आदि के विश्लेषण के लिए सुविधाएं राज्य खाद्य प्रयोगशाला में 2014–19 के दौरान उपलब्ध नहीं थी।

### *2.4.5.3 नियामक नमूने का लिया जाना*

अधिनियम की धारा 38 (1) खाद्य सुरक्षा अधिकारी को किसी भी खाद्य, या किसी भी पदार्थ जो बिक्री के लिए है का नमूना लेने के लिए अधिकृत करता है, खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 खाद्य नमूनों को लेने की प्रक्रिया और इसे खाद्य विश्लेषक को विश्लेषण के लिए भेजने के तरीके को निर्धारित करता है।

राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति ने प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए चार नियामक और आठ निगरानी नमूने लेने का मासिक लक्ष्य निर्धारित (मार्च 2016) किया था।

राज्य में 2014–19 के दौरान लिए गए राज्य लाइसेंस/पंजीकरण, लिए गए नियामक नमूने[43], विश्लेषित नमूने और गैर–अनुरूप नमूने की संख्या **तालिका 2.8** में दी गई है।

**तालिका 2.8: लिए गए खाद्य नमूने, राज्य प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषित नमूने और गैर–अनुरूप नमूने की स्थिति**

| वर्ष | राज्य लाइसेंसधारी/पंजीकृत खाद्य कारबार कर्ताओं की संख्या | लिए गए नियामक नमूनों की संख्या | विश्लेषित नियामक नमूनों की संख्या | गैर–अनुरूप नियामक नमूनों की संख्या (प्रतिशतता) | खाद्य कारबार कर्ताओं के कवरेज प्रतिशतता में |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | 3,23,106 | 9,532 | 9,131 | 1,412 (15) | 2.95 |
| 2015–16 | 3,72,362 | 10,035 | 9,994 | 1,311 (13) | 2.69 |
| 2016–17 | 4,18,711 | 5,675 | 5,461 | 609 (11) | 1.36 |
| 2017–18 | 4,66,998 | 7,121 | 6,270 | 904 (14) | 1.52 |
| 2018–19 | 5,27,658 | 7,254 | 7,112 | 1,612 (23) | 1.37 |
| **योग** | **....** | **39,617** | **37,968** | **5,848 (15)** | |

**स्रोतः भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को भेजी गई राज्य स्तरीय वार्षिक रिपोर्ट और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक के आँकड़े**

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि

- यद्यपि 2014–19 के दौरान राज्य लाइसेंसधारियों और पंजीकृत खाद्य कारबार कर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई थी, परन्तु लिए गए नमूने के संदर्भ में उनके कवरेज में कमी आई है। सिवाय 2017–18 के जिसमें 2016–17 की तुलना में 1.52 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी।
- प्रयोगशाला की कम क्षमता (500 प्रति माह) और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कमी के कारण प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेने के लिए लक्ष्य, लाइसेंस/पंजीकरण के समानुपात में नहीं बदले गए थे, जिसके कारण नमूना लेने के लिए खाद्य कारबार कर्ताओं की कवरेज कम थी।
- 2014–19 की अवधि के दौरान लाइसेंसधारियों/पंजीकृत खाद्य कारबार कर्ताओं की संख्या के समानुपात में लिए गए नमूनों की प्रतिशतता 1.36 से 2.95 प्रतिशत के मध्य थी और 97 प्रतिशत खाद्य कारबार कर्ता कवरेज से बाहर रहे।

---

[43] नमूने जिनका उपयोग अभियोजन के उद्देश्य के लिए किया जाता है।

नमूना परीक्षित आठ जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- 2014–19 के दौरान, लिए गए 11,505 नमूनों के विरुद्ध 11,440 नियामक नमूनों का विश्लेषण किया गया, जिसमें 2,118 नमूने गैर–अनुरूप (19 प्रतिशत) थे। जिलेवार/वर्षवार विवरण ***परिशिष्ट 2.6*** में दिया गया है।

- 65 नमूनों के परिणाम प्राप्त नहीं हुए, जिनमें से 50 नमूने एक से चार साल पुराने थे।

- अभिहित अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण 2016–17 में लिए गए नमूनों की संख्या अन्य वर्षों की तुलना में सबसे कम थी और अक्टूबर 2016 से जनवरी 2017 की अवधि के दौरान नियामक नमूने नहीं लिए गए थे।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान (फरवरी और मार्च 2020) नमूना परीक्षित आठ जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि चयन किए गए 98 में से 71 खाद्य कारबार कर्ताओं का कवरेज उनके कारबार प्रारम्भ करने के बाद से नहीं हो पाया।

गैर–अनुरूप नमूनों की बढ़ती प्रवृत्ति खाद्य कारबार कर्ताओं की ओर से स्व–नियमन की कमी को इंगित करती है और इस प्रकार विभाग द्वारा नमूना लेने की संपूर्ण गतिविधि और परीक्षण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आगे, चयनित आठ जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि (फरवरी 2020) खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 2016–2019 की अवधि के दौरान नियामक और निगरानी नमूने[44] लेने के लिए राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि कम रही जैसा कि **तालिका 2.9** में दिया गया है।

**तालिका 2.9: नियामक और निगरानी खाद्य नमूनों के लक्ष्यों और उपलब्धि की स्थिति**

| वर्ष | खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार लक्ष्य | | उपलब्धियाँ | | कमी (प्रतिशतता) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | नियामक | निगरानी | नियामक | निगरानी | नियामक | निगरानी |
| 2016–17 | 2,080 | 4,160 | 1,483 | 1,988 | 597 (29) | 2,172 (52) |
| 2017–18 | 2,172 | 4,344 | 2,177 | 1,656 | –5 | 2,688 (62) |
| 2018–19 | 2,208 | 4,416 | 2,105 | 1,147 | 103 (5) | 3,269 (74) |
| **योग** | **6,460** | **12,920** | **5,765** | **4,791** | **695 (11)** | **8,129 (63)** |

**स्रोतः विभागीय अभिलेख**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2016–19 की अवधि के दौरान नियामक नमूनों में कुल 11 प्रतिशत की कमी थी। 2016–19 की अवधि के दौरान तीन जिलों यथा ग्वालियर, होशंगाबाद और मुरैना ने नियामक नमूनों के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक हासिल किया। नियामक नमूने के लिए निर्धारित लक्ष्य में कमी की अधिकतम प्रतिशतता सतना जिले (50) में और न्यूनतम प्रतिशतता खरगोन जिले (4) में थी।

2016–19 के दौरान निगरानी नमूने में कुल 63 प्रतिशत की कमी थी। निगरानी के नमूनों की कमी की प्रवृत्ति 2016–17 से बढ़ रही थी। निगरानी नमूने के लिए निर्धारित लक्ष्य में कमी की अधिकतम प्रतिशतता सतना जिले (97) और न्यूनतम प्रतिशतता खरगोन जिले (12) में थी।

44 निगरानी नमूनों का उपयोग अभियोजन के उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है।

नियामक और निगरानी नमूनों की जिलावार एवं वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ क्रमशः ***परिशिष्ट 2.7*** तथा ***परिशिष्ट 2.8*** में दी गई हैं।

उपरोक्त तथ्यों से इंगित होता है कि विभाग, खाद्य कारबार के सभी चरणों में खाद्य कारबार कर्ताओं द्वारा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु, पर्याप्त संख्या में नमूने लेने में विफल रहा।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि नमूनों का विश्लेषण दीर्घ समय से लंबित होने की स्थिति के कारण लक्ष्यों में कमी की गई है और चूंकि प्रयोगशाला की क्षमता सीमित है, इसलिए नमूनों की जाँच अन्य प्रयोगशालाओं में कराने का प्रयास किया जा रहा है।

### *2.4.5.4 नियामक खाद्य नमूनों का विश्लेषण*

खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूने के विश्लेषण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। खाद्य विश्लेषक को नमूना प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर विश्लेषण रिपोर्ट भेजनी चाहिए। विश्लेषण में विलम्ब के प्रकरण में, खाद्य विश्लेषक अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को कारण देते हुए और विश्लेषण हेतु लगने वाले समय का उल्लेख करते हुए सूचित करेगा। यदि प्राप्त नमूना विश्लेषण के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो ऐसे नमूने की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर खाद्य विश्लेषक नमूने के दूसरे भाग[45] को भेजने के लिए अभिहित अधिकारी को सूचित करना चाहिए। खाद्य विश्लेषक से मांग प्राप्त होने पर, अभिहित अधिकारी को अगले कार्य दिवस तक माँग किए गए नमूने को भेजना चाहिए। खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 खाद्य विश्लेषक को विश्लेषण के लिए भेजे जाने वाले खाद्य के नमूने की मात्रा को निर्दिष्ट करता है।

लेखापरीक्षा ने नियमों के प्रावधान के उल्लंघन में राज्य खाद्य प्रयोगशाला में नमूनों के विश्लेषण में देरी पाई। 2015–19 की अवधि के दौरान प्राप्त और विश्लेषण किए गए नमूनों की स्थिति **तालिका 2.10** में दी गई है।

**तालिका 2.10: राज्य प्रयोगशाला में प्राप्त और विश्लेषित किए गए नमूनों की स्थिति**

| वर्ष | प्राप्त[46] नमूनों की संख्या | विश्लेषित नमूनों की संख्या | विश्लेषण के लिए लंबित नमूनों की संख्या | विश्लेषित नमूनों का प्रतिशतता | वित्तीय वर्ष के अंतिम पक्ष को छोड़कर लंबित नमूने |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | उपलब्ध नहीं | 2,703 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 2015–16 | 10,081 | 5,173 | 4,908 | 51 | 4,662 |
| 2016–17 | 7,692 | 5,633 | 2,059 | 73 | 1,665 |
| 2017–18 | 7,596 | 7,868 | 00 | 104 | 00 |
| 2018–19 | 7,491 | 7,231 | 260 | 97 | 00 |

**स्रोतः विभागीय अभिलेख**

45 अधिनियम की धारा 47 में निर्धारित है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिए गए नमूने को चार भागों में विभाजित करना है। नमूना का पहला भाग अभिहित अधिकारी को संसूचित करते हुए खाद्य विश्लेषक को विश्लेषण के लिए भेजा जाता है और दो भागों को अभिहित अधिकारी को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए भेजेगा। यदि पहला भाग विश्लेषण के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो आगे दूसरा भाग (दो भागों में से) विश्लेषण के लिए पुनः भेजा जाता है।

46 राज्य खाद्य प्रयोगशाला ने पहले भाग और दूसरे भाग की प्राप्ति एक ही नमूना प्राप्ति पंजी में संधारित किया, जिसके कारण लेखापरीक्षा नमूना के दूसरे भाग की प्राप्ति का पता नहीं लगा सका।

राज्य खाद्य प्रयोगशाला ने वर्ष 2014–15 की नमूना प्राप्ति पंजी प्रस्तुत नहीं की। भोपाल की प्रयोगशाला ने 14 दिनों के भीतर प्राप्त खाद्य नमूनों का विश्लेषण नहीं किया और बहुत अधिक नमूने विश्लेषण किए जाने हेतु लंबित थे। वर्ष 2016–18 के प्रथम पक्ष में जिलों को भेजे गए नमूना परिणामों की संख्या घटाने के बाद भी वर्ष 2015–17 में नमूने लंबित थे।

आगे अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित का पता चलाः

- 2,649 नमूनों के विश्लेषण में देरी के लिए खाद्य विश्लेषक ने सिंहस्थ कुंभ मेला में कर्मचारियों के संलग्न रहने, शासकीय छुट्टियों एवं खाद्य विश्लेषक की अनुपस्थिति तथा डाक टिकटों एवं रसायनों की अनुपलब्धता को जिम्मेदार ठहराया। प्रतिवेदित किए गए कारण स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि डाक टिकटों की आवश्यकता प्रतिवेदन भेजने के समय होगी और रसायनों की कमी से विश्लेषण प्रभावित होना खाद्य सुरक्षा आयुक्त स्तर पर आंतरिक प्रबंधन की कमी को इंगित करता है। इसके अलावा, सूचना पत्र में विश्लेषण की अपेक्षित तिथि का भी उल्लेख नहीं किया गया था।

- आगे, परीक्षण प्रेषण रजिस्टर में 15 प्रतिवेदनों की क्रम संख्या वर्ष 2014–15 में दो बार दर्ज की गई, 2014–16 एवं 2017–19 के दौरान 14 प्रतिवेदनों को कोई क्रम संख्या आवंटित नहीं की गई तथा 2014–15 एवं 2016–19 के दौरान 49 प्रतिवेदनों की प्रविष्टियों को विभिन्न अवसरों पर पृथक तिथियों पर पृथक क्रम संख्याएं प्रदान की गई। इस प्रकार, परिणाम प्रविष्टियों को परीक्षण प्रेषण रजिस्टर में इस तरीके से दर्ज किया गया था जो ऐसे प्रदर्शित हो कि विलम्ब से किए गए विश्लेषण को पता लगाने से बचाया जा सकें और समय के भीतर प्रतिवेदनों के प्रेषण को दिखाया जा सके।

निर्गम सम्मेल्लन में, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि राज्य खाद्य प्रयोगशाला की सीमित परीक्षण क्षमता होने के कारण अधिक मात्रा में नमूनों का परीक्षण समय पर नहीं किया जा सका।

नमूना परीक्षित आठ जिलों में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पायाः

- तीन[47] जिलों में खाद्य विश्लेषकों द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने जिनका 14 दिनों में विश्लेषण नहीं किया गया था का उल्लेख अभिहित अधिकारी को भेजे गए 15 सूचना पत्रों में नहीं किया गया था। इसके अलावा, विश्लेषण में लगने वाला संभावित समय भी पत्रों में निर्दिष्ट नहीं किया गया था। चार[48] जिलों में खाद्य विश्लेषकों द्वारा 2014–19 के दौरान 512 प्रकरणों में विश्लेषण में विलम्ब की सूचना अभिहित अधिकारी को नहीं भेजी गई थी। इस प्रकार, नमूनों के परिणामों की रिपोर्टिंग के साथ–साथ विश्लेषण करने में अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया था, जिसका पालन करने की आवश्यकता थी।

- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 2014–19 के दौरान 11,505 नियामक नमूनों में से 4,814 (42 प्रतिशत) नमूने[49] विभिन्न अवसरों पर एक ही तिथि में 1,988 खाद्य कारबार कर्ताओं से लिए गए थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के इस कृत्य से नमूनों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन खाद्य कारबार कर्ताओं की अतिरिक्त संख्या कवर नहीं हो पाई।

---

47 भोपाल (04), ग्वालियर (05) और होशंगाबाद (06)

48 भोपाल (06), ग्वालियर (17), होशंगाबाद (488) और उज्जैन (01)

49 भोपाल (1,189 नमूने 423 खाद्य कारबार कर्ता), ग्वालियर (899 नमूने 398 खाद्य कारबार कर्ता), होशंगाबाद (201 नमूने 99 खाद्य कारबार कर्ता), इंदौर (1,373 नमूने 591 खाद्य कारबार कर्ता), खरगोन (349 नमूने 150 खाद्य कारबार कर्ता), मुरैना (492 नमूने 198 खाद्य कारबार कर्ता), सतना (162 नमूने 66 खाद्य कारबार कर्ता) और उज्जैन (149 नमूने 63 खाद्य कारबार कर्ता)

- विश्लेषण हेतु लिए गए नमूने की मात्रा जिलों में संधारित नमूना रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी, जिसके अभाव में, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि क्या विश्लेषण के लिए खाद्य नमूने की निर्धारित मात्रा ली गई थी। इसके अलावा, खाद्य नमूनों की मात्रा, खरीदे गये अन्य परिरक्षक पदार्थ और इस तरह की खरीद पर किए गए व्यय और विश्लेषण के लिए खाद्य प्रयोगशाला को भेजे गए नमूनों पर किए गए व्यय से संबंधित अभिलेख जिला स्तर पर संधारित नहीं किये गये थे।

- लेखा परीक्षित जिलों के उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 2014–19 के दौरान, ₹11.24 लाख के बजट आवंटन के विरूद्ध खाद्य नमूनों की खरीद पर ₹6.48 लाख व्यय किए। आगे, विभाग ने 2014–15 में पाँच[50] जिलों, 2016–17 में एक जिला (उज्जैन) एवं 2018–19 में सात[51] जिलों को बजट आंवटित नहीं किया था।

- इन जिलों में राज्य प्रयोगशाला में नमूने का दूसरा भाग भेजने का दिनांक नमूना रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया था, जिसके अभाव में, राज्य प्रयोगशाला द्वारा दूसरे भाग के लिए की गई माँग की संख्या और अगले कार्य दिवस तक नमूना भेजना, सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- खाद्य विश्लेषकों द्वारा भेजे गए नमूनों के परीक्षण प्रतिवेदन में विश्लेषण की विधि का उल्लेख नहीं किया गया था एवं असुरक्षित/मिथ्याछाप/अमानक नमूनों के कारण का भी उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार, विश्लेषण की प्रक्रिया नियमों के अनुपालन में नहीं थी। उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहा कि कमियों को सुधारा जाएगा।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि खाद्य नमूना विश्लेषण और रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत बनाने और नमूने का अभिलेख रखने, प्राप्ति और प्रेषण की प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विश्लेषण और रिपोर्टिंग कार्य भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के ऑनलाइन पोर्टल भारतीय खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्क (इन्फो.एल.नेट.)के माध्यम से किया जाना प्रक्रियाधीन है।

### *2.4.5.5 निगरानी नमूनें*

खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.3 (4) (iii) (घ) के प्रावधान के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निगरानी, सर्वेक्षण और अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए नमूनें लेने चाहिए जिनका उपयोग अभियोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने राज्य में निगरानी नमूनों के विश्लेषण में बहुत अधिक कमी पाई। जनवरी 2016 से दिसंबर 2018 के दौरान प्राप्त 19,309 नमूनों में से, केवल 2,443 (13 प्रतिशत) नमूनों का विश्लेषण किया गया। कमी का मुख्य कारण यह था कि प्रयोगशाला की पर्याप्त विश्लेषण क्षमता (प्रति माह 500 नमूने) के कम होने के कारण राज्य खाद्य प्रयोगशाला ने केवल नियामक नमूनों के विश्लेषण को प्राथमिकता दी। इस तथ्य का कारण यह था कि अधिनियम के तहत, गैर–अनुरूप नियामक नमूनों का अभियोजन के लिए विचार किया जाता था, जबकि निगरानी नमूने के परिणाम का उपयोग अभियोजन के उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता था।

नमूना परीक्षित सात जिलों में (भोपाल के अतिरिक्त), लिए गए 5,308 नमूनों के विरूद्ध 1,178 निगरानी नमूनों का परिणाम राज्य खाद्य प्रयोगशाला से प्राप्त हुआ, जिसमें से 53 नमूने गैर–अनुरूप थे। 4,130

---

50 भोपाल, होशंगाबाद, खरगोन, मुरैना और उज्जैन।

51 ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, खरगोन, मुरैना, सतना और उज्जैन।

नमूनों (78 प्रतिशत) का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ; इनमें से 3,046 नमूने एक से चार वर्ष से अधिक पुराने थे। भोपाल जिले में, विश्लेषण के लिए प्रेषित किए गए 413 निगरानी नमूनों के परिणाम लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। जिलेवार/वर्षवार विवरण ***परिशिष्ट 2.9*** में दिया गया है।

आगे, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति ने राज्य खाद्य प्रयोगशाला की क्षमता सीमित होने के कारण निगरानी खाद्य नमूनों को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेजे जाने का निर्णय (दिसम्बर 2016) लिया। तदनुसार खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने एक निजी राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला (मेसर्स एक्सिलेंट बायो रिसर्च सॉल्यूशन प्रायवेट लिमिटेड, जबलपुर) की दर ₹1,155/– प्रति नमूना[52] अनुमोदित (अप्रैल 2018) की और जिलों को उक्त फर्म को नमूने भेजने का निर्देश (फरवरी 2019) दिया। तथापि, एक माह में केवल 180 नमूनों का विश्लेषण उक्त फर्म द्वारा किया गया क्योंकि अनुबंध में विश्लेषण करने की वैधता तिथि 31 मार्च 2019 थी जिसमें अवधि वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं था।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने निगरानी नमूनों के लंबित रहने का निराकरण करने के लिए आगे की कार्रवाई नहीं की। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि राज्य में केवल एक खाद्य प्रयोगशाला थी, जिसके कारण निगरानी के नमूनों का विश्लेषण नहीं किया गया था क्योंकि नियामक नमूनों को प्राथमिकता दी गई थी और इस बावत् वैकल्पिक व्यवस्थाएं प्रक्रियाधीन थी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि लंबित स्थिति को खत्म करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और बैकलॉग को समाप्त करने के लिए नमूनों को अन्य प्रयोगशालाओं/अन्य राज्यों की प्रयोगशालाओं में भेजने का निर्णय लिया गया था। आगे, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा (जुलाई 2020) कि उच्च शिक्षा विभाग की प्रयोगशाला में नमूनों का परीक्षण कराने का प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल का नमूना विश्लेषण भार तीन निर्माणाधीन संभागीय प्रयोगशालाओं के संचालन और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सहयोग से सागर और उज्जैन में विभागीय प्रयोगशालाओं को शुरू करने (प्रक्रियाधीन) के बाद कम किया जा सकता है।

यह देखते हुए कि निगरानी नमूनों के विश्लेषण से बाजार में विभिन्न प्रकार के खाद्य की समग्र गुणवत्ता का पता चलता है, यह जरूरी है कि विभाग इन नमूनों को लेने और विश्लेषण में वृद्धि करे।

### *2.4.5.6. चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला*

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अभिलेखों की जाँच से परिलक्षित हुआ कि तीन चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं (एम.एफ.टी.एल.) खाद्य नमूनों के विश्लेषण और सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों (निगरानी और जागरूकता सृजित करने) में पूर्ण रूप से संलग्न नहीं थीं। 2015–19 की अवधि के दौरान तीन प्रयोगशालाओं के संचालन और परीक्षण की स्थिति **तालिका 2.11** में दी गई है।

---

52 शिशु पोषण आहार और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर के अलावा सभी खाद्य श्रेणियों के लिए खाद्य नमूने।

**तालिका 2.11: चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थिति**

| स. क्र. | चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला | चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की उपलब्धता | संचालन की अवधि | संचालन | निष्प्रयोगी रही | परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला क्र. 1 (MP02AV 6008) | वर्ष 2015 | फरवरी 2016 से मार्च 2019 | 16 माह | 22 माह | 2,000 |
| 2. | चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला क्र. 2 (MP02AV 6658) | अप्रैल 2018 | मई 2018 से मार्च 2019 | 7 माह | 4 माह | 826 |
| 3. | चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला क्र. 3 (MP02AV 6982) | नवम्बर 2018 | दिसम्बर 2018 से मार्च 2019 | 3 माह | 1 माह | 60 |

**स्रोतः विभागीय अभिलेख**

चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला क्र. 1, जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार संचालित नहीं की गई, जिसका कारण अभिलेखों में उल्लिखित नहीं था। नमूना परीक्षित जिलों में, 2015–19 के दौरान सतना जिले के अलावा अन्य किसी जिले में चलित परीक्षण प्रयोगशालाओं का उपयोग नहीं किया गया। इस प्रकार, चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का वांछित उद्देश्य के लिए अधिकतम उपयोग नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि मुख्य अवरोध मानव शक्ति है और नियमित मानव शक्ति की अनुपस्थिति में संविदा मानव शक्ति को लगाने का प्रयास किया जाएगा। आगे, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सात नवीन चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं उपलब्ध करायी थी जो उनके पंजीयन के बाद परिचालित की जाएंगी और अधिक जन जागरूकता फैलाने के लिए सभी संभागों में संचालित की जाएंगी।

### *2.4.5.7 दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में सुरक्षा एवं मानक सुनिश्चित करना*

चयनित जिलों में लेखापरीक्षा जाँच और राष्ट्रीय दुग्ध सर्वेक्षण के आधार पर नमूनों के विश्लेषण में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों में गुणवत्ता में गिरावट और मानकों[53] का अनुपालन करना नहीं पाया गया।

चयनित जिलों में 2014–19 के दौरान लिए गए नियामक नमूनों, लिए गए दुग्ध और दुग्ध उत्पाद के नमूने और उनके विश्लेषण की वर्षवार स्थिति **तालिका 2.12** में दी गई है। जिलेवार विवरण को ***परिशिष्ट 2.10*** में दर्शाया गया है।

[53] खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के परिच्छेद 2.1 में निर्धारित मानक

**तालिका 2.12: नमूना जाँच किए गए जिलों में नियामक नमूने, लिए गए/विश्लेषित दुग्ध के नमूने**

**(आँकड़े संख्या में)**

| वर्ष | लिए गए नियामक नमूनों की संख्या | लिए गए दुग्ध/दुग्ध उत्पादों के नमूनों की संख्या | विश्लेषित दुग्ध/दुग्ध उत्पादों के नमूनों की संख्या | दुग्ध/दुग्ध उत्पादों के गैर–अनुरूप पाए गए नमूनों की संख्या (प्रतिशतता) | नमूनों के परिणाम प्राप्त नहीं हुए |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | 2,645 | 995 | 995 | 215 (22) | 00 |
| 2015–16 | 3,095 | 1,095 | 1,095 | 182 (17) | 00 |
| 2016–17 | 1,483 | 455 | 451 | 65 (14) | 04 |
| 2017–18 | 2,177 | 805 | 804 | 165 (21) | 01 |
| 2018–19 | 2,105 | 854 | 850 | 208 (24) | 04 |
| **योग** | **11,505** | **4,204** | **4,195** | **835** | **09** |

**स्रोतः विभागीय अभिलेख**

835 नमूने, जो गैर–अनुरूप थे, उसमें से 683 अमानक[54], 109 मिथ्याछाप[55], पाँच नमूने मिलावटी और आठ नमूने असुरक्षित[56] थे। गैर–अनुरूप दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के नमूनों की प्रतिशतता 14 से 24 के बीच थी। खरगोन जिले में वर्ष 2014–16 में 30 गैर–अनुरूप नमूनों के विवरण नमूना पंजी में दर्ज नहीं थे।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि 19 जुलाई 2019 से शुरू किए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत मार्च 2020 तक दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के नमूने लिए गए थे और अवमानक दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय करने वाले खाद्य कारबार कर्ताओं के विरूद्ध अभियोजन प्रारंभ किये जा रहे हैं।

### *(i) दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के नमूनो के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ*

खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने जिला कलेक्टरों और अभिहित अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के 60 नमूने लिए जाने के निर्देश (मार्च 2017) जारी किया था।

नमूना परीक्षित आठ जिलों में से तीन (होशंगाबाद, खरगोन और सतना) जिलों में 2017–18 के दौरान लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। होशंगाबाद जिले में वर्ष 2018–19 में लक्ष्य की प्राप्ति हुई और वर्ष 2018–19 के दौरान अन्य दो जिलों की स्थिति में भी सुधार हुआ। जिलेवार विवरण **तालिका 2.13** में दिया गया है।

---

54 एक खाद्य पदार्थ को अवमानक माना जाएगा यदि वह निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता है। किन्तु उससे खाद्य पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है।

55 एक खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होता है जैसा की वह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3 (यच) में परिभाषित है।

56 कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जिसकी प्रकृति, पदार्थ या क्वालिटी इस प्रकार प्रभावित है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देती है जैसा कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 3 (यय) अंतर्गत विनिर्दिष्ट है ।

**तालिका 2.13: दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के नमूनों का लक्ष्य एवं उपलब्धि**

**(आँकड़े संख्या में)**

| जिले का नाम | 2017–18 | | | 2018–19 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी |
| भोपाल | 60 | 91 | 0 | 60 | 76 | 0 |
| ग्वालियर | 60 | 169 | 0 | 60 | 148 | 0 |
| होशंगाबाद | 60 | 55 | 5 | 60 | 66 | 0 |
| इंदौर | 60 | 148 | 0 | 60 | 231 | 0 |
| खरगोन | 60 | 26 | 34 | 60 | 40 | 20 |
| मुरैना | 60 | 159 | 0 | 60 | 132 | 0 |
| सतना | 60 | 22 | 38 | 60 | 45 | 15 |
| उज्जैन | 60 | 135 | 0 | 60 | 116 | 0 |

**स्रोतः विभागीय अभिलेख**

लक्ष्य के विरूद्ध कमी, दुग्ध/दुग्ध उत्पादों के खाद्य कारबार कर्ताओं के नमूनों के कम कवरेज को इंगित करता है जो गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि आवश्यक कार्रवाई की जावेगी।

### *(ii) राष्ट्रीय दुग्ध सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर नियामक नमूनों का विश्लेषण*

राष्ट्रीय दुग्ध सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नियामक दुग्ध के नमूने लेने के लिए विभाग ने 13 जिलों[57] को निर्देशित (सितंबर 2018) किया। लेखापरीक्षा ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को प्रेषित प्रतिवेदन (फरवरी 2019) में पाया कि निर्धारित 210 दुग्ध/दुग्ध उत्पादों के नमूनों में से 204 नमूने लिए गए और जिसमें से 42 नमूने अवमानक पाए गए; 15 नमूनों का परिणाम जिलों द्वारा सूचित नहीं किया गया।

चयनित जिलों के संबंध में स्थिति निम्नानुसार हैः–

- चार जिलों[58] में सितंबर 2018 से नवंबर 2018 के दौरान लिए गए 88 में से 20 नमूने अवमानक थे और उज्जैन जिले में एक नमूने का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ।
- 19 में से 15 प्रकरणों में अभियोजन प्रकरण को अंतिम रूप दिया गया –उज्जैन जिले में एक प्रकरण में विश्लेषण प्रतिवेदन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नाम में त्रुटि होने से अभियोजन प्रारंभ नही हुआ जिसे सुधार के लिए राज्य प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया था।
- होशंगाबाद जिले में चार प्रकरण लंबित थे। अधिरोपित अर्थदण्ड ₹5.08 लाख के विरूद्ध राशि ₹0.78 लाख के अर्थदण्ड की वसूली की गई और ₹4.30 लाख बकाया थी।

---

[57] अशोक नगर, बालाघाट, बड़वानी, भिण्ड, बुरहानपुर, धार, होशंगाबाद, इंदौर, खंडवा, खरगोन, रतलाम, सिवनी और उज्जैन।

[58] होशंगाबाद (नमूने लिए–15, अवमानक–05 और निर्णित न्यायालयीन प्रकरण–01), इंदौर (नमूने लिए–37, अवमानक–04 और निर्णित न्यायालयीन प्रकरण–04), खरगोन (नमूने लिए–16, अवमानक–07 और निर्णित न्यायालयीन प्रकरण–07) और उज्जैन (नमूने लिए–20, अवमानक–04 और निर्णित न्यायालयीन प्रकरण–03)

आगे, विभाग ने पाँच[59] जिलों में 11.03.2019 से 19.03.2019 के दौरान 80 दुग्ध के नमूने लेने और की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन सात दिवस में खाद्य सुरक्षा आयुक्त को प्रेषित करने के निर्देश जारी (मार्च 2019) किए जिसका जिलों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया।

चयनित जिलों में, दो जिलों[60] में लिए गए (मार्च 2019) 42 नमूनों में से 10 नमूने अवमानक थे। सात प्रकरणों में अभियोजन प्रारंभ हुआ जिसमें ₹0.76 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। उज्जैन जिले में तीन अभियोजन के प्रकरण दायर नहीं हुए जो कि जाँच के अधीन थे।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि जिलों में 290 नमूने लिए गए और 71 अवमानक नमूनों के विरूद्ध 69 अभियोजन के प्रकरण दायर हुए।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा प्रस्तुत (अगस्त 2020) जिले वार जानकारी के अनुसार, सितंबर 2018 और मार्च 2019 में जारी किए गए आदेश के विरूद्ध लिए गए 290 नमूनों में से 78 गैर–अनुरूप नमूनों के विरूद्ध अभियोजन प्रारंभ किए गए। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए, जिसके अभाव में गैर–अनुरूप नमूनों और अभियोजन की रिर्पोटिंग में भिन्नता का मिलान नहीं किया जा सका।

### *(iii) त्योहारों के मौसम में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की निगरानी*

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने त्योहारों के मौसम के दौरान सुरक्षित और गुणवत्ता वाले दुग्ध और दुग्ध उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने हेतु सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सलाह (अक्टूबर 2018) दी। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार, त्योहारों के मौसम के दौरान दुग्ध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट अक्सर बढ़ जाती है जब उसकी मांग आपूर्ति से बढ़ जाती है। सूक्ष्मजैविकी संबंधी गुणवत्ता और उपयोग किए गए कुछ प्रकार की मिलावट की जाँच करने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

नमूना परीक्षित आठ जिलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि 2014–19 के दौरान, लिए[61] गए कुल 4,204 दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के नमूनों में से 1,158 (28 प्रतिशत) को त्योहारों के मौसम यानी दशहरा, दिवाली और होली के दौरान लिया गया। जिले–वार विवरण ***परिशिष्ट 2.11*** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि गत वर्ष राज्य शासन द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था और 16,000 दुग्ध के नमूने लिए गए और मानसून और त्योहारों के मौसम के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पहले ही लक्ष्य दिए गए थे। त्योहारों के मौसम में दुग्ध उत्पादों की निगरानी करके आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी।

### *2.4.5.8 पवित्र स्थानों और धार्मिक मेलों का कवरेज*

लेखापरीक्षा ने चयनित छः जिलों में नौ प्रमुख पवित्र स्थानों एवं आयोजित आठ धार्मिक मेलों, जो ***परिशिष्ट 2.12*** में दर्शाए गये हैं, को कवर किया एवं निम्नलिखित पाया:

- जिला खाद्य प्राधिकारियों ने स्थाई/अस्थाई स्थापना/परिसर में संचालित खाद्य कारबार कर्ताओं के कारबार का आंकलन नहीं किया।

---

59 बालाघाट, बड़वानी, भिण्ड, इंदौर और उज्जैन।

60 इंदौर (नमूने लिए–27, अवमानक–06 और प्रकरण दायर–06) और उज्जैन (नमूने लिए–15, अवमानक–04 और प्रकरण दायर–01)।

61 त्योहार के अवसर से 10 दिवस पूर्व और पाँच दिवस बाद लिए गए नमूने

- विभाग ने पवित्र स्थानों पर खाद्य कारबार कर्ताओं की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए विशेष निर्देश जारी नहीं किए थे।
- यद्यपि जिला खाद्य प्राधिकारियों ने परिसरों/स्थापना का निरीक्षण किया जाना सूचित किया था परंतु संबंधित अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया।

मंदिरों/पवित्र स्थानों में प्रसाद (भोग) के रूप में चढ़ाये गए, दुग्ध/दुग्ध उत्पादों और अन्य खाद्य पदार्थ मिलावट से मुक्त थे, नियमित रूप से इनके नमूने लेकर सुनिश्चित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार पवित्र स्थानों में/आयोजित किए गए धार्मिक मेलों के दौरान लिए गए खाद्य नमूनों की स्थिति निम्नानुसार थी (**तालिका 2.14**)।

**तालिका 2.14: पवित्र स्थानों में/धार्मिक मेलों के दौरान लिए गए खाद्य नमूनों की स्थिति**

| पवित्र स्थानों के नाम | वर्ष | लिए गए नमूनों की संख्या | | गैर–अनुरूप नमूनों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | दुग्ध/दुग्ध उत्पादों के नमूनों की संख्या | अन्य खाद्य नमूनों की संख्या | दुग्ध/दुग्ध उत्पादों के नमूनों की संख्या | अन्य खाद्य नमूनों की संख्या |
| महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन | 2014–19 | 10 | 12 | 3 | 4 |
| माँ शारदा मंदिर, मैहर | 2014–17 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| **धार्मिक मेला स्थान** | | | | | |
| महाकाल सवारी, उज्जैन | 2014–19 | 30 | 23 | 6 | 7 |
| खजराना गणेश उत्सव, इंदौर | 2016–17 | 0 | 13 | 0 | 0 |

**स्रोतः विभागीय अभिलेख**

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नमूने लेने के लिए सभी पवित्र स्थानों और धार्मिक मेलों को कवर नहीं किया। खाद्य नमूने भी नियमित रूप से नहीं लिए गए।

आगे, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन को एक सुरक्षित भोग स्थान के रूप में प्रमाणित किया। मंदिर परिसर में चार विक्रय काउंटर थे जिनमें से किसी का भी लाइसेंस/पंजीयन नहीं था। लड्डू तैयार करने, मुफ्त अन्नक्षेत्र और लड्डूकोठार (भंडार) के लिए तीन लाइसेंस प्राप्त किए गए। प्रसाद पैकेट में विनिर्माण तिथि और उपयोग करने तक की तिथि निर्दिष्ट की गई थी लेकिन बैच संख्या[62] का उल्लेख नहीं था। मंदिर के पास चिरोंजी दाने बेचने वाले छोटे विक्रेताओं के पास पंजीकरण नहीं था।
- लेखापरीक्षा दल ने प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल माँ शारदा मंदिर, सतना का दौरा किया और माँ शारदा अन्नकुट ट्रस्ट का भौतिक सत्यापन (फरवरी 2020) भी किया गया। ट्रस्ट वर्ष 2010 से जेपी ग्रुप द्वारा संचालित एक मिड–डे मील कैंटीन चला रहा था जो आगंतुकों के लिये भोजन (प्रसादम) तैयार करता था और परोसता था। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकारण ने ट्रस्ट को एक सुरक्षित भोग स्थान के रूप में प्रमाणित किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि, विभिन्न दुकानों में बिक्री

[62] यह न केवल उत्पादित विशिष्ट बैच की पहचान को निर्दिष्ट करता है, बल्कि नियंत्रण और विनिर्माण विशेष के सभी संबंधित मुद्दे भी बैच नंबर से पता लगाये जा सकते हैं।

के लिए रखे गए प्रसाद पैकेट पर पैकिंग और अवसान की तिथि उल्लिखित नहीं थी। सड़क के किनारे/परिसर के पास प्रसाद/अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले खाद्य कारबार कर्ताओं ने पंजीयन दस्तावेज प्रदर्शित नहीं किया था। उप संचालक, खाद्य और औषधि प्रशासन, सतना ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उक्त के उत्तर में, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि धार्मिक स्थानों पर विक्रय और वितरित होने वाले खाद्य पदार्थों/प्रसाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे थे और गुणवत्ता में सुधार के लिए सुरक्षित भोग योजना के तहत धार्मिक स्थानों को कवर किया गया था और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने इस योजना के तहत महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन, मां शारदा मंदिर, सतना और खजराना गणेश मंदिर, इंदौर को सुरक्षित भोग स्थान घोषित किया। उक्त योजना ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, खंडवा, बोहरा मंदिर मस्जिद, बुरहानपुर, कुंडलगिरी जैन मंदिर, दमोह और एल.आई.जी. गुरुद्वारा, इंदौर में प्रक्रियाधीन है। उन्होंने आगे कहा कि खाद्य प्रतिष्ठानों/मंदिर में प्रसाद/धार्मिक स्थलों में भंडारण के लिए अपनाई जाने वाली पृथक प्रक्रियाओं को तैयार करने की कार्य योजना प्रक्रियाधीन थी।

### *2.4.5.9 खाद्य सुरक्षा लेखापरीक्षा*

विनियमन, 2011 प्रावधान करता है कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी (अभिहित अधिकारी) को लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों की सामयिक खाद्य सुरक्षा लेखापरीक्षा और निरीक्षण स्वयं या भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित करनी चाहिए। चयनित आठ जिलों में, लाइसेंसधारी खाद्य कारबार कर्ताओं की खाद्य सुरक्षा लेखापरीक्षा लाइसेंसिंग प्राधिकारी या भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की किसी एजेंसी द्वारा नही कराया गया। फलस्वरूप, विनियमों में निर्धारित सम्पूर्ण खाद्य सुरक्षा लेखापरीक्षा प्रणाली शुरूआत करने में असफल रही।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि अन्य एजेंसियों के माध्यम से निरीक्षण कराए जाने पर विचार किया जाएगा।

### *2.4.5.10 अभिलेखों का संधारण*

राज्य खाद्य प्रयोगशाला में नियामक/निगरानी नमूनों के लिए संधारित नमूना प्राप्ति पंजी और परीक्षण प्रेषण पंजी की जाँच से निम्नलिखित कमियों का पता चलाः

- नियामक नमूनों के दूसरे हिस्से की माँग, प्राप्ति और विश्लेषण प्रतिवेदन के लिए पृथक अभिलेख संधारित नहीं किया गया।
- प्राप्त निगरानी नमूनों और परिणामों के प्रेषण के अभिलेखों को उचित प्रकार से संधारित नहीं किया गया था। प्राप्त निगरानी नमूने और खरीदार से प्राप्त नमूनें एक ही नमूना प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज किए गए थे। इसी तरह, दोनों नमूनों के विश्लेषण रिपोर्ट का विवरण एक ही प्रेषण रजिस्टर में दर्ज किया गया था जिसमें अन्य पत्र भी दर्ज किए गए थे।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा (जुलाई 2020) कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण के बाद, नमूना प्राप्ति रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में नमूनों के दूसरे भाग की जानकारी दर्ज करने के लिए कार्रवाई की गई और नियामक नमूनों, निगरानी नमूनों और खरीदारों से प्राप्त नमूनों, नमूने के द्वितीय भाग के लिए पत्र और सामान्य पत्र के लिए अलग–अलग प्रेषण पंजी संधारित की जा रही थी। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि विभागीय अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा।

## 2.5 अपराध का अभियोजन और परीक्षण

***लेखापरीक्षा उद्देश्य III: क्या निवारक उपाय एवं दंड खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम एवं पर्याप्त थे।***

### *2.5.1 अभियोजन*

अधिनियम की धारा 68 और नियम 3.1 अधिनिर्णयन की कार्यवाही का तरीका निर्धारित करता है। नियम 3.3 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 71 और 76 क्रमशः अपील अधिकरण और माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की समय सीमा निर्धारित करती है।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को प्रेषित[63] किए गए राज्य के वार्षिक प्रतिवेदनों (2014–19) के अनुसार, लेखापरीक्षा ने देखा कि 2014–19 के दौरान, 5,848 गैर अनुरूप नमूनों के विरूद्ध 4,130 अभियोजन प्रकरण प्रारंभ किए गए। 1,409 लंबित प्रकरणों के विवरणों सहित 1,718 प्रकरणों में की गई कार्रवाई की जानकारी राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं थी। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने गैर–अनुरूप खाद्य कारबार कर्ताओं एवं लंबित प्रकरणों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने के कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन केवल भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को प्रेषित करने हेतु संकलित किए जाते थे और अभियोजन प्रकरणों की राज्य स्तर पर निगरानी नहीं की जाती थी।

मार्च 2019 की स्थिति में मध्य प्रदेश में 1,307 केन्द्रीय लाइसेंसधारी थे। चयनित आठ जिलों में लेखापरीक्षा जाँच में परिलक्षित हुआ कि केन्द्रीय लाइसेंसधारी से नमूने लेने और अभियोजन प्रारंभ करने के लिए पृथक अभिलेख संधारित नहीं किए गए। इसलिये, लेखापरीक्षा केन्द्रीय लाइसेंस और राज्य लाइसेंस से संबंधित अभियोजन प्रकरणों को पृथक नहीं कर सका।

जिले वार और वर्ष वार अभियोजन प्रकरणों को ***परिशिष्ट 2.13*** में दर्शाया गया है। चयनित आठ जिलों में 2014–19 के दौरान अभियोजन प्रकरणों की स्थिति **तालिका 2.15** में दी गई है।

**तालिका 2.15: नमूना परीक्षित आठ जिलों में अभियोजन प्रकरणों की स्थिति**

| वर्ष | प्रारंभ हुए प्रकरणों की कुल संख्या | अपर जिला न्यायधीश द्वारा निर्णीत प्रकरणों की संख्या | निर्णीत नहीं हुए प्रकरणों की संख्या | जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में अपील प्रकरणों की संख्या | जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्णीत प्रकरणों की संख्या | विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या | | | लंबित प्रकरणों की कुल संख्या | निर्णीत प्रकरणों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | जिला एवं सत्र न्यायाधीश | अपर जिला न्यायाधीश | उच्च न्यायालय | | |
| 2014–15 | 375 | 347 | 28 | 43 | 20 | 23 | 33 | 1 | 57 | 318 |
| 2015–16 | 418 | 392 | 26 | 36 | 24 | 12 | 26 | 1 | 39 | 379 |
| 2016–17 | 311 | 291 | 20 | 39 | 11 | 28 | 20 | 3 | 51 | 260 |
| 2017–18 | 178 | 132 | 46 | 15 | 5 | 10 | 46 | 0 | 56 | 122 |
| 2018–19 | 477 | 306 | 171 | 46 | 13 | 33 | 171 | 0 | 204 | 273 |
| **योग** | **1,759** | **1,468** | **291** | **179** | **73** | **106** | **296** | **5** | **407** | **1,352** |

**स्रोतः विभाग के अभिलेख एवं अपर जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत जानकारी**

[63] मई 2015 (2014–15), मई 2017 (2016–17), जून 2018 (2017–18) एवं जुलाई 2019 (2018–19) में

लंबित प्रकरणों की अधिकतम प्रतिशतता होशंगाबाद जिले (60) और न्यूनतम प्रतिशतता इंदौर जिले (09) में थी।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:

- अपर जिला न्यायाधीश को खाद्य सुरक्षा एवं मानक से संबंधित न्याय निर्णयन के प्रकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। पूर्ण कालिक न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण प्रकरणों के निर्णय में विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप, जहाँ लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई, फैसला किए हुए न्याय निर्णित प्रकरणों की संख्या इनसे मेल नहीं खाती। 2014—19 के दौरान, अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय में 1,468 प्रकरणों में से 573 (39 प्रतिशत)[64] प्रकरण निर्णीत हुए।
- 2014—19 के दौरान परिणाम प्राप्त होने के बाद भी पाँच[65] जिलों के 52 प्रकरणों में अभियोजन प्रारंभ नहीं हुआ जिसमें से तीन[66] जिलों के 20 प्रकरण वर्ष 2014—18 से संबंधित थे।
- पाँच[67] जिलों में, मुख्य न्यायिक न्यायाधीश के न्यायालय में प्रारंभ हुए 217 प्रकरण फरवरी 2020 की स्थिति में लंबित थे और तीन जिलों ने आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। आगे, नमूना परीक्षित आठ जिलों में 2014—19 के दौरान प्रारंभ हुए 103 प्रकरण अभी तक लंबित थे।
- 2014—19 के दौरान, खाद्य विश्लेषक के प्रतिवेदन के अनुसार आठ[68] जिलों में 58 खाद्य नमूनें असुरक्षित पाए गए। खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के अनुसार, अभिहित अधिकारी ने तत्काल उनके लाइसेंस निरस्त या निलंबित नहीं किए। प्रकरण केवल मुख्य न्यायिक न्यायाधीश के न्यायालय में प्रारंभ किए गए जो लंबित थे।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि न्यायालयीन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे और कहा कि प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में सभी जिलों के न्यायनिर्णायक अधिकारियों (अपर जिला न्यायाधीशों) से विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी।

दण्डात्मक कार्रवाई के अभाव में लंबित अभियोजन प्रकरणों के कारण, खाद्य कारबार कर्ता खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के उल्लंघन के परिणामों के डर के बिना अपना कारबार जारी रखे हुए थे और असुरक्षित भोजन के उपभोग के कारण आमजनों की सुरक्षा से समझौता किया गया।

### *2.5.2 माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन*

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दुग्ध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट को रोकने से संबंधित रिट याचिका संख्या 159/2012 के विरूद्ध किये गये निर्णय (05 अगस्त 2016) पर निर्देश जारी किए थे। निर्णय पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई नीचे दी गई है:

---

64 भोपाल (82 प्रकरण, 7 से 28 माह), ग्वालियर (183 प्रकरण, 7 से 42 माह), होशंगाबाद (57 प्रकरण, 7 से 58 माह), इन्दौर (58 प्रकरण, 7 से 18 माह), खरगोन (35 प्रकरण, 7 से 15 माह), मुरैना (71 प्रकरण, 7 से 51 माह), सतना (20 प्रकरण, 7 से 35 माह) एवं उज्जैन (67 प्रकरण, 7 से 55 माह)

65 भोपाल (30), ग्वालियर (06), होशंगाबाद (05), सतना (02) और उज्जैन (09)

66 भोपाल (13), होशंगाबाद (04) और उज्जैन (03)

67 भोपाल (10), ग्वालियर (58), होशंगाबाद (50), इंदौर (51) और उज्जैन (48)

68 भोपाल (05), ग्वालियर (20), होशंगाबाद (07), इंदौर (04), खरगोन (01), मुरैना (09), सतना (03) और उज्जैन (09)

### *(i) शिकायत तंत्र का विकास करना*

माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया (अगस्त 2016) कि राज्य के विभाग को एक वेबसाइट स्थापित करनी चाहिए और शिकायत तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। शिकायतों को दर्ज करने के लिए वेबसाइट पर संयुक्त आयुक्त और खाद्य सुरक्षा आयुक्त का संपर्क विवरण उपलब्ध होना चाहिए। राज्य को टोल फ्री दूरभाष और ऑनलाइन शिकायत तंत्र बनाना भी आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि माननीय न्यायालय के निर्णय से पहले ही, राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति ने मुख्यमंत्री (सी.एम.) हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से, जो राज्य द्वारा एक शिकायत तंत्र के रूप में विकसित किया गया, शिकायत के मामले दर्ज करने का निर्णय (मार्च 2016) लिया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत प्राप्त मार्च 2019 से संबंधित सात प्रकरण खाद्य सुरक्षा आयुक्त के स्तर पर लंबित (फरवरी 2020 की स्थिति में) थे।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विकसित शिकायत पोर्टल आमजनों के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त शिकायत दर्ज कराने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा विकसित किए गए शिकायत तंत्र के अन्य स्रोत जैसे सीएम हेल्पलाइन, सीएम समाधान, डायल 104, सीएम जन अधिकार के साथ प्रशासकीय प्राधिकारियों के ई–मेल आईडी और दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार एक वेबसाईट स्थापित और संधारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, अपनाया गया टोल फ्री नम्बर सभी प्रकार के लोक शिकायतों के लिए उपयोग किया जाता था और माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विशिष्ट नहीं था।

### *(ii) स्पॉट परीक्षण किट का उपयोग*

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति ने निर्देशित किया (दिसम्बर 2016) कि दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के नमूने के स्पॉट परीक्षण के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) द्वारा विकसित रैपिड परीक्षण किट उपलब्ध कराई जाए। हालाँकि, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किट की आपूर्तिकर्ता कंपनी को मान्यता प्राप्त नहीं होने से किट प्रदान नहीं की जा सकी। आगे, उन कंपनियों से किट प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया जो अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को आपूर्ति कर रही थीं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा (फरवरी 2020) कि स्पॉट परीक्षण किट (मैजिक बॉक्स) उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को एक पत्र (अक्टूबर 2019) भेजा गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्पॉट परीक्षण के माध्यम से मिलावट की जाँच करने के माननीय न्यायालय के निर्देशों का अगस्त 2016 से पालन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों में यूरिया आधारित मिलावट जैसा कि राष्ट्रीय दुग्ध सर्वेक्षण और विभाग द्वारा आगे सितंबर 2018 और मार्च 2019 में किए गए विश्लेषण में इंगित किया गया।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से प्राप्त 51 मैजिक बॉक्सों को सभी जिलों में वितरित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ताओं को प्रदाय दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के लिए स्पॉट परीक्षण

किट उपलब्ध नहीं कराया। जो कि उत्तरदायी अधिकारियों के स्तर पर घोर लापरवाही को इंगित करता है।

### *2.5.3 अर्थदण्ड का अधिरोपण और वसूली*

खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 कहता है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड राशि न्यायनिर्णायक अधिकारी के पक्ष में आहरित डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा की जाएगी। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने अर्थदण्ड की राशि विभागीय राजस्व शीर्ष में जमा किए जाने हेतु निर्देशित किया (जनवरी 2013 और सितम्बर 2014) था।

लेखापरीक्षा ने अर्थदण्ड की वसूली में निम्नलिखित कमियाँ देखीः

- नमूना परीक्षित तीन जिलों (ग्वालियर, खरगोन और इंदौर) में अपर जिला न्यायाधीश ने 2014—19 के दौरान विभिन्न अवसरों पर निर्णय की तिथि से 30 दिवस के भीतर अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि जमा करने हेतु आदेशित किया था। अन्य पाँच जिलों में निर्णय के आदेश में ऐसा कोई विशिष्ट समय परिभाषित नहीं था। अधिनियम में निर्धारित समयसीमा के न होने से अपर जिला न्यायाधीशों ने अर्थदण्ड जमा करने के संबंध में भिन्न निर्देश जारी किए।

- खाद्य कारबार कर्ताओं द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा करने के तरीके में कोई एकरूपता नहीं थी। भोपाल और ग्वालियर जिलों में, अर्थदण्ड बैंक ड्राफ्ट द्वारा न्यायनिर्णायक अधिकारी के बैंक खाते में जमा किया गया। चार[69] जिलों में खाद्य कारबार कर्ताओं ने अर्थदण्ड की राशि शासकीय शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा की। होशंगाबाद और इंदौर दोनों जिले में 2014—19 के दौरान राशि चालान और बैंक ड्राफ्ट दोनों माध्यम से जमा की गई।

- अपर जिला न्यायाधीश और जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय द्वारा 2014—19 की अवधि के लिए अधिरोपित किए गए अर्थदण्ड **₹**5.53 करोड़ में से **₹**3.64 करोड़ की राशि खाद्य कारबार कर्ताओं द्वारा जमा नहीं की गई। ग्वालियर एवं खरगोन जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों में अभिहित अधिकारियों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दोषी खाद्य कारबार कर्ताओं के विरूद्ध राजस्व वसूली प्रमाणपत्र की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की। जिलेवार अर्थदण्ड अधिरोपण एवं संग्रहण का विवरण ***परिशिष्ट 2.14*** में दर्शाया गया है। भोपाल जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में अपील प्रकरणों और प्रकरणों के विरुद्ध निर्णय के विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

- 1,334 में से 648 प्रकरणों में, अर्थदण्ड का भुगतान नहीं करने की स्थिति में, भू—राजस्व बकाया के रूप में वसूली करने और खाद्य कारबार कर्ताओं का लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई अभिहित अधिकारी द्वारा नहीं की गई जैसा कि अधिनियम की धारा 96 में अपेक्षित है।

- तीन[70] जिलों में प्राप्त अर्थदण्ड की राशि **₹**1.65 करोड़ बैंक खातों में रखी गई थी और विभागीय राजस्व शीर्ष में जमा नहीं की गई जैसा कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने निर्देशित किया था।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा (जुलाई 2020) कि इस संबंध में सभी कलेक्टरों को त्वरित कार्रवाई के लिए पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे।

---

[69] खरगोन, मुरैना, सतना और उज्जैन

[70] भोपाल (₹42.78 लाख), ग्वालियर (₹37.63 लाख) और इंदौर (₹84.21 लाख)

## 2.6 निगरानी तंत्र

### *2.6.1 अपर्याप्त सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ*

केन्द्रीय सलाहकार समिति[71] ने अपनी आठवीं बैठक (जुलाई 2012) में सलाह दिया था कि खाद्य लाइसेंस शुल्क संग्रह का कम से कम 75 प्रतिशत सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाएगा। संग्रहित लाइसेंस फीस का उपयोग सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को आयोजित करने के लिए, खाद्य सुरक्षा पर 24x7 हेल्पलाइन, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों से संवाद के लिए वेब पेज बनाने में किया जा सकता था ।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत विभागीय जानकारी के अनुसार, राज्य में खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के लिए 2014–19 के दौरान ₹22.64 करोड़ संग्रहित हुए थे। लेकिन संग्रह किए गए लाइसेंस फीस की राशि का उपयोग सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं किया गया था। आगे, राज्य शासन ने सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए कोई नीति नहीं बनाई थी। इस प्रकार, केन्द्रीय सलाहकार समिति की सलाह का अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया था।

एम.पी. ऑनलाईन[72] अपनी सेवा प्रदान करने वाले केन्द्रों के माध्यम से लाइसेंस/पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान (सितम्बर 2013) कर रहा था। खाद्य सुरक्षा आयुक्त प्रशासन ने एम.पी. ऑनलाईन से वर्षवार संग्रहित राज्य लाइसेंस/पंजीयन फीस एवं विभागीय राजस्व शीर्ष में जमा की गई राशि की जानकारी प्राप्त नहीं की थी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि बजट आवंटन न होने से सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां नहीं की गई और राज्य शासन के निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगे, प्रमुख सचिव ने कहा (जुलाई 2020) कि जन जागरूकता और खाद्य कारबार कर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए लगातार प्रयास किए गए। संभाग स्तर पर सात नये चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का संचालन किया जाकर जन जागरूकता को और प्रभावी किया जा सकेगा।

### *2.6.2 निरीक्षण एवं नमूना लेने की रिपोर्टिंग*

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने फॉस्कोरिस[73] प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन नमूने लेने, निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए ₹28.44 लाख की लागत के 158 टेबलेट क्रय (जनवरी 2018) किए।

चयनित आठ जिलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पास उपलब्ध 38 में से 36 टेबलेट उपयोग योग्य स्थिति में थे और दो टेबलेट अक्रियाशील थे। ऑनलाइन कनेक्शन में त्रुटि के कारण फॉस्कोरिस प्रणाली के माध्यम से निरीक्षण कार्य असफल रहा।

विभाग ने भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण को प्रस्तुत (अप्रैल 2019) कार्रवाई के प्रतिवेदन में सूचित किया कि तकनीकी समस्याओं के कारण 2018–19 में फॉस्कोरिस प्रणाली के माध्यम से

---

[71] खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 11 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण की एक समिति। केन्द्रीय सलाहकार समिति खाद्य के क्षेत्र में कार्यरत प्रवर्तन एजेन्सीयों एवं संगठन और खाद्य प्राधिकारी के बीच सुसहयोग सुनिश्चित करती है।

[72] मध्यप्रदेश शासन और टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज लिमिटेड का संयुक्त उद्यम।

[73] भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा विकसित नियमित निरीक्षण और नमूना लेने के प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अनुपालन

निरीक्षण का कार्य नहीं किया गया। तथ्य है कि टेबलेट के माध्यम से ऑनलाईन निरीक्षण का कार्य नहीं किया गया और विभाग ने समस्याओं के सुधार के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त, रिपोर्टिंग के लिए पृथक प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित नहीं की गई।

परिणामस्वरूप, टेबलेट क्रय करने के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई और टेबलेट क्रय करने पर किया गया व्यय निरर्थक रहा।

आगे, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि फॉस्कोरिस के माध्यम से ऑनलाईन निरीक्षण का कार्य आरंभ कर दिया गया था और टेबलेट का प्रयोग विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्रस्तावित था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने फॉस्कोरिस के माध्यम से कैसे निरीक्षण किया गया जो कि तकनीकी समस्या के कारण रूक गया था, पर समुचित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। आगे निरीक्षण की अवधि निर्दिष्ट करते हुए किये गये निरीक्षणों की संख्या लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई।

### *2.6.3 विनिर्माताओं द्वारा विवरण प्रस्तुत करना*

प्रत्येक लाइसेंसधारी विनिर्माता और आयातक द्वारा प्रत्येक वर्ष के 31 मई को या उससे पहले वार्षिक विवरण और दुग्ध एवं/या दुग्ध उत्पादों के निर्माण में लगे लाइसेंसधारियों को अर्द्धवार्षिक विवरण लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करना खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 निर्धारित करता है। प्रत्येक वर्ष के 31 मई के बाद विवरण प्रस्तुत करने में कोई विलम्ब करने पर प्रतिदिन ₹100 का जुर्माना लगता है।

नमूना परीक्षित सात जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि लाइसेंसधारी विनिर्माता/ आयातक तथा दुग्ध एवं/या दुग्ध उत्पादों के निर्माण में लगे लाइसेंसधारियों ने निर्धारित विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। खरगोन जिले में लाइसेंसधारी विनिर्माता, दुग्ध एवं/दुग्ध उत्पादों के विनिर्माताओं ने अपना विवरण भौतिक रूप से जमा किया लेकिन प्रस्तुत किए गए विवरण का अभिलेख संधारित नहीं किया गया। नमूना परीक्षित सात[74] जिलों में दुग्ध/दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण में लगे 274 सहित 2,020 राज्य द्वारा जारी लाइसेंसधारी निर्माता थे। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों ने दोषियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। 13 खाद्य कारबार कर्ताओं के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि केवल तीन खाद्य कारबार कर्ताओं जिसमें दो केन्द्रीय लाइसेंसधारी (भोपाल और उज्जैन) तथा खरगोन जिले के एक राज्य लाइसेंसधारी शामिल थे, ने अपना विवरण प्रस्तुत किया।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एवं अभिलेखों को संधारित करने के लिए ऑनलाईन विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा प्रारंभ की गई है। विभाग ने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।

### *2.6.4 प्रतिवेदन में भिन्नता*

लेखापरीक्षा ने पाया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने प्रत्येक वर्ष जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वार्षिक प्रतिवेदन भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को प्रेषित किया। तथापि, विभाग ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को प्रतिवेदन प्रेषित करने से पूर्व जिलों द्वारा भेजे गए आँकड़ों की सत्यता की पुष्टि नहीं की। लेखापरीक्षा ने 2016–19 के दौरान लाइसेंस/पंजीयन के आँकड़े और नमूने लेने एवं विश्लेषण करने में भिन्नता देखी, जैसा कि **तालिका 2.16** में दिया गया है।

[74] भोपाल (151, 15), ग्वालियर (310, 37), होशंगाबाद (115, 13), इंदौर (1,077, 96), खरगोन (103, 17), मुरैना (148, 89) और सतना (116, 07)

**तालिका 2.16: लाइसेंस/पंजीयन के आँकड़े और नमूने लेने एवं विश्लेषण करने में भिन्नता**

(आँकड़े लाख में)

| वर्ष | वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार | | भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के आँकड़े अनुसार | | वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार | | प्रयोगशाला के अभिलेख के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य लाइसेंस की संख्या | पंजीयन की संख्या | राज्य लाइसेंस की संख्या | पंजीयन की संख्या | लिए गए नमूनों की संख्या | विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या | विश्लेषण के लिए प्राप्त नमूनों की संख्या | विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या |
| 2016–17 | 0.36 | 4.11 | 0.31 | 3.88 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| 2017–18 | 0.14 | 2.07 | 0.37 | 4.30 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| 2018–19 | 0.44 | 2.83 | 0.44 | 4.84 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |

**स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन, केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक पर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के आँकड़ें और राज्य खाद्य प्रयोगशाला**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वार्षिक प्रतिवेदन में बताए गए लाइसेंस/पंजीयन की संख्या 2016–17 में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के आँकड़ों से अधिक थी। 2017–18 और 2018–19 के वर्षों में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के आँकड़ों की तुलना में कम संख्या सूचित की गई थी। इसके अलावा लिए गए नमूनों की संख्या और प्रयोगशाला में प्राप्त नमूनों की संख्या और विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या में बहुत भिन्नता थी।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा (फरवरी 2020) कि वार्षिक प्रतिवेदन को जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संकलित किया गया था। भिन्नता के कारणों का पता लगाने के लिए जिलों और राज्य खाद्य प्रयोगशाला को स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित किया जाएगा। इसके अलावा, केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक में विचार विमर्श किया गया और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से सुधार के लिए अनुरोध किया जा रहा था। आगे, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को खाद्य कारबार कर्ताओं की श्रेणी के लिए लाइसेंस/पंजीकरण के संबंध में खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रणाली सॉफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटि में सुधार के लिए सूचित किया गया था।

## 2.7 निष्कर्ष

*खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य के उत्पादन, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं आयात को नियंत्रित करता है। इसके क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि मौजूदा विधिक ढाँचा में कमी थी क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने फरवरी 2020 तक अपीलीय एवं गंभीर प्रकरणों के क्रमशः जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित रहने में वृद्धि के बावजूद पृथक खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण एवं अपराधों की सुनवाई के लिए पृथक विशेष या साधारण न्यायालयों की स्थापना नहीं की जैसा कि अधिनियम/नियमों के तहत आवश्यक था। प्रशासकीय तंत्र में भी कमी थी क्योंकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक खाद्य सुरक्षा, आयुक्त, अभिहित अधिकारियों इत्यादि सहित सभी महत्वपूर्ण पद अतिरिक्त प्रभार के रूप में धारित किए गये थे। आगे विभिन्न स्तरों पर मानव शक्ति की 61 प्रतिशत की कमी ने विभाग के सर्वेक्षण करने, खाद्य कारबार कर्ताओं का निरीक्षण करने को प्रभावित किया; जो अधिनियम के अनुपालन की*

*सुनिश्चितता के लिए महत्वपूर्ण था। विभाग अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि ₹3.64 करोड़ की वसूली सुनिश्चित नहीं कर सका और दोषी खाद्य कारबार कर्ताओं के विरूद्ध राजस्व वसूली प्रमाणपत्र की कार्यवाही भी आरंभ नहीं कर सका। अन्य मुद्दे, खाद्य कारबार कर्ताओं का डाटाबेस संधारित नहीं करना, लाइसेंस/पंजीयन के आवेदन का लंबित रहना, उचित मूल्य की दुकानों, मदिरा दुकानों के कारबार कर्ताओं द्वारा बिना लाइसेंस के संचालन किया जाना, कम संख्या में नियामक नमूने लिया जाना एवं विश्लेषण किया जाना तथा निगरानी नमूनों के विश्लेषण में कमी देखी गई। खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य के लिए एक मजबूत परीक्षण की आधारिक संरचना का होना स्वभाविक है। तथापि, राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल को सूक्ष्मजैविकी सम्बन्धी परीक्षण के लिए पूरी तरह उन्नयित नहीं किया गया और इंदौर एवं उज्जैन की खाद्य प्रयोगशालाओं का उन्नयन भी नहीं किया गया जिसने खाद्य विश्लेषण के कार्य को प्रभावित किया। विभाग ने राज्य के तीन स्थानों पर लेवल 2 के खाद्य प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिले स्तर पर अभिहित अधिकारियों ने वैधता समाप्त हो चुके लाइसेंस/पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीयन प्रणाली सॉफ्टवेयर से दोषी कारबार कर्ताओं की सूची नहीं निकाली।*

## *2.8 अनुशंसाएं*

**i.** राज्य शासन को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति/जिला स्तरीय स्टेयरिंग समिति को शीघ्र पुनर्गठित करने और उनकी अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है जैसा कि अधिनियम/नियमों इत्यादि में अभिप्रेत है।

**ii.** विभाग को विभिन्न रिपोर्टिंग स्तरों पर रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए सेवा नियमावली तैयार करने की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और आवश्यक पदों के सृजन के लिए शासन से अनुमोदन लेना चाहिए।

**iii.** विभाग को सभी औद्योगिक इकाईयों के सर्वेक्षण एवं सभी खाद्य कारबार कर्ताओं को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के दायरे में लाने के लिए तत्काल कार्रवाई आरम्भ करनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का सतर्कतापूर्वक अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए खाद्य कारबार कर्ताओं के नियमित निरीक्षण करने हेतु एक तंत्र गठित करना चाहिए।

**iv.** विभाग को खाद्य कारबार कर्ताओं के कवरेज को बढ़ाने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों/नगर पालिक निगमों, श्रम विभाग, उद्योगों और मूल्य वर्धित कर/वस्तु एवं सेवाकर विभागों आदि द्वारा संधारित डेटाबेस तक पहुँच कर उसका उपयोग करना चाहिए।

**v.** राज्य शासन को संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष सहित एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करने की आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करे कि विभिन्न विभागों के अंतर्गत कार्यशील सभी खाद्य कारबार कर्ता लाइसेंस/पंजीयन जारी होने के बाद ही कार्य करें।

**vi.** खाद्य नमूनों की बढ़ी हुई संख्याओं के विश्लेषण हेतु सक्षम बनाने के लिये, राज्य शासन को इंदौर और उज्जैन में खाद्य प्रयोगशालाओं को उन्नत करने तथा लेवल 2 की खाद्य प्रयोगशालाओं को पर्याप्त संख्या में सृजित करने की आवश्यकता है। इन्हें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नमूने लेने के लक्ष्यों में वृद्धि करनी चाहिए और इस संबंध में उनका अनुपालन भी सुनिश्चित करना चाहिए।

**vii.** विभाग को अपील, कारावास एवं अन्य गंभीर प्रकरणों पर राज्यव्यापी जानकारी का संकलन एवं उसकी समीक्षा करनी चाहिए तथा प्रकरणों की अर्धवार्षिक या वार्षिक समीक्षा के आधार पर

अधिनियम की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पृथक अपील अधिकरणों, विशेष एवं साधारण न्यायालयों का गठन भी करना चाहिए।

**viii.** विभाग को संबंधित अधिकारी जो दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के परीक्षण हेतु स्पॉट परीक्षण किट की आपूर्ति करने में असफल रहे, के ऊपर उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।

**ix.** विभाग को अपर जिला न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक न्यायाधीश न्यायालयों में लंबित प्रकरणों पर ध्यान देना चाहिए और न्यायालयों द्वारा अधिरोपित अर्थदंड जमा ना करने वाले खाद्य कारबार कर्ताओं के विरूद्ध राजस्व वसूली प्रमाणपत्र कार्यवाही के माध्यम से अर्थदंडों की वसूली के लिए कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए या उनका लाइसेंस निलंबित करना चाहिए।

# अध्याय – III
# अनुपालन लेखापरीक्षा

- खेल अधोसंरचना का निर्माण, संधारण और उपयोग
- गृह (पुलिस) विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन
- लेखापरीक्षा कंडिकाएं

# अध्याय–III: अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र मूल्यांकन है कि क्या दी गई विषयवस्तु (क्रियाकलाप, वित्तीय अथवा गैर–वित्तीय लेन–देन, इकाई अथवा इकाईयों के समूह के संबंध में जानकारी) सभी महत्वपूर्ण मामलों में लागू विधियों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं आदि और दृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को शासित करने वाले सामान्य सिद्धान्तों एवं शासकीय कार्मिकों के आचरण का अनुपालन करता है।

मध्य प्रदेश शासन के विभागों, उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ ही इन विभागों के अन्तर्गत क्रियाशील स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा में, लागू नियमों, संहिताओं एवं क्रियाविधियों का अनुपालन न होना, सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में कमी तथा औचित्य के मानकों के पालन में विफलता के उदाहरण सामने आए हैं। इस संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों को आगामी कंडिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

## खेल और युवा कल्याण विभाग

## 3.1 खेल अधोसंरचना का निर्माण, संधारण और उपयोग

### 3.1.1 प्रस्तावना

खेल और युवा कल्याण विभाग (डी.एस.वाई.डब्ल्यू.), राज्य में खेल अधोसंरचना के निर्माण, संधारण और उपयोग के लिए जिम्मेदार है। अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.)/प्रमुख सचिव (पी.एस.) खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं और राज्य में खेल के विकास के लिए नीति निर्माण हेतु जिम्मेदार हैं। भोपाल में संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग खेल नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं और इस कार्य में उन्हें दो संयुक्त निदेशकों (अधोसंरचना और प्रशासन), चार उप निदेशकों और एक प्रशासनिक अधिकारी, जो कि संभाग/जिला स्तर पर खेल अधोसंरचना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राज्य में इकाई स्तर पर नीतियों के क्रियान्वयन के लिए 51 जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी (डी.एस.ओ.) हैं।

### 3.1.2 खेल नीति 2005

राज्य में खेलों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 2005 में मध्य प्रदेश शासन ने एक खेल नीति तैयार की थी। खेल नीति, 2005 की प्रमुख विशेषताओं में, अन्य बातों के साथ–साथ, अधोसंरचना का विकास, युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उनका प्रशिक्षण, चिन्हित किए गए खेलों को बढ़ावा देना, शिक्षा और खेल के बीच समन्वय आदि शामिल है।

### 3.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

खेल और युवा कल्याण विभाग की लेखापरीक्षा राज्य में खेल अधोसंरचना के निर्माण के विस्तार और उसके संधारण व उपयोग की प्रभावशीलता, जैसा कि खेल नीति 2005 में परिकल्पित था के आकलन के उद्देश्य से जनवरी 2020 में की गई।

### 3.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त मानदंडों पर आधारित किये गये:

क. मध्य प्रदेश खेल नीति, 2005;

ख. खेल और युवा कल्याण विभाग के मार्च 2017 के स्टेडियम अधोसंरचना दिशा निर्देश;

ग. मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता (एम.पी.एफ.सी.); और

घ . शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेश, परिपत्र, दिशानिर्देश।

## 3.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में पाँच वर्ष की अवधि 2014–19 के दौरान खेल अधोसंरचना के निर्माण, संधारण और उपयोग से संबंधित विभागीय गतिविधियों को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में भोपाल के अपर मुख्य सचिव के कार्यालय और संचालनालय तथा स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना विधि द्वारा चयनित विभाग के छः[75] जिला कार्यालयों में संबंधित अभिलेखो की जाँच शामिल थी इसके अतिरिक्त, एक[76] जिला कार्यालय का चयन विभाग के अनुरोध पर किया गया था।

चयनित जिलों में क्रियान्वयन एजेंसियों जैसे परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों (पी.आई.यू.), राजधानी परियोजना प्रशासन (सी.पी.ए.), ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं (आर.ई.एस.), लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम (एम.पी.एल.यू.एन.) के अभिलेखों की जाँच भी लेखापरीक्षा में की गई और विभागीय प्रतिनिधियों के साथ नमूना चयनित अधोसंरचना सुविधाओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया।

अपर मुख्य सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग के साथ दिसंबर 2019 में प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। विभाग को प्रारूप प्रतिवेदन मई 2020 में जारी किया गया और प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय जून 2020 में प्राप्त लिखित उत्तर पर यथोचित विचार किया गया। निर्गम सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया क्योंकि प्रमुख सचिव ने कई स्मरण–पत्रों के बावजूद निर्गम सम्मेलन की तारीख नहीं दी।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## 3.1.6 योजना

मार्च 2019 के अंत तक, राज्य में 11 खेल परिसर, 23 मिनी स्टेडियम, 10 खेल के मैदान, 11 इनडोर हॉल और 19 खेल प्रशिक्षण केंद्र थे। पाँच–वर्ष की अवधि 2014–19 के दौरान, लेखापरीक्षा के लिए चयनित सात जिलों में शासन ने 44 कार्यों को (जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1.1*** में वर्णित है) निष्पादित किया। खेल अधोसंरचना के निर्माण की योजना के संबंध में लेखापरीक्षा प्रेक्षण नीचे दिया गया हैं:

### *3.1.6.1 गांवों में खेल मैदानों का विकास*

खेल नीति 2005 के अनुसार, शासन ने अगले पाँच वर्षों में प्रत्येक गाँव में एक खेल मैदान के विकास की परिकल्पना की थी, जिसमें ग्रामीण खेल जैसे वॉलीबॉल, कबड्डी, खो–खो और कुश्ती खेली जा सके। इसका मतलब था कि पाँच वर्ष की अवधि में 54,903[77] खेल मैदानों का विकास होता और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन और भूमि के अधिग्रहण का प्रावधान शामिल होना था।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि शासन 2005–2019 की पंद्रह वर्ष की अवधि में केवल 253 खेल मैदानों का निर्माण कर सकी और ग्रामीण युवा केंद्रों के लिए 244 समन्वयकों को भर्ती किया। इस पर कुल व्यय ₹63.59 लाख हुआ था।

---

[75] भोपाल, दमोह, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर एवं शिवपुरी

[76] मंदसौर

[77] राज्य में गाँवों की कुल संख्या हैं

लेखापरीक्षा दल की विशेष मांग के बावजूद, विभाग साक्ष्य के लिए प्रासंगिक योजना दस्तावेज प्रदान नहीं कर सका कि उसने खेल नीति में परिकल्पित उद्देश्यों को लागू करने के लिए सुव्यवस्थित रूप से पर्याप्त योजना तैयार की थी।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में, प्रमुख सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग ने बताया (जून 2020) कि गांवों में खेल मैदानों का निर्माण सीमित बजट, जिलों में निचले स्तर पर स्वीकृत मानव शक्ति की कमी और चूंकि गांवों में खेल गतिविधियों का संचालन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.डी.) के दायरे में है के कारण रोक दिया गया।

प्रमुख सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने 2014–19 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग नहीं किया था। 2014–19 के दौरान ₹997.59 करोड़ के कुल बजटीय आवंटन में से, खेल और युवा कल्याण विभाग केवल ₹774.34 करोड़ का उपयोग, 13 से 41 प्रतिशत की बचत के साथ कर सका। जबकि खेल अधोसंरचना को बढ़ाने के लिए विभाग उपलब्ध निधि का उपयोग कर सकता था, विभाग ने कहा कि आवंटन के विरुद्ध 59.27 – 78.06 प्रतिशत का उपयोग संतोषजनक था।

स्पष्ट रूप से, विभाग ने खेल नीति 2005 में उल्लिखित उद्देश्यों को लागू करने के लिए पर्याप्त और उचित प्रयास नहीं किए थे, अथवा पाँच वर्ष के भीतर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीति ही अवास्तविक थी।

## 3.1.7 खेल अधोसंरचना का निर्माण

### *3.1.7.1 खेल सुविधाओं के निर्माण के लिए आवश्यकताओं का आंकलन*

सात चयनित जिला खेल कार्यालयों (डी.एस.ओ.) की लेखापरीक्षा जाँच से दर्शित हुआ कि 2014–19 के दौरान, विभाग ने 44 कार्यों[78], जिनकी लागत ₹50.50 करोड़ ***(परिशिष्ट–3.1.1)*** थी, का निष्पादन यादृच्छिक आधार पर किया जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है:

(क) खेल और युवा कल्याण विभाग ने किसी भी तरह की आवश्यकता के आंकलन, सर्वेक्षण या जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों से प्रस्तावों के बिना तीन जिलों में 26 कार्यों[79] जिनमे मिनी स्टेडियम, खेल परिसर, इंडोर हॉल, खेल प्रशिक्षण केंद्र, हॉकी स्टेडियम और एस्ट्रो टर्फ शामिल है, का निष्पादन किया।

(ख) विभाग ने जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों के प्रस्तावों के आधार पर पाँच[80] जिलों में 13 कार्यों[81] का निष्पादन किया। तथापि, अधोसंरचना के निर्माण के लिए जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा दिये गए औचित्य से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए, जो प्रस्ताव जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों द्वारा विभाग को भेजे गए थे, वे बिना किसी आधार या उपयुक्तता के थे।

यद्यपि, जन प्रतिनिधियों ने समुदाय की आवश्यकता से अवगत कराया परंतु सामान्य तौर पर विभाग ने अपने स्तर पर आवश्यकताओं का आंकलन नहीं किया हैं।

---

78 17 नवीन अधोसंरचना कार्य और 27 कार्य पूर्व निर्मित अधोसंरचना में।

79 पाँच नवीन अधोसंरचना कार्य और 21 कार्य पूर्व निर्मित अधोसंरचना में।

80 भोपाल–4, शिवपुरी–3, जबलपुर–4, मंदसौर–1, होशंगाबाद–1

81 सात नवीन अधोसंरचना कार्य और छः कार्य पूर्व निर्मित अधोसंरचना में।

उत्तर में प्रमुख सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि जिन स्थानों पर स्थानीय प्रशासन द्वारा उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई गई थी, स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर दी गई थी और स्टेडियम/खेल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया गया। लेखापरीक्षित जिलों के जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों ने पुष्टि की कि जिला स्तर पर निर्माण कार्य बिना किसी सर्वेक्षण के किए गए थे।

भूमि की उपलब्धता खेल अधोसंरचना के विकास का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता एवं विभाग द्वारा अधिक व्यापक रूप से आवश्यकताओं का आंकलन किया जाना चाहिए था।

### 3.1.7.2 *खेल अधोसंरचना का असमान वितरण*

खेल नीति, 2005 ने विभिन्न जिलों में खेल परिसरों के विकास को विनिर्दिष्ट किया है जहाँ ऐसी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं।

### जिलों में खेल अधोसंरचना

जनवरी 2020 तक, 52 जिलों में से केवल 27 में खेल विभाग द्वारा निर्मित खेल अधोसंरचना थी। शेष 25 जिलों (48 प्रतिशत) में खेल नीति 2005 की घोषणा के 15 वर्षों बाद भी कोई खेल अधोसंरचना नहीं थी। 27 जिलों में उपलब्ध अधोसंरचना के प्रकार का विवरण ***परिशिष्ट* 3.1.2** में है।

राज्य में जनसंख्या की तुलना में खेल अधोसंरचना की उपलब्धता का जिलावार विवरण ***परिशिष्ट 3.1.3*** में दिया गया है। 27 जिलों में जहाँ खेल अधोसंरचना उपलब्ध थी, में से छः जिलों (भोपाल–5, सीहोर–6, जबलपुर–6, सागर–12, दमोह–6 और पन्ना–4) में 53 प्रतिशत अधोसंरचना थी, और शेष 21 जिलों में केवल 47 प्रतिशत अधोसंरचना थी। यह दर्शाता है कि राज्य में खेल अधोसंरचना की उपलब्धता असमान थी और ज्यादातर राजधानी शहर और राज्य के मध्य और पूर्वी जिलों के कुछ अन्य शहरों तक ही सीमित थी।

खेल अधोसंरचना की उपलब्धता में असंतुलन का कारण स्पष्ट रोडमैप और आवश्यक आंकलन के बिना किया गया अनियोजित विकास प्रतीत होता है।

उत्तर में, प्रमुख सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि खेल विभाग या मध्य प्रदेश शासन के अन्य विभागों द्वारा निर्मित खेल अधोसंरचना 51 जिलों में से 50 (निवाड़ी को छोड़कर) में उपलब्ध हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कर सका जो दर्शाता हो कि अन्य विभागों जैसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय और आवास, स्कूल शिक्षा ने जिलों में कोई खेल संबंधी अधोसंरचना का विकास किया था।

### 3.1.7.3 *आदिवासी बहुल जिलों में खेल अकादमी का निर्माण नहीं होना एवं आदिवासियों की निधि का विचलन*

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एन.ए.सी.) ने राज्य में सभी विभागों में जनजातीय जनसंख्या के अनुपात के बराबर बजट आवंटन की सिफारिश (दिसंबर 2011) की थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.), भारत सरकार ने भी योजनाओं/कार्यक्रमों के घटकों जिससे सीधे अनुसूचित जनजाति लाभान्वित होते हो को शामिल करने की सिफारिश (अगस्त 2012) की थी। मध्य प्रदेश शासन की खेल नीति, 2005 ने भी जनजातीय लोगों की छिपी प्रतिभा को पहचानने और उनका पता लगाने पर जोर दिया था।

विभाग ने 2014–19 की अवधि के दौरान खेल अकादमियों की स्थापना के लिए ₹36.41 करोड़ व्यय किए थे, जैसा कि नीचे **चार्ट 3.1.1** में दिया गया है:

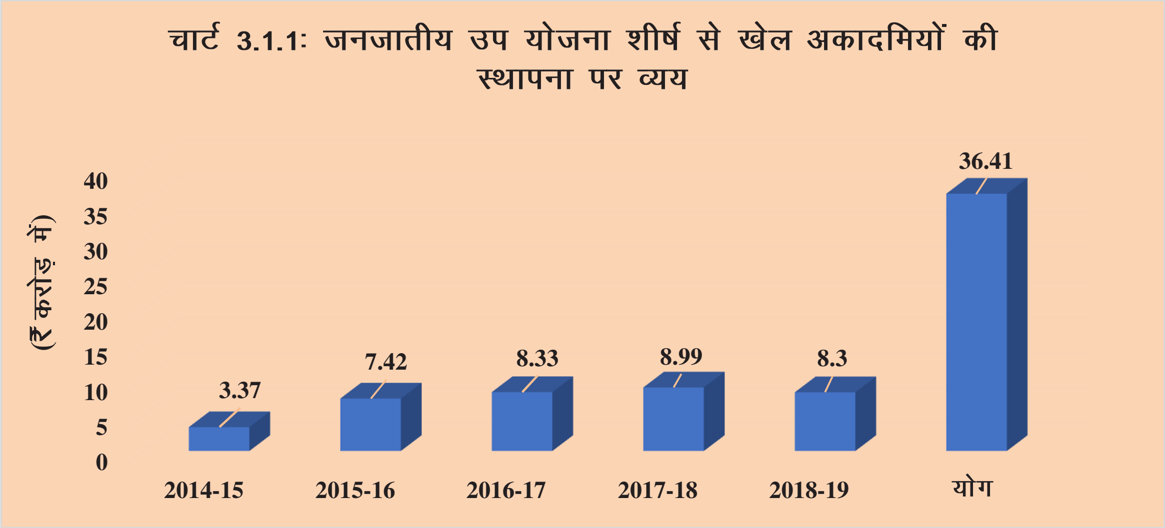


**स्रोत: खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी**

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 50 जिलों में कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) से संबंधित है। इसके अलावा, 50 में से 15 जिलों में, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 33 से 89 प्रतिशत के बीच थी। यद्यपि, विभाग ने 18 खेल अकादमियों, जिनका निर्माण मार्च 2019 तक किया गया, में से किसी की भी आदिवासी बहुल जिलों में स्थापना नहीं की। विभाग ने राजधानी भोपाल में 13 खेल अकादमियों (70 प्रतिशत से अधिक) और शेष 30 प्रतिशत अकादमियों को चार जिलों (दो ग्वालियर, एक–एक शिवपुरी, होशंगाबाद और जबलपुर) में स्थापित किया।

विभाग को अपनी नीति के अनुसार, स्थानीय आदिवासी आबादी की प्रतिभा का पता लगाने के लिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आवश्यक खेल सुविधाओं/खेल अकादमियों की स्थापना करनी चाहिए थी। इसके बजाय, विभाग ने गैर–आदिवासी बहुल जिलों में खेल अधोसंरचना स्थापित करने के लिए आदिवासी उप योजना निधि का विचलन किया, जो कि आदिवासी आबादी के बीच खेल प्रतिभाओं का पता लगाने एवं विकास हेतु खेल अधोसंरचना के विकास के प्रति उसके उदासीन रवैये की बहुतायतता को दर्शाता है।

उत्तर में, प्रमुख सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि खेल अकादमियों के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, नियमित पर्यवेक्षण और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना अनिवार्य है और इसी कारण, खेल अकादमियों की स्थापना राज्य की राजधानी में की गई। प्रमुख सचिव ने आगे कहा कि, खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रशिक्षक नियुक्त किए गए थे, जो आदिवासी/दूरस्थ क्षेत्रों में जाना पसंद नहीं करते हैं।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने शिवपुरी और होशंगाबाद आदि जैसे छोटे जिलों में भी खेल अधोसंरचना विकसित की है। आगे, पर्यवेक्षक अधिकारी जैसे कि जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी पहले से ही जिलों में उपलब्ध हैं और पर्यवेक्षण तथा निगरानी को उच्च अधिकारियों के आवधिक क्षेत्र भ्रमण से सुनिश्चित किया जा सकता है। खेल नीति तैयार करते समय विभाग को उल्लेखित बाधाओं के बारे में पता था और इन बाधाओ को दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए थे जिससे आदिवासी क्षेत्रों में खेलों को गति मिले।

### *3.1.7.4 खेल अधोसंरचना का निर्माण*

2014–19 के दौरान, विभाग ने राज्य क्रियान्वयन इकाईयों जैसे कि परियोजना क्रियान्वयन इकाई, राजधानी परियोजना प्रशासन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, लोक निर्माण विभाग और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से राज्य में ₹166.15 करोड़ की स्वीकृत लागत पर 326 कार्यों का निष्पादन किया। कार्यों की स्थिति नीचे **तालिका 3.1.1** में दी गई है:

**तालिका 3.1.1: खेल विभाग के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों की जनवरी 2020 में स्थिति**

**(₹ करोड़ में)**

| क्रियान्वयन एजेंसी का नाम | एजेंसी को आवंटित कार्यों की संख्या | पूर्ण कार्य | | अपूर्ण कार्य | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| परियोजना क्रियान्वयन इकाई | 59 | 40 | 50.78 | 15 | 9.50 |
| राजधानी परियोजना प्रशासन | 20 | 19 | 1.33 | 01 | 6.70 |
| लोक निर्माण विभाग | 13 | 08 | 1.16 | 04 | 0.02 |
| ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं | 02 | 01 | 0.17 | 01 | 0.35 |
| लघु उद्योग निगम | 232 | 232 | 41.88 | – | – |
| **कुल** | **326** | **300** | **95.32** | **21** | **16.57** |

**स्रोतः कार्य निष्पादन करने वाली एजेंसियों से प्राप्त जानकारी**

लेखापरीक्षा ने सात चयनित जिलों में 326 में से 44 (₹50.50 करोड़) कार्यों की जांच किया और 44 कार्यों में से ₹22.25 करोड़ लागत वाले 17 कार्यों में चार से 37 महीने का विलम्ब देखा (***परिशिष्ट 3.1.4***)। आगे, निर्माण कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कमियों को भी देखा गया:

i. विभाग ने विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति देते समय कार्यों को पूर्ण करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की।

ii. विभाग ने क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ अनुबंध करते समय कार्यों को पूर्ण करने हेतु क्षतिपूर्ति, शास्ति या जुर्माना आदि के उपखंड को शामिल नहीं किया।

iii. विभाग ने कार्यों में शीघ्रता अथवा गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए प्रगति रिपोर्ट और समीक्षा बैठकों जैसी कोई क्रियाविधि को भी स्थापित नहीं किया।

iv. क्रियान्वयन एजेंसियों ने उनके संबंधित विभागीय नियमावली/दिशानिर्देशों के आधार पर समयसीमाए निर्धारित की। खेल विभाग की ओर से समयसीमाओं और समीक्षा के अभाव में, क्रियान्वयन एजेंसियों ने कार्यों को पूर्ण करने में अपना समय लिया जिसके कारण कुछ प्रकरणों में विलम्ब और अमानक गुणवत्ता वाले कार्य हुए।

विलम्ब और उसके कारणों के कुछ उदाहरणात्मक दृष्टांत **तालिका 3.1.2** से **तालिका 3.1.6** में दर्शाए गए हैं:

**तालिका 3.1.2: प्रशासनिक स्वीकृति (ए.ए.) जारी होने में विलम्ब**

| कार्य और क्रियान्वयन एजेंसी का नाम | अनुमोदित लागत | पूर्ण होने हेतु निर्धारित दिनांक | स्थिति | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| स्टेडियम का निर्माण, इटारसी (परियोजना क्रियान्वयन इकाई) | ₹662.42 लाख (अक्टूबर–2015) | 04.10.2017 | कार्य दिसंबर 2018 में 14 माह के विलम्ब के साथ पूर्ण किया गया था और इस कार्य पर वास्तविक व्यय ₹630.47 लाख था। | परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने प्रशासनिक अनुमोदन जारी करने के लिए विभाग को ₹384.47 लाख की तकनीकी स्वीकृति (जून 2013) प्रस्तुत की लेकिन परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा बार–बार अनुरोध के बावजूद विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की।<br>दरों की अनुसूची में संशोधन (अगस्त 2014) के कारण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने ₹662.42 लाख की संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी (अक्टूबर 2015) की और विभाग ने अंततः पहली तकनीकी स्वीकृति से 30 माह विलम्ब के बाद जनवरी 2016 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इस प्रकार, दरों की अनुसूची में संशोधन के कारण विभाग को परिहार्य लागत वृद्धि ₹246 लाख का वहन करना पड़ा। |

**तालिका 3.1.3: खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा निधि जारी नहीं करने के कारण विलंब**

| कार्य और क्रियान्वयन एजेंसी का नाम | अनुमोदित लागत | पूर्ण होने हेतु निर्धारित दिनांक | स्थिति | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| गोटेगांव, नरसिंहपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण (परियोजना क्रियान्वयन इकाई) | ₹95.40 लाख (मार्च 2012) | 15.11.2013 | कार्य दिसंबर 2016 में कुल 37 माह के विलम्ब के साथ पूर्ण हुआ। | विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई को समय पर निधि जारी करने में विफल रहा। परियोजना क्रियान्वयन इकाई को दूसरी किस्त (मार्च 2015) प्रदान करने में 36 माह का विलम्ब हुआ था, जिसके कारण कार्य बाधित हुआ था ।<br>जैसा कि पर्यवेक्षण और गुणवत्ता |

| कार्य और क्रियान्वयन एजेंसी का नाम | अनुमोदित लागत | पूर्ण होने हेतु निर्धारित दिनांक | स्थिति | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| | | | | नियंत्रण मॉनिटर द्वारा देखा गया कि प्लिंथ बीम के लिए सेंट्रिंग में और ठेकेदार द्वारा किए गए स्टील के अमानक कार्यों के संबंध में की गई किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं पाया गया था। |
| मंदसौर में मिनी खेल परिसर का निर्माण (नगर पालिका परिषद) | ₹40.00 लाख (मार्च 2011) | 30.06.2014 | कार्य जून 2017 में 35 माह के विलम्ब के साथ पूर्ण हुआ।<br>इसे विभाग को नहीं सौंपा जा सका था लेकिन जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी को पूर्ण कार्य नहीं सौंपे जाने के कारण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। | मार्च 2011 में विभाग द्वारा पहली किस्त जारी करने के पश्चात, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी तथा कलेक्टर के बार–बार अनुरोध के बावजूद विभाग द्वारा अगली किस्तें अत्यधिक विलम्ब (नवंबर 2014 और मई 2018) से जारी की गईं। |
| रानीताल खेल परिसर, जबलपुर में सिंथेटिक हॉकी मैदान का निर्माण (परियोजना क्रियान्वयन इकाई) | ₹481.38 लाख (मई 2012) | 31.03.2013 | सिंथेटिक हॉकी मैदान बिछाने का काम अक्टूबर 2017 में साढ़े चार वर्ष के विलम्ब के साथ पूर्ण हुआ। | सिंथेटिक हॉकी मैदान का स्थान उचित नहीं था क्योंकि यह भू–सतह से दो मीटर नीचे था। इसलिए, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर ने भूमि के भराव और दो गेटों के निर्माण के साथ–साथ चाहरदीवारी निर्माण पर भारत सरकार (शहरी खेल अधोसंरचना योजना के अंर्तगत) से प्राप्त राशि से निर्माण पर ₹156.67 लाख व्यय किया, जो कि सिंथेटिक हॉकी मैदान बिछाने के लिए था।<br>सिंथेटिक हॉकी मैदान बिछाने का कार्य एजेंसी द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा धनराशि की भरपाई के बाद ही पूरा किया जा सका। विभाग एजेंसी को समय पर धनराशि प्रतिपूर्ति करने में विफल रहा। |

**तालिका 3.1.4: त्रुटिपूर्ण स्थल चयन के कारण कार्य प्रारंभ नहीं होना**

| कार्य और क्रियान्वयन एजेंसी का नाम | अनुमोदित लागत | पूर्ण होने हेतु निर्धारित दिनांक | स्थिति | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| सिंथेटिक हॉकी मैदान का निर्माण, इंदौर (परियोजना क्रियान्वयन इकाई) | ₹518.58 लाख अगस्त 2016 में (प्रशासनिक स्वीकृति) | –– | अतिक्रमण के कारण चयनित स्थल उचित नहीं पाया गया, जिसके कारण उक्त कार्य के लिए एक अन्य स्थल (अरण्य नगर) का चयन (दिसंबर, 2017) किया गया था, लेकिन नगर निगम, इंदौर द्वारा जारी सशर्त एन.ओ.सी. के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप, कार्य 43 माह के व्यतीत होने के बावजूद शुरू (मार्च 2020) नहीं हो सका। | स्टेडियम नीति 2015 के प्रावधानों के उल्लंघन में, विभाग ने भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना निर्माण कार्य की योजना बनाई, जिसके परिणामस्वरूप, कार्य शुरू नहीं हो सका। |
| बरोद, श्योपुर में स्टेडियम का निर्माण, (मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम) | ₹159.86 लाख सितम्बर 2016 में (प्रशासनिक स्वीकृति) | –– | तकनीकी स्वीकृति (सितंबर 2014) से तीन साल व्यतीत होने के बाद मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, आर्किटेक्ट और जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, श्योपुर द्वारा आवंटित भूमि का निरीक्षण (मई 2017) संयुक्त रूप से किया गया था। यह पाया गया कि भूखंड भू–स्तर से चार से पाँच फीट नीचे और नदी की धारा की दिशा में स्थित है जो स्टेडियम निर्माण के लिए अनुपयुक्त था तथा कलेक्टर, बरोद तीन किलोमीटर के दायरे में आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने में असमर्थ थे। इसलिए, प्रशासनिक स्वीकृति के 37 माह व्यतीत होने बाद भी कार्य शुरू नहीं किया जा सका (अक्टूबर 2019)। आगे, क्रियान्वयन एजेंसी को कार्य के लिए आवंटित ₹68.64 लाख की राशि अवरुद्ध है। | |

**तालिका 3.1.5: ठेकेदार को ड्राइंग, डिजाइन और ले–आउट प्रदाय करने में विलंब**

| कार्य और क्रियान्वयन एजेंसी का नाम | अनुमोदित लागत | पूर्ण होने हेतु निर्धारित दिनांक | स्थिति | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी भोपाल की हाई बुलेट प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल (मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम) | ₹92.10 लाख (मार्च 2015) | 04.05.2016 | कार्य 30 माह के विलम्ब के साथ 17.11.2018 को पूर्ण हुआ। | कार्य पूर्ण करने के लिए निर्धारित समयसीमा छः महीने थी लेकिन मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के उप ठेकेदार ने इसे 30 माह के विलम्ब के साथ पूर्ण किया जिसमें से 20 माह का विलम्ब मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा निर्माण के लिए लेआउट विलम्ब से प्रदाय करने के कारण हुआ। |
| इंडोर हॉल शिवपुरी (परियोजना क्रियान्वयन इकाई) | ₹97.61 लाख (अप्रैल 2018) | 07.04.2019 | कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है | बार–बार अनुरोध के बावजूद परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने ठेकेदार को डिजाइन, ड्राइंग और लेआउट प्रदान नहीं किया, जिसके कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका और अक्टूबर 2020 तक 18 माह का विलम्ब हुआ। |
| इंडोर हॉल, बैराड, शिवपुरी (परियोजना क्रियान्वयन इकाई) | ₹91.49 लाख (अप्रैल 2018) | 07.04.2019 | कार्य 14 माह के विलम्ब के साथ 30.06.2020 को पूर्ण हुआ। | बार–बार अनुरोध के बावजूद परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने ठेकेदार को डिजाइन, ड्राइंग और लेआउट प्रदान नहीं किया जिसके कारण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका। |
| इंडोर हॉल, कोलारस, शिवपुरी (परियोजना क्रियान्वयन इकाई) | ₹91.49 लाख (अप्रैल 2018) | 18.04.2019 | कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ हैं। | बार–बार अनुरोध के बावजूद परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने ठेकेदार को डिजाइन, ड्राइंग और लेआउट प्रदान नहीं किया जिसके कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका और अक्टूबर 2020 तक 18 माह का विलम्ब हुआ। |

**तालिका 3.1.6: क्रियान्वयन एजेंसियों की ओर से विलम्ब**

| कार्य और क्रियान्वयन एजेंसी का नाम | अनुमोदित लागत | पूर्ण होने हेतु निर्धारित दिनांक | स्थिति | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| गोकुलपुर, जबलपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण (परियोजना क्रियान्वयन इकाई) | ₹74.75 लाख (जुलाई 2012) | 10.07.2015 | कार्य सात माह के विलम्ब के साथ 15.02.2016 को पूर्ण हुआ। | एजेंसी द्वारा निविदा में और ठेकेदार के चयन में विलम्ब के कारण कार्य देर से शुरू हुआ था। विभाग ने आठ माह के विलम्ब से अक्टूबर 2016 में अधूरे निर्माण का आधिपत्य लिया। |

उपरोक्त निष्कर्ष दर्शाते है कि प्रशासनिक अनुमोदन स्वीकृति करने, एजेंसियों को समय से निधि आवंटित करने, स्थल चयन, समय–समय पर क्रियान्वयन एजेंसियों के कार्य प्रगति की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) के माध्यम से निगरानी और उच्च स्तर पर समीक्षा बैठकों में सारभूत कमियाँ थीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित अधिकारियों ने निर्माण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी और न ही उन्होंने चूक करने वाली क्रियान्वयन एजेंसियों के विरूद्ध किसी भी तरह के दंड प्रावधान जैसे कि क्षतिपूर्ति हर्जाना आदि को शामिल किया।

उत्तर में, प्रमुख सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि विभागीय समितियों की मंजूरी के बाद कार्य करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी और विभाग स्तर पर कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ था। आगे कहा गया कि शासकीय निर्माण एजेंसियों/विभागों पर उनका कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, हालांकि, नियत समय में निर्माण कार्य पूरा करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठकें/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। विभाग के अधिकारियों को निगरानी करने एवं उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे और अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर खेल अधोसंरचना के निर्माण के लिए चरणबद्ध तरीके से निधियां आवंटित की गयीं।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अनुमोदन देने में पर्याप्त विलम्ब हुआ है जैसा कि लेखापरीक्षा किए गये जिलों के लिए उदाहरणात्मक दृष्टांत में दर्शाया गया है। आगे, क्रियान्वयन एजेंसियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए उपयुक्त दंडात्मक प्रावधान और समयसीमाएं निर्धारित नहीं की गई थी। विभाग ने क्रियान्वयन एजेन्सियों के साथ की गई समीक्षा, बैठकों आदि के समर्थन में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।

### 3.1.7.5 निधियों का अवरूद्ध होना

रांझी (जबलपुर) में खेल परिसर के निर्माण के लिए, खेल और युवा कल्याण विभाग ने ₹दो करोड़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर (दिसंबर 2010 से फरवरी 2013) को आवंटित किए जिसके विरूद्ध परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर ने उक्त कार्य पर ₹1.55 करोड़ व्यय किया और ₹29.00 लाख खेल और युवा कल्याण विभाग को वापस किया। आगे, यह देखा गया कि सात वर्षों की अवधि के बाद भी ₹16.42 लाख की शेष राशि को न तो परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा वापस किया गया था और न ही खेल और युवा कल्याण विभाग/जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी द्वारा इसकी मांग की गई थी।

सुवासरा (मंदसौर) में खेल प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए, खेल और युवा कल्याण विभाग ने मार्च 2008 से मार्च 2012 के दौरान ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, मंदसौर को ₹25.00 लाख आवंटित किया, जिसके विरुद्ध ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, मंदसौर ने उक्त कार्य पर ₹22.35 लाख व्यय किया। आगे, यह देखा गया कि सात वर्षों की अवधि के बाद भी ₹2.65 लाख की शेष राशि ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, मंदसौर द्वारा न तो वापस की गई और न ही खेल और युवा कल्याण विभाग/जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा इसकी मांग की गई।

उत्तर में, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर ने कहा (जनवरी 2020) कि राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, मंदसौर और खेल और युवा कल्याण विभाग के उत्तर अक्टूबर 2020 की स्थिति में प्राप्त होने बाकी थे।

## 3.1.8 खेल अधोसंरचना का संधारण

### *3.1.8.1 संधारण कर्मचारियों की कमी*

मध्य प्रदेश शासन ने मार्च 2017 में स्टेडियम नीति की घोषणा की, जिसमें स्टेडियम नीति में निर्मित खेल अधोसंरचना के संचालन और संधारण के लिए संविदात्मक आधार पर न्यूनतम अमले का प्रावधान था।

खेल और युवा कल्याण विभाग के अभिलेखो की लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि दो वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद भी (दिसंबर 2019), राज्य में संधारण कर्मचारियों की 60 प्रतिशत कमी थी जिसका विवरण नीचे **तालिका 3.1.7** में दिया गया है:–

**तालिका 3.1.7: दिसंबर 2019 की स्थिति में संधारण कर्मचारियों (संविदात्मक) के स्वीकृत पद (एस.एस.)/पदस्थ कर्मचारियों (पी.आई.पी.) की स्थिति**

| विवरण | राज्य मे खेल और युवा कल्याण विभाग में स्वीकृत पद एवं पदस्थ कर्मचारी | | |
|---|---|---|---|
| | स्वीकृत पद | पदस्थ कर्मचारी | कमी (प्रतिशत में) |
| सुरक्षा गार्ड | 103 | 59 | 44 (42.72) |
| सफाई कर्मी | 106 | 27 | 79 (74.53) |
| ग्रांउडसमेन | 82 | 29 | 53 (64.63) |
| **कुल** | **291** | **115** | **176 (60.48)** |

**स्रोतः खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी**

लेखापरीक्षा में देखा गया कि जबलपुर और दमोह में दो खेल सुविधाएं अनुचित संधारण के कारण जीर्ण–शीर्ण स्थिति में थी।

जबलपुर और दमोह में अनुचित संधारण को दर्शाते चित्रः

**मिनी स्टेडियम गोकुलपुर रांझी, जबलपुर (फरवरी 2016 को पूरा हुआ और अक्टूबर 2016 में सौंपा गया)। टॉयलेट सीट और गेट टूटे हुए थे। पानी और बिजली का कनेक्शन नहीं था। चारों तरफ कचरा फैला पाया गया।**

**मिनी स्टेडियम का उपयोग नहीं हो रहा है।**

**तेंदूखेड़ा मिनी स्टेडियम, दमोह (मई 2014 में पूर्ण और सौंपा गया)। दरवाजे, खिड़कियां उपलब्ध नहीं थे और चारों तरफ गोबर फैला हुआ पाया गया।**

**मिनी स्टेडियम का उपयोग नहीं हो रहा है।**

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि, संधारण शीर्ष में, कुल आवंटन ₹10.63 करोड़ (अप्रैल 2017 से मार्च 2019), में से राशि ₹9.52 करोड़ का ही उपयोग किया जा सका और राशि ₹1.11 करोड़ अनुपयोगी पड़ी रही।

उत्तर में, प्रमुख सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि वर्ष 2017 से पहले निर्मित खेल अधोसंरचनाओं के संचालन और संधारण के लिए कोई अमला स्वीकृत नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग स्वयं को नीति के स्थापन से पहले निर्मित खेल सुविधाओं के संधारण से विमुक्त नहीं कर सकता। इसके राज्य में खेल को बढ़ावा देने की दृष्टि से गंभीर प्रतिकूल परिणाम होंगे।

### 3.1.9 खेल अधोसंरचनाओं का अनुपयोगी/क्षमता से कम उपयोग होना

खेल अधोसंरचनाओं के उपयोग की स्थिति नीचे **तालिका 3.1.8** में दर्शायी गई है:

**तालिका 3.1.8: चयनित जिलों में खेल अधोसंरचना सुविधाओं के उपयोग की स्थिति**

| लेखापरीक्षित जिला | सुविधाओं की संख्या | उपयोग किया गया | उपयोग नही किया गया |
|---|---|---|---|
| भोपाल | 05 | 5 | 0 |
| दमोह | 06 | 3 | 3 |
| होशंगाबाद | 02 | 1 | 1 |
| जबलपुर | 06 | 5 | 1[82] |
| मंदसौर | 00[83] | 0 | 2 |

82 रानीताल खेल काम्पलेक्स, जबलपुर क्षमता से कम उपयोग में थी।

| लेखापरीक्षित जिला | सुविधाओं की संख्या | उपयोग किया गया | उपयोग नही किया गया |
|---|---|---|---|
| नरसिंहपुर | 03 | 2 | 1 |
| शिवपुरी | 02 | 2 | 0 |
| **कुल** | **24** | **18** | **8** |

**स्रोतः खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी**

### 3.1.9.1 खेल अधोसंरचना के अनुपयोगी रहने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय

#### क. तेंदुखेडा, दमोह में मिनी स्टेडियम

परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने मई 2014 में तेंदुखेड़ा, दमोह में मिनी स्टेडियम का निर्माण लागत ₹ 40.68 लाख से पूर्ण किया। स्टेडियम के संयुक्त निरीक्षण (जनवरी 2020) के दौरान लेखापरीक्षा दल ने पाया कि दरवाजे, खिड़कियां, बिजली की फिटिंग और सामान जैसे फुटबॉल के खंभे, हैंडबॉल के खंभे और खो–खो के खंभे आदि गायब थे जिसे **कंडिका 3.1.8.1** मे दर्शाये गये चित्र से देखा जा सकता है।

जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा (जनवरी 2020) कि मिनी स्टेडियम का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि जिला कलेक्टर द्वारा प्रदान की गई भूमि दुर्गम, शहर से बहुत दूर और बिना संपर्क मार्ग के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित थी। जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी ने आगे कहा कि संधारण कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण, स्टेडियम का संधारण नहीं किया गया।

अनुपयुक्त स्थल चयन के कारण, स्टेडियम का उपयोग इसके निर्माण के छः वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी नही किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹40.68 लाख का निष्फल व्यय हुआ और खिलाड़ी भी वांछित लाभ से वंचित रहे।

#### ख. हट्टा, दमोह में मिनी स्टेडियम

विभाग ने परियोजना क्रियान्वयन इकाई के माध्यम से हट्टा, दमोह में मिनी स्टेडियम (प्रदान की गई सुविधाएं वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो–खो और कबड्डी) के निर्माण के लिए ₹43.29 लाख व्यय किए। परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने अक्टूबर 2013 में मिनी स्टेडियम विभाग को सौंपा। यद्यपि, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी के बार–बार अनुरोध (अप्रैल 2017, दिसंबर 2018 और मार्च 2019) के बावजूद विभाग ने जनवरी 2020 तक खो–खो और कबड्डी के लिए प्रशिक्षकों के दो पदों को नहीं भरा, फलस्वरूप सुविधा का उपयोग पिछले सात वर्षों से नही हो सका।

#### ग. मिनी स्टेडियम, बटियागढ़

विभाग ने परियोजना क्रियान्वयन इकाई के माध्यम से दमोह के बटियागढ़ में मिनी स्टेडियम के निर्माण पर ₹94.82 लाख व्यय किए। परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने यह सुविधा जनवरी 2016 में सौंपी। यद्यपि, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी के बार–बार अनुरोध (अप्रैल 2017, दिसंबर 2018 और मार्च 2019) के बावजूद विभाग ने जनवरी 2020 तक खो–खो और कबड्डी के लिए दो

[83] मंदसौर में दो खेल सुविधाएं निर्माणाधीन थीं, यथा, सुवासरा में खेल प्रशिक्षण केंद्र और मिनी खेल परिसर, मंदसौर जिन्हें क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रमशः सितंबर 2012 और जून 2017 में पूर्ण किया गया। पूर्ण संरचनाओं को खेल विभाग को नहीं सौंपा गया, अभिलेख में कारण उपलब्ध नहीं था।

प्रशिक्षकों और एक ग्राउंड मैन के पद को नहीं भरा फलस्वरूप मिनी स्टेडियम का उपयोग चार वर्षों से नहीं हुआ।

## घ. इटारसी में स्टेडियम

विभाग ने परियोजना क्रियान्वयन इकाई के माध्यम से स्टेडियम के निर्माण पर ₹6.30 करोड़ व्यय किए। परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने फरवरी 2019 में स्टेडियम विभाग को सौंपा। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने संयुक्त निरीक्षण (जनवरी 2020) में देखा कि क्रियान्वयन एजेंसी ने सौंपने से पूर्व जनवरी 2020 तक फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट को पूर्ण नहीं किया था। इस प्रकार, स्टेडियम का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका।

जनवरी 2020 में स्टेडियम की स्थिति दर्शाने वाले चित्र नीचे दिये गये हैं: –

**इटारसी, होशंगाबाद में स्टेडियम**

## ड. करेली, नरसिंहपुर में मिनी स्टेडियम

मुख्यमंत्री ने करेली में मिनी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा (सितंबर 2008) की थी। विभाग ने अप्रैल 2012 में परियोजना क्रियान्वयन इकाई को ₹56.42 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी। कार्य पूर्ण (अगस्त 2014) किया गया और मार्च 2015 में विभाग को सौंपा गया।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2020) कि अपूर्ण भूसमतलीकरण/घास न लगने के कार्यों के कारण खेल मैदान खेलने योग्य नही था जैसा कि नीचे दिये गये चित्रों में देखा जा सकता हैं:

**करेली, नरसिंहपुर में मिनी स्टेडियम**

जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, नरसिंहपुर ने इस तथ्य को स्वीकार किया (जनवरी 2020) और कहा कि खेल और युवा कल्याण विभाग के पास इसकी निगरानी के लिए तकनीकी टीम नहीं हैं।

### च. खेल प्रशिक्षण केंद्र (एस.टी.सी.) सुवासरा, मंदसौर

विभाग ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण पर ₹22.35 लाख व्यय किया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय पर निधि जारी नहीं करने के कारण ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं ने खेल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण 25 माह के विलम्ब के साथ सितंबर 2012 में पूर्ण किया। चाहरदीवारी के निर्माण और भूमि के समतल न होने के कारण विभाग सुविधा का उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि यह लगभग आठ वर्षों तक इन कार्यों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी का निर्धारण नही कर सका।

लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तर में, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, मंदसौर ने कहा (जनवरी 2020) कि खेल और युवा कल्याण विभाग क्रियान्वयन एजेंसी का निर्धारण नही कर सका इसलिए चाहरदीवारी और भूमि को समतल करने का कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थिति दर्शाने वाला चित्र नीचे दिया गया है।

**सुवासरा (मंदसौर) में खेल प्रशिक्षण केन्द्र**

### छ. मंदसौर में मिनी खेल परिसर

विभाग ने नगर पालिका परिषद (एन.पी.पी.) के माध्यम से मंदसौर में मिनी खेल परिसर के निर्माण पर ₹38.30 लाख व्यय किए। नगर पालिका परिषद ने जून 2017 में सुविधा पूर्ण की। विभाग ने जनवरी 2020 तक मिनी स्टेडियम का आधिपत्य नहीं लिया था। हालांकि, विभाग ने जुलाई 2017 में ₹87.68 लाख मूल्य के उपकरण[84] खरीदे, जो दो वर्षों से अधिक समय से बिना उपयोग के रखे रहे जैसा कि नीचे दिये चित्र में देखा जा सकता है। लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने स्वीकार किया कि उपकरण संस्थापित नहीं थे।

[84] कमर्शियल ट्रेड मिल, कमर्शियल अपराइट बाइक, फ्लैट बेंच, डंब बेल्स, ओलंपिक रॉड, ओलंपिक प्लेट, एबडोमिनल बेंच, डबल केबल क्रॉस, व्यायाम चटाई।

मंदसौर मे बिना उपयोग के रखे उपकरण

### ज. दतिया में जल क्रीड़ा केंद्र

विभाग ने ₹97.24 लाख की लागत से दतिया में जल क्रीड़ा केंद्र[85] का निर्माण (फरवरी 2016) पूर्ण किया। केंद्र को चालू करने के लिए, विभाग ने आवश्यक उपकरणों[86] की खरीद के लिए जून 2017 मे ₹58.69 लाख स्वीकृत किए, परन्तु धनराशि जारी नहीं होने के कारण 16 माह की अवधि के बाद भी खरीद नहीं की जा सकी एवं केंद्र मार्च 2020 तक अनुपयोगी रहा।

उत्तर में, प्रमुख सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि तेंदूखेड़ा (दमोह), सुवासरा (मंदसौर), करेली (नरसिंहपुर) और जल क्रीडा केंद्र, दतिया स्थानीय मुद्दों के कारण चालू नहीं हुए थे, जिसके संचालन के लिए प्रयास किए जा रहे थे। विभाग ने मिनी स्टेडियम हट्टा, बटियागढ़, मंदसौर और इटारसी स्टेडियम के उपयोग न किये जाने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि स्टेडियम के आधिपत्य के बिना उपकरण की खरीद, अधूरे कार्य के कारण स्टेडियम का उपयोग नहीं करना एवं निधि जारी न करना स्थानीय मुद्दों के बजाय प्रबंधन की विफलताओं के उदाहरण हैं।

### *3.1.9.2 खेल अधोसंरचना का क्षमता से कम उपयोग होना*

### क. रानीताल खेल परिसर, जबलपुर

रानीताल खेल परिसर, जबलपुर में सिंथेटिक हॉकी मैदान का विकास ₹4.77 करोड़ का व्यय कर किया गया (कार्य अक्टूबर 2017 में पूर्ण हुआ) और हॉकी मैदान के अधिकतम उपयोग के लिए राशि ₹52.60 लाख की लागत से जून 2018 में मैदान में फ्लडलाइट्स भी स्थापित किए गये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि रानीताल खेल परिसर के हॉकी मैदान में कोई बिजली कनेक्शन नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप फ्लडलाइट्स संस्थापित किये जाने के बाद भी उपयोग नहीं हुई (20 माह)। इस प्रकार, फ्लडलाइट्स की स्थापना पर ₹52.60 लाख का व्यय होने के बाद भी, हॉकी मैदान का क्षमता से कम उपयोग हुआ।

विभाग ने अक्टूबर 2020 तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

---

85 क्याकिंग और कैनोइंग की सुविधायें।

86 मोटर बोट 30 एचपी (1), क्योक –1 (6), क्योक –2 (6), कैनो –1 (6), कैनो –2 (6), लाइफ जैकेट (40), पैडल क्योक (25), पैडल कैनो ( 25), नी पैड कैनो (40), ज़ेटी 10X10 (100 वर्गमीटर)।

### ख. एक्वाटिक एवं ट्रायथलॉन अकादमी, होशंगाबाद

जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, होशंगाबाद में एक्वाटिक और ट्रायथलॉन अकादमी के अभिलेखों की जाँच में पाया कि मौजूदा एक्वाटिक अकादमी की स्थापना (2016) के बाद से इसका उपयोग क्षमता से कम (54.22 प्रतिशत) हुआ है। अकादमी मे 75 खिलाड़ियों के खेलने की क्षमता है, यद्यपि, इसकी आधे से अधिक क्षमता रिक्त रही। विवरण नीचे इस प्रकार हैं:

**तालिका–3.1.9: एक्वाटिक और ट्रायथलॉन अकादमी के उपयोग किये जाने का विवरण**

| अवधि | खिलाड़ियों की स्वीकृत संख्या | पंजीकृत खिलाड़ियों की संख्या | कमी | कमी (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|
| 2016–17 | 75 | 31 | 44 | 58.67 |
| 2017–18 | 75 | 36 | 39 | 52.00 |
| 2018–19 | 75 | 36 | 39 | 52.00 |

**स्रोतः खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं अभिलेख**

उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते है कि विभाग ने अकादमी को उचित आंकलन के साथ स्थापित नहीं किया अथवा अकादमी से जुड़ने हेतु स्थानीय लोगों के बीच रुचि उत्पन्न नहीं कर सका जिससे अकादमी का उपयोग क्षमता से कम रहा।

विभाग ने अक्टूबर 2020 तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

## 3.1.10 प्रशिक्षकों और ट्रेनर की स्थिति

विभाग ने ग्वालियर की बैडमिंटन अकादमी, भोपाल की शूटिंग पिस्टल अकादमी (10 मीटर) एवं जूडो अकादमी और होशंगाबाद की एक्वाटिक अकादमी (ट्रायथलॉन/डाइविंग) में कोई प्रशिक्षक तैनात नहीं किया।

राज्य की 18 खेल अकादमियों में खेलवार स्वीकृत और कार्यरत प्रशिक्षकों का विवरण नीचे **तालिका 3.1.10** में दर्शाया गया है:

**तालिका 3.1.10: खेल अकादमियों में स्वीकृत पद और कार्यरत प्रशिक्षकों का दिसंबर 2019 की स्थिति में विवरण**

| क्र.सं. | खेल | स्वीकृत | कार्यरत | कमी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | तीरंदाजी | 4 | 3 | 1 |
| 2. | बैडमिंटन | 4 | 0 | 4 |
| 3. | बॉक्सिंग | 4 | 2 | 2 |
| 4. | क्रिकेट | 4 | 1 | 3 |
| 5. | घुड़सवारी | 4 | 2 | 2 |
| 6. | जल क्रीड़ा | 12 | 4 | 8 |
| 7. | शूटिंग | 20 | 7 | 13 |
| 8. | हॉकी | 8 | 2 | 6 |
| 9. | कुश्ती | 4 | 2 | 2 |
| 10. | तैराकी | 12 | 1 | 11 |
| 11. | एथलेटिक्स | 12 | 3 | 9 |
| 12. | मार्शल आर्ट | 16 | 9 | 7 |
| | **कुल** | **104** | **36** | **68** |

**स्रोतः खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी**

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि स्वीकृत पदों की तुलना में प्रशिक्षकों की उपलब्धता बहुत कम थी और यह कमी 65 प्रतिशत थी। इस प्रकार, पदों की स्वीकृति के बाद भी रिक्त पदों को न भरने के कारण 18 खेल अकादमियों का उपयोग न होना अथवा क्षमता से कम उपयोग होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अभिलेखों में प्रशिक्षकों की नियुक्ति न किये जाने के कारण नहीं पाए गए।

राज्य में स्वीकृत और उपलब्ध ट्रेनर के संबंध में विवरण **तालिका 3.1.11** में दर्शाये गए हैं:

**तालिका 3.1.11: दिसंबर 2019 की स्थिति में अकादमियों के अलावा स्वीकृत और कार्यरत ट्रेनरों की स्थिति**

| क्र. स. | ट्रेनर का विवरण | स्वीकृत | कार्यरत | कमी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ट्रेनर सह प्रशासक | 02 | 0 | 02 |
| 2 | मुख्य ट्रेनर सह प्रशासक | 02 | 01 | 01 |
| 3 | सहायक ट्रेनर सह सहायक प्रशासक | 10 | 03 | 07 |
| 4 | सहायक ट्रेनर | 17 | 06 | 11 |
| 5 | जिला खेल ट्रेनर ग्रेड–1/ग्रेड–2 | 121 | 99 | 22 |
| 6 | मलखम्भ खेल ट्रेनर | 12 | 12 | 0 |
| 7 | संविदा खेल ट्रेनर | 45 | 09 | 36 |
| 8 | ट्रेनर ग्रेड–1 | 03 | 01 | 02 |
| 9 | सहायक ट्रेनर ग्रेड–2 | 03 | 01 | 02 |
| 10 | मुख्य ट्रेनर | 03 | 0 | 03 |
| 11 | ट्रेनर | 11 | 04 | 07 |
| **कुल** | | **229** | **136** | **93** |

**स्रोत: खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी**

स्वीकृत पदों की तुलना में उपलब्ध ट्रेनरों की संख्या 41 प्रतिशत कम थी, जो राज्य द्वारा निर्मित किये गए खेल अधोसंरचना के उपयोग न होने या क्षमता से कम उपयोग होने को इंगित करता है।

अभिलेखों मे ट्रेनरों की नियुक्ति न किये जाने के कारण नहीं पाए गए।

उपर्युक्त पर विभाग ने अक्टूबर 2020 तक कोई उत्तर नहीं दिया।

### *3.1.10.1 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण*

प्रशिक्षण कौशल को उन्नत करने के लिए, यह आवश्यक है कि प्रशिक्षक एवं खेल सलाहकार भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.), व्यक्तिगत खेल निकायों, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन (ग्वालियर), नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्पोर्ट्स (पटियाला एवं बैंगलोर), आदि द्वारा नियमित अंतराल पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हों।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2014–19 के दौरान कोई भी प्रशिक्षक किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था। इस प्रकार, विभाग ने पदस्थ प्रशिक्षकों को उनके कौशल और ज्ञान के उन्नयन के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया।

लेखापरीक्षा आपत्तियो के उत्तर में, खेल और युवा कल्याण विभाग ने पुष्टि की (जनवरी 2020) कि किसी भी प्रशिक्षक को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया है। आगे, यह भी कहा कि इस संबंध में एक नई योजना (प्रशिक्षक विकास योजना) अक्टूबर 2019 में तैयार की गई है।

### 3.1.11 खेल अकादमियों के लिए उपकरणों की खरीद

खेल अकादमियों हेतु फिटनेस उपकरणों की खरीद के लिए विभाग ने अक्टूबर 2015 में ई–निविदा जारी की और फरवरी 2016 में तीन आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया। एन.आई.टी. के पैरा 3.1 के अनुसार, आपूर्ति कार्यादेश जारी होने के दो माह के भीतर पूरी की जानी चाहिए और पैरा 12.1 के अनुसार, विलंबित आपूर्ति के लिए प्रत्येक सप्ताह या उसके भाग का एक प्रतिशत की दर से शास्ति लगाई जानी थी। फरवरी 2016 से जनवरी 2018 के दौरान ₹5.71 करोड़ मूल्य के फिटनेस उपकरणों की आपूर्ति के लिए 53 आपूर्ति आदेश जारी किए गए थे। विभाग ने 34 आपूर्ति आदेशों से संबंधित उपकरण दो माह की निर्धारित अवधि के विपरीत 12 से 196 दिनों के विलम्ब के साथ प्राप्त किये और आपूर्तिकर्ताओं को ₹3.28 करोड़ का भुगतान किया गया। यद्यपि, विभाग ने आपूर्तिकर्ताओं पर आपूर्ति में विलम्ब हेतु ₹23.72 लाख की शास्ति आरोपित नहीं की (***परिशिष्ट 3.1.5***)।

विभाग ने अक्टूबर 2020 तक कोई उत्तर नहीं दिया।

### 3.1.12 जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी स्तर पर अभिलेखीकरण का अभाव

खेल और युवा कल्याण विभाग (जनवरी 2002) द्वारा जारी जिला खेल अधिकारियों के कर्तव्यों में आधारभूत खेल अधोसंरचना सुविधाओं और इसके अद्यतनीकरण, खेल गतिविधियों के सुचारू संचालन आदि से संबंधित अभिलेखों का संधारण शमिल था।

सात जिला खेल अधिकारियों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारियों (डी.एस.ओ.) के स्तर पर खेल अधोसंरचनाओं के उपयोग और निगरानी से संबंधित अभिलेख नहीं थे:

- लेखापरीक्षा के लिए चुने गए सात जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारियों में से किसी के द्वारा संपत्ति पंजी संधारित नही की गई थी।
- आधारभूत खेल अधोसंरचना की उपलब्धता और इसके अद्यतन/संधारण से संबंधित जानकारी जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थी।
- जिला स्तर पर खेल सुविधाओं की उपयोगिता से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।
- दैनिक आधार पर खेल मैदान/स्टेडियम आदि का उपयोग करने वाले युवाओं की संख्या के बारे में जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी अनुमान के आधार पर थी।

राज्य के पास खेल और युवा कल्याण के लिए एक अलग विभाग और जिला स्तर पर जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी हैं तथापि इसके पास न तो जिलों/ब्लॉक मुख्यालयों में, न ही स्कूलों, कॉलेजों आदि में उपलब्ध खेल अधोसंरचना की डेटा/जानकारी है। यह जिला स्तर पर खेल प्रतियोगितायें आयोजित करने के बावजूद है।

विभाग (प्रमुख सचिव) ने अक्टूबर 2020 तक उत्तर नहीं दिया।

### 3.1.13 निष्कर्ष

*विभाग की खेल नीति, 2005 में पाँच वर्षों के भीतर प्रत्येक गाँव में एक खेल मैदान विकसित करने का लक्ष्य था। हालांकि, विभाग 2005–19 के दौरान राज्य में 54,903 गाँवों के विरूद्ध अपने स्तर पर मात्र 253 खेल मैदानों का ही निर्माण कर सका, जो कि विभागीय प्रयासों की अपर्याप्तता या खेल*

*नीति के अवास्तविक लक्ष्य को दर्शाता है। 2014–19 के दौरान, विभाग ने 15 आदिवासी बहुल जिलों में एक भी खेल अकादमी की स्थापना नहीं की; यद्यपि इसने अपनी खेल नीति में जनजातीय जनसंख्या की छिपी हुई प्रतिभाओं का पता लगाने हेतु उपाय करने की बात कही थी और जनजातीय उप योजना के तहत ₹36.41 करोड़ व्यय किया। विभाग ने अपने अनुबंधों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन नहीं किया क्योंकि इसने निर्माण के लिए समय–सीमा निर्धारित नहीं की अथवा क्रियान्वयन एजेंसियों के विरूद्ध क्षतिपूर्ति हर्जाना, अर्थदंड या शास्ति इत्यादि के प्रावधान निर्धारित नहीं किये थे। विभिन्न मामलों में विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति और एजेंसियों को निधि जारी करने में विलम्ब किया, जो खेल अधोसंरचनाओ के समय पर निर्माण न होने का कारण बना। अधूरे कार्यों, खेल मैदान की खराब स्थिति, मिनी स्टेडियम को न सौंपे जाने, आवश्यक उपकरणों की खरीदी न होने, कर्मचारियों की अनुपलब्धता और खेल उपकरणों का संस्थापन नहीं होने के कारण खेल अधोसंरचना अनुपयोगी रही। विभाग ने प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती और संधारण कर्मचारियों को कार्य पर लगाये जाने में सामंजस्य नहीं किया जिससे राज्य में खेल अकादमियों का या तो उपयोग नहीं हुआ या क्षमता से कम उपयोग हुआ। 18 खेल अकादमियों में प्रशिक्षकों की कमी 65 प्रतिशत तक थी।*

### 3.1.14 अनुशंसाएं:

i. राज्य शासन को सम्पूर्ण राज्य के खेल अधोसंरचनाओं में कमियों की समीक्षा एवं समाधान करना चाहिए और सभी जिलों में खेल सुविधाओं का संतुलित विकास सुनिश्चित करना चाहिए। युवाओं (विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में) की क्षमता को पूर्णता प्रदाय करने के लिए इन सुविधाओं तक उनकी पहुंच मुहैया कराई जानी चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित निधि का, अन्य क्षेत्रों के लिए, विचलन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

ii. विभाग को अधोसंरचनाओं के निर्माण के संबंध में अनुबंधों के प्रबंधन में सुधार हेतु क्रियान्वयन एजेंसियों के लिए अनुबंध पत्रों में समय–सीमा को जोड़ना, क्षतिपूर्ति, अर्थदंड एवं शास्ति आदि को समाविष्ट करने जैसे उपयुक्त उपाय करने चाहिए। विभाग को आवधिक रूप से एजेंसियों से नियमित समीक्षा बैठकों और एम.आई.एस. प्रतिवेदनों के प्रावधान के अतिरिक्त समय पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने, निधि के आवंटन इत्यादि के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना चाहिए।

iii. विभाग को क्रियान्वयन विभागों के साथ–साथ अपनी स्वयं की क्षेत्रीय इकाइयों से खेल अधोसंरचना के विकास से संबंधित जानकारी समय पर प्राप्त करने के लिए एक वेब–आधारित एम.आई.एस. प्रणाली को भी विकसित करना चाहिए।

iv. संधारण गतिविधियों के संपूर्ण विस्तार का विभाग द्वारा पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए और खेल अधोसंरचना के उचित संधारण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को संलग्न करने जैसे उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।

v. विभाग को सभी अनुपयोगी और क्षमता से कम उपयोग होने वाली खेल अधोसंरचना की समीक्षा करनी चाहिए और इन सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए अमला, उपकरण और निधि उपलब्ध करानी चाहिए।

# गृह विभाग

## 3.2 गृह (पुलिस) विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन

### 3.2.1 प्रस्तावना

गृह (पुलिस) विभाग मुख्य रूप से कानून प्रवर्तन और आंतरिक सुरक्षा के संधारण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु मानवशक्ति की आवश्यकताओं, उनके विनियमन, उनकी कुशल तैनाती और प्रभावी उपयोग को निर्धारित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली की स्थापना करना अत्यावश्यक है।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अपराध दर इसके पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों के अनुसार 2019 के दौरान राज्य में दर्ज किए गए अपराधों की संख्या नीचे **चार्ट 3.2.1** में दर्शाई गई है।

**चार्ट 3.2.1: मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर**

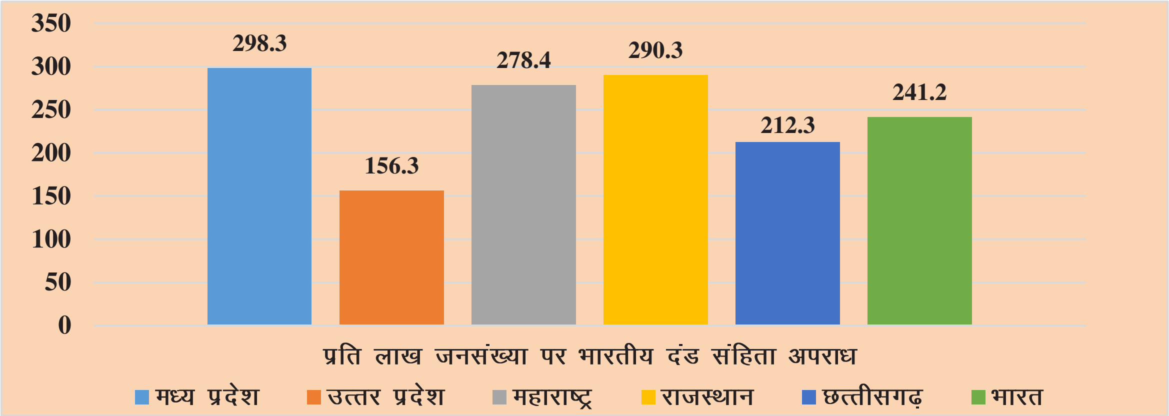


**स्रोत: राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आँकड़े**

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि 2019 के दौरान मध्य प्रदेश में अपराध दर पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक थी और राष्ट्रीय औसत 241.2 से भी अधिक थी। हालांकि, पड़ोसी राज्यों की तुलना में राज्य में प्रति एक लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की उपलब्धता उत्साहजनक नहीं है, जैसा कि नीचे दिए गए **चार्ट 3.2.2** से देखा जा सकता है। यह राष्ट्रीय औसत 158.22 से भी कम थी।

**चार्ट 3.2.2: मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिसकर्मी**

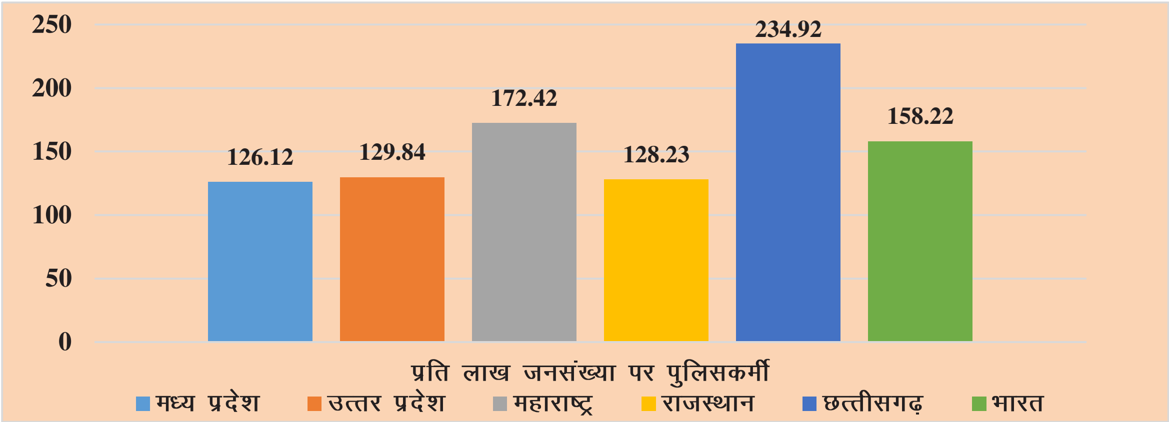


**स्रोत: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के आँकड़े**

**संगठनात्मक संरचना**

शासन स्तर पर गृह विभाग का नेतृत्व अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) (गृह) द्वारा किया जाता है, जिन्हें सचिव (गृह) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) पुलिस बल के प्रमुख होते हैं और इन्हें विभिन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य में 11 पुलिस जोन, 15 पुलिस रेंज और 52 पुलिस जिले हैं। पुलिस जोन का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक (आई.जी.पी.) करते हैं जिनकी सहायता उप पुलिस महानिरीक्षकों द्वारा की जाती है। पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) जिला पुलिस बल के प्रमुख होते हैं तथा इन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। निरीक्षक/उपनिरीक्षक पुलिस थानों के मुखिया होते है और उन्हें प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

## 3.2.2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

जून 2019 से नवंबर 2019 तक पुलिस विभाग की लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के उद्देश्य से की गयी कि क्या विभाग का मानव संसाधन प्रबंधन प्रभावी था। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में पुलिस मुख्यालय (पी.एच.क्यू.), पाँच पुलिस अधीक्षक कार्यालय[87], चयनित पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के सभी 158 पुलिस थाने और पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी, भोपाल के अप्रैल 2018 से मई 2019 की अवधि के विभागीय अभिलेखों की जाँच शामिल थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को पुलिस विभाग में मानवशक्ति के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और पैमानों से प्राप्त मानदंडों और इस संबंध में दोनों सरकारों द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक दिशानिर्देशों, निर्देशों और परिपत्रों के आधार पर निर्धारित किया गया था।

प्रवेश सम्मेलन प्रमुख सचिव, गृह के साथ अगस्त 2019 में आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और मानदंडों के संबंध में विभाग के विचार मांगे गए थे। प्रारूप प्रतिवेदन विभाग को मई 2020 में जारी किया गया और प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय जून 2020 में निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग द्वारा व्यक्त किए गए विचार और नवंबर 2020 में प्राप्त लिखित उत्तर पर विधिवत रूप से विचार किया गया।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

पुलिस विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्षों जिसमें भर्ती, तैनाती और मानवशक्ति का प्रबंधन सम्मिलित है की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

## 3.2.3 मानवशक्ति प्रबंधन

पर्याप्त और कुशल मानवशक्ति और इसका कुशल प्रबंधन एक पुलिस संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य में पुलिस बल के प्रभावी कामकाज और कानून व्यवस्था के रखरखाव को निर्धारित करता है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एण्ड डी.) के आँकड़ों के अनुसार जनवरी 2019 की स्थिति में 1,28,287 स्वीकृत अमले के विरुद्ध पुलिस बल की कार्यरत क्षमता 1,01,751 थी। इस प्रकार विभाग में रिक्तियों की सीमा 20.68 प्रतिशत थी।

[87] बालाघाट, भिण्ड, ग्वालियर, इंदौर और शिवपुरी

### 3.2.3.1 पुलिस विभाग में भर्ती

राज्य सरकार की नीति (मई 2000) के अनुसार, पुलिस विभाग में रिक्त पदों को सीधी भर्ती और/या पदोन्नति द्वारा (निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार[88]) भरा जाता है, जैसा कि **तालिका 3.2.1** में दिया गया है।

**तालिका 3.2.1: सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा भर्ती कोटा का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण**

| पद | राजपत्रित/ अराजपत्रित | भर्ती कोटा का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|
| | | सीधी भर्ती द्वारा | पदोन्नति द्वारा |
| अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक | राजपत्रित | – | 100 |
| उप पुलिस अधीक्षक | राजपत्रित | 50 | 50 |
| निरीक्षक/रक्षित निरीक्षक (आर.आई.) | अराजपत्रित | – | 100 |
| सूबेदार | अराजपत्रित | 100 | – |
| उप निरीक्षक (एस. आई.) | अराजपत्रित | 50 | 50 |
| उप निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) | अराजपत्रित | 40 | 60 |
| सहायक उप निरीक्षक (ए.एस.आई.) | अराजपत्रित | – | 100 |

पुलिस मुख्यालय में कार्मिक शाखा, अराजपत्रित पदों की रिक्ति की स्थिति का आंकलन करती है, जबकि पुलिस मुख्यालय, भोपाल की चयन/भर्ती शाखा सभी रिक्त पदों के संबंध में भर्ती के लिए मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (एम.पी.पी.ई.बी.) को सूचित करती है।

लेखापरीक्षा ने विभिन्न संवर्गों/पदों में सारभूत रिक्तियां पाई, जैसा कि **तालिका 3.2.2** में वर्णित है।

**तालिका 3.2.2: अक्टूबर 2019 की स्थिति में रिक्त पदों का विवरण**

| स. क्र. | पदनाम | स्वीकृत पदों की संख्या | कार्यरत कर्मी | रिक्त पदों की संख्या (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक | 266 | 227 | 39 *(14.66)* |
| 2. | उप पुलिस अधीक्षक | 1,146 | 845 | 301 *(26.27)* |
| 3. | रक्षित निरीक्षक | 249 | 81 | 168 *(67.47)* |
| 4. | निरीक्षक | 2,558 | 1,607 | 951 *(37.18)* |
| 5. | सूबेदार | 386 | 283 | 103 *(26.68)* |
| 6. | सूबेदार(अनुसचिवीय (एम)/आशुलेखक/ग्रेड I | 137 | 63 | 74 *(54)* |
| 7. | उप निरीक्षक | 5,831 | 4,896 | 935 *(16)* |
| 8. | उप निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) | 1,241 | 945 | 296 *(23.85)* |
| 9. | सहायक उप निरीक्षक | 12,017 | 7,226 | 4,791 *(39.87)* |
| 10. | आशुलेखक | 535 | 421 | 114 *(21.31)* |
| 11. | कार्यालय अधीक्षक | 50 | 29 | 21 *(42)* |
| 12. | उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) | 776 | 497 | 279 *(35.95)* |
| 13. | सहायक कार्यालय अधीक्षक | 35 | 19 | 16 *(45.71)* |
| 14. | लेखापाल | 251 | 134 | 117 *(46.61)* |
| 15. | उच्च श्रेणी लिपिक | 100 | 61 | 39 *(39)* |
| 16. | सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) | 1,777 | 1,735 | 42 *(2.36)* |

**स्रोतः पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदायित आँकड़े**

[88] पुलिस के राजपत्र दिनांक 22.05.2000 और राजपत्र अधिसूचना क्र. 386 दिनांक 11.08.2011

माननीय उच्चतम न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय के 30 अप्रैल 2016 के आदेश (मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के संबंध में) के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) लंबित होने से इस प्रकरण में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी (12 मई 2016) किये गये जिसके कारण राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक और प्रधान आरक्षक के पदों पर पदोन्नति लंबित थी।

विभिन्न संवर्गों में बड़े पैमाने पर रिक्तियों के कारणों के लेखापरीक्षा विश्लेषण में निम्नलिखित पाया गया—

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता वाली चयन/भर्ती शाखा (एस.आर.बी.) ने विभिन्न संवर्गों/पदों के लिए विभिन्न संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से रिक्तियों का आंकलन करने के बावजूद मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजने में छः से 11 माह की देरी की। विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 3.2.1*** में दिया गया है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय और विभिन्न क्षेत्रीय ईकाईयों से संबंधित जानकारी[89] प्रदान नहीं की गई थी।

2. आगे, चयन/भर्ती शाखा ने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भर्ती प्रस्ताव भेजते हुए भर्ती के लिए पदों की कुल संख्या को बार–बार (2018 में तीन अवसरों पर और 2019 में चार अवसरों पर) बदला।

3. लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि पुलिस मुख्यालय या चयन/भर्ती शाखा ने स्वयं रिक्तियों की स्थिति के आंकलन और मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। आगे, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर 2018–19 के दौरान कोई भर्ती नहीं की।

4. मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री के निर्णय[90] के अनुसार सितंबर 2018 में पुलिस थानों/पुलिस लाइनों में पुलिस बल बढ़ाने, नए पुलिस थानों की स्थापना/चौकियों का पुलिस थानों में उन्नयन, पुलिस प्रशिक्षण शाला, यातायात प्रबंधन, आदि की मानवशक्ति में वृद्धि हेतु 5,750 पद (सूबेदार, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक) सृजित किए। विभाग को इन पदों पर दो चरणों (पहले चरण में 3,500 और दूसरे चरण में 2,250) में भर्ती करनी थी। हालांकि, विभाग ने दिसंबर 2019 तक इन नव सृजित पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को नहीं भेजा।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2019 और सितंबर 2020) कि राज्य में नवंबर 2018 और अप्रैल–मई 2019 में क्रमशः विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने के कारण रिक्तियों को नहीं भरा जा सका। अन्य कारणों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में 14 से 27 प्रतिशत का पुनरीक्षण और आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के क्रियान्वयन, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से (अक्टूबर 2019) सभी जिलों के लिए 100 सूत्रीय रोस्टर रजिस्टर जारी करना, नए सृजित पदों के लिए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से रिक्ति की स्थिति देरी से प्राप्त होना और विभाग द्वारा दिसंबर 2019 में भर्ती हेतु बनाए गए नए भर्ती नियमों के लिए राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त न होना बताया गया था।

---

89 ***परिशिष्ट 3.2.1*** में तालिका के सरल क्रमांक 1, 3 और 6 के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा विलंब का आंकलन नहीं किया जा सका क्योंकि बार–बार माँग करने के बावजूद चयन/भर्ती शाखा द्वारा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

90 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मे 05 फरवरी 2016 को आयोजित गृह विभाग की समीक्षा बैठक में पुलिस विभाग में प्रत्येक वर्ष 6,000 नये पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

आगे बताया गया कि मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को प्रस्ताव भेजने में छः से 11 माह की देरी नहीं हुई क्योंकि संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से जानकारी एकत्रित की जा रही थी।

निम्नलिखित कारणों से विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है–

1) मध्य प्रदेश शासन ने सितंबर 2018 में पद सृजित किए और विधानसभा चुनाव 02.11.2018 (अधिसूचना का दिनांक) से 13.12.2018 की अवधि के दौरान और लोकसभा चुनाव 02.04.2019 (अधिसूचना का दिनांक) से 27.05.2019 की अवधि के दौरान आयोजित हुए थे। तथ्य यह है कि मौजूदा रिक्तियों और नव निर्मित पदों के विरुद्ध भर्ती चुनावों से पहले, मध्य में और बाद में नहीं की गई थी, जब आदर्श आचार संहिता लागू नहीं थी।

2) आरक्षण का पुनरीक्षण भी पदों के सृजन के 10 माह बाद हुआ।

3) सभी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी या तो पुलिस मुख्यालय भोपाल में हैं या पुलिस मुख्यालय के अधीन हैं, अतः अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने में विलंब न्यायसंगत नहीं है। आगे, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भेजे गए प्रस्तावों में लगातार बदलाव यह दर्शाता है कि विभिन्न संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा संधारित आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे।

4) लेखापरीक्षा में पाया गया कि विलंब केवल उन प्रकरणों में विभागीय अभिलेखों की जाँच पर ही आधारित था, जहाँ पर विभाग ने एक सामान्य उत्तर दिया है कि कोई देरी नहीं हुई एवं कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

5) पुलिस मुख्यालय ने स्वयं नए भर्ती नियमों को प्रस्तुत करने में दो से अधिक वर्षों की देरी की, इसलिए केवल मध्य प्रदेश शासन और अन्य बाह्य कारकों जैसे चुनाव, आदि के कारण विलंब बताना तर्कसंगत नहीं है। आगे, चूंकि मध्य प्रदेश शासन ने विभाग के प्रस्ताव को अस्वीकार (अक्टूबर 2020) कर दिया, विभाग को तद्समय रिक्त पदों की भर्ती के लिए मौजूदा भर्ती नियमों को जारी रखना चाहिए था।

विभाग ने पुलिस कर्मियों के लिए पहले से ही सृजित पदों पर भर्ती करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई। यह मुख्यमंत्री के विशिष्ट आदेशों और पड़ोसी राज्यों की तुलना में राज्य में अपराधों की अधिक संख्या के खराब ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद था।

### *3.2.3.2 योजना तथा संवर्ग नियंत्रक शाखाओं के बीच स्वीकृत पदों की संख्या में विसंगतियाँ*

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता वाली पुलिस मुख्यालय की योजना शाखा, पुलिस विभाग में प्रत्येक संवर्ग के लिए स्वीकृत पदों के अभिलेखों को संधारित करने के लिए जिम्मेदार है। पुलिस मुख्यालय की विभिन्न संवर्ग नियंत्रक शाखाओं (प्रशासन, कार्मिक, विशेष शाखा, अपराध अन्वेषण विभाग, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो आदि) से सूचना (स्वीकृत पद, पदस्थ पद और रिक्त पद) एकत्रित करने एवं संकलन करने पर यह पाया गया कि योजना शाखा और संवर्ग नियंत्रक शाखाओं के अभिलेखों में स्वीकृत पदों की संख्या में अंतर था। अक्टूबर 2019 की स्थिति में अंतर का विवरण **तालिका 3.2.3** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.2.3: स्वीकृत पदों में अंतर का विवरण**

| पदनाम | योजना शाखा के अनुसार स्वीकृत पदों की संख्या | संवर्ग नियंत्रण शाखाओं के अनुसार स्वीकृत पदों की संख्या | अंतर |
|---|---|---|---|
| निरीक्षक/कंपनी कमाण्डर/कार्यालय अधीक्षक/रिपोर्टर/रक्षित निरीक्षक/निरीक्षक (अन्य) | 2,696 | 2,874 | 178 |
| सूबेदार/लेखापरीक्षक/आशुलेखक/सहायक कार्यालय अधीक्षक/मुख्य लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक–1 | 1,391 | 1,444 | 53 |
| उप निरीक्षक/ उप निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल)/ उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) | 7,810 | 7,848 | 38 |
| सहायक उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल)/सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) | 13,926 | 13,794 | 132 |

**स्रोतः पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े**

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मी और रिक्तियों से संबंधित अभिलेख पुलिस मुख्यालय में संधारित नहीं किया गया था। पुलिस मुख्यालय की चयन/भर्ती शाखा इन संवर्गों में रिक्तियों की स्थिति के लिए सीधे जिला कार्यालयों से माँग करती है और इन पदों के विरुद्ध भर्ती के लिए भर्ती एजेंसी को रिक्तियों का विवरण भेजती है।

पुलिस मुख्यालय की कार्मिक शाखा ने बताया (दिसंबर 2019) कि प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत कर्मी एवं रिक्तियों से संबंधित अभिलेख ईकाई स्तर पर संधारित किये जा रहे थे। स्वीकृत पदों में अंतर के संबंध में विभाग ने बताया (सितंबर 2020) कि विभिन्न संवर्ग नियंत्रक शाखाओं द्वारा प्रदाय किया गया स्वीकृत पदों का विवरण सही नहीं था और विभाग स्वीकृत पदों का एक डेटाबेस तैयार करेगा।

कार्मिक शाखा का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह शाखा पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों के रिक्तियों के आंकलन के लिए जिम्मेदार है। अतः, प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों के स्वीकृत पदों, कार्यरत कर्मी एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्तियों के संबंध में जानकारी पुलिस मुख्यालय द्वारा संधारित की जानी चाहिए थी। इन विवरणों की अनुपलब्धता विभाग की कमजोर प्रबंधन सूचना प्रणाली को दर्शाती है। आगे, चयन/भर्ती शाखा मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजने से पहले संवर्ग नियंत्रक शाखाओं से रिक्त पदों के विवरण मंगाती है और संवर्ग नियंत्रक शाखाएं चयन/भर्ती शाखा को रिक्ति की गलत स्थिति बता सकती हैं। परिणामस्वरूप, ऐसी संभावना है कि संवर्ग नियंत्रक शाखाओं में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना हो सकती है, यदि सभी रिक्त पदों को उनके प्रस्ताव के आधार पर भरा जाता है। यद्यपि विभाग ने बताया कि वह स्वीकृत पदों का डेटाबेस तैयार करेंगे, परंतु, वह पुलिस मुख्यालय में प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों सहित सभी पदों के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्तियों एवं कार्यरत कर्मियों के डेटाबेस तैयार करने एवं संधारित करने के संबध में मौन था।

### *3.2.3.3 जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कर्मचारियों की पदस्थापना में विसंगतियाँ*

लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाँच चयनित जिलों[91] के 158 पुलिस थानों (पी.एस.) व 69 चौकियों में पुलिस कर्मियों की तैनाती में विसंगतियां पाई गई जिसकी चर्चा नीचे की गई है–

### *(i) पुलिस थानों/चौकियों और पुलिस लाइनों में कर्मचारियों की पदस्थापना*

लेखापरीक्षा में पुलिस थानों और चौकियों में कर्मचारियों की सारभूत कमी देखी गई, जबकि पुलिस लाइनों को स्वीकृत से अधिक कर्मचारियों के साथ संचालित किया जा रहा था। पाँच चयनित जिलों के 158 पुलिस थानों और 69 चौकियों में 9,642 कर्मचारियों के स्वीकृत अमले के विरूद्ध 2,648 कर्मचारियों (27.46 प्रतिशत) की कमी थी। जबकि, इन पाँच चयनित जिलों की पुलिस लाइन में स्वीकृत अमले से 819 (37.67 प्रतिशत) अधिक कर्मचारी तैनात पाये गये। इन चयनित पाँच जिलों के पुलिस थानों/चौकियों में कर्मचारियों की जिलेवार कमी और पुलिस लाइनों में आधिक्य को **तालिका 3.2.4** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.2.4: चौकियों सहित पुलिस थानों में कर्मचारियों की कमी और पुलिस लाइन में आधिक्य का जिलेवार विवरण**

| जिले का नाम | चौकियों सहित पुलिस थानों में कर्मचारियों का विवरण | | | पुलिस लाईन मे कर्मचारियों का विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत पद | कार्यरत कर्मी | कमी (–) (प्रतिशत) | स्वीकृत पद | कार्यरत कर्मी | आधिक्य (+) (प्रतिशत) |
| बालाघाट | 1,635 | 893 | (–) 742 (45.38) | 153 | 494 | (+) 341 (222.88) |
| भिण्ड | 1,104 | 657 | (–) 447 (40.49) | 356 | 362 | (+) 06 (1.69) |
| ग्वालियर | 2,199 | 1,860 | (–) 339 (15.42) | 487 | 529 | (+) 42 (8.62) |
| इंदौर | 3,674 | 2,735 | (–) 939 (25.56) | 899 | 1136 | (+) 237 (26.36) |
| शिवपुरी | 1,030 | 849 | (–) 181 (17.57) | 279 | 472 | (+) 193 (69.18) |
| **योग** | **9,642** | **6,994** | **(–) 2,648 (27.46)** | **2,174** | **2,993** | **(+) 819 (37.67)** |

**स्रोतः पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े**

### *(ii) पुलिस थानों में कर्मचारियों की पदस्थापना*

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच चयनित जिलों में 158 में से 155 पुलिस थानों में स्वीकृत अमले के अनुरूप कर्मचारी तैनात नहीं थे। 133 (84 प्रतिशत) पुलिस थानों में कर्मचारियों की कमी थी जबकि, 22 (14 प्रतिशत) पुलिस थानों में स्वीकृत अमले से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया गया था। शेष तीन पुलिस थानों में कर्मचारियों को स्वीकृत अमले के अनुसार तैनात किया गया था।

भिंड में 96 प्रतिशत (26 में से 25) पुलिस थानों में कर्मचारियों की कमी थी, इसके बाद बालाघाट में 95 प्रतिशत (21 में से 20) पुलिस थानों में, इंदौर में 84 प्रतिशत (45 में से 38) पुलिस थानों में, शिवपुरी में 79 प्रतिशत (28 में से 22) पुलिस थानों में एवं ग्वालियर में 74 प्रतिशत (38 में से 28) पुलिस थानों में कर्मचारियों की कमी थी। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि स्वीकृत अमले के विरुद्ध कर्मचारियों की उपलब्धता कम होने के बावजूद भिंड के एक (चार प्रतिशत) पुलिस थाना, ग्वालियर के नौ (24 प्रतिशत) पुलिस थानों, इन्दौर के सात (16 प्रतिशत) पुलिस थानों और शिवपुरी के पाँच (18 प्रतिशत) पुलिस थानों में स्वीकृत अमले के विरुद्ध अधिक कर्मचारियों को पदस्थ किया गया था।

[91] बालाघाट–21 पुलिस थाने और 27 चौकियाँ, भिण्ड–26 पुलिस थाने और 16 चौकियाँ, ग्वालियर–38 पुलिस थाने और 06 चौकियाँ, इंदौर–45 पुलिस थाने और 09 चौकियाँ, शिवपुरी–28 पुलिस थाने और 11 चौकियाँ।

पाँच चयनित जिलों के पुलिस थानों में कर्मचारियों की कमी/अधिकता का विवरण **तालिका 3.2.5** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.2.5: पाँच चयनित जिलों के पुलिस थानों में कर्मचारियों की कमी/अधिकता का विवरण**

| जिले का नाम | पुलिस थानों की कुल संख्या | कर्मचारियों की कमी | | | | आधिक्य कर्मचारी | | | | पुलिस थानों की संख्या जहाँ कर्मचारियों की पदस्थापना स्वीकृत अमले के अनुसार की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पुलिस थानों की संख्या | स्वीकृत अमला | कार्यरत कर्मी | कमी (प्रतिशत) | पुलिस थानों की संख्या | स्वीकृत अमला | कार्यरत कर्मी | आधिक्य (प्रतिशत) | |
| बालाघाट | 21 | 20 | 1,023 | 660 | 363 *(35)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| भिण्ड | 26 | 25 | 898 | 603 | 295 *(33)* | 1 | 37 | 39 | 2 *(5)* | 0 |
| ग्वालियर | 38 | 28 | 1,670 | 1,232 | 438 *(26)* | 9 | 410 | 509 | 99 *(24)* | 1 |
| इंदौर | 45 | 38 | 3,244 | 2,307 | 937 *(29)* | 7 | 300 | 371 | 71 *(24)* | 0 |
| शिवपुरी | 28 | 22 | 662 | 540 | 122 *(18)* | 5 | 154 | 174 | 20 *(13)* | 1 |
| **योग** | **158** | **133** | **7,497** | **5,342** | **2,155 *(29)*** | **22** | **901** | **1,093** | **192 *(21)*** | **3** |

**स्रोतः पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े**

कर्मचारियों का संवर्गवार विश्लेषण और पुलिस थानों मे कर्मचारियों की जिलेवार पदस्थापना ***परिशिष्ट 3.2.2*** में दर्शायी गयी है।

### *(iii) कर्मचारियों की तैनाती न होने के कारण चौकियों का परिचालन न होना*

कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराध पर नियंत्रण रखने, ग्रामीण इलाकों में और संकट के दौरान कम से कम समय में लोगों तक पुलिस की मदद पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए चौकियां स्थापित की जाती हैं। लेखापरीक्षा में देखा गया कि दो चयनित जिलों (बालाघाट–10 और भिंड–12) में कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं होने के कारण 69 में से 22 चौकियाँ (32 प्रतिशत) संचालित नहीं थी, जबकि, शेष तीन चयनित जिलों में, चौकियाँ संचालित थी, परंतु दो जिलों (इंदौर और शिवपुरी) में दो से 17 (18 से 61 प्रतिशत) कर्मचारियों की कमी थी। जिलेवार बंद चौकियों का विवरण ***परिशिष्ट 3.2.3*** में दर्शाया गया है।

यह स्वीकार करते हुए कि कर्मचारियों को पुलिस थानों/चौकियों में स्वीकृत अमला के अनुसार तैनात नहीं किया जा सका, विभाग ने बताया (नवंबर 2020) कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए और प्रशासनिक कारणों से, पुलिस बल को पुलिस थानों/चौकियों से पुलिस लाइनों में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जा रहा था। विभाग द्वारा आगे बताया गया कि भर्ती न होने और पदोन्नति पर प्रतिबंध के कारण, पुलिस बल की कमी थी और भविष्य में पुलिस थानों/चौकियों में स्वीकृत अमले के अनुसार पुलिस बल पदस्थ करने का आश्वासन दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पुलिस थानों का संचालन स्वीकृत अमले से अधिक कर्मचारियों से नहीं किया जाना चाहिए और पुलिस लाइनों में अधिक प्रतिशत में कर्मचारियों को रखे जाने एवं पुलिस थानों में कम कर्मचारियों की पदस्थापना के औचित्य/विश्लेषण की आवश्यकता है। आगे, चौकियों के

परिचालित नहीं होने की स्थिति में कानून और व्यवस्था बिगड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

### *(iv) पुलिस थानों में कर्मचारियों की पदस्थापना के साथ अपराध दर की मैपिंग*

चयनित पाँच जिलों में से चार जिलों (बालाघाट जिले को नक्सल प्रभावित होने के कारण छोड़ा गया) के पुलिस थानों में वर्ष 2018 के लिए दर्ज अपराध की मैपिंग करने पर लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रति पुलिस थाना औसत अपराध दर (कैलेंडर वर्ष 2018 में भारतीय दण्ड संहिता अपराध) इंदौर में उच्चतम (584) और शिवपुरी में निम्नतम (160) थी। शेष दो जिलों यथा ग्वालियर और भिंड में यह क्रमशः 308 और 190 थी। संबंधित जानकारी (जून 2019 की स्थिति में जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई कर्मचारी की पदस्थापना का विवरण) का आगे विश्लेषण करने पर लेखापरीक्षा ने देखा कि 137 में से 12 पुलिस थानों में, जहां भारतीय दण्ड संहिता अपराधों की उच्च संख्या (358 से 955 तक) दर्ज की गई थी, वहां स्वीकृत अमले के विरूद्ध कम संख्या (55 से 74 प्रतिशत तक) में कर्मचारियों को पदस्थ किया गया था, जबकि तुलनात्मक रूप से भारतीय दण्ड संहिता अपराधों की कम दर (47 से 443 तक) 11 पुलिस थानों में दर्ज हुई थी, वहाँ स्वीकृत अमले से अधिक (102 से 203 प्रतिशत) कर्मचारियों की पदस्थापना की गई थी, जैसा कि **तालिका 3.2.6** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.2.6: कर्मचारी की तैनाती बनाम अपराध दर**

| इकाई का नाम | पुलिस थानों में कर्मचारी की उपलब्धता जहाँ अधिक संख्या मे अपराध दर्ज किये गये | | | पुलिस थानों में कर्मचारी की उपलब्धता जहाँ कम संख्या मे अपराध दर्ज किये गये | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुलिस थाना का नाम | 2018 में भारतीय दंड संहिता अपराध | स्वीकृत अमले के विरूद्ध कर्मचारी की उपलब्धता का प्रतिशत | पुलिस थाना का नाम | 2018 में भारतीय दंड संहिता अपराध | स्वीकृत अमले के विरूद्ध कर्मचारी की उपलब्धता का प्रतिशत |
| पुलिस अधीक्षक, इंदौर | एम.आई.जी. | 955 | 68.22 | तिलक नगर | 394 | 116.22 |
| | कनाडिया | 591 | 64.63 | क्षिप्रा | 443 | 160.00 |
| | तुकोगंज | 689 | 69.16 | – | – | – |
| | संयोगितागंज | 554 | 55.80 | – | – | – |
| | आजाद नगर | 547 | 59.76 | – | – | – |
| | परदेशीपुरा | | | | | |
| पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी | – | – | – | पुरानी शिवपुरी | 202 | 101.96 |
| | – | – | – | गोवर्धन | 47 | 120.00 |
| | – | – | – | दिनारा | 146 | 125.00 |
| पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर | माधोगंज | 406 | 68.69 | उटीला | 50 | 105.00 |
| | इंदरगंज | 463 | 72.04 | गिजौर्रा | 133 | 130.00 |
| | यूनिवर्सिटी | 481 | 54.93 | बिजौली | 162 | 120.83 |
| | ग्वालियर | 527 | 56.36 | बिलउआ | 178 | 128.57 |
| | डबरा | 695 | 72.41 | गिरवई | 190 | 203.33 |
| पुलिस अधीक्षक, भिण्ड | मेंहगांव | 358 | 66.00 | उमरी | 291 | 105.41 |

**स्रोतः पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े**

स्पष्ट रूप से, जहां पर्याप्त पुलिस कर्मी हैं, वहां अपराध दर तुलनात्मक रूप से कम है। पुलिस थानों में दर्ज अपराधों की संख्या और उन पुलिस थानों में तैनात कर्मचारियों का विवरण ***परिशिष्ट 3.2.4*** में दर्शाया गया है।

### *3.2.3.4 निर्धारित मानदंडों के अनुसार पुलिस थानों में स्वीकृत अमला की कमी*

गृह (पुलिस) विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने शहरी, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एक पुलिस थाने में विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक पुलिस बल की न्यूनतम संख्या के लिए मानदंडों के निर्धारण के संबंध में एक आदेश जारी (नवंबर 2010) किया। विवरण **तालिका 3.2.7** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.2.7: एक पुलिस थाने में पुलिस बल की आवश्यक संख्या का विवरण**

| सरल क्रमांक | पुलिस थाने की अवस्थिति | न्यूनतम आवश्यक पुलिस बल | अपराधों की संख्या | जनसंख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | शहरी | 75 | 300 | 50,000 |
| 2. | नगर पंचायत | 50 | 200 | 50,000 |
| 3. | ग्रामीण | 35 | 200 | 40,000 |
| 4. | ग्रामीण (नक्सलाइट) | 45 | — | — |

यदि पुलिस थाने के अर्न्तगत जनसंख्या 15,000 से बढ़ जाती है, तो शहरी क्षेत्रों, नगर पंचायत और ग्रामीण पुलिस थानों में पुलिस बल के क्रमशः छः, चार और चार अतिरिक्त पद स्वीकृत किए जाएंगे। इसी प्रकार, भारतीय दंड संहिता के 100 मामलों की वृद्धि होने पर शहरी, नगर पंचायत और ग्रामीण पुलिस थानों में पुलिस बल के क्रमशः छः, पाँच और चार अतिरिक्त पद स्वीकृत किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश राज्य में 1,093 पुलिस थाने (नक्सली क्षेत्र को छोड़कर) थे और लेखापरीक्षा ने देखा कि इन थानों में शासन द्वारा निर्धारित मानदंडों की तुलना में 5,907 स्वीकृत पदों की कमी थी। जून 2019 की स्थिति में स्वीकृत पदों की कमी का विवरण **तालिका 3.2.8** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.2.8: जून 2019 की स्थिति में पुलिस थानों में स्वीकृत पदों की कमी का विवरण**

| पुलिस थानों की अवस्थिति | पुलिस थानों की संख्या | मानदंडो के अनुसार स्वीकृत पदों की आवश्यकता | स्वीकृत पदों की संख्या | स्वीकृत पदों में कमी (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|
| शहरी | 426 | 31,950 | 29,831 | 2,119 (6.63) |
| नगर पंचायत | 222 | 11,100 | 9,407 | 1,693 (15.25) |
| ग्रामीण | 445 | 15,575 | 13,480 | 2,095 (13.45) |
| **योग** | **1,093** | **58,625** | **52,718** | **5,907 (10.07)** |

**स्रोतः पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े**

पाँच चयनित जिलों में, लेखापरीक्षा ने 158 पुलिस थानों (10 नक्सल प्रभावित पुलिस थानों सहित) में से 148 पुलिस थानों में राज्य शासन द्वारा तय मानदंडों के अनुसार स्वीकृत पदों की कमी को देखा। दस नक्सल प्रभावित पुलिस थानों में स्वीकृत पदों में कोई कमी नहीं थी।

पाँच चयनित जिलों के पुलिस थानों में स्वीकृत पदों की कमी का जिलेवार विवरण **चार्ट 3.2.3** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 3.2.3: पाँच चयनित जिलों के पुलिस थानों मे स्वीकृत पदों में कमी का जिलावार विवरण**

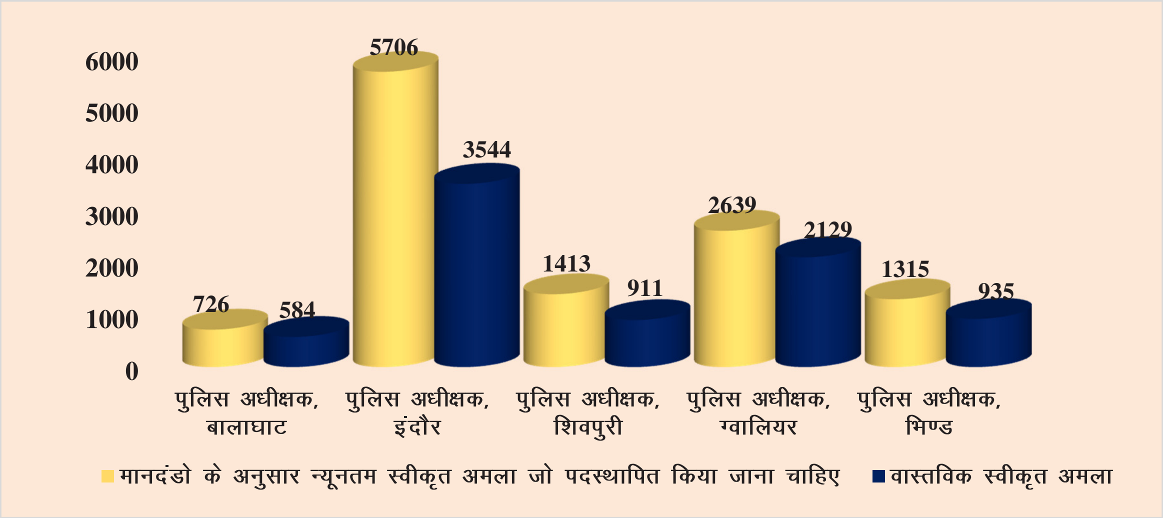


स्वीकृत पदों की कमी में उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों के पद शामिल थे। पुलिस थानों में यथा अपेक्षित स्वीकृत पदों की कमी पुलिस के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिसमें अपराध की रोकथाम और पता लगाना, नियमित गश्त द्वारा पहरा और निगरानी, अदालत द्वारा जारी सम्मनों की तामीली, शहरों में यातायात पर नियंत्रण आदि शामिल है।

विभाग ने बताया (सितंबर 2020) कि विभिन्न संवर्गों में 12,324 नए पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया (जुलाई 2020) है, जिसमें पुलिस थानों के लिए 6,472 पद सृजित करने का प्रस्ताव शामिल है।

### *3.2.3.5 अति विशिष्ट व्यक्तियों (व्ही.आई.पी.) को प्रदाय सुरक्षा*

अधिसूचना संख्या 322 (जून 2003) द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश पुलिस विनियमों के संशोधित नियम 494 (घ) के अनुसार जिला कार्यालय के पुलिस अधीक्षक स्थानीय स्तर पर किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को शुल्क या बिना शुल्क के तीन महीने के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। बनाई गई व्यवस्था के अनुमोदन के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (इंटेलिजेंस)/उप पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) को एक प्रतिवेदन भेजा जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदान की गई सुविधा को अनुमोदित करने या अस्वीकार करने के लिए सक्षम होंगे। यदि तीन माह के भीतर अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है, तो पुलिस अधीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि सुरक्षा प्रदान करने वाले अपने पूर्व आदेश को निरस्त कर दें। यदि सुरक्षा को जारी रखना है तो पुलिस अधीक्षक को राज्य सुरक्षा समिति[92] से अनुमोदन लेना होगा।

[92] अध्यक्ष के रूप में गृहमंत्री, सदस्यों के रूप में प्रमुख सचिव (गृह विभाग), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (इंटेलीजेंस), संयुक्त निदेशक (विशेष खुफिया शाखा) एवं सदस्य सचिव के रूप मे उप पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) को सम्मिलित करते हुए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि चयनित पाँच जिलों में 85 अति विशिष्ट व्यक्ति थे जिन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी, जैसा कि **तालिका 3.2.9** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.2.9: अति विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान की गई सुरक्षा का विवरण**

| कार्यालय का नाम | व्यक्तियों की संख्या जिनको सुरक्षा प्रदाय की गयी | व्यक्तियों की संख्या जिनको पुलिस अधीक्षक के मौखिक आदेशानुसार सुरक्षा प्रदाय की गयी | व्यक्तियों की संख्या जिनको सुरक्षा पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन के बिना जारी रखी गयी | सशुल्क सुरक्षा प्रदाय व्यक्तियों की संख्या | निःशुल्क सुरक्षा प्रदाय व्यक्तियों की संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पुलिस अधीक्षक, भिण्ड | 26 | 12 | 02 | – | 26 | – |
| पुलिस, अधीक्षक, ग्वालियर | 27 | 14 | 26 | 03 | 24 | – |
| पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी | 08 | 07 | – | – | 08 | – |
| पुलिस अधीक्षक, बालाघाट | 14 | 11 | 11 | – | 14 | चार प्रकरणों में, सुरक्षा जारी रखने के लिए पुलिस मुख्यालय को अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा गया। सात प्रकरणों में, पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव नहीं भेजा गया और शेष तीन प्रकरणों मे पुलिस मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया गया। |
| पुलिस अधीक्षक, इंदौर | 10 | 05 | 04 | – | 10 | पाँच प्रकरणों में, प्रस्ताव के अनुमोदन न होने के कारण प्रदाय सुरक्षा वापस ली गई। शेष पाँच प्रकरणों में पुलिस मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया गया। |
| **योग** | **85** | **49** | **43** | **03** | **82** | |

**स्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े**

पुलिस सुरक्षा प्राप्त करने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों में मंत्री/सांसद/विधायक/जिले के पूर्व विधायक, धार्मिक संस्था के प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद/विधायक उम्मीदवार, जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति, जिला और सत्र न्यायाधीश, आर.टी.आई. कार्यकर्ता, महिला आयोग की सदस्य, एक समाचार पत्र के संपादक और अन्य व्यक्ति शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बालाघाट में 11 में से चार मामलों के संबंध में सुरक्षा निरंतर रखने हेतु प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजे गए थे लेकिन किसी भी मामले में अनुमोदन नहीं मिला था और फिर भी उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना जारी रखा गया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 85 में से 33 (39 प्रतिशत) मामलों में, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक ने गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य सुरक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बजाय अनौपचारिक रूप से तीन महीने से परे (निरंतरता में अधिकतम 77 महीने तक) सुरक्षा उपलब्ध कराई।

विभाग ने बताया (नवंबर 2020) कि एक परिपत्र (24 अक्टूबर 2020) के द्वारा समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को जिला स्तर पर प्रदायित पुलिस सुरक्षा की समीक्षा करने तथा गैर–जरूरी सुरक्षा को बंद करने और अति विशिष्ट व्यक्तियों/निजी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में राजपत्र अधिसूचना (24 जून 2003) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश जारी किये गये।

### *3.2.3.6 पुलिस प्रशिक्षण शाला (पी.टी.एस.) भौरी, भोपाल संचालित न होना*

विभाग ने ₹36.11 करोड़ की लागत से 864 आरक्षक प्रशिक्षुओं को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पी.टी.एस., भौरी की स्थापना (मार्च 2017) की थी। विभाग ने पुलिस प्रशिक्षण शाला, भौरी के लिए 161 पदों[93] का सृजन करने का प्रस्ताव (अगस्त 2017) दिया था। हालाँकि, मध्य प्रदेश शासन ने केवल 74 पद स्वीकृत (सितंबर 2018) किए। मार्च 2020 की स्थिति में 74 स्वीकृत पदों में से केवल पाँच पद पुलिस प्रशिक्षण शाला का नेतृत्व करने के लिए एक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी सहित भरे गये थे। प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध पर्याप्त कर्मचारियों की कमी के कारण पुलिस प्रशिक्षण शाला, भौरी का उपयोग आरक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मार्च 2020 तक नहीं किया जा सका और अब तक ₹36.11 करोड़ का संपूर्ण व्यय अनुपयोगी रहा।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2019) कि राज्य शासन ने केवल 74 पद स्वीकृत किए, जिसके साथ पुलिस प्रशिक्षण शाला संचालित किया जाना संभव नहीं था। वर्ष 2017 के बाद आरक्षकों की भर्ती न होने और केवल पाँच कर्मचारियों की उपलब्धता के कारण आरक्षकों का प्रशिक्षण पुलिस प्रशिक्षण शाला में आरंभ नहीं किया जा सका और पुलिस प्रशिक्षण शाला के उपलब्ध कर्मचारियों की सेवाओं और संसाधनों का उपयोग पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया जा रहा है। विभाग ने आगे बताया (नवंबर 2020) कि भोपाल, राजगढ़, सीहोर और विदिशा जिलों में पदस्थ अधिकारियों के लिए इन–सर्विस और वर्टिकल इंटरैक्शन पाठयक्रम चलाए जा रहे थे। अगस्त 2020 से सहायक उपनिरीक्षक (एम) को बुनियादी प्रशिक्षण ऑनलाइन दिया जा रहा था। आरक्षकों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण कोविड–19 महामारी की स्थिति के सामान्य होने के बाद आरंभ किया जाएगा। हालांकि, पुलिस प्रशिक्षण शाला, भौरी में पाठ्यक्रम चलाने के उत्तर के समर्थन में विभाग द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

विभाग को पर्याप्त मानवशक्ति के बिना पुलिस प्रशिक्षण शाला के निर्माण से बचने के लिए अकादमी के निर्माण के प्रस्ताव के साथ मानवशक्ति के लिए स्वीकृति माँगनी चाहिए थी।

---

[93] पुलिस अधीक्षक–01, उप पुलिस अधीक्षक–02, निरीक्षक/रक्षित निरीक्षक/निरीक्षक (एस.ए.एफ.)–10, सूबेदार/उप निरीक्षक/उप निरीक्षक (एस.ए.एफ.)/उप निरीक्षक (रेडियो)/उप निरीक्षक (आर्म्स)/उप निरीक्षक (एम.टी.)–12, सहा. उप निरीक्षक/सहा. उप निरीक्षक (एस.ए.एफ.)/सहा. उप निरीक्षक (एम.टी.)–08, प्रधान आरक्षक/प्रधान आरक्षक (एस.ए.एफ.)/प्रधान आरक्षक (रेडियो)/प्रधान आरक्षक (आर्मरर)/प्रधान आरक्षक (एम. टी)–44, आरक्षक/आरक्षक (ट्रेड)/आरक्षक (रेडियो)/ आरक्षक (आर्मरर)/ आरक्षक (चालक)–63, चिकित्सक–01, मेल नर्स/कम्पाउण्डर/ड्रेसर–03, अनुसचिवीय कर्मचारी–09, सहा. लाइब्रेरियन–02, वरि. वैज्ञानिक अधिकारी–02, ए.डी.पी.ओ.–02, बिगुलर–02

### *3.2.3.7 रिक्त पदों के कारण पुलिस अस्पताल, शिवपुरी का परिचालन न होना*

लेखापरीक्षा ने देखा कि पुलिस अस्पताल, शिवपुरी में चिकित्सक और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ के पद रिक्त पड़े थे और अस्पताल में केवल सफाईवाला पदस्थ था। इस प्रकार, मार्च 2018 से अस्पताल परिचालन में नहीं था। जुलाई 2019 की स्थिति में अस्पताल में रिक्त पदों का विवरण **तालिका 3.2.10** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.2.10: अस्पताल में रिक्त पदों का विवरण**

| सरल क्रमांक | पद का नाम | स्वीकृत पद | कार्यरत कर्मी | रिक्त | दिनांक जब से पद रिक्त था |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सहायक सर्जन | 01 | 00 | 01 | 01.03.2018 |
| 2. | कम्पाउण्डर | 01 | 00 | 01 | 01.03.2018 |
| 3. | मेल नर्स | 02 | 00 | 02 | 01.09.2003 / 01.07.2006 |
| 4. | चिकित्सा सहायक | 01 | 00 | 01 | 01.01.2011 |
| 5. | रसोईया | 01 | 00 | 01 | 01.11.2017 |
| 6. | जलवाहक | 01 | 00 | 01 | 01.07.2009 |
| 7. | सफाईवाला | 01 | 01 | 00 | रिक्त नहीं |
| **योग** | | **08** | **01** | **07** | |

**स्रोतः जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, शिवपुरी द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े**

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि अस्पताल में दवाईयों के क्रय, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था, विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रयोगशाला के विकास के लिए वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान प्राप्त राशि ₹2.59 लाख, कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण कार्यालय द्वारा उपयोग नहीं की जा सकी।

विभाग ने बताया (जनवरी 2020) कि रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती के मामले के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के साथ अनुकरण किया रहा है।

## 3.2.4 निष्कर्ष

*गृह (पुलिस) विभाग का कार्य कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक शांति बनाए रखना, नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को सुरक्षित बनाए रखना और अपराधों की रोकथाम और पता लगाना है। इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए, मानवशक्ति की आवश्यकताओं और उनके कुशल, प्रभावी और विवेकपूर्ण उपयोग को निर्धारित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता है। विभाग विभिन्न संवर्गों में 26,536 (20.68 प्रतिशत) रिक्तियों के साथ संघर्षरत रहा, लेकिन इसने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भर्ती के लिए माँग प्रेषित करने में विलम्ब किया। कुछ थानों को छोड़कर, अधिकांश थाने मानवशक्ति की कमी के कारण अशक्त थे जबकि, पुलिस लाइनों में स्वीकृत मानवशक्ति से 37.67 प्रतिशत अधिक कर्मचारी थे। अपराध दर और मानवशक्ति की तैनाती के बीच सह–संबंध ने पुष्टि की कि अपराध उन क्षेत्रों में कम किए गए जहाँ पुलिस की उपस्थिति अधिक थी और पुलिस की तैनाती में कमी के कारण उन क्षेत्रों में अपराध दर में वृद्धि प्रदर्शित हुई। पुलिस प्रशिक्षण शाला, भौरी, भोपाल और पुलिस अस्पताल, शिवपुरी पद रिक्त होने के कारण संचालित नहीं हो सके। विभाग, अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षा गार्डों के प्रावधान को विनियमित करने और गैर–आवश्यक सुरक्षा को बंद करने में भी विफल रहा, जिससे पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबे पुलिस बल पर और दबाव पड़ा।*

## 3.2.5 अनुशंसाएं

(i) मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय को सभी संवर्गों को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों को डिजिटल मोड में विश्वसनीय डेटा संधारण करने और डेटा को समय–समय पर अद्यतन करने का निर्देश देना चाहिए। प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए प्रत्येक स्तर पर अभिलेखों का पर्याप्त प्रलेखन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आगे, मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय को भर्ती में विलंब के कारणों की समीक्षा और पहचान करनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के साथ समन्वय से आवश्यक मानवशक्ति की भर्ती के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

(ii) पुलिस मुख्यालय में सक्षम अधिकारियों और संबंधित जोनों के पुलिस महानिरीक्षक को मानवशक्ति की तैनाती को तर्कसंगत बनाने के लिए संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के परामर्श से पुलिस कर्मियों की तैनाती की समीक्षा करनी चाहिए।

विभाग ने अनुशंसा को स्वीकार किया और संबंधित पुलिस जोनों के पुलिस महानिरीक्षकों को आवश्यक निर्देश (नवंबर 2020) जारी किए।

(iii) शासन जल्द से जल्द गृह मंत्रालय, भारत सरकार/मध्य प्रदेश शासन के मानकों के अनुसार उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक आदि के नए पदों को स्वीकृत करने पर विचार करे।

(iv) विभाग को अति विशिष्ट व्यक्तियों/निजी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने में राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। आगे, विभाग को शुल्क या बिना शुल्क, आदि के साथ सुरक्षा प्रदान करने जैसे आंकलनों को पुलिस अधीक्षकों के विवेक पर छोड़ने के स्थान पर पुलिस अधीक्षकों से इनपुट प्राप्त कर पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस संबंध में औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए।

(v) राज्य शासन को पुलिस प्रशिक्षण शाला, भौरी, भोपाल और पुलिस अस्पताल, शिवपुरी के निर्विघ्न संचालन हेतु पर्याप्त संख्या में पदों को स्वीकृत करना चाहिए, ताकि बिना विलंब के इन परिसम्पतियों का उपयोग सुनिश्चित हो सके।

## गृह विभाग

### 3.3 निष्फल व्यय

**जल आपूर्ति हेतु नगर पालिक निगम, रीवा से अनुमति प्राप्त किये बिना ओवरहेड टैंक का निर्माण किये जाने के परिणामस्वरूप ₹60.18 लाख का निष्फल व्यय हुआ तथा ₹27. 64 लाख की राशि अवरूद्ध रही।**

पुलिस मुख्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल ने सेनानी, 9वीं वाहिनी, विशेष सशस्त्र बल (एस.ए.एफ.), रीवा को वाहिनी के रहवासियों को पेय जल उपलब्ध कराने हेतु ओवरहेड टैंक का निर्माण तथा पाइपलाइन बिछाने के लिये राशि ₹87.82 लाख आवंटित (24 फरवरी, 2012) की। सेनानी ने ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य लोक स्वास्थ्य यात्रिकी (पी.एच.ई.) विभाग को एक डिपॉजिट कार्य के रूप में सौंप दिया।

सेनानी कार्यालय में ओवरहेड टैंक के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2018) से पाया गया कि चिरहुला टैंक राइजिंग मैन को जल स्रोत माना गया था। कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड, रीवा ने सेनानी को जून 2012 में सचेत किया था कि चिरहुला टैंक राइजिंग मेन को जल स्रोत माना गया है और यदि भविष्य में नगर पालिक निगम (एम.सी.) द्वारा जल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उप खण्ड, रीवा ने भी स्पष्ट रूप से सेनानी को सूचित (जुलाई 2012) किया था कि चिरहुला राइजिंग मेन से जल उपलब्ध कराना सम्भव नहीं था। तथापि, इन सलाहों पर ध्यान न देते हुये सेनानी ने ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य जारी रखा।

ओवरहेड टैंक (2.5 लाख लीटर) का निर्माण, वितरण प्रणाली तथा राइजिंग मेन[94] से टैंक तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य ₹60.18 लाख के व्यय पर जनवरी 2015 में पूर्ण किया गया था। शेष राशि ₹27.64 लाख लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पास अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय उपखण्ड, रीवा ने आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा से जल आपूर्ति हेतु चिरहुला टैंक राइजिंग मेन पाइप लाइन से ओवरहेड टैंक को जोड़ने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया (जनवरी 2015)। नगर पालिक निगम ने इस आधार पर अनुमति देने से इंकार किया (फरवरी 2015) कि यदि वाहिनी परिसर में निर्मित ओवरहेड टैंक को राइजिंग मेन पाइप से जोड़ा जाता है तो शहर की जल आपूर्ति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सेनानी द्वारा बार–बार अनुरोध किये जाने (जनवरी 2016, जुलाई 2018 से अक्टूबर 2018) के बावजूद भी, नगर पालिक निगम द्वारा राइजिंग मेन लाइन से ओवरहेड टैंक को जोड़ने की अनुमति प्रदान नहीं की गई।

निर्माण कार्य अनुबंध के उपखंड 5.6 के अन्तर्गत वांछित भारतीय मानक (आई.एस. 3370 भाग एक, कंडिका 12) के अनुसार, ओवरहेड टैंक को निर्माण के तत्काल पश्चात सात दिन तक जल से भरकर उसका परीक्षण नहीं किया जा सका। ओवरहेड टैंक निर्माण कार्य पूर्ण होने के दिनांक से ही अप्रयुक्त रहा तथा जल से न भरे जाने एवं जलवायु परिस्थितियों के कारण इसकी गुणवत्ता में अवक्षय की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

---

[94] राइजिंग मेनः पाइप जिसके माध्यम से एक इंजन से जल एक उन्नत जल संग्राहक तक पहुँचाया जाता है अथवा स्रोतों से विभिन्न उपयोगों एवं आवश्यकताओं हेतु जल आपूर्ति की जाती है।

इस प्रकार, दोषपूर्ण योजना के परिणामस्वरूप ₹60.18 लाख का निष्फल व्यय हुआ तथा ₹27.64 लाख की राशि अवरूद्ध रही जिसके कारण उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई जिसके लिये राशि व्यय की गई थी। चूंकि तत्कालीन सेनानी जल स्रोत की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना ओवरहेड टैंक का निर्माण करने तथा राशि को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्तर पर अवरूद्ध करने के लिये उत्तरदायी थे, अतः विभाग को उनके विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिये।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में, गृह (पुलिस) विभाग ने बताया (जून 2020) कि वाहिनी परिसर में पेयजल की भीषण समस्या होने के कारण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ओवरहेड टैंक के निर्माण तथा पाइप लाइन बिछाने हेतु कार्य आदेश जारी किया गया था। आवासीय कॉलोनी तक जल वितरण में विलंब हुआ था क्योंकि नगर पालिक निगम से पाइप लाइन बिछाने की अनुमति लंबित थी जिसे प्राप्त करने हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी। आगे, यह भी बताया गया कि सेनानी, 9 वीं वाहिनी को व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नगर पालिक निगम द्वारा वाहिनी के निवासियों को सम्पवेल के माध्यम से तथा क्वार्टरों में व्यक्तिगत जल कनेक्शनों द्वारा जल की आपूर्ति की जा रही थी और वाहिनी में जल की कोई कमी नहीं थी। तथ्य यह है कि ₹60.18 लाख की लागत से जनवरी 2015 में निर्मित ओवरहेड टैंक आज दिनांक तक अप्रयुक्त पड़ा हुआ है तथा सम्पूर्ण व्यय निष्फल सिद्ध हुआ है। समय व्यतीत होने एवं जलवायु परिस्थितियों के कारण इसमें संभावित क्षरण होने के परिणामस्वरूप भविष्य में भी ओवरहेड टैंक का उपयोग किये जाने की सम्भावना क्षीण प्रतीत होती है।

## जनजातीय कार्य विभाग

## 3.4 संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण

### विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर और उप कोषालय, जोबट, अलीराजपुर के कर्मचारियों द्वारा ₹16.43 करोड़ का कपटपूर्ण आहरण

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (एम.पी.टी.सी.) के नियम 193 के अनुसार, प्रत्येक प्रमाणक के साथ उत्तरदायी संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या आद्याक्षरित एक भुगतान आदेश अवश्य होना चाहिए। पारित देयकों के संवितरण करने हेतु प्राधिकृत रोकड़िये एवं अन्य कर्मियों को उत्तरदायी वितरण अधिकारी के भुगतान आदेश के बिना कोई भुगतान नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता का नियम 198 निर्दिष्ट करता है कि किसी भी अधिभार की जिम्मेदारी प्रारंभिक तौर पर देयक को आहरण करने वाले की होगी, और केवल नियंत्रण अधिकारी अथवा कोषालय अधिकारी की उपेक्षा की दशा में ही इनमें से किसी एक से वसूली के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) ने निर्देश (नवम्बर 2003) जारी किए कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) से देयक प्राप्त होने पर, कोषालय शीर्ष के वर्गीकरण, देयक राशि की गणना, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर, और सभी आवश्यक स्वीकृतियां एवं प्राधिकार उपलब्ध हैं की जाँच करेगा। वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने इस आशय के निर्देश (फरवरी 2009) जारी किए कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गए बैंक खाते फरवरी 2009 तक बन्द कर दिए जाने चाहिए और शेष राशि शासकीय खाते में जमा कर दी जानी चाहिए। निर्देश आगे उपबंधित करता है कि जहाँ कहीं भी निधियों की आवश्यकता थी, वित्त विभाग की अनुमति से व्यक्तिगत जमा खाते खोले जा सकते है।

कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ.), उदयगढ़, अलीराजपुर के अक्टूबर 2011 से जून 2017 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (अगस्त 2018) में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शासकीय खजाने से ₹16.43 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण और तत्पश्चात इसके कर्मचारियों द्वारा अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में और वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गए चार अन्य अनाधिकृत बैंक खातों में जमा किए जाने का पता चला।

लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम नीचे विस्तृत हैं –

### *(i) अनाधिकृत बैंक खाते खोलना*

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी पूर्वोक्त निर्देशों (फरवरी 2009) का उल्लंघन कर चार बैंक खाते खोले गए। इस संबंध में विवरण नीचे **तालिका–3.4.1** में दिया गया है –

**तालिका–3.4.1**

**(₹ करोड़ में)**

| स. क्र. | खातों का विवरण | खाता धारक | बैंक खातों के संचालन की अवधि | बैंक खाते में जमा राशि | शामिल प्रमाणकों/देयकों की संख्या | नकदी के रूप में निकाली गई और व्यक्तिगत बैंक खातों में अंतरित राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | खाता संख्या 11940100002370; बैंक ऑफ बड़ौदा; BARB0UDAIGA; विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी; उदयगढ़ | विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी | दिसम्बर 2000 में खोला गया और जून 2017 में बंद किया गया | 5.05 | 182 | 0.39 |
| 2. | खाता संख्या 11940100000788; बैंक ऑफ बड़ौदा; BARB0UDAIGA; केन्द्राध्यक्ष वेतन केन्द्र; कुण्डलवासा | श्री हेतराम राजपूत | नवम्बर 2006 में खोला गया, दो वर्षों से निष्क्रिय, खाते में शून्य शेष | 1.29 | 101 | 0.03 |
| 3. | खाता संख्या 32230143507; स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया; SBIN0030048 ; केन्द्राध्यक्ष वेतन केन्द्र, उदयगढ़; जोबट, अलीराजपुर | श्री हेतराम राजपूत | मार्च 2012 में खोला गया और सितम्बर 2016 में बंद किया गया | 8.00 | 473 | 3.45 |
| 4. | खाता संख्या 32567384007; स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया; SBIN0030048; केन्द्राध्यक्ष वेतन केन्द्र, कुण्डलवासा; जोबट, अलीराजपुर | ज्ञात नही | सितम्बर 2012 में खोला गया और मार्च 2014 में बंद किया गया | 1.45 | 111 | 0.31 |
| **योग** | | | | **15.79** | **867** | **4.18** |

आगे, इन चार में से दो खाते सहायक शिक्षक[95] के नाम से खोले गये थे जिनमें से एक (स.क्र. 3 पर) तत्कालीन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के मौखिक आदेश पर खोला गया था। सहायक

[95] श्री हेतराम राजपूत

ग्रेड–3[96] का मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, जोबट, अलीराजपुर के बैंक खाते के साथ पंजीकृत था। दो[97] बैंक खातों में इंटरनेट बैंकिंग थी, यद्यपि विभाग ने ऐसे बैंक खातों में इंटरनेट बैंकिंग की अनुमति नहीं दी थी।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर की अक्टूबर 2011 से जून 2017 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2018) से प्रदर्शित हुआ कि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने मार्च 2012 से जून 2017 की अवधि के दौरान 3,824 देयकों के माध्यम से ₹98.48 करोड़ की राशि आहरित की। इस राशि में से, 867 देयकों से ₹15.79 करोड़ आहरण कर, चार अनाधिकृत बैंक खातों में जमा किए गए थे। कपटपूर्ण आहरण करने के लिए अपनायी गयी कार्य प्रणाली निम्नानुसार थी:

i. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने 57 देयकों, जो शिक्षकों के वेतन, मजदूरी इत्यादि से संबंधित थी की वास्तविक राशि (₹6.14 करोड़) को बढ़ाकर ₹7.02 करोड़ आहरित किए। ₹88.55 लाख के अन्तर में से ₹84.80 लाख की राशि केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाते में अंतरित की गयी थी जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4.1*** में विस्तृत है।

ii. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने, सात अवसरों पर, राशि आहरण के लिए सेवानिवृत्ति/मृत्यु लाभों से संबंधित समान दावे दो बार उप–कोषालय, जोबट, अलीराजपुर में प्रस्तुत किया। इस प्रकार से, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने ₹21.64 लाख दो बैंक खातों में (चार प्रकरणों से संबंधित ₹12.63 लाख केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाते में और तीन प्रकरणों से संबंधित ₹9.01 लाख विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाते में) कपटपूर्वक अंतरित किए जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4.2*** में विस्तृत है।

iii. एक मृत कर्मचारी स्वर्गीय श्री मदन सिंह अजनार, सहायक शिक्षक के अवकाश नकदीकरण का देयक 240 दिनों (₹3,70,720) के लिए तैयार किया गया, यद्यपि वास्तव में यह केवल 174 दिनों के लिए स्वीकृत था। 174 दिनों (₹2,68,772) के लिए अवकाश नकदीकरण की राशि का भुगतान उसकी पत्नी श्रीमती मांगीबाई अजनार को किया गया। 66 दिनों के लिए अवकाश नकदीकरण की शेष राशि ₹1,01,948 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर के खाते में जमा की गई।

iv. अतिथि शिक्षकों के मानदेय के भुगतान के लिए समान माह और समान शिक्षकों के लिए तीन देयक दो बार प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार, अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए ₹44.25 लाख कपटपूर्वक आहरित किए गए और दोहरी आहरित राशि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर (₹34.50 लाख) और केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर (₹9.75 लाख) के बैंक खातों में जमा की गई, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4.3*** में विस्तृत है। एक मामलें में, कोषालय ने शिक्षकों के वेतन की देयक राशि ₹7.61 लाख पारित और भुगतान की जिसमें शिक्षकों की खाता संख्यायें नहीं थी। यह राशि भी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर (₹5 लाख) और केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर (₹2.61 लाख) के बैंक खाते में जमा की गई थी।

v. 17 प्रकरणों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि उप कोषालय अधिकारी (एस.टी.ओ.), जोबट, अलीराजपुर ने विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाते में ₹59.59 लाख जमा किए, जबकि यह बैंक खाता वाउचर के साथ संलग्न भुगतानकर्त्ताओं की सूची में उल्लेखित

---

[96] श्री रितुराज सोलंकी

[97] केन्द्राध्यक्ष वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर (खाता संख्या 32230143507, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जोबट, अलीराजपुर) और केन्द्राध्यक्ष वेतन केन्द्र, कुण्डलवासा, अलीराजपुर, (खाता संख्या 32567384007, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जोबट, अलीराजपुर)

नहीं था (***परिशिष्ट 3.4.4***)। यह कपटपूर्ण जमा में, उप कोषालय अधिकारी, जोबट, अलीराजपुर की स्पष्ट भागीदारी को दर्शाता है।

### *(ii) विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के आठ कर्मचारियों के व्यक्तिगत बैंक खातों में धनराशि का अंतरण*

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि केन्द्राध्यक्ष वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर और विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खातों में जमा राशि ₹13.05 करोड़ (₹8 करोड़ + ₹5.05 करोड़) में से, ₹3.84 करोड़ (₹3.45 करोड़ + ₹0.39 करोड़) की राशि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के आठ कर्मचारियों[98] के बैंक खातों में और तत्कालीन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं हेतु अंतरित की गई थी। दिसम्बर 2013 से जून 2017 तक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पदग्राही सहित विवरण ***परिशिष्ट 3.4.5*** में दिया गया हैं।

दो[99] बैंक खातों में जमा राशि (₹2.74 करोड़) में से, ₹34 लाख[100] या तो स्वयं के लिए आहरित किए गए अथवा शिक्षक[101], सहायक ग्रेड–3[102] और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बैंक खातों में अंतरित किए गए।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने 63 प्रमाणकों के माध्यम से कोषालय से ₹34.90 लाख आहरित किए और इसे पूर्वकथित सहायक ग्रेड–3 के दो व्यक्तिगत बैंक खातों में जमा किया। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने 63 प्रमाणकों में से केवल तीन देयक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये। लेखापरीक्षा ने पाया कि ये देयक छात्रावास के छात्रों की छात्रवृत्ति, जी.आई.एस. और प्रत्याशित पेंशन से सम्बन्धित थे, तथापि, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने कपटपूर्वक सहायक ग्रेड–3 के दो बैंक खातों में इन देयकों के ₹6.02 लाख जमा किए जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4.6*** में वर्णित है। आगे, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने छः प्रमाणकों के माध्यम से ₹29.19 लाख आहरित किए और शिक्षक के व्यक्तिगत बैंक खाते में जमा किए। यह राशि अभिप्रेत लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जानी चाहिए थी।

इस प्रकार, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने कपटपूर्वक शासकीय धनराशि ₹16.43 करोड़ (₹15.79 करोड़ + ₹ 0.35 करोड़ + ₹0.29 करोड़) आहरित की और अनाधिकृत बैंक खातों तथा विभिन्न कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा किया। लेखापरीक्षा के बार–बार अनुरोध किये जाने के बावजूद विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने इन लेन–देनों से संबंधित सभी देयकों, प्रमाणकों और दस्तावेजों/सूचनाओं को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया।

### *(iii) गैर–अनुमोदित व्ययों के लिए निधियों का दुरूपयोग*

लेखापरीक्षा ने देखा कि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कोई आधिकारिक लैंडलाइन/मोबाइल सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस तथ्य के बावजूद, केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र,

---

[98] सर्व श्री हेतराम राजपूत, सहायक शिक्षक, रितुराज सोलंकी, सहायक ग्रेड–3, जितेन्द्र सिंह चौहान, सहायक ग्रेड–3, रविन्द्र नागर, सहायक ग्रेड–3, के.एस. भूरा, लेखापाल, अरूण कुमार राजपूत, शिक्षक, राजेन्द्र डबगर, प्रधान पाठक, मांगलिया, भृत्य और श्रीमती उषा सोलंकी पत्नी श्री रितुराज सोलंकी, सहायक ग्रेड–3

[99] केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, कुण्डलवासा, अलीराजपुर (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जोबट, अलीराजपुर) में ₹1.45 करोड़ और केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, कुण्डलवासा, अलीराजपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा, उदयगढ़, अलीराजपुर) में ₹1.29 करोड़

[100] केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, कुण्डलवासा, अलीराजपुर (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जोबट, अलीराजपुर) से ₹31 लाख और केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र कुण्डलवासा, अलीराजपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा, उदयगढ़, अलीराजपुर) से ₹3 लाख

[101] श्री अरूण कुमार राजपूत

[102] श्री रितुराज सोलंकी

उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाते से फोन के रिचार्ज के लिए पाँच दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 291 लेन–देनों के माध्यम से ₹3.09 लाख अंतरित किए गए।

### (iv) आंतरिक नियंत्रणों का अभाव

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता का नियम 293 निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी को अपने अधीन आने वाले प्रत्येक संवितरण अधिकारियों के कार्यालयों का वर्ष में एक बार निरीक्षण करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नियंत्रण अधिकारी (संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, इन्दौर संभाग) ने अप्रैल 2010 से जुलाई 2018 के दौरान विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उदयगढ़, अलीराजपुर के कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण नहीं किया। परिणामस्वरूप, अनाधिकृत बैंक खातों के संचालन और कपटपूर्ण आहरणों का वर्षों तक पता नहीं चला। आवधिक निरीक्षण ऐसी धोखाधड़ी का पता लगाने और सही करने का मौका देने के अलावा एक निवारक के रूप में भी कार्य कर सकता था।

कोषालय प्रणाली में कोई रोकथाम नहीं थी, जो अनाधिकृत कर्मचारियों के बैंक खातों में भुगतान को रोकते। कोषालय प्रणाली में शासन के सभी अधिकृत बैंक खातों की एक सूची होनी चाहिए। कोषालय देयक राशियों की संगणना के लिए जिम्मेदार था। इसने देयक राशि की गणना नहीं की और राशि में हेरफेर की सुविधा दी और अधिक राशि को अनाधिकृत बैंक खातों में अंतरित कर दिया।

कोषालय में सेवानिवृत्ति/मृत्यु लाभ, अतिथि शिक्षकगणों के वेतन की दोहरी निकासी को रोकने के लिए रोकथाम/नियंत्रण भी नहीं थी। यहाँ तक कि एक देयक में भुगतानकर्ताओं के खाता संख्या का उल्लेख नहीं पाया गया, कोषालय ने देयक राशि को अनाधिकृत बैंक खातों में अंतरित कर दिया था। कोषालय ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी का देयक जिसमें स्वीकृति आदेश संलग्न नहीं था भी पारित कर दिया। आवश्यक जाँचों का पालन करने में कोषालय की विफलता और कर्मचारियों की सक्रिय मिलीभगत के परिणामस्वरूप यह धोखाधड़ी हुई।

### (v) मध्य प्रदेश शासन द्वारा कार्रवाई

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के उत्तर में, राज्य शासन ने आयुक्त, आदिवासी विकास, भोपाल (सी.टी.डी.) को मामले की जाँच के लिए विभाग स्तर पर एक विशेष लेखापरीक्षा दल गठित करने का निर्देश (नवम्बर 2019) दिया। विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए सभी तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2020)। आगे, विभाग ने भी स्वतंत्र रूप से जाँच की और पाया कि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास लेखापरीक्षा प्रेक्षणों से संबंधित उचित अभिलेख नहीं थे। विभाग ने सहायक ग्रेड–3[103] को निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की (जुलाई 2020)।

जनजातीय कार्य विभाग ने सूचित (जनवरी 2021) किया है कि पुलिस ने आठ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों सहित 14[104] अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की (जुलाई 2020/

---

[103] श्री रितुराज सोलंकी

[104] श्री डी.एस. सोलंकी, श्री बी.पी. पटेल, श्री एन.एस. रावत, श्री आर.के.एस. तोमर, श्री एम.एल.परमार, श्री नवीन श्रीवास्तव, श्री सूरज सिंह, और स्व. आर.एस. डाबर (तत्कालीन आठ बी.ई.ओ.); श्री के.एस. भूरा, श्री बी.एल. राव (तत्कालीन दो लेखापाल), श्री हेतराम राजपूत, यू.डी.टी., श्री मुकेश नीमा, सहायक ग्रेड–2, श्री रितुराज सोलंकी, सहायक ग्रेड–3 और श्री नरसिंह भूरिया, उप कोषालय, जोबट, अलीराजपुर में तत्कालीन सहायक ग्रेड–2

नवम्बर 2020)। आगे, नवम्बर 2020 में छः[105] विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और दिसम्बर 2020 में उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किए गए।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण के उत्तर में, कोषालय अधिकारी, अलीराजपुर ने भी एक जाँच प्रतिवेदन भेजा (जून 2020), जिसमें कथित था कि देयकों की कार्यालयीन प्रति पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के मुहर और हस्ताक्षर नहीं पाए गए; संबंधित लिपिक और प्रभारी उप कोषालय अधिकारी ने उचित जाँच नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप अनियिमित भुगतान हुआ।

***(vi) शासकीय कार्रवाई की अपर्याप्तता***

विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसमें शेष पाँच[106] कर्मचारियों जो शासकीय धन के कपटपूर्ण आहरण में शामिल थे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है।

***भविष्य में इस तरह के कपट को रोकने के लिए विभाग को कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि मामले की सूक्ष्मता से जाँच की जाए और इन कपटपूर्ण गतिविधियों हेतु सभी उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए और दोषियों को न्यायपालिका के समक्ष लाया जाए।***

**ग्वालियर** **(डी. साहू)**
**दिनांकः 05 मार्च 2021** **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम)**
**मध्य प्रदेश**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**नई दिल्ली** **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
**दिनांकः 09 मार्च 2021** **भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक**

[105] श्री बी.पी. पटेल, श्री डी.एस. सोलंकी, श्री एम.एल. परमार, श्री नवीन श्रीवास्तव, श्री सूरज सिंह और श्री आर.के.एस. तोमर

[106] श्री अरूण कुमार राजपूत, शिक्षक, श्री राजेन्द्र डबगर, प्रधान पाठक, श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, सहायक ग्रेड–3, श्री रविन्द्र नागर, सहायक ग्रेड–3 एवं श्री मांगलिया, भृत्य।

# परिशिष्ट

## परिशिष्ट–1.1
## (संदर्भः कंडिका 1.6.1, पृष्ठ संख्या 5)
## बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण

| स. क्र. | विभाग का नाम | 31 मार्च 2020 की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | निरीक्षण प्रतिवेदन | कंडिकाएं |
| 1. | आयुष विभाग | 195 | 519 |
| 2. | उच्च शिक्षा विभाग | 825 | 3,136 |
| 3. | चिकित्सा शिक्षा विभाग | 187 | 829 |
| 4. | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (ई.एस.आई.एस. ईकाईयों सहित) | 988 | 4,122 |
| 5. | स्कूल शिक्षा विभाग | 2,274 | 7,237 |
| 6. | तकनीकी शिक्षा विभाग | 371 | 1,364 |
| 7. | भोपाल गैस त्रासदी विभाग | 34 | 95 |
| 8. | महिला एवं बाल विकास विभाग | 921 | 2,496 |
| 9. | जनजातीय कल्याण विभाग | 680 | 1,822 |
| 10. | सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग | 314 | 1,005 |
| 11. | खेल एवं युवा कल्याण विभाग | 104 | 311 |
| 12. | संस्कृति विभाग | 97 | 267 |
| 13. | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 125 | 322 |
| 14. | अल्पसंख्यक कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 103 | 419 |
| 15. | श्रम विभाग | 132 | 319 |
| 16. | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | 1,305 | 5,562 |
| 17. | नगरीय विकास एवं आवास विभाग (डूडा सहित) | 1,444 | 7,583 |
| 18. | वित्त विभाग (स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं पेंशन/कोष एवं लेखा सहित) | 128 | 278 |
| 19. | राजस्व विभाग | 762 | 2,360 |
| 20. | जेल विभाग | 101 | 179 |
| 21. | योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग | 86 | 233 |

| स. क्र. | विभाग का नाम | 31 मार्च 2020 की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | निरीक्षण प्रतिवेदन | कंडिकाएं |
| 22. | सामान्य प्रशासन विभाग | 49 | 138 |
| 23. | विधि एवं विधायी कार्य विभाग | 395 | 841 |
| 24. | गृह विभाग | 299 | 620 |
| 25. | जन संपर्क विभाग | 24 | 68 |
| 26. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 7 | 25 |
| 27. | संसदीय कार्य विभाग | 3 | 4 |
| **योग** | | **11,953** | **42,154** |

## परिशिष्ट–1.2
### (संदर्भः कंडिका 1.6.4, पृष्ठ संख्या 6)
### 31 मार्च 2020 की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन से लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्राप्त होनी थीं

| स.क्र. | विभाग का नाम | एकादश विधान सभा 1998–2003 | द्वादश विधान सभा 2003–2008 | त्रयोदश विधान सभा 2008–2013 | चतुर्दश विधान सभा 2013–2018 | पंचदश विधान सभा 2018 से अब तक | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | विधान सभा सचिवालय (वित्त विभाग) | 01 | – | – | – | – | 01 |
| 2. | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | – | – | – | 06 | – | 06 |
| 3. | लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग | – | – | – | 05 | – | 05 |
| 4. | स्कूल शिक्षा विभाग | – | – | – | 04 | – | 04 |
| 5. | गृह विभाग | – | – | – | 02 | – | 02 |
| 6. | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | – | – | – | 02 | – | 02 |
| 7. | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | – | – | – | 04 | – | 04 |
| 8. | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | – | – | – | 06 | – | 06 |
| 9. | श्रम विभाग | – | – | – | 01 | – | 01 |
| 10. | योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग | – | – | – | 02 | – | 02 |
| 11. | सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग | – | – | – | 02 | – | 02 |
| 12. | आयुष विभाग | – | – | – | 01 | – | 01 |
| 13. | लोक सेवा प्रबंधन विभाग | – | – | – | 01 | – | 01 |
| | **योग** | **01** | **.** | **.** | **36** | | **37** |

## परिशिष्ट–2.1
## (संदर्भः कंडिका 2.1.1, पृष्ठ संख्या 12)
## खाद्य सुरक्षा प्रशासन का ढांचा

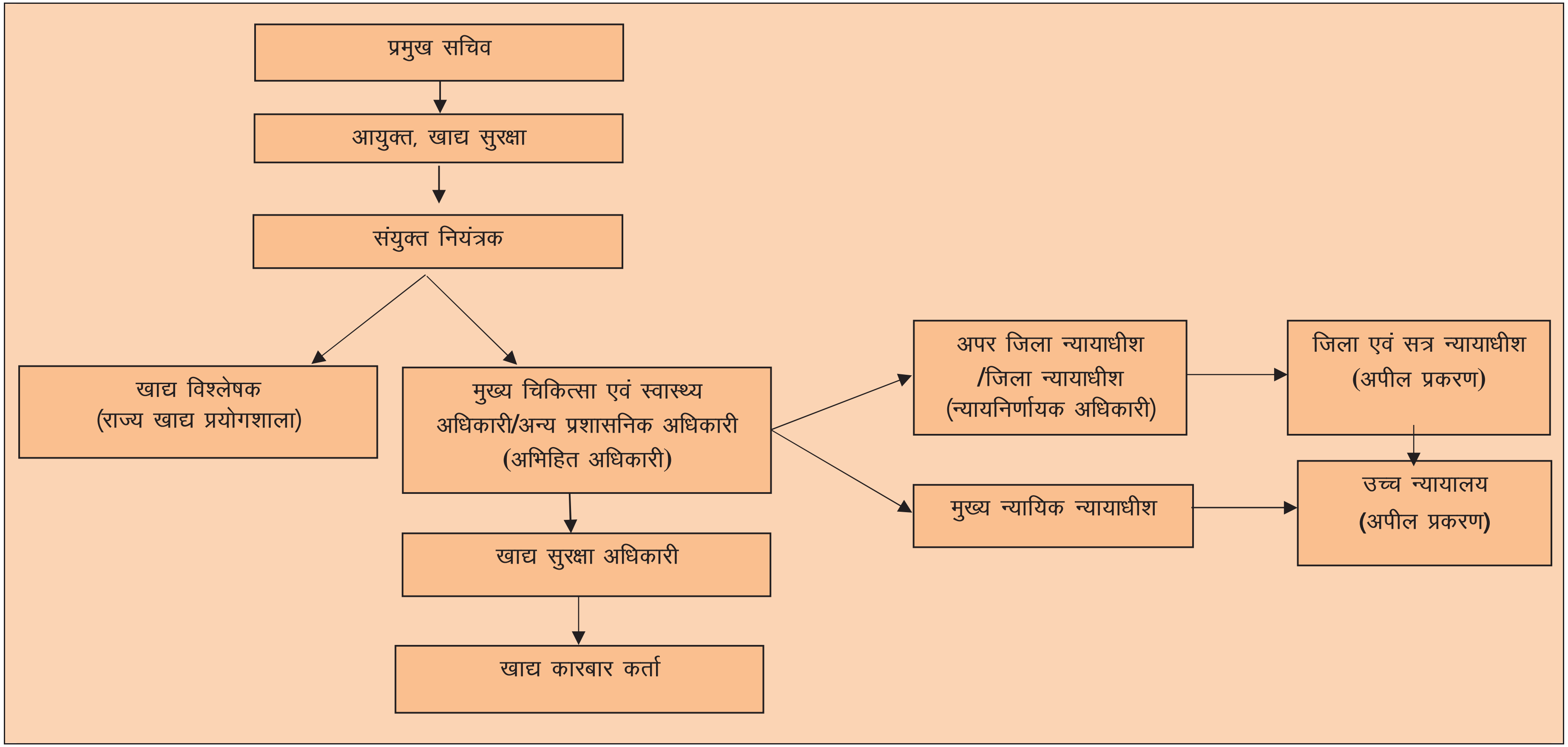

# परिशिष्ट–2.2
## (संदर्भ कंडिका 2.2.3, पृष्ठ संख्या 14)
## चयनित खाद्य कारबार कर्ताओं की सूची

| स.क्र. | चयनित जिले का नाम | स. क्र. | खाद्य कारबार कर्ताओं का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | भोपाल | 1. | शिव स्वीट्स, कोलार रोड, भोपाल |
| | | 2. | भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल |
| | | 3. | परमार डेयरी एंड स्वीट्स, अरेरा कॉलोनी, भोपाल |
| | | 4. | न्यू गौरव डेयरी (गौरव यादव), इन्द्रपुरी, भोपाल |
| | | 5. | मनोहर फूड्स, मनोहर डेयरी एंड रेस्टोरेंट, हमीदिया रोड, भोपाल |
| | | 6. | राधेकृष्णा टी (मार्केश साहू), घोड़ानक्कास, भोपाल |
| | | 7. | वर्षा स्वीट्स एंड प्रोटीन्स, बैरागढ़, भोपाल |
| | | 8. | महेन्द्र नागर, मोहन डेयरी, मीनल मॉल, जे.के. रोड, भोपाल |
| | | 9. | मिलन स्वीट्स एंड नमकीन, एम.पी. नगर, भोपाल |
| | | 10. | रंजीत सिंह तोमर, न्यू मुरैना शुद्ध घी भंडार, भोपाल |
| 2. | ग्वालियर | 11. | मेसर्स कुक्स फास्ट फूड एंड भोज थाली, ग्वालियर |
| | | 12. | मनोज कुमार शर्मा, मेसर्स पंडित मेवाराम दिल्ली वाले, सर्राफा बाजार, ग्वालियर |
| | | 13. | मेसर्स माँ अंगारे दूध डेयरी, मुरार, ग्वालियर |
| | | 14 | मेसर्स पूनम गजक एंड मिष्ठान भंडार, चार शहर का नाका, ग्वालियर |
| | | 15. | ओम प्रकाश गुप्ता, आनंद डेयरी, ठाटीपुर चौराहा, ग्वालियर |
| | | 16. | नीखरा ट्रेडर्स, फालका बाजार, ग्वालियर |
| | | 17. | श्री राम स्वीट्स एंड केटरर्स, दाल बाजार, ग्वालियर |
| | | 18*. | हरिओम शर्मा, पुजारी दूध डेयरी, पुराने पेट्रोल पंप के पास, मोहना, ग्वालियर |
| | | 19. | जय बजरंग डेयरी एंड मिष्ठान भंडार, मेन रोड, टेकनपुर, डबरा, ग्वालियर |
| | | 20. | राजेन्द्र मांडिल, राजू मिष्ठान भण्डार, सर्राफा बाजार, डबरा, ग्वालियर |
| | | 21. | श्री दिलीप यादव, यादव मावा भण्डार, मोर बाजार, लश्कर, ग्वालियर |
| | | 22. | श्री राम ट्रेडर्स, अशोक पैलेस के पास, लश्कर, ग्वालियर |
| | | 23. | फौजी स्वीट्स, द्वारकाधीश मंदिर, ठाटीपुर, ग्वालियर |
| | | 24. | होटल सुरूची रेसीडेन्सी, गोले का मंदिर, ग्वालियर |

| स.क्र. | चयनित जिले का नाम | स. क्र. | खाद्य कारबार कर्ताओं का नाम |
|---|---|---|---|
| | | 25. | भोगीराम मावा भण्डार, मोर बाजार, लश्कर, ग्वालियर |
| 3. | होशंगाबाद | 26. | अंदानी ट्रेडर्स, विश्वनाथ परिसर, सातरास्ता, होशंगाबाद |
| | | 27.* | मधु डेयरी, होटल श्यामली के सामने, नेहरू चौक, होशंगाबाद |
| | | 28. | नॉवेल्टी फूड सेलिब्रेशन, बड़ा मंदिर के पास, फल मार्केट, इटारसी, होशंगाबाद |
| | | 29.* | यादव डेयरी, हुकुम चंद्र यादव, हरदा रोड, होशंगाबाद |
| | | 30. | द ट्रीट, प्योर वेज रेस्टोरेंट, बी.एस.एन.एल. चौराहा, होशंगाबाद |
| | | 31. | गुबरेले डेयरी प्रोडक्ट, सुरेश कुमार गुबरेले, कोठी बाजार, होशंगाबाद |
| | | 32. | नर्मदांचल स्टेशनरी एंड जनरल स्टोर्स, बस स्टैण्ड, बाबई, होशंगाबाद |
| | | 33. | रमेश कुमार मुदगल, श्री ब्रजवासी दूध डेयरी एंड मावा भण्डार, शॉप नं 16, सिवनी मालवा, होशंगाबाद |
| | | 34. | राधे राजस्थान स्वीट्स, शैतान सिंह राजपुरोहित, मीनाक्षी चौक, होशंगाबाद |
| | | 35. | दुर्गा मिष्ठान केन्द्र, कमल सिंह राजपूत, डोलरिया, होशंगाबाद |
| 4. | इंदौर | 36. | कैलाश, श्री चारभुजा मिष्ठान भण्डार, इंदौर |
| | | 37. | भेरूनाथ दूध दही भण्डार, श्री राम नगर, इंदौर |
| | | 38. | गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, इंदौर |
| | | 39. | अमॉर आईसक्रीम/महेन्द्र कुमार डांग, 73, ग्रेटर ब्रजेश्वरी, पिपलियाहना, इंदौर |
| | | 40. | हरिओम दूध भंडार, विनोद पटेल, इंदौर |
| | | 41. | वर्षा इंजीनियरिंग, राम सुजान, सी–2ए, पोलो ग्राउंड, इंदौर |
| | | 42. | पाण्डे अब तक 56 रेस्टोरेंट, मेट्रो टॉवर स्कीम नं 54, इंदौर |
| | | 43. | होटल न्यू श्री लीला रेस्टोरेंट, आकाश मालवीय, इंदौर |
| | | 44. | प्रदीप मेहता, नवरतन स्वीट्स एंड नमकीन, इंदौर |
| | | 45. | नागर दूध डेयरी, पंकज बसंतानी, 551 खंडवा नाका, इंदौर |
| | | 46. | अपना स्वीट्स, गोपाल चौहान, प्रकाश राठौर, इंदौर |
| | | 47. | देव बेकरी, 21, इन्द्रपुरी कॉलोनी, इंदौर |
| | | 48. | विजय शर्मा/शर्मा मावा भण्डार, 42 स्टेशन रोड, महू, इंदौर |
| | | 49. | मेसर्स श्याम सेल्स, राजेश पुरोहित, एल जी 1.2, मनभावन प्लाजा, इंदौर |
| | | 50. | श्री मिष्ठान, 104, राधिका पैलेस, इंदौर |

| स.क्र. | चयनित जिले का नाम | स. क्र. | खाद्य कारबार कर्ताओं का नाम |
|---|---|---|---|
| | | 51. | फ्रेश लाइफ इंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रियल एरिया, पोलो ग्राउंड, इंदौर |
| | | 52. | चुन्नीलाल, राजेश दूध दही भण्डार, ब्रम्हाबाग कॉलोनी, इंदौर |
| | | 53. | प्रफुल्ल शुक्ला, वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर |
| | | 54. | भवानी शंकर पुत्र मांगीलाल पुरोहित, श्रीनाथ डेयरी, हरगोविंद नगर, इंदौर |
| | | 55. | जैन मिठाई भण्डार, सुरेश पुत्र मानिक चंद, सीताश्री रेसीडेन्सी, इंदौर |
| 5. | खरगोन | 56. | पवन रेस्टोरेंट, टांडा, बारूड़, खरगोन |
| | | 57. | संत सिंघाजी दुग्ध डेयरी, जैतपुर, खरगोन |
| | | 58. | शारदा ट्रेडर्स, 11 जवाहर मार्ग, खरगोन |
| | | 59. | भारमल बिजनेस, मंगरूल रोड, गोकुल नगर, खरगोन |
| | | 60. | आर्ची दूध डेयरी, मंगरूल रोड, खरगोन |
| | | 61. | शक्ति डेयरी प्रोडक्ट्स, विश्वशाखा कॉलोनी, खरगोन |
| | | 62. | सांची दूध, टेमला रोड, खरगोन |
| | | 63. | वल्लभा स्वीट्स, 7 तिलक पथ, खरगोन |
| | | 64. | नटराज भोजनालय/सुरेश भावसार, बस स्टैंड, खरगोन |
| | | 65. | राजराजेश्वर दूध डेयरी, तलाइं मार्ग, खरगोन |
| 6. | मुरैना | 66. | पूनम डेयरी, महादेव नाका, मुरैना |
| | | 67. | मेसर्स चित्रकूट मिष्ठान भण्डार, नाला नं 2, मुरैना |
| | | 68. | वी.आर.एस. फूड लिमिटेड, मुरैना |
| | | 69. | मेसर्स विष्णु डेयरी, मुरैना |
| | | 70. | श्याम डेयरी, नैनागढ़ रोड, मुरैना |
| | | 71. | मेसर्स हरिशंकर शर्मा डेयरी, गणेश होटल, मुरैना |
| | | 72. | मेसर्स गोवर्धन मिष्ठान भण्डार, मुरैना |
| | | 73. | मेसर्स महेश चन्द प्रदीप कुमार, मारकंडेश्वर बाजार, मुरैना |
| | | 74. | मेसर्स ब्रज स्वीट्स, बरियाल चौराहा, मुरैना |
| | | 75. | भोलेनाथ मावा भंडार, मावा मंडी, मुरैना |
| | | 76. | वीटा आईसक्रीम, जीवाजीगंज, मुरैना |
| | | 77. | गुप्ता मावा भण्डार, महादेव नाका, मुरैना |
| | | 78. | मेसर्स मुरैना दुग्ध एंड मिष्ठान भंडार, मुरैना |
| | | 79. | मेसर्स श्री कृष्ण मावा भण्डार, मावा मण्डी, मुरैना |

| स.क्र. | चयनित जिले का नाम | स. क्र. | खाद्य कारबार कर्ताओं का नाम |
|---|---|---|---|
| 7. | सतना | 80. | नेमा स्वीट मार्ट, सिटी कोतवाली, सतना |
| | | 81. | राम सुभाष मिश्रा, पायासी मिष्ठान भण्डार, सतना |
| | | 82. | भल्ला डेयरी फार्म, निमी रोड, सतना |
| | | 83. | बिसेन एजेन्सी, मुख्तियार नगर, सतना |
| | | 84. | अंकित गुप्ता, उमा क्लब एंड रिसोर्ट (पुष्पा फुड्स प्रोसेसिंग प्रायवेट लिमिटेड उपक्रम की इकाई), सतना |
| | | 85. | राकेश किराना स्टोर, बाजार, बीरसिंहपुर, सतना |
| | | 86. | सोनू डेयरी, अखिलेश साहू, हनुमान नगर, चार मंदिर के पास, सतना |
| | | 87. | मोनू डेयरी, आत्मानंद शुक्ला, आयुष्मान हॉस्पिटल के पास, सतना |
| | | 88. | प्योर मिल्क डेयरी, राजेन्द्र नगर, सतना |
| | | 89. | परिहार होटल, कृष्णपाल सिंह, बस स्टैंड, सतना |
| 8. | उज्जैन | 90. | राजा दूध डेयरी, माहिदपुर, उज्जैन |
| | | 91. | अभिषेक यादव, माँ नर्मदा दूध डेयरी, अन्नपूर्णा नगर, उज्जैन |
| | | 92. | घनश्याम बैरागी/बैरागी होटल, माहिदपुर रोड, उज्जैन |
| | | 93. | राजेन्द्र स्वीट्स, अभय कुमार जैन, नागदा, उज्जैन |
| | | 94. | मुकेश पाटीदार/श्री सांवरिया दूध डेयरी, तराना, उज्जैन |
| | | 95. | रेस्टोरेंट ओम शांति, पिपली नाका, उज्जैन |
| | | 96. | दवे दुग्धालय/लालूराम दवे, रिशी नगर, उज्जैन |
| | | 97. | विक्रम सिंह, दरबार दूध डेयरी, 13, मंछामन कॉलोनी, उज्जैन |
| | | 98. | उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन |
| | | 99. | कमल गिरी/गोस्वामी किराना, घटिया, उज्जैन |
| | | 100. | अंतर सिंह चौधरी/गणेश दूध डेयरी, उज्जैन |
| | | 101. | राजेन्द्र सिंह, श्री सांवरिया दूध डेयरी, इंदिरा नगर, उज्जैन |
| * स.क्र 18 | | खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं लेखापरीक्षा दल को देखकर खाद्य कारबार कर्ता ने शटर बंद कर दिया। | |
| * स.क्र. 27 | | दुकान बंद पायी गयी। (कारबार बंद किया) | |
| * स.क्र. 29 | | दुकान बंद पायी गयी। (दुकान मालिक का निधन हो चुका था) | |

# परिशिष्ट 2.3
## (संदर्भः कंडिका 2.4.1, पृष्ठ संख्या 21)
## खाद्य सुरक्षा संरचना को दर्शाने वाला पत्रक

(आँकड़े संख्या में)

| संरचना का स्तर | शाखा का नाम | पद का नाम | भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अनुसार आवश्यकता (राज्य के लिए) | नवीन सृजित पद | पुराने स्वीकृत पद | मध्य प्रदेश शासन द्वारा कुल स्वीकृत पद | कार्यरत संख्या | कमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य स्तर | | आयुक्त, खाद्य सुरक्षा | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | विशेष/अपर आयुक्त | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | (1)समन्वय/सूचना प्रौद्योगिकी/सतर्कता/सूचना, शिक्षा और संचार/प्रशिक्षण, (2) तकनीकी (3) प्रशासन/लेखा/स्थापना और (4) विधि | उप आयुक्त | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | उप विधिक सलाहकार | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | लेखा अधिकारी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | सहायक विधिक सलाहकार | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| | | स्टेनो | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | अभिहित अधिकारी | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | खाद्य सुरक्षा अधिकारी | 4 | 0 | 7 | 7 | 5 | –1 |
| | | वरिष्ठ लिपिक | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |

| संरचना का स्तर | शाखा का नाम | पद का नाम | भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अनुसार आवश्यकता (राज्य के लिए) | नवीन सृजित पद | पुराने स्वीकृत पद | मध्य प्रदेश शासन द्वारा कुल स्वीकृत पद | कार्यरत संख्या | कमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कनिष्ठ लिपिक | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | भृत्य | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| **योग** | | | **65** | **1** | **10** | **11** | **5** | **60** |
| | | | **मध्य प्रदेश में 10 संभाग के लिए** | **नवीन सृजित पद** | **पुराने स्वीकृत पद** | **मध्य प्रदेश शासन द्वारा कुल स्वीकृत पद** | **कार्यरत संख्या** | **कमी** |
| संभाग स्तर (प्रत्येक संभाग के लिए) | | सहायक आयुक्त | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | अभिहित अधिकारी | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | खाद्य सुरक्षा अधिकारी | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | स्टेनो | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | वरिष्ठ लिपिक | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | कनिष्ठ लिपिक | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | भृत्य | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| **योग** | | | **90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90** |

| संरचना का स्तर | शाखा का नाम | पद का नाम | भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अनुसार आवश्यकता (राज्य के लिए) | नवीन सृजित पद | पुराने स्वीकृत पद | मध्य प्रदेश शासन द्वारा कुल स्वीकृत पद | कार्यरत संख्या | कमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मध्य प्रदेश के 52 जिलों के लिए | नवीन सृजित पद | पुराने स्वीकृत पद | मध्य प्रदेश शासन द्वारा कुल स्वीकृत पद | कार्यरत संख्या | कमी |
| जिला स्तर (प्रत्येक जिले के लिए) | | अभिहित अधिकारी | 52 | 51 | 0 | 51 | 0 | 52 |
| | | सहायक विधिक सलाहकार | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| | | वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी | 52 | 85 | 7 | 92 | 5 | 47 |
| | | खाद्य सुरक्षा अधिकारी | 304 | 0 | 270 | 270 | 155 | 149 |
| | | वरिष्ठ लिपिक | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| | | कनिष्ठ लिपिक | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| | | भृत्य | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| **योग** | | | **616** | **136** | **277** | **413** | **160** | **456** |
| **महायोग** | | | **771** | | | **424** | **165** | **606** |

टीपः–प्रयोगशाला के लिए स्वीकृत 46 पदों में 15 नवीन स्वीकृत पद सम्मिलित है और उसमें 09 कार्यरत संख्या को शामिल नहीं किया गया है।

*(स्रोतः विभागीय अभिलेख)*

## परिशिष्ट–2.4
## (संदर्भः कंडिका 2.4.1, पृष्ठ संख्या 21)
## स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की स्थिति

(आँकड़े संख्या में)

| स.क्र. | पद का नाम | स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | लोक विश्लेषक | 3 | 0 | 3 |
| 2. | वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक | 2 | 1 | 1 |
| 3. | रासायनिक रसायनज्ञ | 1 | 0 | 1 |
| 4. | लोक विश्लेषक | 1 | 1 | 0 |
| 5. | सहायक लोक विश्लेषक | 1 | 1 | 0 |
| 6. | वरिष्ठ रसायनज्ञ | 3 | 1 | 2 |
| 7. | सहायक लोक अभियोजक | 3 | 0 | 3 |
| 8. | खाद्य निरीक्षक (उच्च वेतनमान) | 7 | 5 | 2 |
| 9. | खाद्य निरीक्षक (ग्रेड–II) | 275 | 159 | 116 |
| 10. | रसायनज्ञ ग्रेड–I | 1 | 0 | 1 |
| 11. | सहायक लोक विश्लेषक/रसायनज्ञ ग्रेड–II/सहायक रसायनज्ञ | 12 | 2 | 10 |
| 12. | प्रयोगशाला सहायक (खाद्य) | 9 | 4 | 5 |
| **योग** | | **318** | **174** | **144** |
| **नवीन स्वीकृत पद** | | | | |
| 13. | उप आयुक्त | 1 | 0 | 1 |
| 14. | वरिष्ठ अभिहित अधिकारी | 10 | 0 | 10 |
| 15. | अभिहित अधिकारी | 41 | 0 | 41 |
| 16. | वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी (पूर्व में खाद्य निरीक्षक उच्च वेतनमान में) | 85 | 0 | 85 |
| 17. | खाद्य विश्लेषक | 1 | 0 | 1 |
| 18. | वरिष्ठ रसायनज्ञ | 3 | 0 | 3 |
| 19. | सूक्ष्म जीव विज्ञानी | 2 | 0 | 2 |
| 20. | सहायक सूक्ष्मजीव विज्ञानी | 2 | 0 | 2 |
| 21. | रसायनज्ञ ग्रेड–।। | 1 | 0 | 1 |
| 22. | प्रयोगशाला तकनीशियन | 5 | 0 | 5 |
| 23. | प्रयोगशाला सहायक | 1 | 0 | 1 |
| **योग** | | **152** | **0** | **152** |
| **महायोग** | | **470** | **174** | **296** |

*(स्रोतः विभागीय अभिलेख)*

## परिशिष्ट–2.5

### (संदर्भः कंडिका 2.4.3.4(iii), पृष्ठ संख्या 26)

### विभागों का विवरण, जिन्हें खाद्य कारबार कर्ताओं के लाइसेंस/पंजीयन के लिए निर्देश जारी किए गए

| स.क्र. | पदनाम | विभाग का नाम |
|---|---|---|
| 1. | प्रमुख सचिव | वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल |
| 2. | प्रमुख सचिव | स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल |
| 3. | प्रमुख सचिव | महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल |
| 4. | प्रमुख सचिव | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल |
| 5. | प्रमुख सचिव | सहकारिता विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल |
| 6. | प्रमुख सचिव | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल |
| 7. | प्रमुख सचिव | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल |
| 8. | प्रमुख सचिव | जेल विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल |
| 9. | प्रमुख सचिव | गृह विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल |
| 10. | प्रमुख सचिव | चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल |
| 11. | प्रमुख सचिव | उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल |
| 12. | प्रमुख सचिव | तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल |
| 13. | प्रमुख सचिव | सामाजिक न्याय विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल |
| 14. | प्रमुख सचिव | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल |
| 15. | महाप्रबंधक | नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग, मध्य प्रदेश |
| 16. | महाप्रबंधक | वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश |

*(स्रोतः विभागीय अभिलेख)*

## परिशिष्ट–2.6

(संदर्भ: कंडिका 2.4.5.3, पृष्ठ संख्या 37)

### जिले वार एवं वर्ष वार लिए गए एवं विश्लेषित किए गए नियामक नमूनों का विवरण

| जिले का नाम | वर्ष | लिए गए एवं प्रयोगशाला को प्रेषित नियामक नमूनों की संख्या | नियामक नमूनों की संख्या, जिनका परिणाम प्राप्त हुआ | अनुरूप पाए गए नियामक नमूनों की संख्या | गैर अनुरूप पाए गए नियामक नमूनों की संख्या | नियामक नमूनों की संख्या, जिसका परिणाम प्राप्त नहीं हुआ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भोपाल | 2014–15 | 329 | 329 | 277 | 52 | 0 |
| | 2015–16 | 529 | 528 | 455 | 73 | 1 |
| | 2016–17 | 291 | 291 | 260 | 31 | 0 |
| | 2017–18 | 395 | 395 | 322 | 73 | 0 |
| | 2018–19 | 348 | 348 | 302 | 46 | 0 |
| | **योग** | **1,892** | **1,891** | **1,616** | **275** | **1** |
| ग्वालियर | 2014–15 | 462 | 462 | 354 | 108 | 0 |
| | 2015–16 | 428 | 428 | 318 | 110 | 0 |
| | 2016–17 | 172 | 172 | 143 | 29 | 0 |
| | 2017–18 | 300 | 300 | 248 | 52 | 0 |
| | 2018–19 | 289 | 288 | 219 | 69 | 1 |
| | **योग** | **1,651** | **1,650** | **1,282** | **368** | **1** |
| होशंगाबाद | 2014–15 | 315 | 315 | 270 | 45 | 0 |
| | 2015–16 | 176 | 176 | 148 | 28 | 0 |
| | 2016–17 | 125 | 125 | 106 | 19 | 0 |
| | 2017–18 | 167 | 167 | 130 | 37 | 0 |
| | 2018–19 | 190 | 189 | 139 | 50 | 1 |
| | **योग** | **973** | **972** | **793** | **179** | **1** |

| जिले का नाम | वर्ष | लिए गए एवं प्रयोगशाला को प्रेषित नियामक नमूनों की संख्या | नियामक नमूनों की संख्या, जिनका परिणाम प्राप्त हुआ | अनुरूप पाए गए नियामक नमूनों की संख्या | गैर अनुरूप पाए गए नियामक नमूनों की संख्या | नियामक नमूनों की संख्या, जिसका परिणाम प्राप्त नहीं हुआ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| इंदौर | 2014–15 | 681 | 681 | 517 | 164 | 0 |
| | 2015–16 | 1067 | 1066 | 881 | 185 | 1 |
| | 2016–17 | 346 | 346 | 259 | 87 | 0 |
| | 2017–18 | 526 | 518 | 410 | 108 | 8 |
| | 2018–19 | 498 | 496 | 377 | 119 | 2 |
| | **योग** | **3,118** | **3,107** | **2,444** | **663** | **11** |
| खरगोन | 2014–15 | 186 | 186 | 141 | 45 | 0 |
| | 2015–16 | 126 | 126 | 99 | 27 | 0 |
| | 2016–17 | 86 | 86 | 77 | 9 | 0 |
| | 2017–18 | 89 | 89 | 67 | 22 | 0 |
| | 2018–19 | 101 | 100 | 70 | 30 | 1 |
| | **योग** | **588** | **587** | **454** | **133** | **1** |
| मुरैना | 2014–15 | 274 | 274 | 217 | 57 | 0 |
| | 2015–16 | 248 | 248 | 223 | 25 | 0 |
| | 2016–17 | 163 | 163 | 129 | 34 | 0 |
| | 2017–18 | 290 | 290 | 239 | 51 | 0 |
| | 2018–19 | 302 | 301 | 241 | 60 | 1 |
| | **योग** | **1,277** | **1,276** | **1,049** | **227** | **1** |
| सतना | 2014–15 | 136 | 136 | 126 | 10 | 0 |
| | 2015–16 | 139 | 137 | 123 | 14 | 2 |
| | 2016–17 | 60 | 47 | 41 | 6 | 13 |

| जिले का नाम | वर्ष | लिए गए एवं प्रयोगशाला को प्रेषित नियामक नमूनों की संख्या | नियामक नमूनों की संख्या, जिनका परिणाम प्राप्त हुआ | अनुरूप पाए गए नियामक नमूनों की संख्या | गैर अनुरूप पाए गए नियामक नमूनों की संख्या | नियामक नमूनों की संख्या, जिसका परिणाम प्राप्त नहीं हुआ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017–18 | 61 | 57 | 51 | 6 | 4 |
| | 2018–19 | 94 | 86 | 66 | 20 | 8 |
| | **योग** | **490** | **463** | **407** | **56** | **27** |
| उज्जैन | 2014–15 | 262 | 256 | 222 | 34 | 6 |
| | 2015–16 | 382 | 371 | 330 | 41 | 11 |
| | 2016–17 | 240 | 236 | 185 | 51 | 4 |
| | 2017–18 | 349 | 349 | 304 | 45 | 0 |
| | 2018–19 | 283 | 282 | 236 | 46 | 1 |
| | **योग** | **1,516** | **1,494** | **1,277** | **217** | **22** |
| **महायोग** | | **11,505** | **11,440** | **9,322** | **2,118** | **65** |

*(स्रोतः विभागीय अभिलेख)*

## परिशिष्ट–2.7

(संदर्भः कंडिका 2.4.5.3, पृष्ठ संख्या 38)

**खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए नियामक नमूनों के लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक**

| जिले का नाम | वर्ष | नियामक नमूनों का लक्ष्य | नियामक नमूनों की उपलब्धि | कमी |
|---|---|---|---|---|
| भोपाल | 2016–17 | 432 | 291 | –141 |
| | 2017–18 | 432 | 395 | –37 |
| | 2018–19 | 432 | 348 | –84 |
| | **योग** | **1,296** | **1,034** | **–262** |
| ग्वालियर | 2016–17 | 240 | 172 | –68 |
| | 2017–18 | 288 | 300 | 12 |
| | 2018–19 | 288 | 289 | 1 |
| | **योग** | **816** | **761** | **–55** |
| होशंगाबाद | 2016–17 | 144 | 125 | –19 |
| | 2017–18 | 144 | 167 | 23 |
| | 2018–19 | 144 | 190 | 46 |
| | **योग** | **432** | **482** | **50** |
| इंदौर | 2016–17 | 528 | 346 | –182 |
| | 2017–18 | 528 | 526 | –2 |
| | 2018–19 | 576 | 498 | –78 |
| | **योग** | **1,632** | **1,370** | **–262** |
| खरगोन | 2016–17 | 96 | 86 | –10 |
| | 2017–18 | 96 | 89 | –7 |
| | 2018–19 | 96 | 101 | 5 |
| | **योग** | **288** | **276** | **–12** |
| मुरैना | 2016–17 | 160 | 163 | 3 |
| | 2017–18 | 204 | 290 | 86 |
| | 2018–19 | 192 | 302 | 110 |
| | **योग** | **556** | **755** | **199** |
| सतना | 2016–17 | 144 | 60 | –84 |
| | 2017–18 | 144 | 61 | –83 |

| जिले का नाम | वर्ष | नियामक नमूनों का लक्ष्य | नियामक नमूनों की उपलब्धि | कमी |
|---|---|---|---|---|
| | 2018–19 | 144 | 94 | –50 |
| | **योग** | **432** | **215** | **–217** |
| उज्जैन | 2016–17 | 336 | 240 | –96 |
| | 2017–18 | 336 | 349 | 13 |
| | 2018–19 | 336 | 283 | –53 |
| | **योग** | **1,008** | **872** | **–136** |
| **महायोग** | | **6,460** | **5,765** | **–695** |

*(स्रोतः विभागीय अभिलेख)*

## परिशिष्ट–2.8

### (संदर्भः कंडिका 2.4.5.3, पृष्ठ संख्या 38)

### खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए निगरानी नमूनों के लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

| जिले का नाम | वर्ष | निगरानी नमूनों का लक्ष्य | निगरानी नमूनों की उपलब्धि | कमी |
|---|---|---|---|---|
| भोपाल | 2016–17 | 864 | 164 | –700 |
| | 2017–18 | 864 | 21 | –843 |
| | 2018–19 | 864 | 28 | –836 |
| | **योग** | **2,592** | **213** | **–2,379** |
| ग्वालियर | 2016–17 | 480 | 89 | –391 |
| | 2017–18 | 576 | 13 | –563 |
| | 2018–19 | 576 | 14 | –562 |
| | **योग** | **1,632** | **116** | **–1,516** |
| होशंगाबाद | 2016–17 | 288 | 125 | –163 |
| | 2017–18 | 288 | 220 | –68 |
| | 2018–19 | 288 | 116 | –172 |
| | **योग** | **864** | **461** | **–403** |
| इंदौर | 2016–17 | 1056 | 1078 | 22 |
| | 2017–18 | 1056 | 877 | –179 |
| | 2018–19 | 1152 | 820 | –332 |
| | **योग** | **3,264** | **2,775** | **–489** |
| खरगोन | 2016–17 | 192 | 222 | 30 |
| | 2017–18 | 192 | 174 | –18 |
| | 2018–19 | 192 | 110 | –82 |
| | **योग** | **576** | **506** | **–70** |
| मुरैना | 2016–17 | 320 | 199 | –121 |
| | 2017–18 | 408 | 166 | –242 |
| | 2018–19 | 384 | 50 | –334 |
| | **योग** | **1,112** | **415** | **–697** |
| सतना | 2016–17 | 288 | 30 | –258 |
| | 2017–18 | 288 | 0 | –288 |

| जिले का नाम | वर्ष | निगरानी नमूनों का लक्ष्य | निगरानी नमूनों की उपलब्धि | कमी |
|---|---|---|---|---|
| | 2018–19 | 288 | 0 | –288 |
| | **योग** | **864** | **30** | **–834** |
| उज्जैन | 2016–17 | 672 | 81 | –591 |
| | 2017–18 | 672 | 185 | –487 |
| | 2018–19 | 672 | 9 | –663 |
| | **योग** | **2,016** | **275** | **–1,741** |
| **महायोग** | | **12,920** | **4,791** | **–8,129** |

*(स्रोतः विभागीय अभिलेख)*

# परिशिष्ट–2.9

## (संदर्भः कंडिका 2.4.5.5, पृष्ठ संख्या 41)

## जिले वार एवं वर्ष वार लिए गए एवं विश्लेषित किए गए निगरानी नमूनों का विवरण दर्शाने पाला पत्रक

| जिले का नाम | वर्ष | लिए गए एवं खाद्य प्रयोगशाला को भेजे गए निगरानी नमूनों की संख्या | निगरानी नमूनों की संख्या, जिनके परिणाम प्राप्त हुए | अनुरूप पाए गए निगरानी नमूनों की संख्या | गैर अनुरूप पाए गए निगरानी नमूनों की संख्या | निगरानी नमूनों की संख्या, जिसका परिणाम प्राप्त नहीं हुआ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भोपाल | 2014–15 | 107 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| | 2015–16 | 93 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| | 2016–17 | 164 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| | 2017–18 | 21 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| | 2018–19 | 28 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| | **योग** | **413** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ग्वालियर | 2014–15 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| | 2015–16 | 18 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| | 2016–17 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| | 2017–18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | 2018–19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | **योग** | **256** | **7** | **7** | **0** | **249** |
| होशंगाबाद | 2014–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2016–17 | 125 | 35 | 31 | 4 | 90 |

| जिले का नाम | वर्ष | लिए गए एवं खाद्य प्रयोगशाला को भेजे गए निगरानी नमूनों की संख्या | निगरानी नमूनों की संख्या, जिनके परिणाम प्राप्त हुए | अनुरूप पाए गए निगरानी नमूनों की संख्या | गैर अनुरूप पाए गए निगरानी नमूनों की संख्या | निगरानी नमूनों की संख्या, जिसका परिणाम प्राप्त नहीं हुआ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017–18 | 220 | 26 | 24 | 2 | 194 |
| | 2018–19 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| | **योग** | **461** | **61** | **55** | **6** | **400** |
| इंदौर | 2014–15 | 105 | 105 | 104 | 1 | 0 |
| | 2015–16 | 188 | 188 | 182 | 6 | 0 |
| | 2016–17 | 1078 | 333 | 326 | 7 | 745 |
| | 2017–18 | 877 | 0 | 0 | 0 | 877 |
| | 2018–19 | 820 | 35 | 28 | 7 | 785 |
| | **योग** | **3,068** | **661** | **640** | **21** | **2,407** |
| खरगोन | 2014–15 | 109 | 100 | 100 | 0 | 9 |
| | 2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2016–17 | 222 | 41 | 30 | 11 | 181 |
| | 2017–18 | 174 | 3 | 3 | 0 | 171 |
| | 2018–19 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| | **योग** | **615** | **144** | **133** | **11** | **471** |
| मुरैना | 2014–15 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| | 2015–16 | 77 | 73 | 69 | 4 | 4 |
| | 2016–17 | 199 | 76 | 66 | 10 | 123 |

| जिले का नाम | वर्ष | लिए गए एवं खाद्य प्रयोगशाला को भेजे गए निगरानी नमूनों की संख्या | निगरानी नमूनों की संख्या, जिनके परिणाम प्राप्त हुए | अनुरूप पाए गए निगरानी नमूनों की संख्या | गैर अनुरूप पाए गए निगरानी नमूनों की संख्या | निगरानी नमूनों की संख्या, जिसका परिणाम प्राप्त नहीं हुआ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017–18 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| | 2018–19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | **योग** | **531** | **188** | **174** | **14** | **343** |
| सतना | 2014–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2015–16 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| | 2016–17 | 30 | 14 | 13 | 1 | 16 |
| | 2017–18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **योग** | **39** | **21** | **20** | **1** | **18** |
| उज्जैन | 2014–15 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 |
| | 2015–16 | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 |
| | 2016–17 | 81 | 44 | 44 | 0 | 37 |
| | 2017–18 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| | 2018–19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | **योग** | **338** | **96** | **96** | **0** | **242** |
| **महायोग** | | **5,721** | **1,178** | **1,125** | **53** | **4,130** |

*(स्रोतः विभागीय अभिलेख)*

## परिशिष्ट–2.10

(संदर्भः कंडिका 2.4.5.7, पृष्ठ संख्या 42)

### दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के लिए गए एवं विश्लेषित नमूनों के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

| जिले का नाम | वर्ष | लिए गए नियामक नमूनों की कुल संख्या | लिए गए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद नमूनों की संख्या | विश्लेषण किए गए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की संख्या | गैर अनुरूप पाए गए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद नमूनों की संख्या | गैर अनुरूप नमूनों का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | अवमानक दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की संख्या | मिलावटी दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की संख्या | असुरक्षित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की संख्या | मिथ्याछाप दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की संख्या |
| भोपाल | 2014–15 | 329 | 107 | 107 | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| | 2015–16 | 529 | 168 | 168 | 29 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| | 2016–17 | 291 | 43 | 43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017–18 | 395 | 91 | 91 | 21 | 16 | 0 | 0 | 5 |
| | 2018–19 | 348 | 76 | 76 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| | **योग** | **1,892** | **485** | **485** | **93** | **84** | **0** | **0** | **9** |
| ग्वालियर | 2014–15 | 462 | 207 | 207 | 61 | 56 | 0 | 0 | 5 |
| | 2015–16 | 428 | 207 | 207 | 54 | 32 | 0 | 1 | 21 |
| | 2016–17 | 172 | 89 | 89 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| | 2017–18 | 300 | 169 | 169 | 28 | 24 | 0 | 0 | 4 |
| | 2018–19 | 289 | 148 | 148 | 49 | 39 | 0 | 1 | 9 |
| | **योग** | **1,651** | **820** | **820** | **203** | **160** | **0** | **2** | **41** |
| होशंगाबाद | 2014–15 | 315 | 113 | 113 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| | 2015–16 | 176 | 64 | 64 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| | 2016–17 | 125 | 37 | 37 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| | 2017–18 | 167 | 55 | 55 | 21 | 15 | 0 | 0 | 6 |
| | 2018–19 | 190 | 66 | 66 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| | **योग** | **973** | **335** | **335** | **69** | **53** | **0** | **0** | **16** |

| जिले का नाम | वर्ष | लिए गए नियामक नमूनों की कुल संख्या | लिए गए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद नमूनों की संख्या | विश्लेषण किए गए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की संख्या | गैर अनुरूप पाए गए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद नमूनों की संख्या | गैर अनुरूप नमूनों का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | अवमानक दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की संख्या | मिलावटी दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की संख्या | असुरक्षित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की संख्या | मिथ्याछाप दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की संख्या |
| इंदौर | 2014–15 | 681 | 176 | 176 | 38 | 35 | 0 | 0 | 3 |
| | 2015–16 | 1067 | 311 | 311 | 60 | 55 | 0 | 0 | 5 |
| | 2016–17 | 346 | 58 | 58 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017–18 | 526 | 148 | 148 | 38 | 34 | 0 | 0 | 4 |
| | 2018–19 | 498 | 231 | 231 | 65 | 53 | 0 | 0 | 12 |
| | **योग** | **3,118** | **924** | **924** | **208** | **184** | **0** | **0** | **24** |
| खरगोन | 2014–15 | 186 | 82 | 82 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2015–16 | 126 | 48 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2016–17 | 86 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017–18 | 89 | 26 | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| | 2018–19 | 101 | 40 | 40 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| | **योग** | **588** | **216** | **216** | **50** | **17** | **0** | **0** | **3** |
| मुरैना | 2014–15 | 274 | 167 | 167 | 30 | 23 | 2 | 1 | 4 |
| | 2015–16 | 248 | 111 | 111 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| | 2016–17 | 163 | 97 | 97 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| | 2017–18 | 290 | 159 | 159 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| | 2018–19 | 302 | 132 | 132 | 23 | 16 | 2 | 3 | 2 |
| | **योग** | **1,277** | **666** | **666** | **97** | **79** | **5** | **6** | **7** |
| सतना | 2014–15 | 136 | 52 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | 2015–16 | 139 | 58 | 58 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| | 2016–17 | 60 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| जिले का नाम | वर्ष | लिए गए नियामक नमूनों की कुल संख्या | लिए गए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद नमूनों की संख्या | विश्लेषण किए गए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की संख्या | गैर अनुरूप पाए गए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद नमूनों की संख्या | गैर अनुरूप नमूनों का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | अवमानक दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की संख्या | मिलावटी दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की संख्या | असुरक्षित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की संख्या | मिथ्याछाप दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की संख्या |
| | 2017–18 | 61 | 22 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| | 2018–19 | 94 | 45 | 41 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| | **योग** | **490** | **195** | **186** | **24** | **20** | **0** | **0** | **4** |
| उज्जैन | 2014–15 | 262 | 91 | 91 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| | 2015–16 | 382 | 128 | 128 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| | 2016–17 | 240 | 93 | 93 | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| | 2017–18 | 349 | 135 | 135 | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 |
| | 2018–19 | 283 | 116 | 116 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| | **योग** | **1,516** | **563** | **563** | **91** | **86** | **0** | **0** | **5** |
| **महायोग** | | **11,505** | **4,204** | **4,195** | **835** | **683** | **5** | **8** | **109** |

*(स्रोतः विभागीय अभिलेख)*

# परिशिष्ट–2.11

## (संदर्भः कंडिका 2.4.5.7(iii), पृष्ठ संख्या 45)

## त्योहारों के दौरान लिए गए नमूनों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

| वर्ष | त्योहारों का नाम | नमूने लिए जाने की अवधि | जिले वार लिए गए दुग्ध/दुग्ध उत्पाद नमूनों की संख्या (जिलों के नाम) | | | | | | | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ग्वालियर | भोपाल | सतना | होशंगाबाद | उज्जैन | इंदौर | खरगोन | मुरैना | |
| **2014–15** | दशहरा | 22 सितम्बर से 07 अक्टूबर | 15 | 3 | 0 | 6 | 3 | 13 | 1 | 23 | 64 |
| | दिवाली | 13 अक्टूबर से 28 अक्टूबर | 15 | 15 | 7 | 12 | 15 | 9 | 21 | 14 | 108 |
| | होली | 24 फरवरी से 11 मार्च | 12 | 10 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 46 |
| | **योग** | | **42** | **28** | **7** | **23** | **21** | **27** | **25** | **45** | **218** |
| **2015–16** | दशहरा | 12 अक्टूबर से 27 अक्टूबर | 8 | 15 | 3 | 0 | 8 | 18 | 0 | 14 | 66 |
| | दिवाली | 01 नवंबर से 16 नवंबर | 33 | 22 | 13 | 10 | 23 | 22 | 11 | 20 | 154 |
| | होली | 14 मार्च से 29 मार्च | 12 | 14 | 9 | 8 | 20 | 16 | 0 | 16 | 95 |
| | **योग** | | **53** | **51** | **25** | **18** | **51** | **56** | **11** | **50** | **315** |
| **2016–17** | दशहरा | 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20 |
| | दिवाली | 20 अक्टूबर से 04 नवंबर | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 30 |
| | होली | 03 मार्च से 18 मार्च | 5 | 2 | 4 | 16 | 7 | 11 | 0 | 20 | 65 |
| | **योग** | | **25** | **2** | **5** | **19** | **9** | **12** | **11** | **32** | **115** |
| **2017–18** | दशहरा | 20 सितम्बर से 05 अक्टूबर | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 8 | 38 |
| | दिवाली | 09 अक्टूबर से 24 अक्टूबर | 24 | 25 | 4 | 13 | 18 | 12 | 13 | 22 | 131 |
| | होली | 20 फरवरी से 07 मार्च | 24 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 10 | 64 |
| | **योग** | | **55** | **34** | **6** | **19** | **34** | **30** | **15** | **40** | **233** |

| वर्ष | त्योहारों का नाम | नमूने लिए जाने की अवधि | जिले वार लिए गए दुग्ध/दुग्ध उत्पाद नमूनों की संख्या (जिलों के नाम) | | | | | | | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ग्वालियर | भोपाल | सतना | होशंगाबाद | उज्जैन | इंदौर | खरगोन | मुरैना | |
| **2018–19** | दशहरा | 09 अक्टूबर से 24 अक्टूबर | 16 | 6 | 1 | 5 | 8 | 20 | 0 | 22 | 78 |
| | दिवाली | 28 अक्टूबर से 12 नवम्बर | 19 | 14 | 5 | 16 | 4 | 26 | 10 | 0 | 94 |
| | होली | 11 मार्च से 26 मार्च | 31 | 10 | 10 | 4 | 20 | 29 | 1 | 0 | 105 |
| | **योग** | | **66** | **30** | **16** | **25** | **32** | **75** | **11** | **22** | **277** |
| **महायोग** | | | **241** | **145** | **59** | **104** | **147** | **200** | **73** | **189** | **1,158** |

*(स्रोतः विभागीय अभिलेख)*

## परिशिष्ट–2.12

### (संदर्भः कंडिका 2.4.5.8, पृष्ठ संख्या 45)

### लेखापरीक्षा में शामिल किए गए पवित्र स्थानों एवं धार्मिक मेलों के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

| स.क्र. | जिले के नाम | पवित्र स्थान | प्रमुख स्थानों में धार्मिक मेला |
|---|---|---|---|
| 1. | होशंगाबाद | चौरागढ़ पंचमढ़ी | चौरागढ़ शिवरात्री मेला, चौरागढ़ पंचमढ़ी |
| | | सेठानी घाट (नर्मदा नदी के तट पर) | रामजी बाबा मेला, गुप्ता ग्राउंड, होशंगाबाद |
| | | | बंद्रभान मेला, गाँव बंद्रभान, तहसील होशंगाबाद |
| 2. | इंदौर | माँ बिजासनी मंदिर, इंदौर | गणेश उत्सव एवं अनंत चतुर्थी मेला, खजराना गणेश उत्सव, इंदौर |
| 3. | खरगोन | विभिन्न मंदिर/ऐतिहासिक स्थान | महेश्वर मेला, तहसील महेश्वर |
| 4. | मुरैना | शनि मंदिर, शनिचरा | कराहधाम मेला |
| 5. | सतना | माँ शारदा मंदिर, मैहर | माँ शारदा नवरात्रि मेला, शारदा मंदिर, मैहर |
| 6. | उज्जैन | काल भैरव | महाकाल सवारी |
| | | महाकाल | |
| | | हरसिद्धि देवी मंदिर | |

(स्रोतः धार्मिक स्थान एवं मेला प्राधिकरण, भोपाल)

## परिशिष्ट–2.13
## (संदर्भः कंडिका 2.5.1, पृष्ठ संख्या 48)
## अभियोजन प्रकरणों की स्थिति

| जिले का नाम | वर्ष | अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रारंभ हुए प्रकरणों की कुल संख्या | अपर जिला न्यायाधीश द्वारा निर्णीत प्रकरणों की संख्या | अनिर्णीत प्रकरणों की संख्या | जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील प्रकरणों की संख्या | जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में निर्णीत प्रकरणों की संख्या | विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या | | | विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की कुल संख्या | निर्णीत प्रकरणों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | जिला एवं सत्र न्यायाधीश | अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय | उच्च न्यायालय | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| भोपाल | 2014–15 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| | 2015–16 | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 |
| | 2016–17 | 41 | 41 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| | 2017–18 | 28 | 19 | 9 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 11 | 17 |
| | 2018–19 | 56 | 37 | 19 | 11 | 8 | 3 | 19 | 0 | 22 | 34 |
| | **योग** | **208** | **179** | **29** | **23** | **16** | **7** | **29** | **0** | **36** | **172** |
| ग्वालियर | 2014–15 | 67 | 67 | 0 | 27 | 17 | 10 | 4 | 1 | 15 | 52 |
| | 2015–16 | 78 | 77 | 1 | 30 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 69 |
| | 2016–17 | 58 | 57 | 1 | 21 | 7 | 14 | 1 | 2 | 17 | 41 |
| | 2017–18 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| | 2018–19 | 51 | 39 | 12 | 27 | 5 | 22 | 12 | 0 | 34 | 17 |
| | **योग** | **264** | **250** | **14** | **108** | **53** | **55** | **18** | **4** | **77** | **187** |
| होशंगाबाद | 2014–15 | 30 | 10 | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | 9 |
| | 2015–16 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 12 |
| | 2016–17 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 13 |
| | 2017–18 | 32 | 20 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 19 |

| जिले का नाम | वर्ष | अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रारंभ हुए प्रकरणों की कुल संख्या | अपर जिला न्यायाधीश द्वारा निर्णीत प्रकरणों की संख्या | अनिर्णीत प्रकरणों की संख्या | जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील प्रकरणों की संख्या | जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में निर्णीत प्रकरणों की संख्या | विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या | | | विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की कुल संख्या | निर्णीत प्रकरणों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | जिला एवं सत्र न्यायाधीश | अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय | उच्च न्यायालय | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | 2018–19 | 86 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 27 |
| | **योग** | **201** | **82** | **119** | **2** | **0** | **2** | **119** | **0** | **121** | **80** |
| इंदौर | 2014–15 | 110 | 110 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 108 |
| | 2015–16 | 169 | 168 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 167 |
| | 2016–17 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| | 2017–18 | 41 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 31 |
| | 2018–19 | 154 | 119 | 35 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 36 | 118 |
| | **योग** | **586** | **540** | **46** | **4** | **0** | **4** | **46** | **0** | **50** | **536** |
| खरगोन | 2014–15 | 30 | 30 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 27 |
| | 2015–16 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| | 2016–17 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| | 2017–18 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| | 2018–19 | 24 | 24 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| | **योग** | **105** | **105** | **0** | **15** | **1** | **14** | **1** | **0** | **15** | **90** |
| मुरैना | 2014–15 | 42 | 42 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 37 |
| | 2015–16 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| | 2016–17 | 14 | 13 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| | 2017–18 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 4 |
| | 2018–19 | 37 | 4 | 33 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0 | 35 | 2 |

| जिले का नाम | वर्ष | अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रारंभ हुए प्रकरणों की कुल संख्या | अपर जिला न्यायाधीश द्वारा निर्णीत प्रकरणों की संख्या | अनिर्णीत प्रकरणों की संख्या | जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील प्रकरणों की संख्या | जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में निर्णीत प्रकरणों की संख्या | विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या | | | विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की कुल संख्या | निर्णीत प्रकरणों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | जिला एवं सत्र न्यायाधीश | अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय | उच्च न्यायालय | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | **योग** | **123** | **82** | **41** | **18** | **2** | **16** | **41** | **0** | **57** | **66** |
| सतना | 2014–15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 2015–16 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| | 2016–17 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| | 2017–18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 2018–19 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| | **योग** | **50** | **36** | **14** | **0** | **0** | **0** | **14** | **1** | **15** | **35** |
| उज्जैन | 2014–15 | 60 | 53 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 50 |
| | 2015–16 | 34 | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 31 |
| | 2016–17 | 41 | 38 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 35 |
| | 2017–18 | 37 | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 28 |
| | 2018–19 | 50 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 42 |
| | **योग** | **222** | **194** | **28** | **9** | **1** | **8** | **28** | **0** | **36** | **186** |
| **महायोग** | | **1,759** | **1,468** | **291** | **179** | **73** | **106** | **296** | **5** | **407** | **1,352** |

(स्रोतः विभागीय अभिलेख और अपर जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

# परिशिष्ट–2.14

## (संदर्भ: कंडिका 2.5.3, पृष्ठ संख्या 51)

## अधिरोपित, वसूल किए गए एवं बकाया अर्थदण्ड के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

| जिले का नाम | वर्ष | निर्णीत प्रकरणों मे अधिरोपित अर्थदण्ड | | वसूल किए गए/ संग्रहित अर्थदण्ड | | बकाया अर्थदण्ड | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रकरणों की संख्या | राशि (₹ में) | प्रकरणों की संख्या | राशि (₹ में) | प्रकरणों की संख्या | राशि (₹ में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| भोपाल | 2014–15 | 33 | 12,40,000 | 8 | 1,65,000 | 25 | 10,75,000 |
| | 2015–16 | 49 | 21,97,000 | 22 | 8,00,000 | 27 | 13,97,000 |
| | 2016–17 | 41 | 18,62,000 | 15 | 5,32,000 | 26 | 13,30,000 |
| | 2017–18 | 19 | 17,40,000 | 5 | 2,35,000 | 14 | 15,05,000 |
| | 2018–19 | 37 | 12,19,000 | 11 | 2,51,000 | 26 | 9,68,000 |
| | **योग** | **179** | **82,58,000** | **61** | **19,83,000** | **118** | **62,75,000** |
| ग्वालियर | 2014–15 | 51 | 21,40,000 | 18 | 3,82,000 | 33 | 17,58,000 |
| | 2015–16 | 67 | 26,20,000 | 24 | 7,25,000 | 43 | 18,95,000 |
| | 2016–17 | 41 | 20,45,000 | 18 | 2,31,000 | 23 | 18,14,000 |
| | 2017–18 | 8 | 3,15,000 | 2 | 45,000 | 6 | 2,70,000 |
| | 2018–19 | 17 | 24,55,000 | 4 | 40,000 | 13 | 24,15,000 |
| | **योग** | **184** | **95,75,000** | **66** | **14,23,000** | **118** | **81,52,000** |
| होशंगाबाद | 2014–15 | 9 | 1,06,000 | 8 | 1,01,000 | 1 | 5,000 |
| | 2015–16 | 12 | 1,82,000 | 9 | 1,67,000 | 3 | 15,000 |
| | 2016–17 | 13 | 2,24,000 | 6 | 69,000 | 7 | 1,55,000 |
| | 2017–18 | 19 | 1,18,000 | 11 | 82,000 | 8 | 36,000 |
| | 2018–19 | 27 | 2,44,500 | 14 | 1,76,000 | 13 | 68,500 |
| | **योग** | **80** | **8,74,500** | **48** | **5,95,000** | **32** | **2,79,500** |
| इंदौर | 2014–15 | 110 | 30,90,000 | 88 | 25,27,500 | 22 | 5,62,500 |
| | 2015–16 | 167 | 53,90,000 | 112 | 36,82,500 | 55 | 17,07,500 |
| | 2016–17 | 101 | 26,00,000 | 71 | 16,90,000 | 30 | 9,10,000 |
| | 2017–18 | 31 | 9,65,000 | 14 | 4,30,000 | 17 | 5,35,000 |
| | 2018–19 | 118 | 87,97,500 | 36 | 14,12,000 | 82 | 73,85,500 |
| | **योग** | **527** | **2,08,42,500** | **321** | **97,42,000** | **206** | **1,11,00,500** |
| खरगोन | 2014–15 | 26 | 2,52,500 | 24 | 1,72,500 | 2 | 80,000 |

| जिले का नाम | वर्ष | निर्णीत प्रकरणों मे अधिरोपित अर्थदण्ड | | वसूल किए गए/ संग्रहित अर्थदण्ड | | बकाया अर्थदण्ड | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रकरणों की संख्या | राशि (₹ में) | प्रकरणों की संख्या | राशि (₹ में) | प्रकरणों की संख्या | राशि (₹ में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 2015–16 | 30 | 3,47,000 | 27 | 2,92,000 | 3 | 55,000 |
| | 2016–17 | 2 | 3,25,000 | 1 | 25,000 | 1 | 3,00,000 |
| | 2017–18 | 11 | 5,80,000 | 8 | 4,05,000 | 3 | 1,75,000 |
| | 2018–19 | 19 | 9,05,000 | 11 | 3,85,000 | 8 | 5,20,000 |
| | **योग** | **88** | **24,09,500** | **71** | **12,79,500** | **17** | **11,30,000** |
| मुरैना | 2014–15 | 35 | 15,09,000 | 7 | 37,000 | 28 | 14,72,000 |
| | 2015–16 | 15 | 1,23,000 | 1 | 5,000 | 14 | 1,18,000 |
| | 2016–17 | 8 | 14,00,000 | 1 | 50,000 | 7 | 13,50,000 |
| | 2017–18 | 3 | 7,25,000 | 0 | 0 | 3 | 7,25,000 |
| | 2018–19 | 2 | 6,50,000 | 0 | 0 | 2 | 6,50,000 |
| | **योग** | **63** | **44,07,000** | **9** | **92,000** | **54** | **43,15,000** |
| सतना | 2014–15 | 2 | 20,000 | 2 | 15,000 | 0 | 5,000 |
| | 2015–16 | 6 | 37,000 | 4 | 17,000 | 2 | 20,000 |
| | 2016–17 | 9 | 60,000 | 8 | 50,000 | 1 | 10,000 |
| | 2017–18 | 4 | 40,000 | 3 | 15,000 | 1 | 25,000 |
| | 2018–19 | 14 | 1,48,000 | 14 | 1,48,000 | 0 | 0 |
| | **योग** | **35** | **3,05,000** | **31** | **2,45,000** | **4** | **60,000** |
| उज्जैन | 2014–15 | 49 | 32,05,000 | 37 | 23,60,000 | 12 | 8,45,000 |
| | 2015–16 | 30 | 11,63,500 | 14 | 4,79,500 | 16 | 6,84,000 |
| | 2016–17 | 31 | 11,59,000 | 18 | 5,63,500 | 13 | 6,95,500 |
| | 2017–18 | 26 | 12,85,000 | 7 | 1,40,000 | 19 | 11,45,000 |
| | 2018–19 | 42 | 18,08,000 | 3 | 75,000 | 39 | 17,33,000 |
| | **योग** | **178** | **86,20,500** | **79** | **36,18,000** | **99** | **51,02,500** |
| **महायोग** | | **1,334** | **5,52,92,000** | **686** | **1,89,77,500** | **648** | **3,64,14,500** |

(स्रोतः–विभागीय अभिलेख और अपर जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

## परिशिष्ट – 3.1.1
## (संदर्भ: कंडिका 3.1.6, पृष्ठ संख्या 58 और कंडिका 3.1.7.1 पृष्ठ संख्या 59)
## खेल सुविधाओं के निर्माण हेतु आवश्यकता के आंकलन को दर्शाता विवरण

| स. क्र. | जिला | जिसके द्वारा मांग प्रेषित की गई/आवश्यकता प्रस्तुत की गई | जिसके द्वारा प्राक्कलन तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया | जिसके द्वारा प्राक्कलन तैयार कर कार्य किया गया | कार्य का नाम | कुल व्यय हुआ (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | दमोह | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, दमोह | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | तेंदुखेडा में स्टेडियम का निर्माण | 40.68 |
| 2. | | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, दमोह | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | बटियागढ़ में मिनी स्टेडियम का निर्माण | 94.82 |
| 3. | | संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, भोपाल | संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्य प्रदेश | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | हट्टा में मिनी स्टेडियम का निर्माण | 43.29 |
| 4. | | संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, भोपाल | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, दमोह | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | दमोह में खेल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण | 92.77 |
| 5. | | संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, भोपाल | संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्य प्रदेश | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | दमोह में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का सिविल कार्य | 159.19 |
| 6. | होशंगाबाद | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, होशंगाबाद | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, होशंगाबाद | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | हॉकी स्टेडियम का निर्माण, होशंगाबाद | 154.34 |
| 7. | | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री | संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्य प्रदेश | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | इटारसी में स्टेडियम का निर्माण | 630.47 |
| 8. | जबलपुर | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर | लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर | खेल केंद्र, रांझी, जबलपुर | 154.58 |

| स. क्र. | जिला | जिसके द्वारा मांग प्रेषित की गई/आवश्यकता प्रस्तुत की गई | जिसके द्वारा प्राक्कलन तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया | जिसके द्वारा प्राक्कलन तैयार कर कार्य किया गया | कार्य का नाम | कुल व्यय हुआ (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर | लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर | रानीताल खेल परिसर, जबलपुर मे चाहरदीवारी, मुख्य द्वार व गार्ड के कमरे का कार्य | 156.67 |
| 10. | | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर | लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर | सिंथेटिक हॉकी सतह | 477.22 |
| 11. | | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर | लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर | मिनी स्टेडियम, गोकुलपुर, जबलपुर | 50.46 |
| 12. | मंदसौर | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, मंदसौर | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, मंदसौर | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | मंदसौर में मंच के साथ दर्शक दीर्घा, मैदान के चारों तरफ बाड़, चाहरदीवारी, पम्प का कमरा, जिम एवं खेल कार्यालय का निर्माण व विद्युत कार्य | 176.33 |
| 13. | नरसिंहपुर | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, नरसिंहपुर | संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, छिंदवाड़ा | मिनी स्टेडियम, करेली | 54.60 |
| 14. | | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, नरसिंहपुर | संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, छिंदवाड़ा | मिनी स्टेडियम, गोटेगांव | 88.42 |

| स. क्र. | जिला | जिसके द्वारा मांग प्रेषित की गई/आवश्यकता प्रस्तुत की गई | जिसके द्वारा प्राक्कलन तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया | जिसके द्वारा प्राक्कलन तैयार कर कार्य किया गया | कार्य का नाम | कुल व्यय हुआ (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | शिवपुरी | खेल और युवा कल्याण विभाग | | परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ग्वालियर | हॉकी एस्ट्रोटर्फ | 142.81 |
| 16. | | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, शिवपुरी | | परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ग्वालियर | इण्डोर हॉल, शिवपुरी | 59.30 |
| 17. | | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, शिवपुरी | | परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ग्वालियर | इण्डोर हॉल स्टेडियम, कोलारस | 53.82 |
| 18. | | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, शिवपुरी | | परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ग्वालियर | इण्डोर हॉल, बैराड़ | 83.69 |
| 19. | | संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, भोपाल | | लघु उद्योग निगम, ग्वालियर | चाहरदीवारी, स्टेडियम शिवपुरी | 207.63 |
| 20. | भोपाल | श्री मनशेर सिंह, तकनीकी सलाहकार, राज्य शूटिंग अकादमी मध्य प्रदेश की अनुशंसा पर | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण | लघु उद्योग निगम | राज्य शूटिंग अकादमी, गोरा ग्राम, भोपाल में सड़क के समीप बुलेट सुरक्षा दीवार का निर्माण | 92.10 |
| 21. | | खेल और युवा कल्याण विभाग | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण | लघु उद्योग निगम | स्पोर्टस औषधि केंद्र का निर्माण, टी. टी. नगर स्टेडियम, भोपाल | 118.96 |
| 22. | | खेल और युवा कल्याण विभाग | संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश | लघु उद्योग निगम | मध्य प्रदेश राज्य जल क्रीड़ा अकादमी, भोपाल में जेट्टी का निर्माण | 57.95 |
| 23. | | खेल और युवा कल्याण विभाग | जेड. यू. शेख, उप सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | राज्य शूटिंग अकादमी, मध्य प्रदेश में 10 मी. शूटिंग रेंज का निर्माण। | 796.45 |

| स. क्र. | जिला | जिसके द्वारा मांग प्रेषित की गई/आवश्यकता प्रस्तुत की गई | जिसके द्वारा प्राक्कलन तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया | जिसके द्वारा प्राक्कलन तैयार कर कार्य किया गया | कार्य का नाम | कुल व्यय हुआ (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | | खेल और युवा कल्याण विभाग | जेड. यू. शेख, उप सचिव खेल और युवा कल्याण विभाग | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | शूटिंग अकादमी, भोपाल, मध्य प्रदेश में यूटिलिटी भवन का निर्माण। | 279.07 |
| 25. | | खेल और युवा कल्याण विभाग | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | पेंट, पोलिश, टाइल्स का कार्य टी. टी. नगर स्टेडियम। | 2.98 |
| 26. | | कैप्टन भागीरथ, तकनीकी सलाहकार एवं मुख्य प्रशिक्षक, घुड़सवारी अकादमी | | राजधानी परियोजना प्रशासन | घुड़सवारी अकादमी के लिए ट्रैक | 2.59 |
| 27. | | खेल और युवा कल्याण विभाग | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | घुड़सवारी अकादमी में क्रॉस कंट्री वाटर जम्प | 3.74 |
| 28. | | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, भोपाल | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | अंकुर खेल मैदान, भोपाल में पवेलियन मरम्मत कार्य, पेंटिग एवं पिच कवर की खरीद। | 3.46 |
| 29. | | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, भोपाल | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | चाहरदीवारी का मरम्मत कार्य, पेंटिग, ओल्ड कैम्पियन क्रिकेट मैदान | 2.49 |
| 30. | | खेल और युवा कल्याण विभाग | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | बहुउद्देशीय हॉल, टी.टी. नगर स्टेडियम, भोपाल के फर्श का समतलीकरण। | 2.70 |
| 31. | | प्रशासक, टी. टी. नगर स्टेडियम, भोपाल | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | सीनियर हॉस्टल टी.टी. नगर, भोपाल में शौचालय क्र. 1 व 2 का नवीनीकरण व उन्नयन | 13.71 |

| स. क्र. | जिला | जिसके द्वारा मांग प्रेषित की गई/आवश्यकता प्रस्तुत की गई | जिसके द्वारा प्राक्कलन तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया | जिसके द्वारा प्राक्कलन तैयार कर कार्य किया गया | कार्य का नाम | कुल व्यय हुआ (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32. | | खेल और युवा कल्याण विभाग | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | सीनियर हॉस्टल, टी.टी. नगर, भोपाल में शौचालय क्र. 3 का नवीनीकरण व उन्नयन | 7.31 |
| 33. | | सहायक संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | टी.टी. नगर स्टेडियम, भोपाल में प्रबंधक के आवास के रसोई मे डिसटेम्परिंग व पेंटिग | 0.89 |
| 34. | | खेल और युवा कल्याण विभाग | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | वुडन पैनल और फिक्सिंग मिरर का बदलाव, पेंटिंग कार्य, घुड़सवारी अकादमी, भोपाल | 1.89 |
| 35. | | खेल और युवा कल्याण विभाग | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | डिसटेम्परिंग व पेंटिग और शौचालय का बदलाव, घुड़सवारी अकादमी, भोपाल | 4.40 |
| 36. | | खेल और युवा कल्याण विभाग | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | घुड़सवारी अकादमी, भोपाल के कैंप एरिया में घोड़ों को चढाने व उतारने के लिए प्लेटफार्म और रैंप का निर्माण | 1.89 |
| 37. | | खेल और युवा कल्याण विभाग | | राजधानी परियोजना प्रशासन | घुड़सवारी अकादमी, भोपाल में क्षतिग्रस्त फर्श बदलने व वी.आई.पी., लाउंज मे वैनिशिंग ब्लांइड कार्य | 3.02 |
| 38. | | खेल और युवा कल्याण विभाग | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | 25 मी. शूटिंग रेंज के लकड़ी के कार्य की मरम्मत व पोलिश | 9.24 |

| स. क्र. | जिला | जिसके द्वारा मांग प्रेषित की गई/आवश्यकता प्रस्तुत की गई | जिसके द्वारा प्राक्कलन तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया | जिसके द्वारा प्राक्कलन तैयार कर कार्य किया गया | कार्य का नाम | कुल व्यय हुआ (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 39. | | खेल और युवा कल्याण विभाग | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | टी. टी. नगर स्टेडियम, भोपाल में स्वच्छ वर्षा जल प्रणाली हेतु नाली और पुलिया का निर्माण | 7.94 |
| 40. | | खेल और युवा कल्याण विभाग | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | शौचालय व कराटे हॉल में नवीनीकरण कार्य, टी. टी. नगर। | 21.55 |
| 41. | | खेल और युवा कल्याण विभाग | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | शौचालय, हॉल, गैलरी व कराटे हॉल में विद्युत कार्य, टी. टी. नगर। | 11.16 |
| 42. | | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, भोपाल | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | बाब–ए–अली स्टेडियम, भोपाल में चैनेलिंग, फेंसिग व शौचालय का नवीनीकरण कार्य | 8.96 |
| 43. | | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, भोपाल | उप संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | बाब–ए–अली स्टेडियम, भोपाल में बाह्य डिस्टेम्परिंग और सेंथेटिक एनामेल का कार्य | 4.29 |
| 44. | | खेल और युवा कल्याण विभाग | खेल और युवा कल्याण विभाग | राजधानी परियोजना प्रशासन | मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी, भोपाल में हॉस्टल निर्माण कार्य | 669.97 |
| | | | | | | **5,049.80** |

## परिशिष्ट –3.1.2
## (संदर्भ: कंडिका 3.1.7.2, पृष्ठ संख्या 60)
## राज्य में उपलब्ध खेल अधोसंरचनाओं के स्वरूप का विवरण

| स. क्र. | जिला | खेल परिसर | मिनी स्टेडियम | इंडोर हॉल | खेल प्रशिक्षण केंद्र | खेल मैदान | खेल अधोसंरचनाओं की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सागर | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 12 |
| 2. | दमोह | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3. | पन्ना | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4. | छतरपुर | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | जबलपुर | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 6. | कटनी | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7. | नरसिंहपुर | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8. | छिंदवाड़ा | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | सिवनी | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10. | भोपाल | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 11. | सीहोर | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 12. | राजगढ़ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13. | रायसेन | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | शाजापुर | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15. | देवास | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16. | खंडवा | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | खरगोन | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18. | झाबुआ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | धार | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | सतना | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | ग्वालियर | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22. | दतिया | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23. | शिवपुरी | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24. | भिंड | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25. | बैतूल | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 26. | होशंगाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27. | शहडोल | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | **कुल** | **11** | **23** | **11** | **19** | **10** | **74** |

(स्रोतः खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

## परिशिष्ट –3.1.3

## (संदर्भ: कंडिका 3.1.7.2, पृष्ठ संख्या 60)

## खेल अधोसंरचनाओं के असमान वितरण को दर्शाने वाला विवरण

| स. क्र. | संभाग | जिला स. क्र. | जिला | जनसंख्या | प्रतिशत | उपलब्ध खेल अधोसंरचनाओं की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भोपाल | 1 | भोपाल | 23,68,145 | 3.3 | 5 | 6.76 |
| | | 2 | रायसेन | 13,31,699 | 1.8 | 1 | 1.35 |
| | | 3 | राजगढ़ | 15,46,541 | 2.1 | 1 | 1.35 |
| | | 4 | सीहोर | 13,11,008 | 1.8 | 6 | 8.11 |
| | | 5 | विदिशा | 14,58,212 | 2.0 | 0 | 0 |
| | | | **कुल** | **80,15,605** | **11.04** | **13** | **17.57** |
| 2. | चंबल | 6 | मुरैना | 19,65,137 | 2.7 | 0 | 0 |
| | | 7 | श्योपुर | 6,87,952 | 0.9 | 0 | 0 |
| | | 8 | शिवपुरी | 17,25,818 | 2.4 | 2 | 2.70 |
| | | 9 | भिंड | 17,03,562 | 2.3 | 2 | 2.70 |
| | | | **कुल** | **60,82,469** | **8.38** | **4** | **5.40** |
| 3. | ग्वालियर | 10 | ग्वालियर | 20,30,543 | 2.8 | 2 | 2.70 |
| | | 11 | दतिया | 7,86,375 | 1.1 | 2 | 2.70 |
| | | 12 | गुना | 12,40,938 | 1.7 | 0 | 0 |
| | | 13 | अशोकनगर | 8,44,979 | 1.2 | 0 | 0 |
| | | | **कुल** | **49,02,835** | **6.75** | **4** | **5.40** |
| 4. | इंदौर | 14 | इंदौर | 32,72,335 | 4.5 | 0 | 0 |
| | | 15 | बड़वानी | 13,85,659 | 1.9 | 0 | 0 |
| | | 16 | झाबुआ | 10,24,091 | 1.4 | 1 | 1.35 |
| | | 17 | अलीराजपुर | 7,28,677 | 1.0 | 0 | 0 |
| | | 18 | बुरहानपुर | 7,56,993 | 1.0 | 0 | 0 |
| | | 19 | धार | 21,84,672 | 3.0 | 1 | 1.35 |
| | | 20 | खंडवा | 13,09,443 | 1.8 | 1 | 1.35 |
| | | 21 | खरगोन | 18,72,413 | 2.6 | 1 | 1.35 |
| | | | **कुल** | **1,25,34,283** | **17.27** | **4** | **5.40** |
| 5. | जबलपुर | 22 | कटनी | 12,91,684 | 1.8 | 3 | 4.05 |
| | | 23 | जबलपुर | 24,60,714 | 3.4 | 6 | 8.11 |
| | | 24 | नरसिंहपुर | 10,92,141 | 1.5 | 3 | 4.05 |
| | | 25 | डिंडोरी | 7,04,218 | 1.0 | 0 | 0 |
| | | 26 | मंडला | 10,53,522 | 1.5 | 0 | 0 |
| | | 27 | छिंदवाड़ा | 20,90,306 | 2.9 | 1 | 1.35 |

| स. क्र. | संभाग | जिला स. क्र. | जिला | जनसंख्या | प्रतिशत | उपलब्ध खेल अधोसंरचनाओं की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 28 | सिवनी | 13,78,876 | 1.9 | 2 | 2.70 |
| | | 29 | बालाघाट | 17,01,156 | 2.3 | 0 | 0 |
| | | | **कुल** | **1,17,72,617** | **16.22** | **15** | **20.27** |
| 6. | नर्मदापुरम | 30 | बैतुल | 15,75,247 | 2.2 | 3 | 4.05 |
| | | 31 | हरदा | 5,70,302 | 0.8 | 0 | 0 |
| | | 32 | होशंगाबाद | 12,40,975 | 1.7 | 2 | 2.70 |
| | | | **कुल** | **33,86,524** | **4.66** | **5** | **6.76** |
| 7. | रीवा | 33 | सतना | 22,28,619 | 3.1 | 1 | 1.35 |
| | | 34 | रीवा | 23,63,744 | 3.3 | 0 | 0 |
| | | 35 | सीधी | 11,26,515 | 1.6 | 0 | 0 |
| | | 36 | सिंगरौली | 11,78,132 | 1.6 | 0 | 0 |
| | | | **कुल** | **68,97,010** | **9.50** | **1** | **1.35** |
| 8. | सागर | 37 | टीकमगढ़ | 14,44,920 | 2.0 | 0 | 0 |
| | | 38 | छतरपुर | 17,62,857 | 2.4 | 1 | 1.35 |
| | | 39 | पन्ना | 10,16,028 | 1.4 | 4 | 5.41 |
| | | 40 | सागर | 23,78,295 | 3.3 | 12 | 16.22 |
| | | 41 | दमोह | 12,63,703 | 1.7 | 6 | 8.11 |
| | | | **कुल** | **78,65,803** | **10.83** | **23** | **31.08** |
| 9. | शहडोल | 42 | शहडोल | 10,64,989 | 1.5 | 1 | 1.35 |
| | | 43 | अनुपपुर | 7,49,521 | 1.0 | 0 | 0 |
| | | 44 | उमरिया | 6,43,579 | 0.9 | 0 | 0 |
| | | | **कुल** | **24,58,089** | **3.39** | **1** | **1.35** |
| 10. | उज्जैन | 45 | नीमच | 8,25,958 | 1.1 | 0 | 0 |
| | | 46 | मंदसौर | 13,39,832 | 1.8 | 0 | 0 |
| | | 47 | रतलाम | 14,54,483 | 2.0 | 0 | 0 |
| | | 48 | उज्जैन | 19,86,597 | 2.7 | 0 | 0 |
| | | 49 | शाजापुर | 15,12,353 | 2.1 | 2 | 2.70 |
| | | 50 | देवास | 15,63,107 | 2.2 | 2 | 2.70 |
| | | | **कुल** | **86,82,330** | **11.96** | **4** | **5.41** |
| | | **50** | **मध्य प्रदेश** | **7,25,97,565** | **100** | **74** | **100** |

(स्रोत: जनगणना 2011 और खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान प्रदत्त अधोसंरचना का विवरण)

## परिशिष्ट –3.1.4
### (संदर्भः कंडिका 3.1.7.4, पृष्ठ संख्या 62)
### विलम्ब से पूर्ण होने वाले कार्यों को दर्शाने वाला विवरण

| स. क्र. | जिला | कार्य एजेंसी | कार्य का नाम | प्रशासनिक अनुमोदन | अनुबंध / कार्यादेश | कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि | वास्तव में पूर्ण हुआ | कार्यादेश के अनुसार विलम्ब की अवधि | कार्य की स्थिति (पूर्ण / प्रगतिरत) | तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹ लाख में) | अनुबंध राशि / पी.ए.सी. (₹ लाख में) | वास्तविक व्यय (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | भोपाल | लघु उद्योग निगम | शूटिंग अकादमी में हाई बुलेट प्रोटेक्शन वाल का निर्माण | 1936 / 17.06.2015 | 1662 / 05.11.2015 | 6 माह (04.05.2016) | 17.11.2018 | 30 माह | पूर्ण | 92.10 | 89.50 | 92.10 |
| 2 | दमोह | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | तेंदुखेड़ा में मिनी स्टेडियम का निर्माण | खेल और युवा कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन का आदेश दि. 06.09.2012 | 11 / 18.04.2013 | 08 माह (17.12.2013) | 26.05.2014 | 05 माह | पूर्ण | 43.35 | 45.07 | 40.68 |
| 3 | | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | बटियागढ में मिनी स्टेडियम का निर्माण | खेल और युवा कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन का आदेश दि. 31.07.2013 | 05 / 28.06.2014 | 08 माह (27.02.2015) | 25.11.2015 | 09 माह | पूर्ण | 98.84 | 91.16 | 94.82 |
| 4 | | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | हट्टा में मिनी स्टेडियम का निर्माण | खेल और युवा कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन का आदेश दि. 14.03.2012 | 17 / 07.06.2012 | 06 माह (06.12.2012) | 05.10.2013 | 10 माह | पूर्ण | 39.80 | 41.66 | 43.29 |

| स. क्र. | जिला | कार्य एजेंसी | कार्य का नाम | प्रशासनिक अनुमोदन | अनुबंध / कार्यादेश | कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि | वास्तव में पूर्ण हुआ | कार्यादेश के अनुसार विलम्ब की अवधि | कार्य की स्थिति (पूर्ण / प्रगतिरत) | तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹ लाख में) | अनुबंध राशि / पी.ए.सी. (₹ लाख में) | वास्तविक व्यय (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | दमोह में खेल प्रशिक्षण केद्र का निर्माण | खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन का आदेश दि. 31.10.2012 | 10 / 16.04.2013 | 12 माह (15.04.2014) | 29.08.2014 | 04 माह और 13 दिन | पूर्ण | 98.79 | 93.73 | 92.77 |
| 6 | | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | दमोह में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का सिविल कार्य | खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन का आदेश दि. 30.08.2016 | 22 / 28.03.2017 | 12 माह (27.03.2018) | 30.04.2019 | 13 माह और 03 दिन | पूर्ण | 123.56 | 108.74 | 159.19 |
| 7 | होशंगाबाद | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | होशंगाबाद में हॉकी स्टेडियम का निर्माण | एफ–01–06 / 2016 / 9 दि. 30.08.16 | 32 / 08.03.2017 | 10 माह (07.01.2018) | 31.12.2018 | 11 माह और 24 दिन | पूर्ण | 123.57 | 96.69 | 154.34 |
| 8 | | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | इटारसी में स्टेडियम का निर्माण | एफ–02–34 / 2013 / 9 दि. 06.01.16 | 01 / 05.04.2016 | 18 माह (04.10.2017) | 31.12.2018 | 14 माह और 27 दिन | पूर्ण | 662.42 | 593.11 | 630.47 |
| 9 | जबलपुर | लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर | मिनी स्टेडियम गोकुलपुर, जबलपुर | 2484 / 10.07.2012 | 8 / 24.09.2014 | 10 माह (23.07.2015) | 15.02.2016 | 06 माह और 23 दिन | पूर्ण | 74.75 | 77.31 | 50.46 |

| स. क्र. | जिला | कार्य एजेंसी | कार्य का नाम | प्रशासनिक अनुमोदन | अनुबंध/ कार्यादेश | कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि | वास्तव में पूर्ण हुआ | कार्यादेश के अनुसार विलम्ब की अवधि | कार्य की स्थिति (पूर्ण/ प्रगतिरत) | तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹ लाख में) | अनुबंध राशि/ पी.ए.सी. (₹ लाख में) | वास्तविक व्यय (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | मंदसौर | परियोजना क्रियान्वयन इकाई | मंदसौर में मंच के साथ दर्शक दीर्घा, मैदान की फेंसिंग, चाहरदीवारी, पम्प का कमरा, जिम एवं खेल कार्यालय का निर्माण और विद्युत कार्य | एफ–1–. 6/2016/9 दि. 30.08.2016 | 4/ 31.05.2017 | 12 माह (30.05.2018) | – | 19 माह (12/19 तक) | प्रगतिरत | 135.18 | 130.05 | 176.33 |
| 11 | नरसिंहपुर | संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, छिंदवाड़ा | मिनी स्टेडियम, करेली | 353/2012 भोपाल दिनांक 25.04.2012 | 120/ 30.10.2012 | 10 माह (29.08.2013) | 24.08.2014 | 12 माह | पूर्ण | 51.88 | 52.00 | 54.60 |
| 12 | | संभागीय परियोजना, यंत्री, लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, | मिनी स्टेडियम, गोटेगांव | 7983/ 20.03.2012 | 127/ 16.11.2012 | 12 माह (15.11.2013) | 21.12.2016 | 37 माह और 06 दिन | पूर्ण | 90.00 | 95.40 | 88.42 |

| स. क्र. | जिला | कार्य एजेंसी | कार्य का नाम | प्रशासनिक अनुमोदन | अनुबंध/ कार्यादेश | कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि | वास्तव में पूर्ण हुआ | कार्यादेश के अनुसार विलम्ब की अवधि | कार्य की स्थिति (पूर्ण/ प्रगतिरत) | तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹ लाख में) | अनुबंध राशि/ पी.ए.सी. (₹ लाख में) | वास्तविक व्यय (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | छिंदवाडा | | | | | | | | | | |
| 13 | शिवपुरी | परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ग्वालियर | हॉकी एस्ट्रोटर्फ | एफ /1.6/ 2016/9 दि. 30.08.16 | 04/ 02.05.2017 | 6 माह (02.11.2017) | 30.09.2018 | 11 माह | सिविल कार्य पूर्ण | 92.95 | 68.03 | 142.81 |
| 14 | | परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ग्वालियर | इण्डोर हॉल, शिवपुरी | 300 दिनांक 23.02.2018 | 18/ 08.08.2018 | 8 माह (08.04.2019) | — | 08 माह (12/19 तक) | प्रगतिरत | 97.61 | 117.77 | 59.30 |
| 15 | | परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ग्वालियर | इण्डोर हॉल, स्टेडियम कोलारस | 300 दिनांक 23.02.2018 | 270/ 26.03.2018 | 12 माह (25.03.2019) | — | 09 माह (12/19 तक) | प्रगतिरत | 91.49 | 107.97 | 53.82 |
| 16 | | परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ग्वालियर | इण्डोर हॉल, बैराड़ | 300 दिनांक 23.02.2018 | 20/ 14.08.2018 | 8 माह (15.04.2019) | 30.06. 2020 | 14 माह | पूर्ण | 91.49 | 107.97 | 83.69 |
| 17 | | लघु उद्योग निगम, ग्वालियर | चहारदीवारी, स्टेडियम शिवपुरी | 8817 दिनांक 28.12.2017 | 897/ 04.09.17 | 4 माह (03.01.2018) | 20.06.18 | 5 माह | पूर्ण | 209.43 | 80.00 | 207.63 |
| **कुल** | | | | | | | | | | | | **2,224.72** |

## परिशिष्ट –3.1.5
## (संदर्भः कंडिका 3.1.11, पृष्ठ संख्या 76)
## उपकरणों के विलंब से आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति शास्ति न लगाने को दर्शाने वाला विवरण

| स. क्र. | खेल और युवा कल्याण विभाग का आदेश सं. | आदेश दिनांक | निविदाकर्ता/ आपूर्तिकर्ता | बीजक सं./ दिनांक | राशि | आपूर्ति आदेश व बीजक आदेश के बीच अंतर | 0–2 माह का विलंब | 02–04 माह का विलंब | 04 माह और उससे अधिक विलंब | विलंब के लिए क्षतिपूर्ति शास्ति (राशि ₹ में) | आपूर्ति आदेश में उल्लेखित अवधि | शीर्ष | भुगतान आदेश सं./ दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10236 | 27.02.16 | स्मार्ट फिटनेस, इंदौर | 48/ 24.06.16 | 2,80,000 | 118 दिन | 0 | 3 माह 28 दिन | 0 | 25,200 | शीघ्र आपूर्ति | 32 | 3742/ 19.07.16 |
| 2. | 10522 | 04.03.16 | स्मार्ट फिटनेस, इंदौर | 50/ 24.06.16 | 2,80,000 | 93 दिन | 0 | 3 माह 3 दिन | 0 | 14,000 | शीघ्र आपूर्ति | | |
| 3. | 10222 | 27.02.16 | स्मार्ट फिटनेस, इंदौर | 49/ 24.06.16 | 2,80,000 | 118 दिन | 0 | 3 माह 28 दिन | 0 | 22,400 | उल्लेख नहीं | 32 | 3746/ 19.07.16 |
| 4. | 5727 | 15.09.16 | कार्डियोमेड इण्डिया, नई दिल्ली | 4/ 26.11.16 | 3,68,000 | 72 दिन | 0 | 2 माह 12 दिन | 0 | 7,360 | शीघ्र आपूर्ति | 64–002 | 9106/ 16.12.16 |
| 5. | 2284 | 08.06.16 | स्मार्ट फिटनेस, इंदौर | 87/ 31.08.16 | 2,80,000 | 85 दिन | 0 | 2 माह 25 दिन | 0 | 11,200 | शीघ्र आपूर्ति | 32 | 8572/ 01.12.16 |
| 6. | 11718 | 24.03.16 | स्मार्ट फिटनेस, इंदौर | 73/ 30.07.16 | 4,30,000 | 101 दिन | 0 | 3 माह 11 दिन | 0 | 25,800 | शीघ्र आपूर्ति | 44–001 | 6920/ 13.10.16 |
| 7. | 10252 | 27.02.16 | स्मार्ट फिटनेस, इंदौर | 106/ 21.09.16 | 2,80,000 | 207 दिन | 0 | 0 | 6 माह 27 दिन | 28,000 | शीघ्र आपूर्ति | 32 | 8334/ 25.11.16 |
| 8. | 4343 | 14.08.17 | कार्डियोमेड इण्डिया, नई दिल्ली | 4/ 09.01.18 | 7,72,730 | 149 दिन | 0 | 0 | 4 माह 29 दिन | 61,818 | शीघ्र आपूर्ति | 32 | 10742/ 12.02.16 |

| स. क्र. | खेल और युवा कल्याण विभाग का आदेश सं. | आदेश दिनांक | निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता | बीजक सं./दिनांक | राशि | आपूर्ति आदेश व बीजक आदेश के बीच अंतर | 0–2 माह का विलंब | 02–04 माह का विलंब | 04 माह और उससे अधिक विलंब | विलंब के लिए क्षतिपूर्ति शास्ति (राशि ₹ में) | आपूर्ति आदेश में उल्लेखित अवधि | शीर्ष | भुगतान आदेश सं./दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 1749 | 26.05.16 | स्मार्ट फिटनेस, इंदौर | 123/ 17.10.16 | 4,30,000 | 142 दिन | 0 | 0 | 4 माह 22 दिन | 30,100 | उल्लेख नहीं | 64 | 11576/ 14.02.17 |
| 10. | 8557 | 01.12.16 | कार्डियोमेड इण्डिया, नई दिल्ली | 006/ 08.04.17 | 48,93,000 | 125 दिन | 0 | 0 | 4 माह 5 दिन | 2,44,650 | उल्लेख नहीं | 32 | 1338/ 17.05.17 |
| 11. | 8576 | 20.06.16 | स्मार्ट फिटनेस, इंदौर | 199/ 20.02.17 | 2,80,000 | 152 दिन | 0 | 0 | 5 माह 2 दिन | 28,000 | शीघ्र आपूर्ति | 41–32 | 12726/ 07.03.17 |
| 12. | 1697 | 25.05.16 | कार्डियोमेड इण्डिया, नई दिल्ली | 12/ 07.02.17 | 1,57,000 | 256 दिन | 0 | 0 | 8 माह 16 दिन | 15,700 | उल्लेख नहीं | 0101–67 03 | 5632/ 22.09.17 |
| 13. | 9246 | 20.12.16 | कार्डियोमेड इण्डिया, नई दिल्ली | 03/ 07.04.17 | 9,69,100 | 107 दिन | 0 | 3 माह 17 दिन | 0 | 67,837 | शीघ्र आपूर्ति | | |
| 14. | 7985 | 15.11.16 | कार्डियोमेड इण्डिया, नई दिल्ली | 05/ 07.04.17 | 9,69,100 | 142 दिन | 0 | 0 | 4 माह 22 दिन | 77,528 | शीघ्र आपूर्ति | | |
| 15. | 10192 | 11.01.17 | स्मार्ट फिटनेस, इंदौर | 91/ 21.06.17 | 2,80,000 | 159 दिन | 0 | 0 | 5 माह 9 दिन | 28,000 | उल्लेख नहीं | 6703–32 | 4201/ 11.08.17 |
| 16. | 11418 | 09.02.17 | कार्डियोमेड इण्डिया, नई दिल्ली | 19/ 28.06.17 | 6,26,200 | 138 दिन | 0 | 0 | 4 माह 18 दिन | 62,600 | उल्लेख नहीं | 6703 | |
| 17. | 2386 | 10.06.16 | जिमपैक फिटनेस सिस्टमस, नई दिल्ली | 12/ 15.02.17 | 3,92,200 | 237 दिन | 0 | 0 | 7 माह 27 दिन | 39,200 | उल्लेख नहीं | 6703–32 | 12415/ 03.03.17 |

| स. क्र. | खेल और युवा कल्याण विभाग का आदेश सं. | आदेश दिनांक | निविदाकर्ता / आपूर्तिकर्ता | बीजक सं. / दिनांक | राशि | आपूर्ति आदेश व बीजक आदेश के बीच अंतर | 0–2 माह का विलंब | 02–04 माह का विलंब | 04 माह और उससे अधिक विलंब | विलंब के लिए क्षतिपूर्ति शास्ति (राशि ₹ में) | आपूर्ति आदेश में उल्लेखित अवधि | शीर्ष | भुगतान आदेश सं. / दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 9250 | 25.12.16 | स्मार्ट फिटनेस, इंदौर | 12 / 25.04.17 | 2,80,000 | 120 दिन | 0 | 4 माह | 0 | 28,000 | शीघ्र आपूर्ति | 64–002 | 11967 / 22.03.16 |
| 19. | 1889 | 02.06.17 | कार्डियोमेड इण्डिया, नई दिल्ली | 36 / 28.08.17 | 6,16,700 | 86 दिन | 0 | 2 माह 26 दिन | 0 | 24,668 | शीघ्र आपूर्ति | 64–002 | 5714 / 23.09.17 |
| 20. | 3936 | 02.08.17 | जिमपैक फिटनेस सिस्टमस, नई दिल्ली | 06 / 30.11.17 | 7,71,269 | 119 दिन | 0 | 3 माह 29 दिन | 0 | 61,702 | उल्लेख नहीं | 63–002 | 11035 / 21.02.18 |
| 21. | 3938 | 02.08.17 | कार्डियोमेड इण्डिया, नई दिल्ली | 38 / 23.10.17 | 62,41,806 | 81 दिन | 0 | 2 माह 21 दिन | 0 | 1,87,254 | उल्लेख नहीं | 64–002 | 6953 / 08.11.17 |
| 22. | 11339 | 08.02.17 | कार्डियोमेड इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली | 31 / 28.08.17 | 9,69,100 | 198 दिन | 0 | 0 | 6 माह 18 दिन | 96,900 | उल्लेख नहीं | 6703–002 | 5716 / 23.09.17 |
| 23. | 12216 | 28.02.17 | कार्डियोमेड इण्डिया, नई दिल्ली | 33 / 28.08.17 | 10,03,500 | 180 दिन | 0 | 0 | 6 माह | 1,00,350 | उल्लेख नहीं | 6703–32 | 5630 / 22.09.17 |
| 24. | 12437 | 03.03.17 | कार्डियोमेड इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली | 34 / 28.08.17 | 21,86,500 | 177 दिन | 0 | 0 | 5 माह 27 दिन | 2,18,650 | उल्लेख नहीं | 64–002 | 5634 / 22.09.17 |
| 25. | 12441 | 03.03.17 | कार्डियोमेड इण्डिया | 35 / | 6,95,400 | 177 दिन | 0 | 0 | 5 माह | 69,540 | उल्लेख नहीं | 6703–32 | 5628 / |

| स. क्र. | खेल और युवा कल्याण विभाग का आदेश सं. | आदेश दिनांक | निविदाकर्ता / आपूर्तिकर्ता | बीजक सं. / दिनांक | राशि | आपूर्ति आदेश व बीजक आदेश के बीच अंतर | 0–2 माह का विलंब | 02–04 माह का विलंब | 04 माह और उससे अधिक विलंब | विलंब के लिए क्षतिपूर्ति शास्ति (राशि ₹ में) | आपूर्ति आदेश में उल्लेखित अवधि | शीर्ष | भुगतान आदेश सं. / दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लिमिटेड, नई दिल्ली | 28.08.17 | | | | | 27 दिन | | | | 22.09.17 |
| 26. | 11341 | 08.02.17 | जिमपैक फिटनेस सिस्टमस, नई दिल्ली | 12 / 28.06.17 | 7,84,400 | 140 दिन | 0 | 0 | 4 माह 20 दिन | 78,400 | उल्लेख नहीं | 6703–32 | 5064 / 07.9.17 |
| 27. | 11339 | 08.02.17 | कार्डियोमेड इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली | 31 / 28.08.17 | 9,69,100 | 200 दिन | 0 | 0 | 6 माह 20 दिन | 96,910 | उल्लेख नहीं | 64–002 | 5716 / 23.09.17 |
| 28. | 1119 | 11.05.17 | कार्डियोमेड इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली | 37 / 23.10.17 | 3,21,904 | 164 दिन | 0 | 0 | 5 माह 14 दिन | 32,190 | उल्लेख नहीं | 6703–32 | 6943 / 08.11.17 |
| 29. | 12443 | 03.03.17 | कार्डियोमेड इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली | 8 / 30.06.17 | 7,35,350 | 118 दिन | 0 | 3 माह 28 दिन | 0 | 58,828 | उल्लेख नहीं | 6703–32 | 5266 / 14.09.17 |
| 30. | 95 | 06.04.17 | कार्डियोमेड इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली | 40 / 23.10.17 | 9,22,952 | 200 दिन | 0 | 0 | 6 माह 20 दिन | 92,295 | उल्लेख नहीं | 6703–32 | 8897 / 29.12.17 |
| 31. | 12437 | 03.03.17 | कार्डियोमेड इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली | 34 / 22.08.17 | 21,86,500 | 172 दिन | 0 | 0 | 5 माह 22 दिन | 2,18,650 | उल्लेख नहीं | 64–002 | 5634 / 22.09.17 |

| स. क्र. | खेल और युवा कल्याण विभाग का आदेश सं. | आदेश दिनांक | निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता | बीजक सं./दिनांक | राशि | आपूर्ति आदेश व बीजक आदेश के बीच अंतर | 0–2 माह का विलंब | 02–04 माह का विलंब | 04 माह और उससे अधिक विलंब | विलंब के लिए क्षतिपूर्ति शास्ति (राशि ₹ में) | आपूर्ति आदेश में उल्लेखित अवधि | शीर्ष | भुगतान आदेश सं./दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 4339 | 14.08.17 | कार्डियोमेड इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली | 46/ 09.01.18 | 7,72,730 | 147 दिन | 0 | 3 माह 27 दिन | 0 | 77,273 | उल्लेख नहीं | 6703–32 | 10720/ 12.02.18 |
| 33. | 4337 | 14.08.17 | जिमपैक फिटनेस सिस्टमस, नई दिल्ली | 5/ 30.11.17 | 6,32,810 | 168 दिन | 0 | 0 | 5 माह 18 दिन | 63,281 | उल्लेख नहीं | 6703–32 | 10720/ 12.02.18 |
| 34. | 4343 | 14.08.17 | कार्डियोमेड इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली | 45/ 09.01.18 | 7,72,730 | 147 दिन | 0 | 3 माह 27 दिन | 0 | 77,273 | उल्लेख नहीं | 6703–32 | 10742/ 12.02.18 |
| **योग** | | | | | **3,28,30,081** | | | | | **23,71,557** | | | |

# परिशिष्ट 3.2.1

## (संदर्भः कंडिका 3.2.3.1, पृष्ठ संख्या 81)

## पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त रिक्त पदों के विवरण जिनकों पुलिस मुख्यालय के चयन/भर्ती शाखा द्वारा भर्ती हेतु भर्ती एजेन्सी (मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल) को अनुगामी रूप से प्रस्तावित कर भेजा गया

| स.क्र. | पुलिस विभाग की शाखाओं से प्राप्त रिक्त पदों का विवरण | | | | भर्ती एजेन्सी, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भर्ती के लिए भेजे गये प्रस्ताव | | | मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को प्रस्ताव भेजने में अधिकतम विलंब (माह में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | शाखा | दिनांक | पद का नाम | रिक्तियों की संख्या | दिनांक | पद का नाम | रिक्तियों की संख्या | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (एस.सी.आर.बी.), पुलिस मुख्यालय<br>विभिन्न क्षेत्रीय ईकाईयाँ | जानकारी प्रदाय नहीं की गई | | | 30.07.18 | सहायक उप निरीक्षक (कंप्यूटर)<br>प्रधान आरक्षक (कंप्यूटर)<br>आरक्षक<br>योग | 10<br>70<br>2,937<br>3,017 | सुनिश्चित नहीं |
| 2. | कार्मिक<br>सी.आई.डी.<br>एम.पी. पुलिस (दूर संचार) संगठन<br>एस.ए.एफ.<br>एस.ए.एफ. | 31.07.18<br>16.04.18<br>09.01.18<br>02.02.18<br>02.02.18 | सूबेदार<br>उप निरीक्षक (क्यू.डी.)<br>उप निरीक्षक (रेडियो)<br>उप निरीक्षक (एस.ए.एफ.)<br>उप निरीक्षक (आर्म्स) | 17<br>03<br>44<br>19<br>01<br>84 | 10.08.18 | सूबेदार<br>उप निरीक्षक<br>योग | 17<br>67<br>84 | 06 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (एस.सी.आर.बी.), पुलिस मुख्यालय | 16.10.18<br>16.10.18 | सहायक उप निरीक्षक (कंप्यूटर)<br>प्रधान आरक्षक (कंप्यूटर) | 10<br>71 | 31.12.18 | सहायक उप निरीक्षक (कंप्यूटर)<br>प्रधान आरक्षक (कंप्यूटर)<br>आरक्षक<br>योग | 10<br>71<br>3,570<br>3,651 | सुनिश्चित नहीं |
| | विभिन्न क्षेत्रीय ईकाईयाँ | जानकारी प्रदाय नहीं की गई | | | | | | |
| 4. | एस.ए.एफ. शाखा | 09.01.19 | उप निरीक्षक (एस.ए.एफ.) | 31 | विभाग द्वारा 12 अतिरिक्त पदों (31–19) के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई | | | 11<br>(दिसम्बर 2019 तक) |
| 5. | कार्मिक<br>एस.बी.<br>सी.आई.डी. | 07.02.19<br>25.05.18<br>16.04.18 | सूबेदार (आशुलेखकं)<br>सूबेदार (आशुलेखकं)<br>सहायक उप निरीक्षक (एम) | 54<br>03<br>02<br>59 | 27.02.19 | सूबेदार (आशुलेखकं)<br>सहायक उप निरीक्षक(एम)<br>योग | 57<br>02<br>59 | 09 |
| 6. | एस.सी.आर.बी<br>एस.सी.आर.बी. | 16.10.18<br>16.10.18 | सहायक उप निरीक्षक (कंप्यूटर)<br>प्रधान आरक्षक (कंप्यूटर) | 10<br>71 | 12.03.19 | सहायक उप निरीक्षक (कंप्यूटर)<br>प्रधान आरक्षक (कंप्यूटर)<br>आरक्षक<br>योग | 10<br>71<br>3,191<br>3,272 | सुनिश्चित नहीं |
| | विभिन्न क्षेत्रीय ईकाईयाँ और प्रशिक्षण संस्थाएँ | जानकारी प्रदाय नहीं की गई | | | | | | |
| 7. | एम.पी. पुलिस (दूर संचार) संगठन, भोपाल | 12.04.19 | आरक्षक (रेडियो) | 493 | 15.05.19 | आरक्षक (रेडियो) | 493 | –– |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | एम.पी. पुलिस (दूर संचार) संगठन, भोपाल | 09.04.19 | उप निरीक्षक (रेडियो) | 55 | विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गई | | | 08 (दिसम्बर 2019 तक) |
| 9. | कार्मिक | 07.02.19 (पूर्व का प्रस्ताव) | सूबेदार (आशुलेखक) | 54 | 24.05.19 | सूबेदार (आशुलेखकं) | 58 | –– |
| | | | | | | सहायक उप निरीक्षक (एम) | 45 | |
| | | | | | | योग | 103 | |
| | एस.बी. | 18.04.19 | सूबेदार (आशुलेखकं) | 04 | | | | |
| | एस.बी. | 18.04.19 | सहायक उप निरीक्षक (एम) | 33 | | | | |
| | सी.आई.डी. | 23.04.19 | सहायक उप निरीक्षक (एम) | 12 | | | | |
| | | | | 103 | | | | |
| 10. | एस.ए.एफ. शाखा | 30.05.19 | उप निरीक्षक (एस.ए.एफ.) | 47 | विभाग द्वारा 28 अतिरिक्त पदों (47–19) के संबंध में कार्रवाई नहीं की गई | | | 07 (दिसम्बर 2019 तक) |

## परिशिष्ट 3.2.2

### (संदर्भः कंडिका 3.2.3.3 (ii), पृष्ठ संख्या 85)

(संदर्भः कंडिका 3.2.3.3 (ii), पृष्ठ संख्या 85)

### पुलिस थानों में निरीक्षकों, उप निरीक्षकों, सहायक उप निरीक्षकों, प्रधान आरक्षकों एवं आरक्षकों की जिलावार पदस्थापना का विवरण

**पद का नाम– निरीक्षक**

| कार्यालय का नाम | पुलिस थानों की संख्या | स्वीकृत पद की कुल संख्या | कार्यरत संख्या | कुल कमी | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरुद्ध पूर्ण क्षमता में निरीक्षक उपलब्ध थे | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरुद्ध निरीक्षक की कमी थी | कॉलम संख्या 7 के अनुसार पुलिस थानों में निरीक्षक की कमी की संख्या | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरुद्ध निरीक्षक अधिक थे | कॉलम संख्या 9 के अनुसार पुलिस थानों में अधिक निरीक्षक की संख्या | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरुद्ध निरीक्षक उपलब्ध नहीं थे | कॉलम संख्या 11 के अनुसार पुलिस थानों में स्वीकृत पद के विरुद्ध अनुपलब्ध निरीक्षक की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| पुलिस अधीक्षक, भिण्ड | 26 | 16 | 11 | 05 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 05 |
| पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी | 28 | 13 | 13 | 00 | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर | 38 | 30 | 25 | 05 | 25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 05 |
| पुलिस अधीक्षक, बालाघाट | 21 | 21 | 20 | 01 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| पुलिस अधीक्षक, इन्दौर | 45 | 45 | 45 | 00 | 45 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| **योग** | **158** | **125** | **114** | **11** | **114** | **00** | **00** | **00** | **00** | **11** | **11** |

**टीप**–1. भिण्ड जिले के 10 पुलिस थानों में, निरीक्षकों के पद स्वीकृत और उपलब्ध नहीं थे।
2. शिवपुरी जिले के 15 पुलिस थानों में, निरीक्षकों के पद स्वीकृत और उपलब्ध नहीं थे।
3. ग्वालियर जिले के 08 पुलिस थानों में, निरीक्षकों के पद स्वीकृत और उपलब्ध नहीं थे।

## पद का नाम– उप निरीक्षक

| कार्यालय का नाम | पुलिस थानों की संख्या | स्वीकृत पद की कुल संख्या | कार्यरत संख्या | कुल कमी | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरुद्ध पूर्ण क्षमता में उप निरीक्षक उपलब्ध थे | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरुद्ध उप निरीक्षक की कमी थी | कॉलम संख्या 7 के अनुसार पुलिस थानों में उप निरीक्षक की कमी की संख्या | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरूद्ध उप निरीक्षक अधिक थे | कॉलम संख्या 9 के अनुसार पुलिस थानों में अधिक उप निरीक्षक की संख्या | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरुद्ध उप निरीक्षक उपलब्ध नहीं थे | कॉलम संख्या 11 के अनुसार पुलिस थानों में स्वीकृत पद के विरुद्ध अनुपलब्ध उप निरीक्षक की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| पुलिस अधीक्षक, भिण्ड | 26 | 57 | 51 | 06 | 18 | 05 | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 |
| पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी | 28 | 64 | 59 | 05 | 18 | 06 | 10 | 04 | 05 | 00 | 00 |
| पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर | 38 | 171 | 129 | 42 | 13 | 18 | 49 | 07 | 07 | 00 | 00 |
| पुलिस अधीक्षक, बालाघाट | 21 | 50 | 29 | 21 | 09 | 08 | 16 | 01 | 01 | 03 | 06 |
| पुलिस अधीक्षक, इन्दौर | 45 | 317 | 233 | 84 | 03 | 34 | 102 | 07 | 19 | 01 | 01 |
| योग | **158** | **659** | **501** | **158** | **61** | **71** | **186** | **22** | **35** | **04** | **07** |

**पद का नाम – सहायक उप निरीक्षक**

| कार्यालय का नाम | पुलिस थानों की संख्या | कुल स्वीकृत पद | कार्यरत संख्या | कुल कमी | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरुद्ध पूर्ण क्षमता में सहायक उप निरीक्षक उपलब्ध थे | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरुद्ध सहायक उप निरीक्षक की कमी थी | कॉलम संख्या 7 के अनुसार पुलिस थानों में सहायक उप निरीक्षक की कमी की संख्या | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक अधिक थे | कॉलम संख्या 9 के अनुसार पुलिस थानों में अधिक सहायक उप निरीक्षक की संख्या | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरुद्ध सहायक उप निरीक्षक उपलब्ध नहीं थे | कॉलम संख्या 11 के अनुसार पुलिस थानों में स्वीकृत पद के विरुद्ध अनुपलब्ध सहायक उप निरीक्षक की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| पुलिस अधीक्षक, भिण्ड | 26 | 140 | 42 | 98 | 00 | 25 | 95 | 00 | 00 | 01 | 03 |
| पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी | 28 | 141 | 85 | 56 | 04 | 24 | 56 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर | 38 | 310 | 91 | 219 | 01 | 34 | 204 | 00 | 00 | 03 | 15 |
| पुलिस अधीक्षक, बालाघाट | 21 | 100 | 56 | 44 | 02 | 17 | 47 | 02 | 03 | 00 | 00 |
| पुलिस अधीक्षक, इन्दौर, | 45 | 490 | 247 | 243 | 02 | 42 | 246 | 01 | 03 | 00 | 00 |
| योग | **158** | **1,181** | **521** | **660** | **09** | **142** | **648** | **03** | **06** | **04** | **18** |

## पद का नाम – प्रधान आरक्षक

| कार्यालय का नाम | पुलिस थानों की संख्या | कुल स्वीकृत पद | कार्यरत संख्या | कुल कमी | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरुद्ध पूर्ण क्षमता में प्रधान आरक्षक उपलब्ध थे | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरुद्ध प्रधान आरक्षक की कमी थी | कॉलम संख्या 7 के अनुसार पुलिस थानों में प्रधान आरक्षक की कमी की संख्या | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरूद्ध प्रधान आरक्षक अधिक थे | कॉलम संख्या 9 के अनुसार पुलिस थानों में अधिक प्रधान आरक्षक की संख्या | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरुद्ध प्रधान आरक्षक उपलब्ध नहीं थे | कॉलम संख्या 11 के अनुसार पुलिस थानों में स्वीकृत पद के विरुद्ध अनुपलब्ध प्रधान आरक्षक की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| पुलिस अधीक्षक, भिण्ड | 26 | 194 | 82 | 112 | 00 | 26 | 112 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी | 28 | 196 | 123 | 73 | 02 | 25 | 75 | 01 | 02 | 00 | 00 |
| पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर | 38 | 431 | 220 | 211 | 01 | 31 | 189 | 03 | 08 | 03 | 30 |
| पुलिस अधीक्षक, बालाघाट | 21 | 193 | 115 | 78 | 01 | 19 | 79 | 01 | 01 | 00 | 00 |
| पुलिस अधीक्षक, इन्दौर | 45 | 691 | 524 | 167 | 03 | 33 | 194 | 09 | 27 | 00 | 00 |
| योग | **158** | **1,705** | **1,064** | **641** | **07** | **134** | **649** | **14** | **38** | **03** | **30** |

**पद का नाम – आरक्षक**

| कार्यालय का नाम | पुलिस थानों की संख्या | कुल स्वीकृत पद | कार्यरत संख्या | कुल कमी | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरुद्ध पूर्ण क्षमता में आरक्षक उपलब्ध थे | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरुद्ध आरक्षक की कमी थी | कॉलम संख्या 7 के अनुसार पुलिस थानों में आरक्षक की कमी की संख्या | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरूद्ध आरक्षक अधिक थे | कॉलम संख्या 9 के अनुसार पुलिस थानों में अधिक आरक्षक की संख्या | पुलिस थानों की संख्या जहां स्वीकृत पद के विरुद्ध आरक्षक उपलब्ध नहीं थे | कॉलम संख्या 11 के अनुसार पुलिस थानों में स्वीकृत पद के विरुद्ध अनुपलब्ध आरक्षक की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| पुलिस अधीक्षक, भिण्ड | 26 | 528 | 456 | 72 | 02 | 17 | 107 | 07 | 35 | 00 | 00 |
| पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी | 28 | 497 | 529 | 32 (आधिक्य) | 04 | 12 | 28 | 12 | 60 | 00 | 00 |
| पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर | 38 | 1,187 | 1,325 | 138 (आधिक्य) | 01 | 15 | 122 | 22 | 260 | 00 | 00 |
| पुलिस अधीक्षक, बालाघाट | 21 | 711 | 492 | 219 | 00 | 19 | 227 | 02 | 08 | 00 | 00 |
| पुलिस अधीक्षक, इन्दौर | 45 | 2,001 | 1,624 | 377 | 00 | 34 | 473 | 11 | 96 | 00 | 00 |
| योग | **158** | **4,924** | **4,426** | **498** | **07** | **97** | **957** | **54** | **459** | **00** | **00** |

## परिशिष्ट 3.2.3
## (संदर्भ: कंडिका 3.2.3.3 (iii), पृष्ठ संख्या 85)
## जिलावार बंद चौकियों का विवरण

| स. क्र. | जिला कार्यालय का नाम | चौकियों के नाम | स्वीकृत अमले का विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सहायक उप निरीक्षक | प्रधान आरक्षक | आरक्षक |
| 1. | पुलिस अधीक्षक, बालाघाट | राजेगांव | 01 | 01 | 09 |
| 2. | | मुक्की | 01 | 04 | 16 |
| 3. | | कट्टीपार | 01 | 02 | 16 |
| 4. | | थेमा | 01 | 02 | 16 |
| 5. | | धीरी | 03 | 10 | 34 |
| 6. | | डोगरमाली | 01 | 01 | 09 |
| 7. | | रासीमेता | 01 | 01 | 09 |
| 8. | | बोण्डारी | 01 | 01 | 09 |
| 9. | | सेयर | 01 | 02 | 10 |
| 10. | | लोधीवाडा | 01 | 02 | 10 |
| 11. | पुलिस अधीक्षक, भिण्ड | रेलवे स्टेशन, पुलिस थाना, ग्रामीण | 01 | 02 | 08 |
| 12. | | बिलाव, पुलिस थाना, उमरी | 01 | 02 | 08 |
| 13. | | अडोखर | 01 | 02 | 08 |
| 14. | | सुहांस, पुलिस थाना, एण्डोरी | 01 | 02 | 08 |
| 15. | | रतवा, पुलिस थाना, मऊ | 01 | 02 | 08 |
| 16. | | बस स्टैण्ड, पुलिस थाना, लहार | 01 | 02 | 08 |
| 17. | | राहाबली, पुलिस थाना, लहार | 01 | 02 | 08 |
| 18. | | अजनार, पुलिस थाना, लहार | 01 | 02 | 08 |
| 19. | | रामपुर | 01 | 02 | 08 |
| 20. | | इन्दुरखी, पुलिस थाना, रौन | 01 | 02 | 08 |
| 21. | | बदकुई, पुलिस थाना, अटेर | 01 | 01 | 06 |
| 22. | | कोसद, पुलिस थाना, सुरपुरा | 01 | 02 | 06 |

## परिशिष्ट 3.2.4

(संदर्भ: कंडिका 3.2.3.3 (iv), पृष्ठ संख्या 87)

### पुलिस थानों में पदस्थ कर्मचारी एवं दर्ज किए गए अपराधों की संख्या का विवरण

जिला कार्यालय – पुलिस अधीक्षक, इन्दौर

| स. क्र. | पुलिस थाना का नाम | श्रेणी | वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता अपराध | स्वीकृत पद की संख्या | कार्यरत कर्मी (पी.आई.पी.) | स्वीकृत पद की तुलना में कार्यरत कर्मी की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | एरोड्रम | शहरी | 808 | 94 | 85 | 90.43 |
| 2. | गॉधी नगर | शहरी | 373 | 37 | 35 | 94.59 |
| 3. | सदर बाजार | शहरी | 421 | 110 | 65 | 59.09 |
| 4. | मल्हारगंज | शहरी | 621 | 110 | 89 | 80.91 |
| 5. | चंदननगर | शहरी | 1,019 | 88 | 78 | 88.64 |
| 6. | द्वारकापुरी | शहरी | 666 | 37 | 53 | 143.24 |
| 7. | राजेन्द्रनगर | शहरी | 829 | 91 | 70 | 76.92 |
| 8. | राऊ | शहरी | 501 | 36 | 43 | 119.44 |
| 9. | अन्नपूर्णा | शहरी | 498 | 80 | 63 | 78.75 |
| 10. | सेन्ट्रल कोतवाली | शहरी | 255 | 94 | 54 | 57.45 |
| 11. | एम. जी. रोड | शहरी | 493 | 102 | 68 | 66.67 |
| 12. | तुकोगंज | शहरी | 689 | 107 | 74 | 69.16 |
| 13. | तेजाजीनगर | शहरी | 460 | 82 | 63 | 76.83 |
| 14. | आजाद नगर | शहरी | 547 | 82 | 49 | 59.76 |
| 15. | कनाडिया | शहरी | 591 | 82 | 53 | 64.63 |
| 16. | भंवरकुंआ | शहरी | 861 | 118 | 93 | 78.81 |
| 17. | जूनी इन्दौर | शहरी | 565 | 104 | 70 | 67.31 |
| 18. | राओजी बाजार | शहरी | 424 | 72 | 54 | 75.00 |
| 19. | सर्राफा | शहरी | 162 | 85 | 53 | 62.35 |
| 20. | छत्रीपुरा | शहरी | 437 | 104 | 58 | 55.77 |
| 21. | पण्ड्रीनाथ | शहरी | 205 | 117 | 61 | 52.14 |
| 22. | बानगंगा | शहरी | 1,381 | 111 | 108 | 97.30 |
| 23. | परदेशीपुरा | शहरी | 661 | 106 | 78 | 73.58 |
| 24. | हीरानगर | शहरी | 723 | 63 | 55 | 87.30 |
| 25. | विजय नगर | शहरी | 1,100 | 102 | 86 | 84.31 |

| स. क्र. | पुलिस थाना का नाम | श्रेणी | वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता अपराध | स्वीकृत पद की संख्या | कार्यरत कर्मी (पी.आई.पी.) | स्वीकृत पद की तुलना में कार्यरत कर्मी की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | एम.आई.जी. थाना | शहरी | 955 | 107 | 73 | 68.22 |
| 27. | खजराना | शहरी | 1,249 | 106 | 80 | 75.47 |
| 28. | लसुरिया | शहरी | 1,273 | 83 | 93 | 112.05 |
| 29. | संयोगितागंज | शहरी | 554 | 138 | 77 | 55.80 |
| 30. | पलासिया | शहरी | 481 | 146 | 64 | 43.84 |
| 31. | तिलकनगर | शहरी | 394 | 37 | 43 | 116.22 |
| 32. | छोटी ग्वालटोली | शहरी | 257 | 94 | 77 | 81.91 |
| 33. | महू | शहरी | 471 | 102 | 65 | 63.73 |
| 34. | किशनगंज | शहरी | 664 | 77 | 59 | 76.62 |
| 35. | मानपुर | नगर पंचायत | 405 | 42 | 38 | 90.48 |
| 36. | बदगोन्दा | ग्रामीण | 507 | 35 | 40 | 114.29 |
| 37. | बेटमा | नगर पंचायत | 610 | 47 | 46 | 97.87 |
| 38. | देपालपुर | नगर पंचायत | 446 | 39 | 28 | 71.79 |
| 39. | गौतमपुरा | नगर पंचायत | 250 | 41 | 23 | 56.10 |
| 40. | हतोड | नगर पंचायत | 242 | 37 | 23 | 62.16 |
| 41. | क्षिप्रा | ग्रामीण | 443 | 35 | 56 | 160.00 |
| 42. | सांवेर | नगर पंचायत | 532 | 56 | 36 | 64.29 |
| 43. | चंदवटीगंज | ग्रामीण | 181 | 35 | 22 | 62.86 |
| 44. | खुडेल | ग्रामीण | 531 | 37 | 43 | 116.22 |
| 45. | सिमरोल | ग्रामीण | 539 | 36 | 34 | 94.44 |

## जिला कार्यालय– पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी

| स. क्र. | पुलिस थाना का नाम | श्रेणी | वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता अपराध | स्वीकृत पद की संख्या | कार्यरत कर्मी (पी. आई.पी.) | स्वीकृत पद की तुलना में कार्यरत कर्मी की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | शिवपुरी कोतवाली | शहरी | 496 | 95 | 95 | 100.00 |
| 2. | फिजीकल कालेज | शहरी | 118 | 25 | 24 | 96.00 |
| 3. | पुरानी शिवपुरी (देहात) | शहरी | 202 | 51 | 52 | 101.96 |
| 4. | सिरसोद | ग्रामीण | 112 | 29 | 25 | 86.21 |
| 5. | सतनवारा | ग्रामीण | 82 | 20 | 19 | 95.00 |
| 6. | सुभाषपुरा | ग्रामीण | 85 | 20 | 18 | 90.00 |
| 7. | बम्होरी | ग्रामीण | 06 | 20 | 12 | 60.00 |
| 8. | पोहरी | ग्रामीण | 217 | 49 | 38 | 77.55 |
| 9. | बेराड | ग्रामीण | 170 | 31 | 24 | 77.42 |
| 10. | गोवर्धन | ग्रामीण | 47 | 20 | 24 | 120.00 |
| 11. | चर्च | ग्रामीण | 35 | 20 | 13 | 65.00 |
| 12. | गोपालपुर | ग्रामीण | 13 | 20 | 14 | 70.00 |
| 13. | करेरा | नगर पंचायत | 446 | 59 | 55 | 93.22 |
| 14. | नरवर | नगर पंचायत | 171 | 36 | 28 | 77.78 |
| 15. | दिनारा | ग्रामीण | 146 | 20 | 25 | 125.00 |
| 16. | अमोला | ग्रामीण | 124 | 27 | 23 | 85.19 |
| 17. | सिहोरा | ग्रामीण | 83 | 20 | 15 | 75.00 |
| 18. | सुरवाया | ग्रामीण | 33 | 20 | 15 | 75.00 |
| 19. | पिछोर | नगर पंचायत | 377 | 43 | 51 | 118.60 |
| 20. | खनियाधाना | नगर पंचायत | 234 | 38 | 30 | 78.95 |
| 21. | मायापुर | ग्रामीण | 149 | 27 | 19 | 70.37 |
| 22. | भौंती | ग्रामीण | 221 | 32 | 29 | 90.63 |
| 23. | बामोरकला | ग्रामीण | 123 | 22 | 21 | 95.45 |
| 24. | कोलारस | नगर पंचायत | 299 | 59 | 57 | 96.61 |

| स. क्र. | पुलिस थाना का नाम | श्रेणी | वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता अपराध | स्वीकृत पद की संख्या | कार्यरत कर्मी (पी. आई.पी.) | स्वीकृत पद की तुलना में कार्यरत कर्मी की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | बदरवास | नगर पंचायत | 202 | 38 | 26 | 68.42 |
| 26. | इन्दर | ग्रामीण | 128 | 30 | 21 | 70.00 |
| 27. | रान्नोद | ग्रामीण | 97 | 20 | 14 | 70.00 |
| 28. | तेन्दुआ | ग्रामीण | 70 | 20 | 22 | 110.00 |

## जिला कार्यालय – पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर

| स. क्र. | पुलिस थाना का नाम | श्रेणी | वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता अपराध | स्वीकृत पद की संख्या | कार्यरत कर्मी (पी. आई.पी.) | स्वीकृत पद की तुलना में कार्यरत कर्मी की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | कोतवाली | शहरी | 343 | 103 | 83 | 80.58 |
| 2. | माधोगंज | शहरी | 406 | 99 | 68 | 68.69 |
| 3. | गिरवई | शहरी | 190 | 30 | 61 | 203.33 |
| 4. | जनकगंज | शहरी | 771 | 111 | 102 | 91.89 |
| 5. | इन्दरगंज | शहरी | 463 | 93 | 67 | 72.04 |
| 6. | झांसी रोड | शहरी | 442 | 95 | 78 | 82.11 |
| 7. | कम्पू | शहरी | 479 | 78 | 64 | 82.05 |
| 8. | यूनिवर्सिटी | शहरी | 481 | 71 | 39 | 54.93 |
| 9. | ग्वालियर | शहरी | 527 | 110 | 62 | 56.36 |
| 10. | पड़ाव | शहरी | 628 | 84 | 64 | 76.19 |
| 11. | बहोड़ापुर | शहरी | 810 | 78 | 97 | 124.36 |
| 12. | मुरार | शहरी | 671 | 117 | 88 | 75.21 |
| 13. | सिरोल | शहरी | 147 | 49 | 49 | 100.00 |
| 14. | थाटीपुर | शहरी | 630 | 77 | 55 | 71.43 |
| 15. | महाराजपुरा | शहरी | 424 | 63 | 73 | 115.87 |
| 16. | गोले का मंदिर | शहरी | 636 | 85 | 73 | 85.88 |
| 17. | हजीरा | शहरी | 459 | 82 | 87 | 106.10 |
| 18. | पुरानी छावनी | शहरी | 281 | 65 | 79 | 121.54 |
| 19. | तिघरा | ग्रामीण | 82 | 27 | 24 | 88.89 |
| 20. | डबरा | शहरी | 695 | 87 | 63 | 72.41 |
| 21. | डबरा देहात | शहरी | 189 | 42 | 34 | 80.95 |
| 22. | आन्तरी | नगर | 162 | 33 | 24 | 72.73 |

| स. क्र. | पुलिस थाना का नाम | श्रेणी | वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता अपराध | स्वीकृत पद की संख्या | कार्यरत कर्मी (पी. आई.पी.) | स्वीकृत पद की तुलना में कार्यरत कर्मी की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | पंचायत | | | | |
| 23. | बिलौआ | नगर पंचायत | 178 | 28 | 36 | 128.57 |
| 24. | गिजोर्रा | ग्रामीण | 133 | 20 | 26 | 130.00 |
| 25. | पिछोर | नगर पंचायत | 135 | 32 | 21 | 65.63 |
| 26. | भितरवार | नगर पंचायत | 377 | 42 | 26 | 61.90 |
| 27. | बैलघरा | ग्रामीण | 48 | 20 | 14 | 70.00 |
| 28. | करहिया | ग्रामीण | 67 | 29 | 16 | 55.17 |
| 29. | चिनौर | ग्रामीण | 113 | 22 | 21 | 95.45 |
| 30. | घाटीगांव | ग्रामीण | 141 | 32 | 29 | 90.63 |
| 31. | आरौन | ग्रामीण | 34 | 27 | 14 | 51.85 |
| 32. | महोना | ग्रामीण | 144 | 32 | 25 | 78.13 |
| 33. | पनिहार | ग्रामीण | 102 | 32 | 23 | 71.88 |
| 34. | भंवरपुरा | ग्रामीण | 11 | 36 | 16 | 44.44 |
| 35. | बेहट | ग्रामीण | 45 | 27 | 19 | 70.37 |
| 36. | बिजौली | ग्रामीण | 162 | 24 | 29 | 120.83 |
| 37. | उटीला | ग्रामीण | 50 | 20 | 21 | 105.00 |
| 38. | हस्तिनापुर | ग्रामीण | 65 | 27 | 20 | 74.07 |

**जिला कार्यालय – पुलिस अधीक्षक, भिण्ड**

| स. क्र. | पुलिस थाना का नाम | श्रेणी | वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता अपराध | स्वीकृत पद की संख्या | कार्यरत कर्मी (पी. आई.पी.) | स्वीकृत पद की तुलना में कार्यरत कर्मी की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | कोतवाली भिण्ड | शहरी | 485 | 81 | 67 | 82.72 |
| 2. | देहात भिण्ड | ग्रामीण | 562 | 59 | 56 | 94.92 |
| 3. | नयागांव | ग्रामीण | 69 | 22 | 17 | 77.27 |
| 4. | बरोही | ग्रामीण | 67 | 29 | 20 | 68.97 |
| 5. | भारोली | ग्रामीण | 44 | 20 | 15 | 75.00 |
| 6. | उमरी | ग्रामीण | 291 | 37 | 39 | 105.41 |
| 7. | पवई | ग्रामीण | 91 | 27 | 12 | 44.44 |

| स. क्र. | पुलिस थाना का नाम | श्रेणी | वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता अपराध | स्वीकृत पद की संख्या | कार्यरत कर्मी (पी. आई.पी.) | स्वीकृत पद की तुलना में कार्यरत कर्मी की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | फूफ | ग्रामीण | 204 | 35 | 23 | 65.71 |
| 9. | सुरपुरा | ग्रामीण | 49 | 22 | 17 | 77.27 |
| 10. | अटेर | ग्रामीण | 185 | 35 | 30 | 85.71 |
| 11. | मेहगाँव | नगर पंचायत | 358 | 50 | 33 | 66.00 |
| 12. | बरासो | ग्रामीण | 53 | 20 | 13 | 65.00 |
| 13. | गोरमी | नगर पंचायत | 328 | 39 | 29 | 74.36 |
| 14. | अमायन | ग्रामीण | 103 | 27 | 17 | 62.96 |
| 15. | गोहद | शहरी | 290 | 64 | 27 | 42.19 |
| 16. | गोहद चौराहा | ग्रामीण | 166 | 32 | 25 | 78.13 |
| 17. | मालनपुर | ग्रामीण | 216 | 33 | 27 | 81.82 |
| 18. | मऊ | नगर पंचायत | 235 | 36 | 33 | 91.67 |
| 19. | एण्डोरी | ग्रामीण | 94 | 28 | 17 | 60.71 |
| 20. | लहार | नगर पंचायत | 331 | 58 | 34 | 58.62 |
| 21. | रौन | ग्रामीण | 309 | 35 | 23 | 65.71 |
| 22. | मिहोना | नगर पंचायत | 97 | 27 | 16 | 59.26 |
| 23. | आलमपुर | नगर पंचायत | 67 | 27 | 14 | 51.85 |
| 24. | असवार | ग्रामीण | 44 | 20 | 14 | 70.00 |
| 25. | दबोह | नगर पंचायत | 155 | 34 | 15 | 44.12 |
| 26. | रावतपुरा सरकार | ग्रामीण | 46 | 38 | 09 | 23.68 |

## परिशिष्ट–3.4.1

### (सन्दर्भः कण्डिका 3.4, पृष्ठ संख्या 96)

### देयकों की कार्यालयीन प्रति/प्रमाणकों का विवरण जिसके माध्यम से केन्द्राध्यक्ष वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाता संख्या 32230143507 में अधिक राशि जमा की गई

(राशि ₹ में)

| स. क्र. | देयक संख्या | दिनांक | ई–भुगतान सूची के अनुसार प्रमाणक संख्या | दिनांक | देयक/ प्रमाणक की राशि | देयक/प्रमाणक के साथ संलग्न भुगतान प्राप्तकर्ताओं की सूची का वास्तविक योग | अन्तर राशि | देयक/प्रमाणक की वास्तविक कुल राशि के विरूद्ध किया गया अधिक (+)/ कम भुगतान (–) | अनाधिकृत बैंक खाता संख्या 32230143507 में जमा राशि (8±9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=6–7) | (9) | (10) |
| 1. | 471 | 02.11.2013 | 2202/357 | 02 नवम्बर 2013 | 4,00,000 | 3,29,346 | 70,654 | (–) 10,000 | 80,654 |
| 2. | 577 | 03.12.2013 | 2202/313 | 15 जनवरी 2014 | 18,36,181 | 15,17,181 | 3,19,000 | (+) 2,875 | 3,16,125 |
| 3. | 576 | 14.01.2014 | 2202/312 | 15 जनवरी 2014 | 13,26,173 | 10,76,173 | 2,50,000 | (+) 11,148 | 2,38,852 |
| 4. | 575 | 14.01.2014 | 2202/311 | 15 जनवरी 2014 | 2,67,033 | 1,87,033 | 80,000 | (–) 18,000 | 98,000 |
| 5. | 574 | 13.01.2014 | 2202/310 | 15 जनवरी 2014 | 6,28,883 | 4,31,883 | 1,97,000 | (–) 4,000 | 2,01,000 |
| 6. | 573 | 13.01.2014 | 2202/309 | 15 जनवरी 2014 | 14,03,181 | 12,57,181 | 1,46,000 | (+) 13,000 | 1,33,000 |
| 7. | 633 | 03.02.2014 | 2202/132 | 03 फरवरी 2014 | 13,15,807 | 10,90,992 | 2,24,815 | (–) 7,000 | 2,31,815 |
| 8. | 637 | 03.02.2014 | 2202/136 | 03 फरवरी 2014 | 2,55,476 | 1,68,576 | 86,900 | (+) 17,999 | 68,901 |
| 9. | 636 | 03.02.2014 | 2202/135 | 03 फरवरी 2014 | 6,28,690 | 4,37,461 | 1,91,229 | (+) 1,000 | 1,90,229 |
| 10. | 634 | 03.02.2014 | 2202/133 | 03 फरवरी 2014 | 18,34,006 | 15,47,720 | 2,86,286 | (+) 4,488 | 2,81,798 |
| 11. | 635 | 03.02.2014 | 2202/134 | 03 फरवरी 2014 | 13,84,021 | 12,80,081 | 1,03,940 | 0 | 1,03,940 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=6–7) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 685 | 13.03.2014 | 2202 / 251 | 14 मार्च 2014 | 5,27,608 | 4,54,608 | 73,000 | 0 | 73,000 |
| 13. | 689 | 13.03.2014 | 2202 / 255 | 14 मार्च 2014 | 13,58,485 | 11,58,485 | 2,00,000 | (+) 13,770 | 1,86,230 |
| 14. | 688 | 13.03.2014 | 2202 / 254 | 14 मार्च 2014 | 17,95,568 | 16,12,892 | 1,82,676 | (–) 7,887 | 1,90,563 |
| 15 | 686 | 13.03.2014 | 2202 / 252 | 14 मार्च 2014 | 2,78,314 | 2,08,314 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 16 | 687 | 13.03.2014 | 2202 / 253 | 14 मार्च 2014 | 14,58,025 | 13,30,825 | 1,27,200 | (–) 6,300 | 1,33,500 |
| 17 | 86 | 20.04.2014 | 2202 / 332 | 21 अप्रैल 2014 | 13,89,210 | 11,59,210 | 2,30,000 | (+) 1,400 | 2,28,600 |
| 18 | 83 | 20.04.2014 | 2202 / 329 | 21 अप्रैल 2014 | 17,96,047 | 16,06,047 | 1,90,000 | (–) 3,387 | 1,93,387 |
| 19 | 92 | 20.04.2014 | 2202 / 338 | 21 अप्रैल 2014 | 13,82,210 | 11,52,210 | 2,30,000 | (–) 3,640 | 2,33,640 |
| 20 | 82 | 20.04.2014 | 2202 / 328 | 21 अप्रैल 2014 | 14,50,425 | 13,50,425 | 1,00,000 | (+) 1,775 | 98,225 |
| 21 | 85 | 20.04.2014 | 2202 / 331 | 21 अप्रैल 2014 | 2,78,314 | 2,08,314 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 22 | 88 | 20.04.2014 | 2202 / 334 | 21 अप्रैल 2014 | 2,78,314 | 2,08,314 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 23 | 91 | 20.04.2014 | 2202 / 337 | 21 अप्रैल 2014 | 17,99,043 | 16,29,043 | 1,70,000 | (+) 3,769 | 1,66,231 |
| 24 | 89 | 20.04.2014 | 2202 / 335 | 21 अप्रैल 2014 | 5,24,608 | 4,54,608 | 70,000 | (+) 1,000 | 69,000 |
| 25 | 84 | 20.04.2014 | 2202 / 330 | 21 अप्रैल 2014 | 5,24,608 | 4,54,608 | 70,000 | (+) 1,000 | 69,000 |
| 26 | 229 | 17.06.2014 | 2202 / 315 | 20 जून 2014 | 13,82,210 | 11,57,210 | 2,25,000 | 0 | 2,25,000 |
| 27 | 230 | 17.06.2014 | 2202 / 316 | 20 जून 2014 | 17,99,043 | 16,29,043 | 1,70,000 | (+) 1,613 | 1,68,387 |
| 28 | 232 | 17.06.2014 | 2202 / 318 | 20 जून 2014 | 2,78,314 | 2,08,314 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 29 | 231 | 17.06.2014 | 2202 / 317 | 20 जून 2014 | 14,50,425 | 13,50,425 | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 |
| 30 | 240 | 28.06.2014 | 2202 / 451 | 28 जून 2014 | 5,24,217 | 4,64,217 | 60,000 | (+) 1,000 | 59,000 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=6–7) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 293 | 25.07.2014 | 2202 / 314 | 25 जुलाई 2014 | 2,72,968 | 1,92,968 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 32 | 294 | 25.07.2014 | 2202 / 315 | 25 जुलाई 2014 | 5,20,267 | 4,70,267 | 50,000 | (+) 1,000 | 49,000 |
| 33 | 295 | 25.07.2014 | 2202 / 316 | 25 जुलाई 2014 | 17,95,699 | 16,35,699 | 1,60,000 | (+) 10,847 | 1,49,153 |
| 34 | 345 | 06.08.2014 | 2202 / 294 | 07 अगस्त 2014 | 29,00,850 | 27,00,850 | 2,00,000 | 0 | 2,00,000 |
| 35 | 349 | 06.08.2014 | 2202 / 298 | 07 अगस्त 2014 | 5,45,936 | 3,85,936 | 1,60,000 | 0 | 1,60,000 |
| 36 | 348 | 06.08.2014 | 2202 / 297 | 07 अगस्त 2014 | 10,40,534 | 9,40,534 | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 |
| 37 | 347 | 06.08.2014 | 2202 / 296 | 07 अगस्त 2014 | 35,91,398 | 32,82,652 | 3,08,746 | (+) 904 | 3,07,842 |
| 38 | 343 | 06.08.2014 | 2202 / 292 | 07 अगस्त 2014 | 14,50,425 | 13,50,425 | 1,00,000 | (–) 3 | 1,00,003 |
| 39 | 344 | 06.08.2014 | 2202 / 293 | 07 अगस्त 2014 | 13,89,105 | 11,69,105 | 2,20,000 | (–) 17,116 | 2,37,116 |
| 40 | 346 | 06.08.2014 | 2202 / 295 | 07 अगस्त 2014 | 27,78,210 | 23,38,210 | 4,40,000 | (–) 13,800 | 4,53,800 |
| 41 | 411 | 04.09.2014 | 2202 / 290 | 05 सितम्बर 2014 | 13,82,081 | 11,72,081 | 2,10,000 | (–) 3,600 | 2,13,600 |
| 42 | 412 | 04.09.2014 | 2202 / 291 | 05 सितम्बर 2014 | 14,16,504 | 13,56,775 | 59,729 | (+) 4,830 | 54,899 |
| 43 | 413 | 04.09.2014 | 2202 / 292 | 05 सितम्बर 2014 | 17,91,722 | 16,41,722 | 1,50,000 | (+) 30,195 | 1,19,805 |
| 44 | 406 | 04.09.2014 | 2202 / 293 | 05 सितम्बर 2014 | 5,20,267 | 4,70,267 | 50,000 | (+) 1,000 | 49,000 |
| 45 | 472 | 30.09.2014 | 2202 / 531 | 30 सितम्बर 2014 | 15,80,866 | 14,63,866 | 1,17,000 | 0 | 1,17,000 |
| 46 | 476 | 30.09.2014 | 2202 / 535 | 30 सितम्बर 2014 | 3,11,718 | 2,11,718 | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 |
| 47 | 474 | 30.09.2014 | 2202 / 533 | 30 सितम्बर 2014 | 6,03,164 | 5,05,821 | 97,343 | (–) 14,000 | 1,11,343 |
| 48 | 473 | 30.09.2014 | 2202 / 532 | 30 सितम्बर 2014 | 19,07,884 | 17,57,884 | 1,50,000 | (–) 11,751 | 1,61,751 |
| 49 | 475 | 30.09.2014 | 2202 / 534 | 30 सितम्बर 2014 | 15,28,593 | 12,58,593 | 2,70,000 | (–) 250 | 2,70,250 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=6–7) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 478 | 13.10.2014 | 2225 / 120 | 13 अक्टूबर 2014 | 9,00,000 | 8,20,000 | 80,000 | (–) 4,280 | 84,280 |
| 51 | 533 | 05.11.2014 | 2202 / 194 | 06 नवम्बर 2014 | 20,24,946 | 18,24,946 | 2,00,000 | (+) 12,908 | 1,87,092 |
| 52 | 530 | 05.11.2014 | 2202 / 191 | 06 नवम्बर 2014 | 3,22,971 | 2,22,971 | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 |
| 53 | 531 | 05.11.2014 | 2202 / 192 | 06 नवम्बर 2014 | 6,28,128 | 5,28,128 | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 |
| 54 | 532 | 05.11.2014 | 2202 / 193 | 06 नवम्बर 2014 | 17,07,945 | 15,07,945 | 2,00,000 | (+) 289 | 1,99,711 |
| 55 | 534 | 05.11.2014 | 2202 / 195 | 06 नवम्बर 2014 | 14,11,463 | 13,11,463 | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 |
| 56 | 728 | 04.02.2015 | 2202 / 220 | 04 फरवरी 2015 | 19,72,709 | 15,50,902 | 4,21,807 | (+) 3,62,085 | 59,722 |
| 57 | 145 | 29.06.2015 | 2225 / 357 | 29 जून 2015 | 23,86,550 | 21,89,550 | 1,97,000 | 0 | 1,97,000 |
| **योग** | | | | | **7,02,37,342** | **6,13,82,017** | **88,55,325** | | **84,80,444** |

# परिशिष्ट–3.4.2

## (सन्दर्भः कण्डिका 3.4, पृष्ठ संख्या 96)

## सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के व्यक्तिगत लाभों का कपटपूर्ण दोहरा आहरण

(₹ लाख में)

| स. क्र. | सेवानिवृत्त/ मृत कर्मचारी का नाम और जिसके लिए देयक आहरित किया गया | प्रमाणक संख्या/ दिनांक | दोहरी आहरित राशि | भुगतान किया गया |
|---|---|---|---|---|
| **केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाते में जमा की गई कपटपूर्ण दोहरी आहरित राशि** | | | | |
| 1. | स्व. मदन सिंह अजनार, सहायक शिक्षक, (निधन दिनांक 18.10.2015) **(जी.आई.एस. का भुगतान)** | 02/ 02.12.2015 | 2.50 | ₹ 2.50 लाख स्व. मदन सिंह अजनार की पत्नी श्रीमती मांगीबाई अजनार को भुगतान |
| | | 24/ 25.02.2016 | | ₹ 2.50 लाख केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर में जमा |
| 2. | स्व. ढोकल सिंह मावी, सहायक शिक्षक (निधन दिनांक 25.09. 2015) **(जी.आई.एस. का भुगतान)** | 01/ 02.12.2015 | 2.50 | ₹ 2.50 लाख केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर में जमा (सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, अलीराजपुर द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर. ) के अनुसार, मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को राशि का भुगतान किया गया) |
| | | 27/ 25.02.2016 | | ₹ 2.50 लाख केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर में जमा |
| 3. | श्री मोती सिंह परमार, सहायक शिक्षक (31.10.2015 को सेवानिवृत्त) **(एल.ई.आर. का भुगतान)** | 254/ 22.04.2016 | 3.64 | ₹ 3.64 लाख केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर में जमा |
| | | 455/ 27.10.2016 | | ₹ 3.11 लाख श्री मोती सिंह परमार को भुगतान |
| 4. | श्री मोहन सिंह चौहान, सहायक शिक्षक (30.06.2016 को सेवानिवृत्त) **(एल.ई.आर. का भुगतान)** | 291/ 18.07.2016 | 3.99 | ₹ 3.99 लाख केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर में जमा |
| | | 240/ 17.02.2017 | | ₹ 3.88 लाख श्री मोहन सिंह चौहान को भुगतान |
| **योग (स. क्र. 1 से 4)** | | | **12.63** | |
| **विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाते में जमा की गई कपटपूर्ण दोहरी आहरित राशि** | | | | |
| 5. | श्री वेस्ता हरवाल, प्रधान पाठक, (31.03.2014 को सेवानिवृत्त) **(अवकाश नकदीकरण का भुगतान)** | 291/ 27.09.2014 | 3.67 | ₹ 3,66,720 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर में जमा |
| | | 305/ 26.05.2015 | 4.38 | ₹ 4,37,920 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर में जमा |
| 6. | स्व. कुँवर सिंह कनेश, सहायक शिक्षक, निधन दिनांक 01.11. | 04/ 10.01.2017 | 2.50 | ₹ 2,50,000 कुँवर सिंह कनेश की पत्नी श्रीमती लीला बाई कनेश को भुगतान |

| स. क्र. | सेवानिवृत्त/ मृत कर्मचारी का नाम और जिसके लिए देयक आहरित किया गया | प्रमाणक संख्या/ दिनांक | दोहरी आहरित राशि | भुगतान किया गया |
|---|---|---|---|---|
| | 2016 **(जी.आई.एस. का भुगतान)** | 08/ 01.03.2017 | | ₹ 2,50,000 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर में जमा |
| 7. | स्व. कोनू सिंह डूडवे, यू.डी.टी., निधन दिनांक 01.10.2016 **(जी. आई.एस. का भुगतान)** | 21/ 24.10.2016 | 2.50 | ₹ 2,50,000 स्व. कोनू सिंह डूडवे की पत्नी श्रीमती शीला डूडवे को भुगतान |
| | | 5/ 01.03.2017 | | ₹ 2,50,000 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर में जमा |
| **योग (स. क्र. 5 से 7)** | | | **13.05** | |
| **श्री वेस्ता हरवाल, सेवानिवृत्त प्रधान पाठक को दिनांक 01.06.2015 को भुगतान किया** | | | **(–) 4.04** | |
| **योग (कपटपूर्ण जमा)** | | | **9.01** | |
| **महायोग (स. क्र. 1 से 7)** | | | **21.64** | |

## परिशिष्ट–3.4.3
### (सन्दर्भः कण्डिका 3.4, पृष्ठ संख्या 96)
### अतिथि शिक्षकों के मानदेय के दोहरे आहरण का विवरण

(₹ लाख में)

| प्रमाणक संख्या और दिनांक | अतिथि शिक्षकों के मानदेय के आहरण की अवधि | देयक के साथ संलग्न सूची में अतिथि शिक्षकों की संख्या | प्रमाणक की राशि | केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाते में जमा की गई राशि | विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाते में जमा की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| **536/ 28.03.2014** | **सितम्बर 2013 से नवम्बर 2013** | **253** | **20.00** | **04.50** | **15.50** |
| 190/ 02.05.2014 | सितम्बर 2013 से जनवरी 2014 | 253 | 31.04 | 01.00 | 30.04 |
| **633/ 31.12.2014** | **दिसम्बर 2014** | **285** | **07.61** | **02.61** | **05.00** |
| 391/ 16.04.2015 | दिसम्बर 2014 से मार्च 2015 | 285 | 30.42 | 07.60 | 22.82 |
| **216/ 02.01.2016** | **नवम्बर 2015 से दिसम्बर 2015** | **314** | **16.64** | **2.64** | **14.00** |
| 453/ 29.02.2016 | नवम्बर 2015 से फरवरी 2016 | 314 | 32.28 | 08.32 | 23.96 |
| **दोहरे आहरणों का योग** | | | **44.25** | **09.75** | **34.50** |

# परिशिष्ट–3.4.4

## (सन्दर्भः कण्डिका 3.4, पृष्ठ संख्या 97)

## विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाता (खाता संख्या 11940100002370, बैंक ऑफ बड़ौदा) में जमा की गई राशियों का विवरण

(राशि ₹ में)

| स. क्र. | प्रमाणक संख्या | दिनांक | प्रमाणक की कुल राशि | ई–चैक संख्या / दिनांक | विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाते में जमा की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2202 / 260 | 03.09.2014 | 9,04,216 | O491020962 / 03.09.2014 | 2,06,722 |
| 2. | 2202 / 468 | 27.09.2014 | 3,88,511 | O491021323 / 27.09.2014 | 91,369 |
| 3. | 2202 / 377 | 18.02.2015 | 6,08,463 | O491024436 / 18.02.2015 | 64,224 |
| 4. | 2202 / 453 | 29.02.2016 | 32,28,000 | O491034303 / 29.02.2016 | 23,96,000 |
| 5. | 2202 / 209 | 22.09.2016 | 23,775 | O491038529 / 22.09.2016 | 23,775 |
| 6. | 2202 / 208 | 22.09.2016 | 70,025 | O491038528 / 22.09.2016 | 70,025 |
| 7. | 2202 / 354 | 27.10.2016 | 29,13,828 | O491039303 / 27.10.2016 | 45,000 |
| 8. | 2202 / 356 | 27.10.2016 | 2,83,695 | O491039306 / 27.10.2016 | 2,83,695 |
| 9. | 2202 / 365 | 27.10.2016 | 9,42,111 | O491039319 / 27.10.2016 | 2,28,077 |
| 10. | 2202 / 401 | 28.10.2016 | 40,89,343 | O491039357 / 28.10.2016 | 3,89,200 |
| 11. | 2202 / 368 | 27.10.2016 | 69,718 | O491039325 / 27.10.2016 | 23,399 |
| 12. | 2202 / 269 | 29.12.2016 | 3,08,366 | O491039906 / 29.12.2016 | 3,08,366 |
| 13. | 2202 / 273 | 30.12.2016 | 6,70,250 | O491039912 / 30.12.2016 | 6,70,250 |
| 14. | 2202 / 187 | 27.02.2017 | 15,078 | O491040647 / 27.02.2017 | 15,078 |
| 15. | 2202 / 277 | 31.03.2017 | 3,68,338 | O491041278 / 31.03.2017 | 2,93,566 |
| 16. | 2202 / 269 | 30.05.2017 | 1,19,853 | O491042014 / 30.05.2017 | 1,19,853 |
| 17. | 2202 / 270 | 30.05.2017 | 9,52,449 | O491042015 / 30.05.2017 | 7,30,803 |
| **योग** | | | | | **59,59,402** |

## परिशिष्ट–3.4.5

### (सन्दर्भः कण्डिका 3.4, पृष्ठ संख्या 97)

(सन्दर्भः कण्डिका 3.4, पृष्ठ संख्या 97)

### I–कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर के कर्मचारियों/कर्मचारियों के संबंधियों को अंतरित राशियों को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

| स. क्र. | कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर के कर्मचारियों/कर्मचारी के संबंधियों का नाम | केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाते से निकाली गई राशि (भारतीय स्टेट बैंक में खाता संख्या 32230143507) | विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाते से निकाली गई राशि (बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता संख्या 11940100002370) | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री हेतराम राजपूत, सहायक शिक्षक | 75.30 | 0.70 | 76.00 |
| 2. | श्री रितुराज सोलंकी, सहायक ग्रेड–3 (खाता संख्या 31492781015) | 147.73 | 4.50 | 152.23 |
| 3. | श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, सहायक ग्रेड–3 | 9.39 | 5.36 | 14.75 |
| 4. | श्री रविन्द्र नागर, सहायक ग्रेड–3 | 12.25 | 3.54 | 15.79 |
| 5. | श्री अरूण कुमार राजपूत, शिक्षक (खाता संख्या 63057043360) | 75.84 | – | 75.84 |
| 6. | श्री मांगलिया, भृत्य | – | 3.87 | 3.87 |
| 7. | श्री राजेन्द्र डबगर, प्रधान पाठक | 9.17 | 4.29 | 13.46 |
| 8. | स्वयं (विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी) के लिए आहरित राशि | – | 17.18 | 17.18 |
| 9. | श्रीमती उषा सोलंकी, पत्नी श्री रितुराज सोलंकी | 10.00 | – | 10.00 |
| 10. | श्री के.एस. भूरा, लेखापाल | 4.90 | – | 4.90 |
| **योग** | | **344.58** | **39.44** | **384.02** |

### II–दिसम्बर 2013 से जून 2017 के दौरान कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उदयगढ़, अलीराजपुर में पदग्राही दर्शाता विवरण

| स.क्र. | नाम | पदस्थापना की अवधि |
|---|---|---|
| **प्रभारी डी.डी.ओ. (विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर)** | | |
| 1. | श्री बी.पी. पटेल | 03.09.2013 से 03.01.2014 |
| 2. | श्री एन. एस. रावत | 03.01.2014 से 17.02.2014 |

| स.क्र. | नाम | पदस्थापना की अवधि |
|---|---|---|
| **प्रभारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी (विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर)** | | |
| 3. | श्री बी.पी. पटेल | 17.02.2014 से 13.08.2014 |
| 4. | श्री परमानन्द धाकड़ | 13.08.2014 से 09.06.2015 |
| 5. | श्री आर.के.एस. तोमर | 09.06.2015 से 14.09.2016 |
| 6. | श्री एम.एल. परमार | 14.09.2016 से 24.12.2016 |
| 7. | स्व. आर.एस. डाबर | 03.01.2017 से 20.03.2017 |
| 8. | श्री नवीन श्रीवास्तव | 20.03.2017 से 02.05.2017 |
| 9. | श्री सूरज सिंह | 02.05.2017 से 07.12.2017 |
| **कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर में प्रभारी लेखापाल** | | |
| 1. | श्री के.एस. भूरा (सेवानिवृत्त) | 03.09.1994 से 31.08.2013 |
| 2. | श्री रितुराज सोलंकी | 01.09.2013 से 05.06.2017 |
| 3. | श्री बी.एल. राव | 05.06.2017 से 30.09.2018 |

## परिशिष्ट–3.4.6

### (सन्दर्भ: कण्डिका 3.4, पृष्ठ संख्या 97)

### आहरित एवं वास्तविक प्राप्तकर्ता के स्थान पर श्री रितुराज सोलंकी, सहायक ग्रेड–3 के बैंक खाते में जमा की गई राशियों को दर्शाता विवरण

| स. क्र. | देयक संख्या/दिनांक (के लिए आहरित राशि) | प्रमाणक संख्या/ दिनांक | राशि (₹ में) | श्री रितुराज सोलंकी, सहायक ग्रेड–3 के बैंक खाते का विवरण (जिसमें कॉलम 4 में दिखाई गई राशियां जमा की गई है) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 673/03.03.2014 (छात्रावास की शिष्यवृत्ति) | 18/ 04.03.2014 | 2,70,000 | 31492781015, IFSC SBIN0030048 |
| 2. | 681/11.03.2014 (स्व. अमर सिंह रावत, सहायक शिक्षक का जी.आई. एस.) | 13/ 11.03.2014 | 2,50,000 | 31492781015, IFSC SBIN0030048 |
| 3. | 323/04.09.2015 (श्री मनराज बामनिया, प्रधान पाठक की प्रत्याशित पेंशन) | 217/ 04.09.2015 | 81,878 | 11940100004853, IFSC BARB0UDAIGA |
| **योग** | | | **6,01,878** | |

# संक्षिप्तों की शब्दावली

## 2. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन

| स.क्र. | संक्षिप्त | पूर्ण शब्द |
|---|---|---|
| 1. | ए.डी.एम. | अपर जिला न्यायाधीश |
| 2. | ए.ओ. | न्यायनिर्णायक अधिकारी |
| 3. | ए.टी.एन. | कार्रवाई की टिप्पणियाँ |
| 4. | सी. एण्ड एस. | सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक |
| 5. | सी.ए.सी. | केंद्रीय सलाहकार समिति |
| 6. | सी.एफ.एस. | खाद्य सुरक्षा आयुक्त |
| 7. | सी.जे.एम. | मुख्य न्यायिक न्यायाधीश |
| 8. | सी.एम. | मुख्यमंत्री |
| 9. | सी.एम. एण्ड एच.ओ. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी |
| 10. | डी. एण्ड जे. | जिला एवं सत्र न्यायाधीश |
| 11. | डी.डी. एफ. एण्ड डी. | उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन |
| 12. | डी.ई.ओ. | जिला शिक्षा अधिकारी |
| 13. | डी.एल.एस.सी. | जिला स्तरीय स्टेयरिंग समिति |
| 14. | डी.ओ. | अभिहित अधिकारी |
| 15. | डी.पी.सी. | जिला परियोजना समन्वयक |
| 16. | डी.पी.ओ. | जिला कार्यक्रम अधिकारी |
| 17. | डी.एस.ओ. | जिला आपूर्ति अधिकारी |
| 18. | एफ.बी.ओ. | खाद्य कारबार कर्ता |
| 19. | एफ.सी.एस. एण्ड सी.पी. | खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण |
| 20. | एफ.एल.आर.एस. | खाद्य लाइसेसिंग एवं पंजीकरण प्रणाली |
| 21. | फॉस्कोरिस | नियमित निरीक्षण और नमूना लेने की प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अनुपालन |
| 22. | एफ.एस.ए.टी. | खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण |
| 23. | एफ.एस.ओ. | खाद्य सुरक्षा अधिकारी |
| 24. | एफ.एस.एस. | खाद्य सुरक्षा और मानक |
| 25. | एफ.एस.एस.ए.आई. | भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण |
| 26. | जी.ओ.आई. | भारत सरकार |
| 27. | जी.ओ.एम.पी. | मध्य प्रदेश शासन |
| 28. | एच.ओ.डी. | विभागाध्यक्ष |

| स.क्र. | संक्षिप्त | पूर्ण शब्द |
|---|---|---|
| 29. | आई.ई.सी. | सूचना, शिक्षा और संचार |
| 30. | इन्फो.एल.नेट. | भारतीय खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्क |
| 31. | एम.एफ.टी.एल. | चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला |
| 32. | एम.आई.एस. | सूचना प्रबंधन प्रणाली |
| 33. | एन.ए.बी.एल. | राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड |
| 34. | पी.एच. एण्ड एफ.डब्ल्यू.डी. | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग |
| 35. | पी.एस. | प्रमुख सचिव |
| 36. | एस.डी.ओ. | अनुविभागीय अधिकारी |
| 37. | एस.एफ.एल. | राज्य खाद्य प्रयोगशाला |
| 38. | एस.एच.जी. | स्व सहायता समूह |
| 39. | एस.एल.एस.सी. | राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति |
| 40. | एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर. | प्रतिस्थापना विधि के बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन |
| 41. | डब्ल्यू. एण्ड सी.डी.डी. | महिला एवं बाल विकास विभाग |

## 3.1 मध्य प्रदेश में खेल अधोसंरचना का निर्माण, संधारण और उपयोग

| स. क्र. | संक्षिप्त नाम | पूर्ण रूप |
|---|---|---|
| 1. | डी.एस.वाई.डब्ल्यू. | खेल और युवा कल्याण विभाग |
| 2. | पी.आई.यू. | परियोजना क्रियान्वयन इकाई |
| 3. | सी.पी.ए. | राजधानी परियोजना प्रशासन |
| 4. | आर.ई.एस. | ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें |
| 5. | पी.डब्ल्यू.डी. | लोक निर्माण विभाग |
| 6. | एम.पी.एल.यू.एन. | मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम |
| 7. | जी.ओ.एम.पी. | मध्य प्रदेश शासन |
| 8. | ए.सी.एस./पी.एस. | अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव |
| 9. | डी.एस.ओ. | जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी |
| 10. | एम.पी.एफ.सी. | मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता |
| 11. | एफ.आर. | वित्तीय नियम |
| 12. | एम.पी.टी.सी. | मध्य प्रदेश ट्रेजरी कोड |
| 13. | एम.पी.डब्ल्यू.डी. | मध्य प्रदेश निर्माण विभाग |
| 14. | आई.आर.सी. | इण्डियन रोड़ कांग्रेस |
| 15. | पी.आर.डी.डी. | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |

| स. क्र. | संक्षिप्त नाम | पूर्ण रूप |
|---|---|---|
| 16. | एम.आई.एस. | प्रबंधन सूचना तंत्र |
| 17. | सी.एम. | मुख्यमंत्री |
| 18. | एन.ए.सी. | राष्ट्रीय सलाहकार परिषद |
| 19. | एम.एच.आर.डी. | मानव संसाधन विकास मंत्रालय |
| 20. | एस.टी. | अनुसूचित जन जाति |
| 21. | ए.ए. | प्रशासनिक स्वीकृति |
| 22. | टी.एस. | तकनीकी स्वीकृति |
| 23. | एस.ओ.आर. | दरों की अनुसूची |
| 24. | जी.ओ.आई. | भारत सरकार |
| 25. | एन.ओ.सी. | अनापत्ति प्रमाण पत्र |
| 26. | एस.क्यू.एम. | स्क्वायर मीटर |
| 27. | एस.एस. | स्वीकृत पद |
| 28. | पी.आई.पी. | पदस्थ कर्मचारियों की स्थिति |
| 29. | एस.टी.सी. | खेल प्रशिक्षण केंद्र |
| 30. | एन.पी.पी. | नगर पालिका परिषद |
| 31. | एच.आर. | मानव संसाधन |
| 32. | सी.पी. एण्ड ओ.एच. | ठेकेदार का लाभ और ओवरहेड शुल्क |
| 33. | एफ.आई.एच. | अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन |

## 3.2 गृह (पुलिस) विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन

| स. क्र. | संक्षिप्त | पूर्ण शब्द |
|---|---|---|
| 1. | ए.डी.जी. | अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक |
| 2. | ए.जे.के. | अनुसूचित जाति कल्याण |
| 3. | ए.एस.आई. | सहायक उप निरीक्षक |
| 4. | ए.एस.पी. | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक |
| 5. | बी.पी.आर. एण्ड डी. | पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो |
| 6. | सी.सी. | कम्पनी कमान्डर |
| 7. | सी.एस.पी. | नगर पुलिस अधीक्षक |
| 8. | डी.सी.बी. | जिला अपराध शाखा |
| 9. | डी.जी.पी. | पुलिस महानिदेशक |
| 10. | डी.आई.जी. | उप पुलिस महानिरीक्षक |

| स. क्र. | संक्षिप्त | पूर्ण शब्द |
|---|---|---|
| 11. | डी.एस.पी. | उप पुलिस अधीक्षक |
| 12. | एफ.एस.एल. | न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला |
| 13. | जी.ओ.आई. | भारत सरकार |
| 14. | जी.ओ.एम.पी. | मध्य प्रदेश शासन |
| 15. | एच.सी. | प्रधान आरक्षक |
| 16. | आई.जी. | महानिरीक्षक |
| 17. | आई.जी.पी. | पुलिस महानिरीक्षक |
| 18. | आई.पी.सी. | भारतीय दंड संहिता |
| 19. | एम. | अनुसचिवीय |
| 20. | एम.एल.ए. | विधायक |
| 21. | एम.पी. | मध्य प्रदेश |
| 22. | एम.पी. | सांसद |
| 23. | एम.पी.पी.ई.बी. | मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल |
| 24. | ओ.एस. | कार्यालय अधीक्षक |
| 25. | पी.एच.क्यू. | पुलिस मुख्यालय |
| 26. | पी.एस. | पुलिस थाना |
| 27. | पी.एस. | प्रमुख सचिव |
| 28. | पी.टी.ए. | पुलिस प्रशिक्षण अकादमी |
| 29. | पी.टी.एस. | पुलिस प्रशिक्षण शाला |
| 30. | आर.एफ.एस.एल. | क्षेत्रीय न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला |
| 31. | आर.आई. | रक्षित निरीक्षक |
| 32. | आर.टी.आई. | सूचना का अधिकार |
| 33. | एस.ए.एफ. | विशेष सशस्त्र बल |
| 34. | एस.आई. | उप निरीक्षक |
| 35. | एस.आई.बी. | विशेष खुफिया शाखा |
| 36. | एस.एल.पी. | विशेष अनुमति याचिका |
| 37. | एस.पी. | पुलिस अधीक्षक |
| 38. | यू.डी.सी. | उच्च श्रेणी लिपिक |
| 39. | व्ही.आई.पी. | अति विशिष्ट व्यक्ति |

©
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/madhya-pradesh/hi